

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र
(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)
31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष

मध्य प्रदेश सरकार
वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या-4

विषय सूची

	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		vii
पहला अध्याय		
प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के विषय में	1.1	1
लेखापरीक्षित इकाइयों की रूपरेखा	1.2	1
लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	1.3	2
प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश, ग्वालियर के कार्यालय की संगठनात्मक संरचना	1.4	3
लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन	1.5	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां	1.6	4
कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं शासकीय विभागों की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा	1.6.1	4
लेनदेनों की अनुपालन लेखापरीक्षा	1.6.2	8
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की उत्तरदायित्वता का अभाव	1.7	9
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन	1.7.1	9
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रारूप पर विभागों की प्रतिक्रिया	1.7.2	10
लेखापरीक्षा समिति का गठन	1.7.3	10
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर आगे की कार्यवाही	1.7.4	10
लोक लेखा समिति (लो ले स) द्वारा लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर चर्चा	1.7.5	11
लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर सरकार के उत्तर	1.7.6	11
लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न करना	1.8	11

	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
दूसरा अध्याय		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग		
मध्य प्रदेश में जेलों का प्रबंधन	2.1	13
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	2.2	43
तीसरा अध्याय		
शासकीय विभागों की कार्य पद्धति		
मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (लो.स्वा. एवं प.क.) की लेखापरीक्षा	3.1	79
मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित संस्कृति विभाग की लेखापरीक्षा	3.2	125
चौथा अध्याय		
लेनदेन लेखापरीक्षा		
नियमों का अनुपालन न किया जाना	4.1	157
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग		
जिला योजना अधिकारी, पन्ना द्वारा शासकीय धन राशि का गबन	4.1.1	157
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग		
शासकीय धन का गबन	4.1.2	160
सामाजिक न्याय विभाग		
शासकीय धन का गबन/दुर्विनियोजन	4.1.3	161
सामान्य प्रशासन विभाग		
शासकीय प्राप्तियों का अनाधिकृत प्रतिधारण	4.1.4	163
चिकित्सा शिक्षा विभाग		
औषधियों का अनियमित क्रय	4.1.5	164

	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
असावधानी/नियंत्रण में विफलता	4.2	166
<i>भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग</i>		
हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कार्पोरेशन से ₹ 1.17 करोड़ की वसूली में विफलता	4.2.1	166
<i>लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग</i>		
वेतन एवं भत्तों पर अनियमित व्यय	4.2.2	168

परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.1	31 दिसम्बर 2012 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की वर्षवार स्थिति	171
1.2	31 दिसम्बर 2012 को लंबित विभागीय उत्तरों के विवरण	173
1.3	31 दिसम्बर 2012 को लोक लेखा समिति में चर्चा हेतु लंबित कंडिकाएं	173
1.4	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाएं/समीक्षाओं पर जारी सिफारिशी प्रतिवेदनों पर 31 दिसम्बर 2012 तक विभागीय कार्यवाही टिप्पणियां (ए.टी.एन.) जो कि लोक लेखा समिति को प्रस्तुत नहीं की गयी थीं, की वर्षवार एवं विभागवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	174
2.1	जेल एवं सुधारात्मक सेवायें विभाग की संगठनात्मक संरचना	177
2.2	प्राप्तियों को विलम्ब से प्रेषण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	178
2.3	कैदियों को उपचार उपलब्ध न कराये जाने संबंधी विवरण पत्रक	179
2.4	हथियारों की कमी दर्शाने वाला विवरण पत्रक	180
2.5	प्रतिबंधित वस्तुओं को रखे जाने संबंधी विवरण पत्रक	181
2.6	पुलिस बल की कमी के कारण विचाराधीन कैदियों को न्यायालय में विलंब से पेशी को दर्शाने वाला पत्रक	182
2.7	जिला स्तर पर किये गये निरीक्षणों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	183
2.8	मार्च 2012 के अंत में व्यक्तिगत जमा खाते में अवरुद्ध राशि जिसे पीड़ित को प्रदाय की जानी थी, को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	184
2.9	लेखापरीक्षित जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	185
2.10	रसोई गैस की तुलनात्मक खपत को कैदीवार वर्षवार दर्शाने वाला विवरण पत्रक (किलोग्राम)	186
2.11	विभाग में स्टाफ की कमी को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	187
2.12	ग्राम पंचायत स्तर पर वार्षिक योजना के अनुमोदन में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	188
2.13	ब्लॉक स्तर पर वार्षिक योजना के अनुमोदन में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	190
2.14	जिला स्तर पर वार्षिक योजना के अनुमोदन में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	191
2.15	बजट अनुमान तथा वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण	192
2.16	एस जी आर वाय तथा एन एफ एफ डब्ल्यू पी योजना की राशि को विलम्ब से अंतरित करने का विवरण पत्रक	193
2.17	बैंक पास बुक मुद्रण पर किये गये व्यय का विवरण पत्रक	194
2.18	चयनित 13 जिलों के अपात्र परिवारों का पंजीयन किये जाने एवं जाँब कार्ड जारी किये जाने का विवरण पत्रक	195

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
2.19	हितग्राहियों को कार्य हेतु आवेदन की दिनांकित पावती जारी नहीं किये जाने का विवरण पत्रक	196
2.20	अभिलेख संधारित नहीं किये जाने का विवरण पत्रक	197
2.21	अपूर्ण अभिलेख संधारित किये जाने का विवरण	198
2.22	मजदूरी भुगतान में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	199
2.23	मजदूरों को मजदूरी पर्ची जारी नहीं किये जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	202
2.24	कार्यों पर मेट न लगाए जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	203
2.25	गैर अनुमत्य कार्यों का क्रियान्वयन दर्शाने वाला विवरण पत्रक	204
2.26	जिला स्तर पर श्रम सामग्री अनुपात को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	205
2.27	आर ई एस को ओवरहेड व्यय भुगतान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	206
2.28	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ मनरेगा निधि का अनियमित अभिसरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	207
2.29	शिकायत निवारण व्यवस्था को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	208
2.30	सामाजिक अंकेक्षण बैठक में लेखा परीक्षा दलो की उपस्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	209
3.1	चयनित ईकाइयों को दर्शाने वाला पत्रक	210
3.2	वर्ष 2009-12 की अवधि में 20 प्रतिशत एवं ₹ 50 लाख से अधिक की बचत को दर्शाने वाला पत्रक	212
3.3	संचालनालय स्तर पर आयोजनान्तर्गत व्यय के अधिक्य को दर्शाने वाला पत्रक	213
3.4	लेखा पंजीयों के संधारण के संबंध में संहिता के प्रावधानों के अनुपालन को दर्शाने वाला पत्रक	214
3.5	चार स्तरीय वेतनमान में अधिक भुगतान को दर्शाने वाला पत्रक	216
3.6	जि.स्वा.स. द्वारा क्षेत्रीय इकाईयो को वर्ष के अंत में निधि जारी करने संबंधी पत्रक	217
3.7	वर्ष 2010-11 से 2011-12 की अवधि में एक योजना से दूसरी योजना में निधियों के अंतरण को दर्शाने वाला पत्रक	218
3.8	दीन दयाल अंत्योदय उपचार योजना (दी.द.अ.उ.यो.) अंतर्गत रोगी के उपचार पर अनियमित व्यय को दर्शाने वाला पत्रक	219
3.9	राज्य बीमारी सहायता निधि (रा.बी.स.नि.) अंतर्गत लेखा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होना को दर्शाने वाला पत्रक	220
3.10	वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान प्रावधानित गतिविधियाँ, जो संचालित न हो सकी, को दर्शाने वाला पत्रक	221
3.11	आई.पी.एच.एस. मानदंड के अनुसार सुविधाएँ/सेवाओं की उपलब्धता को दर्शाने वाला पत्रक	226

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
3.12	टी.एन.एम.एस.सी.के द्वारा क्रय किये गए दवाओं के वितरण में विलंब के लिए दंड अधिरोपित न करने को दर्शाने वाला पत्रक	227
3.13	संस्कृति संचालनालय के बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति दर्शाते हुए प्रपत्र	229
3.14	पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय के बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति दर्शाते हुए प्रपत्र	229
3.15	स्वराज संस्थान संचालनालय के बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति दर्शाते हुए प्रपत्र	229
4.1	चेकों का विवरण	230

यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य विधानसभा के समक्ष रखने के लिए राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 समाविष्ट करते हुए, मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य एवं सामाजिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्रों के विभागों जिनमें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आदिम जाति कल्याण, शिक्षा, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग सम्मिलित हैं, की अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को समाहित करता है। तथापि आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विभागों को छोड़ दिया गया है तथा आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्रों के प्रतिवेदन में समाहित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2011-12 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा करने के दौरान जानकारी में आये तथा ऐसे भी मामले हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परंतु जिन्हें पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया गया था। 2011-12 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी यथास्थान आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा, सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लेखापरीक्षा मानकों के आधार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गयी है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय एक में लेखापरीक्षा की योजना तथा सीमा, प्रारूप कंडिकाओं और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विभागों के उत्तर का वर्णन है तथा इस प्रतिवेदन में सम्मिलित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का सार सम्मिलित है। अध्याय दो में मध्य प्रदेश में जेलों का प्रबंधन और महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का उल्लेख है। अध्याय तीन में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और संस्कृति विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा के निष्कर्ष समाविष्ट हैं। अध्याय चार में विभिन्न विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष दिये गये हैं।



पहला अध्याय
प्रस्तावना

पहला अध्याय

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राज्य के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्रों के अन्तर्गत चयनित कार्यक्रमों तथा गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा से उद्भूत मामलों और सरकारी विभागों तथा स्वायत्तशासी निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित है।

निष्पादन लेखापरीक्षा में यह जाँच की जाती है कि कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभागों के लक्ष्य मितव्ययिता तथा दक्षता से प्राप्त किये गये हैं। दूसरी ओर अनुपालन लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाइयों के व्यय से संबंधित लेनदेनों की जाँच से संबंधित है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के संविधान के प्रावधानों, प्रयोज्य विधानों, नियमों, विनियमों और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों तथा अनुदेशों का पालन किया जा रहा है।

प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम राज्य विधान मण्डल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा मानकों में यह अपेक्षित है कि रिपोर्टिंग हेतु सामग्रीगत स्तर लेनदेनों की प्रकृति, परिमाण तथा महत्ता के अनुरूप होना चाहिये। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से कार्यपालन अधिकारियों को सुधारात्मक उपाय करने योग्य होने की आशा की जाती है और उनसे ऐसी नीतियाँ तथा दिशानिर्देश बनाने की आशा की जाती है जो संगठनों के वित्तीय प्रबन्धन के सुधार में मार्गदर्शक बने तथा अच्छे अभिशासन में योगदान कर सकें।

इस अध्याय में लेखापरीक्षा की योजना और सीमा की व्याख्या के अतिरिक्त, चयनित योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कमियों तथा उपलब्धियों की रूपरेखा, लेनदेनों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों तथा पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर आगे की कार्यवाही दी गई है। इस प्रतिवेदन के दूसरे अध्याय में चयनित कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा से उद्भूत निष्कर्ष समाविष्ट हैं। तीसरे अध्याय में सरकारी विभागों की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा पर प्रेक्षण दिये गये हैं। चौथे अध्याय में सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की लेनदेनों की लेखापरीक्षा पर प्रेक्षण दिये गये हैं।

1.2 लेखापरीक्षित इकाइयों की रूपरेखा

सचिवालय स्तर पर राज्य में 56 विभाग हैं जिनके प्रमुख अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव होते हैं उनकी सहायता आयुक्तों/संचालकों तथा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाती है। इनमें से 36 विभाग तथा उनके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र

लेखापरीक्षा) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं। 23,371 पंचायती राज संस्थाएँ (पीआरआई) तथा 361 शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) हैं।

चालू वर्ष (2011-12) के दौरान तथा पूर्व वर्ष में राज्य सरकार के राजकोषीय लेनदेनों का सारांश तालिका-1 में दिया गया है।

तालिका 1: वर्तमान वर्ष के राजकोषीय लेनदेनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

2010-11	प्राप्तियाँ	2011-12	2010-11	संवितरण	2011-12		
अनुभाग-क राजस्व							
					योजनेतर	योजनागत	योग
51,854.18	राजस्व प्राप्तियाँ	62,604.07	45,011.59	राजस्व व्यय	36,677.16	16,016.55	52,693.71
21,419.34	कर राजस्व	26,973.44	14,646.68	सामान्य सेवाएं	16,091.11	137.53	16,228.64
5,719.77	करेतर राजस्व	7,482.73	17,345.40	सामाजिक सेवाएं	10,460.00	9,836.94	20,296.94
15,638.51	संघ करों/शुल्कों का भाग	18,219.13	10,084.48	आर्थिक सेवाएं	7,499.98	5,464.93	12,964.91
9,076.56	केन्द्र सरकार से अनुदान	9,928.77	2,935.03	सहायतानुदान तथा अंशदान	2,626.07	577.15	3,203.22
अनुभाग-ख: पूंजीगत एवं अन्य							
366.54	विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	22.65	8,799.88	पूंजीगत परिव्यय	32.29	9,022.87	9,055.16
33.65	कर्ज तथा अग्रिम की वसूलियाँ	9,122.56	3,714.73	कर्ज तथा अग्रिम संवितरित	14,681.31	1,079.25	15,760.56
1.64	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2.65	1.85	अन्तर्राज्यीय परिशोधन			3.70
7,457.94	लोक ऋण प्राप्तियाँ	6,750.25	2,529.23	लोक ऋण का पुनर्भुगतान			3,149.79
--	आकस्मिकता निधि	100.00	--	आकस्मिकता निधि			100.00
65,675.10	लोक लेखा प्राप्तियाँ	76,315.22	62,344.26	लोक लेखा संवितरण			73,279.04
3,912.93	प्रारम्भिक रोकड़ शेष	6,900.44	6,900.44	अन्तिम रोकड़ शेष			7,775.88
1,29,301.98	योग	1,61,817.84	1,29,301.98	योग			1,61,817.84

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3 लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 से व्युत्पन्न है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक मध्य प्रदेश सरकार के व्यय की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम के अनुच्छेद 13¹ के अधीन करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्रों के अंतर्गत उन 47 स्वायत्तशासी निकायों (97 इकाई) के एक मात्र लेखापरीक्षक हैं जिनकी लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं

¹ (i) राज्य की समेकित निधि से समस्त लेनदेन (ii) आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे से संबंधित समस्त लेनदेन (iii) समस्त व्यापार, विनिर्माण, लाभ एवं हानि लेखे, तुलना पत्र तथा अन्य सहायक लेखे

महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम के अनुच्छेद 19(2)² एवं 19(3)³ के अधीन की जाती है तथा इसके अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम के अनुच्छेद 14⁴ के अधीन उन 285 अन्य इकाइयों की लेखापरीक्षा भी इन क्षेत्रों के अंतर्गत करते हैं जिनका पर्याप्त वित्त पोषण सरकार करती है। विभिन्न लेखापरीक्षाओं के सिद्धान्त एवं प्रणालियाँ नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानक तथा लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियम, 2007 में निर्धारित की गई है।

1.4 प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश, ग्वालियर के कार्यालय की संगठनात्मक संरचना

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देशों के अधीन प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), ग्वालियर कार्यालय सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्रों के अधीन सम्पूर्ण राज्य में फैले हुए सरकारी विभागों/कार्यालयों/स्वायत्तशासी निकायों/संस्थाओं की लेखापरीक्षा करते हैं। प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) की सहायता पांच समूह अधिकारियों द्वारा की जाती है।

1.5 लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों/संगठनों द्वारा किये गए व्यय, गतिविधियों की विवेचनात्मकता/जटिलता, सौंपी गयी वित्तीय शक्तियों के स्तर, आन्तरिक नियंत्रण के मूल्यांकन तथा स्टेक होल्डर की प्राथमिकता के आधार पर आकलित जोखिम के साथ आरम्भ होती है। इस प्रक्रिया में पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर भी विचार किया जाता है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा का निर्णय किया जाता है तथा वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूरी करने के उपरान्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाले निरीक्षण प्रतिवेदन विभागीय प्रमुख को जारी किये जाते हैं। विभागों से निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के एक माह के भीतर लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्तर प्रेषित करने का अनुरोध किया जाता है। जैसे ही उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निराकरण हो जाता है अथवा अनुपालन के लिए आगे की कार्यवाही का परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उल्लेखित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट करने के लिये संसाधित किया जाता है जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

² राज्य विधान सभा द्वारा बनायी गयी विधि द्वारा या के अधीन स्थापित निगमों (कंपनियाँ नहीं) के लेखाओं की तत्संबंधी विधि के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा

³ राज्यपाल के अनुरोध पर ऐसे निबन्धन एवं शर्तों पर जिन पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा सरकार सहमत हों, किसी निकाय अथवा प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा

⁴ राज्य की समेकित निधि से अनुदान अथवा ऋण द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय/प्राधिकरण की समस्त प्राप्तियों तथा व्यय और (ii) किसी निकाय अथवा प्राधिकरण की समस्त प्राप्तियों तथा व्यय जहाँ एक वित्त वर्ष में राज्य की समेकित निधि से ऐसे निकाय अथवा प्राधिकरण को अनुदान अथवा ऋण ₹ एक करोड़ से कम न हो, की लेखापरीक्षा

2011-12 के दौरान सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्रों में विभिन्न विभागों/संगठनों की 2,320 इकाइयों (अनुपालन लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा) की लेखापरीक्षा करने में 10,086 दल दिवस काम में लाए गए। लेखापरीक्षा योजना में वे इकाइयाँ समावेशित हैं जो हमारे मूल्यांकन के अनुसार जोखिम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थीं।

1.6 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में और चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता पर अनेक महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया जिनका कार्यक्रमों की सफलता और विभागों की कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार सरकारी विभागों/संगठनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान पायी गई कमियाँ भी सूचित की गई थीं।

1.6.1 कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं शासकीय विभागों की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु संचालित की जाती है कि क्या शासकीय कार्यक्रमों द्वारा अपेक्षित उद्देश्यों को निम्नतम लागत द्वारा प्राप्त कर लिया गया है और उसका प्रायोजित लाभ दिया गया है। मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा द्वारा विभाग की कार्य संरचना का व्यापक मूल्यांकन कर प्रणालीगत मामलों की पहचान करना है जिनके प्रति उपयुक्त उच्चतम स्तरों पर तादात्म्य की आवश्यकता है।

वर्तमान प्रतिवेदन में दो निष्पादन लेखापरीक्षा यथा मध्य प्रदेश में जेलों का प्रबंधन तथा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा संस्कृति विभाग पर मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा सम्मिलित हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं:

1.6.1.1 मध्यप्रदेश में जेलों का प्रबंधन

विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान परिलक्षित हुआ कि वित्तीय प्रबंधन की कमी थी। योजनागत निधि का प्रावधान स्वीकृत योजना के परिव्यय की तुलना में कम था। योजना मद में प्राप्त धन राशि की तुलना में व्यय कम किया गया जबकि विभागीय प्राप्तियों को शासकीय विभागीय खातों में देरी से प्रेषण किया गया।

कैदियों को सुरक्षा एवं सुविधाएं प्रदान करने के लिये विभाग की व्यवस्थाएँ संतोषजनक नहीं थीं। नये प्रवेश हुये कैदियों को आमद इकाई के अभाव में जेलों में प्रवेश के समय जेल निवासियों से संगरोध नहीं किया जा सका। विचाराधीन एवं दंडित महिला कैदियों हेतु कुछ जेलों में पृथक कोठरियाँ नहीं थीं। अनेक बीमार कैदियों को जेल चिकित्सा अधिकारी द्वारा अस्पताल में भेजने हेतु प्रस्तावित करने के पश्चात भी पुलिस गार्ड /वार्डर के अभाव में चिकित्सा प्रदाय नहीं की गई थी।

हथियारों और आधुनिक सुरक्षा उपकरणों जैसे सी.सी.टी.वी., सायरन, इंटरकॉम, जनरेटर आदि की मुख्य रूप से जिला एवं उपजेलों में कमी थी। प्रस्तावित कैदी प्रबंधन प्रणाली एवं आगंतुक प्रबंधन प्रणाली 8 नमूना जांच की गयी केन्द्रीय जेलों में कार्यरत नहीं थी।

राज्य में वर्ष 2007-12 के दौरान जेलों से भागने के 91 प्रकरणों में 96 कैदी जेलों से फरार हुए। प्रतिबंधित वस्तुओं को कैदियों के पास से 9 नमूना जांच की गयी जेलों में जब्त किया गया।

विचाराधीन कैदियों को पुलिस गार्डस् के अभाव में निर्धारित तिथियों को न्यायालय में प्रकरणों की सुनवाई हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था। जिससे विचाराधीन कैदियों को अनावश्यक हिरासत में रखा गया। इसके अलावा 21 नमूना जांच की गयी जेलों में संख्या से अधिक कैदी रखे गये थे जिसका मुख्य कारण जेल भवनों एवं बैरकों का निर्माण न होना अथवा निर्माण देरी से होना है। केन्द्रीय जेल सतना में क्षमता से 287 प्रतिशत अधिक कैदियों को रखा गया था।

जिला जेलों एवं उपजेलों में कैदियों के लिए शिक्षा सुविधायें उपलब्ध नहीं थी। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद भी जेलों के उद्योगों में कार्यरत कैदियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम अनुसार मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया।

विभाग में जेल कर्मियों एवं चिकित्सक/पैरामेडिकल अमले की अत्यधिक कमी थी। लक्षित प्रहरियों में से केवल 50 प्रतिशत को ही प्रशिक्षण दिया गया।

(कंडिका 2.1)

1.6.1.2 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

प्रथम चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम फरवरी 2006 में मध्यप्रदेश के 18 जिलों में लागू हुआ तथा बाकी जिले अप्रैल 2008 तक सम्मिलित किये गये। 13 जिलों में वर्ष 2007-12 की अवधि के लिये महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी। 2007-12 की अवधि में भारत सरकार द्वारा योजना के लिए ₹ 15,946.54 करोड़ की राशि राज्य शासन को जारी की गई तथा योजना पर ₹ 17,193.12 करोड़ का व्यय किया गया।

लेखा परीक्षा ने पाया कि वर्ष 2011-12 में राज्य में 1,18,60,150 पंजीकृत परिवार थे तथा 117.20 करोड़ मानव दिवस के रोजगार सृजित हुये।

यद्यपि राज्य रोजगार गारंटी परिषद की स्थापना निर्धारित समयावधि में की गई, इसकी बैठकें निर्धारित अंतराल पर आयोजित नहीं की गई। राज्य, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार गारंटी निधि की स्थापना नहीं की गई।

वार्षिक विकास योजना को तैयार करने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तथा श्रम बजट वास्तविकता के आधार पर तैयार नहीं किये गये। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने में निष्फल व्यय किया गया।

राज्य शासन के आदेशानुसार योजना के अंतर्गत सभी ग्रामीण परिवारों का पंजीयन आवश्यक किया गया जिसके कारण चयनित जिलों में 13.35 लाख से 19.74 लाख अपात्र हितग्राहियों का योजना के अंतर्गत पंजीयन किया गया। तथापि मात्र 2.31 प्रतिशत से 12.60 प्रतिशत पंजीकृत परिवारों द्वारा 100 दिवस का गारंटीशुदा रोजगार पूर्ण किया जा सका। 2007-12 अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को उपलब्ध कराये गये रोजगार का प्रतिशत 49 प्रतिशत से घटकर 27 प्रतिशत हो गया।

हमने पाया कि योजना में गैर अनुमत्य कार्यों का क्रियान्वयन किया गया कुछ क्रियान्वित कार्य अस्तित्व में नहीं पाये गये तथा श्रम एवं सामग्री के 60:40 अनुपात का अनुपालन नहीं किया गया।

महत्वपूर्ण पंजियां संधारित नहीं की गई या अपूर्ण थीं। एम.आई.एस. आँकड़ों का मिलान मासिक प्रगति प्रतिवेदन के आँकड़ों से नहीं किया गया तथा ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों के निरीक्षण के अभिलेख संधारित नहीं किये गये।

(कंडिका 2.2)

1.6.1.3 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (लो.स्वा.एवं प.क.) की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

लो.स्वा.एवं प.क. की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा में पाया कि विभाग द्वारा परिप्रेक्ष्य योजना तथा वार्षिक योजनायें तैयार की गई। कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना भी तैयार की गई। हालांकि, योजनायें बिना किसी पारिवारिक तथा सुविधा सर्वेक्षण के तैयार की गई।

बजटीय तथा वित्तीय प्रबंधन दोषपूर्ण था जैसा कि संचालक, स्वास्थ्य सेवायें तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के द्वारा निधियों का उल्लेखनीय रूप से अल्प उपयोग, अनुपूरक अनुदानों का अनावश्यक प्रावधान, मार्च माह में व्यय का आधिक्य, रोकड़ संधारण से संबंधित अभिलेखों में संहितागत प्रावधानों का उल्लंघन तथा विलम्ब से प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्रों के कारण केन्द्रांश की विलंब से प्राप्ति से लेखापरीक्षा में दृष्टिगोचर हुआ।

विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों/इच्छित प्रयोजनों के लिये दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, राज्य बीमारी सहायता निधि तथा मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के तहत प्रदाय की गई धनराशि के उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया गया। माह फरवरी 2006 में प्रस्तावित गुना जिले में ट्रामा सेंटर स्थापित किया जाना शेष था।

एन.आर.एच.एम. ढांचा के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में स्वास्थ्य केन्द्र महत्वपूर्ण रूप से कम थे। भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों (भा.लो.स्वा.मा.) की तुलना में अस्पतालों की सुविधाओं में कमी थी। 17 जिलों के लिये प्रस्तावित 34 दृष्टि केन्द्र स्थापित नहीं हो पाये। वर्ष 2011-12 में संस्थागत प्रसवों की संख्या कुल प्रसवों की संख्या का 86 प्रतिशत थी। विभाग द्वारा मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर तथा कुल प्रजनन दर के लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके तदापि, इन दरों में थोड़ा सुधार दिसम्बर-2011 में देखा गया।

उपार्जन प्रक्रिया दोषपूर्ण थी। आपूर्तिकर्ता समय सीमा में औषधि/सामग्री की आपूर्ति करने में विफल रहे जिस कारण स्थानीय बाजार से अधिक लागत पर क्रय करना पड़ा। मरीजों को दवाएँ उनकी गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही जारी कर दी गयीं।

भा.लो.स्वा.मा. के साथ-साथ स्वीकृत पद संख्या की तुलना में मुख्य पदों पर मानव शक्ति में महत्वपूर्ण रूप से कमी थी। चिकित्सकों की उपलब्धता कम होने के बावजूद उन्हें जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया गया था।

स्वास्थ्य योजना और अनुश्रवण समितियाँ विभिन्न स्तरों पर गठित नहीं हुईं। योजना क्रियान्वयन के अनुश्रवण तथा रणनीति के लिये राज्य स्तर की दो शीर्ष समितियों की बैठक नियमित अंतराल में नहीं हो रही थीं। अद्यतन विभागीय मैनुअल के द्वारा आंतरिक नियंत्रण तंत्र संहिताबद्ध नहीं था तथा आंतरिक लेखा निरीक्षण के लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये।

(कंडिका 3.1)

1.6.1.4 संस्कृति विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखा परीक्षा

विभाग ने अभी तक कोई सांस्कृतिक नीति नहीं बनाई है।

विभाग का वित्तीय प्रबंधन कमजोर था, जैसे कि रोकड़ बही संधारण में पाई गई अनियमितताएं, वित्त वर्ष के अंतिम माह में अधिक व्यय, रोकड़ एवं भंडार संभाल रहे कर्मचारियों से सुरक्षा निधि जमा नहीं कराया जाना, अस्थाई अग्रिमों का लंबे समय से असमायोजित रहना आदि से देखा जा सकता है।

समीक्षाधीन अवधि में विभाग द्वारा बिना मापदंड के कलाकारों, फिल्मी हस्तियों, पार्श्व गायकों आदि को मानदेय राशि ₹ 7.19 करोड़ का भुगतान किया गया।

23,372 कला मंडलियों को वाद्य यंत्रों के क्रय हेतु ₹ 1.17 करोड़ की वित्तीय सहायता का अधिक संवितरण किया गया।

विभाग के उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आने वाली गतिविधि-बिजली, पानी की व्यवस्था हेतु राशि ₹ 1.80 करोड़ का व्यय किया गया।

अशासकीय संस्थाओं को ₹ 3.02 करोड़ की अनुदान राशि वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान यह सुनिश्चित किये बगैर जारी की गई कि वे सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय हैं।

बारहवें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत भारत भवन ट्रस्ट ने सभागार के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिये प्राप्त राशि में से ₹ 63.55 लाख का उपयोग समयावधि 2009-10 तक नहीं किया।

रीवा, सागर एवं खंडवा में तीन कला संकुल निर्माण के लिये प्राप्त बजट राशि ₹ 3.01 करोड़ बिना आवश्यकता के वर्ष 2008-09 में आहरित की गई, जबकि इन संकुलों के निर्माण कार्य नवंबर 2012 तक प्रारंभ नहीं किये जा सके।

डॉ. विष्णुश्रीधर वाकणकर पुरातत्व अनुसंधान संस्थान की स्थापना हेतु शासन से मार्च 2009 में प्राप्त राशि ₹ 40.85 लाख मध्यप्रदेश कोष संहिता नियम 284 के विरुद्ध बिना आवश्यकता के आहरित कर मध्यप्रदेश हैरिटेज डेवलपमेंट ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा रखी गई।

स्मारकों के जीर्णोद्धार पर व्यय की गई राशि, पर्याप्त सुरक्षा एवं रखरखाव के अभाव में निष्फल हो रही थी।

विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र, आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा, विभागीय मैनुअल और पर्याप्त रिपोर्टिंग सिस्टम के अभाव में कमजोर था।

(कंडिका 3.2)

1.6.2 लेनदेनों की अनुपालन लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण कमियाँ भी प्रतिवेदित की हैं जो सरकारी विभागों/संगठनों की कार्य-साधक कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालती हैं। उन्हें सामान्य रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत एवं समूहबद्ध किया गया है:

- नियमों का अनुपालन न किया जाना ।
- असावधानी /नियंत्रण में विफलता ।

1.6.2.1 नियमों का अनुपालन न किया जाना

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन तथा वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों तथा सक्षम अधिकारी के आदेशों के अनुरूप हो। इससे न केवल अनियमितताएं, दुर्विनियोजन तथा धोखाधड़ी पर रोक लगती है अपितु अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने में भी सहायता मिलती है। इस प्रतिवेदन में ₹ 29.63 करोड़ के ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें नियमों का अनुपालन नहीं किया गया जो कि निम्नानुसार हैं:

- जिला योजना अधिकारी, पन्ना द्वारा कोषालय से अग्रिम के रूप में अनियमित आहरण एवं रोकड़ पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि कर ₹ 2.11 लाख का गबन किया गया। लेखापरीक्षा में इंगित करने पर ₹ 1.80 लाख विभागीय बैंक खाते में जमा कराये गये।

(कंडिका 4.1.1)

- जिला संयोजक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग (जिला संयोजक, आदिवासी कल्याण) पन्ना, के कार्यालय में राशि ₹ 1.50 लाख का गबन किया गया। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के उपरांत राशि शासकीय लेखे में जमा कर दी गई।

(कंडिका 4.1.2)

- शासकीय नियमों के उल्लंघन एवं आंतरिक नियंत्रण के अभाव के परिणामस्वरूप कार्यालय उप संचालक, सामाजिक न्याय, राजगढ़ में राशि ₹ 41.79 लाख का दुर्विनियोजन हुआ।

(कंडिका 4.1.3)

- संहितागत प्रावधान का उल्लंघन कर प्रशासन अकादमी, भोपाल द्वारा ₹ 25.88 करोड़ की शासकीय प्राप्तियों को अनाधिकृत रूप से प्रतिधारित कर शासकीय लेखों से बाहर रखा गया एवं उनका व्यय के लिये उपयोग किया गया।

(कंडिका 4.1.4)

- अधीक्षक, सुल्तानिया जनाना अस्पताल, भोपाल द्वारा भंडार क्रय नियम के प्रावधानों के विरुद्ध बिना निविदाएं बुलाए राशि ₹ 3.30 करोड़ की औषधियों इत्यादि का अनाधिकृत क्रय किया गया।

(कंडिका 4.1.5)

1.6.2.2 असावधानी/नियंत्रण में विफलता

सरकार का दायित्व है कि वह जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करे जिसके लिए वह स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास तथा अधोसंरचना एवं लोक सेवा के उन्नयन के क्षेत्र आदि में कुछ उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में कार्य करती है। तथापि लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण पाए गए हैं जिनमें समुदाय के लाभ के लिए सार्वजनिक संपत्तियों के सृजन के लिए सरकार द्वारा दी गई निधियाँ अप्रयुक्त/अवरुद्ध रहीं और/अथवा विभिन्न स्तरों पर अनिर्णयात्मकता, प्रशासनिक असावधानी तथा संगठित कार्यवाही के अभाव के कारण ₹ 3.63 करोड़ निष्फल/अनुत्पादक सिद्ध हुई। कुछ ऐसे प्रकरणों का उल्लेख नीचे किया गया है:

- विभाग की निष्क्रियता के कारण राशि ₹ 1.17 करोड़ मैसर्स हास्पिटल सर्विसेस कंस्लटेंसी कार्पोरेशन पर 7 वर्ष से अधिक अवधि से बकाया थे।

(कंडिका 4.2.1)

- 24 महिला बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जिला चिकित्सालय, देवास में अनियमित तरीके से पदस्थ किये जाने से उनके वेतन एवं भत्तों पर राशि ₹ 2.46 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त ग्रामीण जनता महिला बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सेवाओं से वंचित रही जिसके लिये उनकी नियुक्त हुई थी।

(कंडिका 4.2.2)

1.7 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की उत्तरदायित्वता का अभाव

1.7.1 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन

कार्यालय प्रमुखों तथा उच्च अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे निरीक्षण प्रतिवेदन में निहित लेखापरीक्षा टिप्पणियों का पालन करें और दोषों/चूकों में सुधार कर उनकी प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) को उनके अनुपालन की सूचना दें। प्रधान महालेखाकार गम्भीर अनियमितताएं कार्यालय प्रमुखों के ध्यान में भी लाते हैं।

31 दिसम्बर 2012 को, सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित विभागों के 31 मार्च 2012 तक जारी 6,987 निरीक्षण प्रतिवेदन (18,486 कंडिकाएं) लंबित थे। इनमें से 4,164 निरीक्षण प्रतिवेदन (9,146 कंडिकाएं) पांच वर्षों से अधिक समय से निराकरण हेतु लंबित थे। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा कंडिकाओं के वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1.1 में दिये गये हैं।

1.7.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रारूप पर विभागों की प्रतिक्रिया

प्रारूप कंडिकाओं और निष्पादन लेखापरीक्षा/मुख्य नियंत्रण अधिकारी (सी.सी.ओ.) आधारित लेखापरीक्षा के समीक्षा प्रारूप अर्द्ध शासकीय रूप से संबंधित विभागों के मुख्य सचिव/सचिव को मई से सितंबर 2012 के मध्य प्रेषित कर, उत्तर छः सप्ताह में भेजने का निवेदन किया गया। विभागों से इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये चार निष्पादन लेखापरीक्षा/सी.सी.ओ. आधारित लेखापरीक्षा में से तीन और सात प्रारूप कंडिकाओं में से चार पर उत्तर प्राप्त नहीं हुए, विभागों से प्राप्त उत्तरों को उपयुक्त रूप से इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

1.7.3 लेखापरीक्षा समिति का गठन

सरकार ने शकधर समिति (उच्चाधिकार प्राप्त समिति) की अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर आगामी कार्यवाही की निगरानी के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था (मई 2000)। इस कार्य हेतु सरकार ने एक शीर्ष स्तरीय समिति⁵ (अप्रैल 2009) का गठन किया था। तथापि आदेश में शीर्ष स्तरीय समिति की बैठक के लिये कोई नियत समय निर्धारित नहीं किया गया था। 2011-12 के दौरान शीर्ष स्तरीय समिति की केवल एक बैठक आयोजित हुई।

सरकार द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के त्वरित निपटान हेतु 24 विभागीय लेखापरीक्षा समितियों का भी गठन किया गया। विभागीय लेखा परीक्षा समितियों को तीन माह में एक बैठक आयोजित करनी थी। वर्ष 2011-12 के दौरान समितियों की 96 बैठकों में से मात्र दो बैठकें (आवास एवं पर्यावरण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग) आयोजित हुईं।

1.7.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर आगे की कार्यवाही

मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय द्वारा जारी निर्देशों (नवंबर 1998) के अनुसार राज्य विधान सभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति के तीन माह के भीतर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं के संबंध में विभागों द्वारा की गई कार्यवाही अथवा प्रस्तावित कोई भी कार्यवाही के विषय में लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) तथा प्रधान महालेखाकार को सूचित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2005-06, 2007-08 तथा 2008-09 में सम्मिलित सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित विभागों की 47 कंडिकाओं में से सात कंडिकाओं के

⁵ शीर्ष स्तरीय समिति में प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग (अध्यक्ष), प्रधान महालेखाकार (सदस्य), संबंधित विभाग के सचिव (सदस्य) तथा वरिष्ठ उप-महालेखाकार (सदस्य सचिव) हैं।

विभागीय ज्ञापन अभी भी प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2012) (परिशिष्ट-1.2)। प्रकरण प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा को सूचित किये गये थे (फरवरी 2013)।

1.7.5 लोक लेखा समिति (लो ले स) द्वारा लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर चर्चा

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सिविल) पर वर्ष 2005-06 तक चर्चा पूर्ण हो चुकी है। तथापि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 से 2009-10 से संबंधित 17 कंडिकाएँ लोक लेखा समिति में चर्चा हेतु लंबित थीं (दिसम्बर 2012)। मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) राज्य विधान सभा में 12 दिसम्बर 2012 को प्रस्तुत किया गया था। विभागवार तथा वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1.3 में दिये गए हैं।

1.7.6 लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर सरकार के उत्तर

मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य विधान सभा में लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के छः माह के भीतर समिति की अनुशंसाओं के संबंध में की गई कार्यवाही अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में समिति को सूचना देने के लिए समस्त विभागों को अनुदेश जारी किए थे (नवंबर 1994)। कार्यवाही टिप्पणी की प्रतिलिपियाँ प्रधान महालेखाकार को भी उनकी टिप्पणियों के लिए पृष्ठांकित की जानी हैं।

दिसम्बर 2012 की स्थिति में 26 विभागों द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 240 कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर कार्यवाही टिप्पणियाँ प्रेषित नहीं की गयी थीं। 1986-87 से अनुशंसाओं पर कार्यवाही टिप्पणियाँ प्रेषित नहीं की गई। विभागवार तथा वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1.4 में दिए गए हैं। विभागीय कार्यवाही टिप्पणियों की लंबित स्थिति मुख्य सचिव के ध्यान में लायी गयी थी (फरवरी 2013) और संबंधित विभागों के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया गया था।

1.8 लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न करना

उप निदेशक, सामाजिक न्याय, राजगढ़ के अभिलेखों की नमूना जाँच (अक्टूबर 2010) में पाया गया कि फरवरी 2008 से मार्च 2009 की अवधि में 355 बिलों द्वारा राशि ₹ 18.80 करोड़ उप निदेशक द्वारा कोषालय से आहरित की गई थी। तथापि संबंधित अभिलेख यथा रोकड़ वही, व्हाउचर, बिल पारगमन पंजी, चैक पंजी, प्राप्त कर्ताओं की पावतियाँ लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये। मार्च 2012 में की गई आगामी लेखा परीक्षा में ₹ 18.80 करोड़ से संबंधित अभिलेख पुनः माँगे गये। तथापि अभिलेख पुनः लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से शासकीय धन के गबन और दुर्विनियोजन के प्रकरणों के अनदेखा रह जाने का जोखिम रहता है। यह इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा प्रकरण की जाँच के लिये समिति गठित (अप्रैल 2012) की गयी। समिति को भी ₹ 18.26 करोड़ के व्हाउचर नहीं मिले। अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त द्वारा सूचित किया गया कि कुल व्यय ₹ 18.80 करोड़ में से ₹ 24.33 लाख के उपयोग की अभी तक पुष्टि नहीं हुयी है (दिसम्बर 2012)।

दूसरा अध्याय

निष्पादन लेखापरीक्षा

- 2.1 मध्य प्रदेश में जेलों का प्रबन्धन
- 2.2 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

दूसरा अध्याय

निष्पादन लेखापरीक्षा

जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग

2.1 मध्य प्रदेश में जेलों का प्रबंधन

कार्यपालन सारांश

राज्य में जेलों की स्थापना जेल अधिनियम 1894 के अंतर्गत की गई थी। भारत सरकार द्वारा जारी "मॉडल जेल मेनुअल" (फरवरी 2008) राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप से लागू किया गया था। 2007-12 की अवधि समाविष्ट करते हुए "म.प्र. में जेलों का प्रबंधन" विषय पर निष्पादन लेखा परीक्षा की गई जिसमें कैदियों के हिरासत में रखने और हिरासत के दौरान पर्याप्त सुरक्षा एवं सुविधाओं की व्यवस्था जैसा कि अधिनियम एवं नियम में दर्शाया गया है, की जांच करने के लिये की गई थी। विभाग की लेखा परीक्षा के दौरान निम्न कमियां परिलक्षित हुईं:

- वित्तीय प्रबंधन की कमी थी। योजना के धन का प्रावधान स्वीकृत योजना के परिव्यय की तुलना में कम था। योजना मद में प्राप्त धन राशि की तुलना में व्यय कम किया गया। इसके अलावा विभागीय प्राप्तियों का शासकीय विभागीय खातों में देरी से प्रेषण किया गया।

सरकार को जेल प्रशासन हेतु योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिये वित्तीय प्रबंधन में सुधार करना चाहिये।

- कैदियों को सुरक्षा एवं सुविधाएं प्रदान करने के लिये विभाग की व्यवस्थाएँ संतोषजनक नहीं थीं। नये प्रवेश हुये कैदियों को आमद इकाई के अभाव में जेलों में प्रवेश के समय जेल निवासियों से संगरोध नहीं किया जा सका। विचाराधीन एवं दंडित महिला कैदियों हेतु अनेक जेलों में पृथक कोठरियां नहीं थी। कुछ बीमार कैदियों को जेल चिकित्सा अधिकारी द्वारा अस्पताल में भेजने हेतु प्रस्तावित करने के पश्चात् भी पुलिस गार्ड के अभाव में चिकित्सा प्रदाय नहीं की गई थी।
- हथियारों और आधुनिक सुरक्षा उपकरणों जैसे सी.सी.टी.वी., सायरन, इंटरकॉम, जनरेटर आदि की मुख्य रूप से जिला एवं उप जेलों में कमी थी। नमूना जांच की गई 8 केन्द्रीय जेलों में कैदी प्रबंधन प्रणाली / आगंतुक प्रबंधन प्रणाली कार्यरत नहीं थी। राज्य में वर्ष 2007-12 में जेलों से भागने के 91 प्रकरणों में 96 कैदी जेलों से फरार हुए। प्रतिबंधित वस्तुओं को कैदियों के पास से 9 नमूना जांच की गई जेलों में जब्त किया गया।

जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को आवश्यक हथियारों और उपकरणों को प्रदाय कर अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिये।

- विचाराधीन कैदियों को पुलिस गार्डस् के अभाव में निर्धारित तिथियों को न्यायालय में प्रकरणों की सुनवाई हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था। जिससे विचाराधीन कैदियों को अनावश्यक हिरासत में रखा गया। इसके अलावा नमूना जाँच की गई 21 जेलों में संख्या से अधिक कैदी रखे गये थे जिसका मुख्य कारण जेल भवनों एवं बैरकों का निर्माण न होना अथवा निर्माण देरी से होना है। केन्द्रीय जेल सतना में क्षमता से 287 प्रतिशत अधिक कैदियों को रखा गया था।

विचाराधीन कैदियों को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे अनावश्यक हिरासत एवं जेलों में संख्या से अधिक कैदियों को रखने से बचा जा सके।

- जिला जेलों एवं उप जेलों में कैदियों के लिए शिक्षा सुविधायें उपलब्ध नहीं थी। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद भी जेलों के उद्योगों में कार्यरत कैदियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया।

शैक्षणिक कार्यक्रम एवं औद्योगिक प्रशिक्षण सभी योग्य कैदियों को प्रदाय करना चाहिये।

- विभाग में जेल कर्मियों एवं चिकित्सक / पैरामेडिकल अमले की अत्यधिक कमी थी। लक्षित प्रहरियों में से केवल 50 प्रतिशत प्रहरियों को ही प्रशिक्षण दिया गया।

जेलों के कुशल संचालन के लिये सभी रिक्त पदों को भरा जाना चाहिये।

2.1.1 प्रस्तावना

मध्यप्रदेश में जेलों की स्थापना जेल अधिनियम, 1894 और कैदी अधिनियम, 1900 के अंतर्गत की गई थी एवं इनका संचालन म.प्र. जेल नियम, 1968 के अंतर्गत किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा लागू (दिसम्बर 2003) आदर्श जेल नियमावली को म.प्र. राज्य द्वारा फरवरी 2008 में आंशिक रूप से मान्य किया गया। तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा जेल नियमावली में लगभग 200 संशोधन¹ समय समय पर राजपत्र अधिसूचना जारी कर किये गये। जेलों का मुख्य उद्देश्य अपराधी व्यक्तियों को विभिन्न कानूनों के अंतर्गत कैद में रखना है। कानून के उल्लंघनकर्ताओं की हिरासत एवं समुचित देखभाल के अलावा जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ विभाग का यह भी कर्तव्य है कि कैदियों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करे और कैदियों में सुधार के उद्देश्य से शैक्षणिक, नैतिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण सामाजिक सुधार के रूप में प्रदाय करे साथ ही उचित चिकित्सा सेवा प्रदाय करे जिससे वह रिहाई के पश्चात् परिवार और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकें।

¹ कुछ मुख्य संशोधन जो किए गए हैं "उनमें छोटी सजा का अधिकार, रात्रि परेड/जांच परेड/साप्ताहिक परेड, कैदियों को रिहा करने की प्रक्रिया, कैदियों की सजा माफी की स्वीकृति का अधिकार और कैदियों को इनाम देना" इत्यादि शामिल हैं।

2.1.2 संगठनात्मक संरचना

शासन स्तर पर जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं (जे.सी.एस.) विभाग के मुखिया प्रमुख सचिव होते हैं। जेल एवं सुधारात्मक सेवा विभाग के विभाग प्रमुख जेल महानिदेशक (डी.जी.पी.) हैं जिनकी सहायता महानिरीक्षक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं (आई.जी.पी.) एवं अतिरिक्त महानिरीक्षक जेल (ए.आई.जी.पी.) द्वारा की जाती है। संभाग स्तर पर 8 केन्द्रीय जेलों (के.जे.), जिला स्तर पर 22 जिला जेलें (जि.जे.) और जिला एवं तहसील स्तर पर 92 उप जेलें विद्यमान हैं। के.जे. एवं जि.जे., जेल अधीक्षकों द्वारा संचालित की जाती हैं जबकि उ.जे. उप अधीक्षक / उप जेलर द्वारा संचालित की जाती हैं। विभाग के अधीन एक खुली जेल होशंगाबाद, एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल एवं एक प्रशिक्षण केन्द्र सागर में संचालित है। विभाग की संगठनात्मक संरचना परिशिष्ट-2.1 में प्रदर्शित की गई है।

2.1.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना था कि:

- वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय प्रबंधन प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण था;
- कैदियों की हिरासत निरापद एवं सुरक्षित तरीके से की जा रही थी;
- जेल अधिनियम एवं नियमों में दर्शाये अनुसार कैदियों को अवरोधन, सुविधाएं और विशेषाधिकार प्रदाय किये जा रहे थे;
- कैदियों के सुधार, पुर्नवास एवं शिक्षा के लिये किये गए प्रयास प्रभावी थे;
- जेलों के प्रशासन में सुधार से संबंधित योजनाओं एवं परियोजनाओं का क्रियान्वयन कुशल था;
- विभाग में मानव संसाधन प्रबंधन दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी था; और
- जेलों का निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण पर्याप्त एवं प्रभावी थे।

2.1.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन लेखा परीक्षा के लिये लेखा परीक्षा मानदण्ड निम्न स्रोतों से लिया गया:

- जेल अधिनियम 1894, कैदी अधिनियम 1900, मध्यप्रदेश कैदी नियम 1968 और उसके अंतर्गत बनाई गई जेल नियमावली तथा आदर्श जेल नियमावली;
- जेलों के प्रबंधन के लिये समय समय पर जारी सरकारी अधिसूचना और निर्देश एवं विभागीय नियम एवं विनियम;
- मध्यप्रदेश कोषालय संहिता एवं मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता;
- मध्यप्रदेश बजट नियम पुस्तिका।

2.1.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

"जेलों के प्रबंधन" पर निष्पादन लेखा परीक्षा वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि तक महानिदेशक कार्यालय, सभी 8 के.जे.², 22 में से छः जि.जे.³ एवं राज्य के 50 जिलों में से 13 जिलों⁴ में स्थित 22 उप जेलों⁵ के अभिलेखों की नमूना जाँच द्वारा की गयी थी (जनवरी से जुलाई 2012)। विभाग और नमूना जांच की गई जेलों के कार्मिकों को प्रश्नावलियाँ जारी कर जानकारी एकत्र की गयी थी।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य तथा पद्धति पर चर्चा 30 मार्च 2012 को आयोजित प्रवेश सम्मेलन में प्रमुख सचिव से की गई थी। महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा हेतु प्रमुख सचिव के साथ निर्गम सम्मेलन 18 अक्टूबर 2012 को आयोजित किया गया। उनके विचार यथा स्थान शामिल किये गये हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.6 वित्तीय प्रबंधन

2.1.6.1 निधियों का आवंटन एवं उपयोग

विभाग द्वारा वर्ष 2007-2012 की अवधि में आयोजना एवं आयोजनेत्तर बजट आवंटन एवं व्यय निम्नानुसार है:

तालिका 1 बजट आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आवंटन			व्यय			आधिक्य (+)/बचत (-)		शुद्ध आधिक्य (+)/बचत (-)
	आयोजनेत्तर	आयोजना	योग	आयोजनेत्तर	आयोजना	योग	आयोजनेत्तर	आयोजना	
2007-08	84.46	1.80	86.26	81.85	1.34	83.19	(-)2.61	(-)0.46	(-)3.07
2008-09	98.98	2.84	101.82	97.26	1.75	99.01	(-)1.72	(-)1.09	(-)2.81
2009-10	117.18	4.11	121.29	115.32	2.30	117.62	(-)1.86	(-)1.81	(-)3.67
2010-11	139.29	8.66	147.95	132.32	6.13	138.45	(-)6.97	(-)2.53	(-)9.50
2011-12	152.12	4.55	156.67	149.14	4.46	153.60	(-)2.98	(-)0.09	(-)3.07
योग	592.03	21.96	613.99	575.89	15.98	591.87	(-)16.14	(-)5.98	(-)22.12

(स्रोत: विनियोग लेखे) (मुख्य शीर्ष 2056 के अन्तर्गत मांग संख्या 5, 32 एवं 64)

² भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना और उज्जैन

³ बड़वानी, बैतूल, छतरपुर, इंदौर, नरसिंहपुर और शहडोल।

⁴ बड़वानी, बैतूल, भोपाल, छतरपुर, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सतना, शहडोल और उज्जैन।

⁵ बिजावर, ब्योहारी, बुढ़ार, बंडा, डबरा, देपालपुर, खाचरोद, खुरई, लवकुशनगर, महिदपुर, महु, मैहर, मउंगंज, मुलताई, नागौद, नौगाँव, पाटन, रहेली, साँवेर, सिहोरा, संधवा और तराना।

तालिका से स्पष्ट होगा कि वर्ष 2008-09 (38 प्रतिशत) एवं 2009-10 (44 प्रतिशत) के दौरान आयोजना के अंतर्गत व्यय में उल्लेखनीय बचत रही। आयोजना व्यय में बचत ने भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति को भी प्रभावित किया।

हमने पाया कि वर्ष 2007-12 की अवधि में राज्य बजट के अंतर्गत प्राप्त आयोजना निधि (₹ 21.96 करोड़) अनुमोदित योजना परिव्यय ₹ 31.04 करोड़ का 71 प्रतिशत थी। व्यय कुल अनुमोदित योजना परिव्यय का 51 प्रतिशत था।

आगे, हमने पाया कि वर्ष 2008-11 के दौरान "1529-जेल प्रशासन में आधुनिकीकरण" योजना के अन्तर्गत कुल प्रावधान राशि ₹ 0.44 करोड़ के विरुद्ध ₹ 0.17 करोड़ (39 प्रतिशत) की बचत रही। वर्ष 2008-09 के दौरान योजना "5699- भारत सरकार की जेल सुधार योजना" के अंतर्गत बजट आवंटन (₹ 1.50 करोड़) के विरुद्ध राशि ₹ 0.75 करोड़ (50 प्रतिशत) की बचत रही एवं वर्ष 2008-09 में "5044 -भारत सरकार की जेलों के आधुनिकीकरण" के अंतर्गत कुल प्रावधान ₹ 0.63 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 0.35 करोड़ (56 प्रतिशत) की बचत रही। आयोजनाओं के अंतर्गत वृहत बचतें स्वीकृत योजनाओं के धीमे क्रियान्वयन को इंगित करती है।

विभाग द्वारा (जुलाई 2012) लेखा परीक्षणों को स्वीकार करते हुये बताया गया कि भविष्य में निधियों का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।

2.1.6.2 शासकीय प्राप्तिओं का विलंब से प्रेषण करना

शासकीय प्राप्तियाँ
कोषालय में 289
दिन तक विलंब से
प्रेषित की गई थी।

म.प्र. कोषालय संहिता नियम 7 (I) के अनुसार सभी प्राप्तिओं को बिना विलम्ब कोषालय में जमा कर दिया जाना चाहिये जिससे उसे शासकीय लेखे में शामिल किया जा सके।

21 जेलों⁶ की नमूना जाँच में हमने पाया कि विभागीय प्राप्तियाँ जैसे कि दण्ड, औद्योगिक प्राप्तियाँ आदि की राशि ₹ 70.80 लाख जिन्हें वर्ष 2007-12 के दौरान वसूल किया गया था, कोषालय में प्राप्ति दिनांक के 7 से 289 दिन के विलंब से जमा किया गया (परिशिष्ट-2.2)। दो जि.जे. (बड़वानी एवं नरसिंहपुर) एवं चार उ.जे. (ब्योहारी, मैहर, सेंधवा एवं सांवेर) में विलम्ब 30 दिनों से अधिक था।

जेल अधीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा टिप्पणी स्वीकार की गई और भविष्य में नियमों के अनुपालन का आश्वासन दिया।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने कहा (अक्टूबर 2012) कि सभी जेल अधीक्षकों को निर्देश दिये गये हैं कि सभी प्राप्तिओं को यथा शीघ्र कोषालय में अविलंब जमा किया करें।

प्राप्तिओं के विलंब से जमा करने से शासकीय धन के अस्थायी दुर्विनियोजन की संभावना रहती है।

⁶ के.जे. भोपाल, के.जे. ग्वालियर, के.जे. इंदौर, के.जे. जबलपुर, के.जे. सागर, के.जे. सतना, के.जे. उज्जैन, जि.जे. बड़वानी, जि.जे. बैतुल, जि.जे. छतरपुर, जि.जे. इंदौर, जि.जे. नरसिंहपुर, उ.जे. ब्योहारी, उ.जे. बुढार, उ.जे. बंडा, उ.जे. खाचरोद, उ.जे. लवकुशनगर, उ.जे. मैहर, उ.जे. रहेली, उ.जे. सेंधवा और उ.जे. सांवेर

2.1.6.3 क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारी से वसूली न कर शासकीय लेखे से करना

हिरासत में मृत्यु पर क्षतिपूर्ति भुगतान उत्तरदायी कर्मचारियों से वसूली न कर राज्य निधि से किया गया

मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग (म.प्र.मा.अ.आ.) (अप्रैल 2008) की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार ने आदेश जारी कर के.जे. सतना में मृत्यु के प्रकरण में राशि ₹ 50,000 की क्षतिपूर्ति का भुगतान उस कैदी के परिवार को करने के आदेश दिये थे जिसकी मृत्यु हिरासत में हुई थी। क्षतिपूर्ति की राशि उन कर्मचारियों से वसूल की जाना थी जो जेल में कैदी की मृत्यु के लिये जिम्मेदार थे और इस आधार पर शासन ने (नवम्बर 2011) में क्षतिपूर्ति की राशि संबंधित जेल अधीक्षक और चिकित्सा अधिकारी से वसूल करने के निर्देश दिये। तथापि क्षतिपूर्ति की राशि ₹ 50,000 का भुगतान शासकीय लेखों से किया गया (जनवरी 2012)। विभाग द्वारा संबंधित के.जे. के कर्मचारियों का उत्तरदायित्व तय किया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

इसी प्रकार जि.जे. बैतूल में कैदी की मृत्यु जेल में होने के प्रकरण में क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान देरी से किये जाने से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय (जून 2010) के अनुसार ब्याज की राशि ₹ 14,500 का भुगतान (अक्टूबर 2011) संबंधित मृत कैदी के परिवार के सदस्यों को किया गया। यद्यपि उक्त राशि संबंधित कर्मचारी से वसूल की जानी थी लेकिन उक्त राशि का भुगतान शासकीय लेखे से किया गया।

जेल अधीक्षकों सतना एवं बैतूल ने कहा (फरवरी 2012) कि उक्त राशि संबंधित कर्मचारियों से वसूल की जायेगी और शासकीय लेखों में जमा की जायेगी क्योंकि संबंधित कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व पूर्व से ही निर्धारित किया गया है।

उत्तर संतोषजनक नहीं थे क्योंकि जेल अधीक्षकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया था।

प्रमुख सचिव ने निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2012) में कहा कि संबंधित कर्मचारियों से राशि की वसूली हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

2.1.6.4 भारत सरकार के अनुदान को राजस्व प्राप्ति शीर्ष में जमा करना

रात्रि दृष्टि उपकरणों की स्थापना हेतु भारत सरकार से प्राप्त अनुदान लेखों के राजस्व शीर्ष में जमा किया गया ।

भारत सरकार द्वारा जेलों के आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 30 जेलों में रात्रि दृष्टि उपकरणों की स्थापना (₹ 27 लाख) एवं 13 जेलों में एल्कोहलमीटर की स्थापना हेतु (₹ 6.50 लाख) इस प्रकार कुल राशि ₹ 33.50 लाख जारी की गई थी (अगस्त 2007)। यह राशि डी.जी.पी. द्वारा अग्रिम के रूप में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम (म.प्र.ल.उ.नि.) को जनवरी 2009 में दी गई । चूंकि म.प्र.ल.उ.नि. इन वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अनुमोदित नहीं था, विभाग द्वारा म.प्र.ल.उ.नि.से राशि वापस करने हेतु अनुरोध किया (मार्च 2010)। यद्यपि म.प्र.ल.उ.नि. से प्राप्त (अगस्त 2010) राशि भारत सरकार को वापस की जानी थी, किन्तु राशि अनियमित रूप से विभाग के राजस्व शीर्ष में जमा की गई। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा निधियां उपलब्ध कराये जाने के उपरांत भी उपकरण क्रय नहीं किये जा सके।

विभाग द्वारा अपने उत्तर (मई 2012) में कहा कि म.प्र.ल.उ.नि. मद / सामग्री की प्रदायकर्ता नोडल एजेन्सी थी और अग्रिम म.प्र.ल.उ.नि. द्वारा आश्वासन दिये जाने के

बाद ही प्रदाय किया गया था। चूंकि म.प्र.ल.उ.नि. इन सामग्रियों का अनुमोदित आपूर्तिकर्ता नहीं था अतः राशि वापस प्राप्त कर ली गई।

उत्तर विभागीय चूक की पुष्टि करता है इसके अलावा भारत सरकार द्वारा प्रदाय अनुदान अनुपयोगी रहने से जेलों के आधुनिकीकरण की योजना प्रभावित रही।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2012) में विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा कहा गया कि रात्रि दृष्टि उपकरण एवं एल्कोहलमीटर क्रय करने हेतु वर्ष 2012-13 में प्रावधान किया गया है।

2.1.7 सुरक्षा और संरक्षा प्रबंधन

राज्य में जेलों का संचालन जेल अधिनियम 1894 जिसमें जेल प्रशासन के प्रावधानों को समाविष्ट किया गया है एवं कैदी अधिनियम 1900 जिसमें कैदियों की हिरासत, निरोध, सुरक्षा और कैदियों के विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है, के अनुसार होता है। म.प्र. जेल नियमावली का प्रकाशन 1968 में हुआ था। उपयुक्त सुरक्षा एवं संरक्षा व्यवस्था सुविधायें जेल अधिनियम एवं नियमों तथा जेलों की आवश्यकता के अनुसार भी की जानी चाहिए। चयनित जेलों की सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करने पर जेलों की सुरक्षा और कैदियों की निगरानी से संबंधित प्रक्रियाओं में कमी का पता चला, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

2.1.7.1 आमद इकाई के अभाव में नये कैदियों को संगरोध में न रखना

कैदियों को जेल वातावरण का अभ्यस्त करने हेतु उन्हें संगरोध में नहीं रखा गया।

जेल नियमावली के नियम 302 (2) (I) एवं (III) के अनुसार नये कैदियों को जेल में प्रवेश के पूर्व जेल के माहौल से परिचित कराने के लिए एक आमद इकाई में न्यूनतम 10 दिन रखा जायेगा।

जाँच में देखा गया कि आमद इकाई केवल चार नमूना जाँच की गई जेलों (के.जे. भोपाल, के.जे. इन्दौर, के.जे. सतना एवं उ.जे. खुरई) में उपलब्ध थी। 28 जेलों में कोई आमद इकाई नहीं थी। आमद इकाई के अभाव में 68,257 कैदियों को 2007-12 की अवधि में संगरोध के अधीन नहीं रखा गया। आपत्ति ज्ञापन के उत्तर में सभी जेल अधीक्षकों ने कहा कि आमद इकाई के स्थापना की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

जेल अधीक्षकों ने लेखा परीक्षा जांच में तथ्यों को स्वीकार किया और तीन जेल अधीक्षकों (के.जे. रीवा, के.जे. सागर और जि.जे. इन्दौर) ने कहा कि जेलों में उपलब्ध जगह से अधिक कैदी होने से यह संभव नहीं है कि आमद इकाई की स्थापना की जाय।

इसके अलावा म.प्र.मा.अ.आ. की सिफारिश (अप्रैल 2009) के अनुसार यह आवश्यक है कि जब विचाराधीन या दोषसिद्ध कैदी जेल में प्रवेश करते हैं तो जेल प्रबंधन को रक्त और अन्य रोग विज्ञान संबंधी जांच की जानी चाहिये। हमने जांच करने पर देखा कि

⁷ के.जे. ग्वालियर (11743), जबलपुर (13309), रीवा (6541), सागर (7378) तथा उज्जैन (11083)
जि.जे. बड़वानी (1600), छतरपुर (1810), इन्दौर (3404), नरसिंहपुर (2420) तथा शहडोल (2055)
उ.जे. ब्योहारी (342), बिजावर (461), बुंदार (372), बंडा (193), डबरा (838),
देपालपुर (241), खाचरोद (504), लवकुश नगर (396), महिदपुर (141), मऊगंज (349),
महु (602), नौगांव (403), पाटन (186), रहेली (559), सावेर (238), सिहोरा (531), सेंधवा (421), तराना (137)

केवल तीन के.जे. (भोपाल, इन्दौर और जबलपुर) ऐसे थे जहां रक्त एवं रोग विज्ञान संबंधी जांच हेतु प्रयोगशाला उपलब्ध थी।

31 जेलों⁸ की जांच करने पर देखा गया कि अभिलेखों में इस प्रकार का उल्लेख नहीं था कि विचाराधीन एवं दोषसिद्ध कैदियों के जेल में प्रवेश के समय कोई रक्त और अन्य रोग विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला जांच की गई।

जेल अधीक्षकों ने कहा (अप्रैल 2012 से जुलाई 2012) कि रक्त और अन्य रोग विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला परीक्षण तब ही किया जाता है जब चिकित्सा अधिकारी द्वारा रेफर किया जाता है। तथापि यह परीक्षण जेल में प्रविष्ट के दौरान नहीं किये गये।

इससे यह सिद्ध होता है कि म.प्र.मा.अ.आ. द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

2.1.7.2 महिला विचाराधीन कैदियों एवं दंडित महिला कैदियों के लिये पृथक कोठरी की कमी

विचाराधीन महिला कैदियों के लिए पृथक कोठरी नहीं थी

जेल नियमावली के नियम 401 के अनुसार प्रत्येक जेल के विचाराधीन एवं दंडित महिला कैदियों के लिए प्रत्येक ब्लॉक में पर्याप्त संख्या में कोठरियां होनी चाहिये।

हमने 8 के.जे.⁹ एवं 6 चयनित जिला जेलों,¹⁰ जहां महिला कैदियों को रखा गया था, की जांच में पाया कि केवल 4 के.जे. (भोपाल, ग्वालियर, सतना एवं उज्जैन) और दो जि.जे. (बड़वानी एवं बैतूल) में एक अलग से कोठरी उपलब्ध थी। हमने देखा कि के.जे. इन्दौर में महिला कैदियों के लिये कोठरी ही नहीं थी अतः उन्हें जि.जे. इन्दौर में रखा गया था। हमने देखा कि दो के.जे. (सागर एवं रीवा) एवं तीन जि.जे. (छतरपुर, नरसिंहपुर और शहडोल) में महिला विचाराधीन एवं दंडित कैदियों के लिये अलग से कोठरी नहीं थी। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के मध्य औसत विचाराधीन एवं दंडित महिला कैदियों की संख्या निम्नानुसार रही -

तालिका-2 पाँच जेलों में महिला कैदियों की औसत संख्या

इकाई का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
	वि	आ								
के.जे. रीवा	22	7	22	16	20	12	20	21	21	13
के.जे. सागर	25	14	25	17	31	34	32	30	35	34
जि.जे. छतरपुर	1	13	2	13	2	13	10	14	9	16
जि.जे. नरसिंहपुर	2	7	1	8	3	7	2	12	3	7
जि.जे. शहडोल	1	19	2	26	5	23	3	23	4	29

(स्रोत- विभाग द्वारा प्रदत्त आँकड़े) वि- विचाराधीन कैदी, आ- आरोपी कैदी

⁸ आठ के.जे: भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना एवं उज्जैन पाँच जि.जे: बड़वानी, छतरपुर, इन्दौर, नरसिंहपुर एवं शहडोल

अठारह उ.जे: ब्यौहारी, बिजावर, बुढ़ार, डबरा, देपालपुर, खाचरोद, खुर्ई, लवकुश नगर, महिदपुर, मऊगंज, महु, नौगांव, पाटन, रहेली, सांवेर, संघवा, सिहोरा एवं तराना

⁹ भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना एवं उज्जैन

¹⁰ बड़वानी, बैतूल, छतरपुर, इन्दौर, नरसिंहपुर एवं शहडोल

जेल अधीक्षकों ने कहा (अप्रैल 2012 से जुलाई 2012) कि जगह की अनुपलब्धता के कारण दंडित एवं विचाराधीन महिला कैदियों को एक कोठरी में रखा जाता है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने कहा (अक्टूबर 2012) कि महिला कर्मचारियों की कमी एवं जगह की अनुपलब्धता से दंडित एवं विचाराधीन महिला कैदियों को एक ही कोठरी में रखा गया।

2.1.7.3 कैदियों को चिकित्सा उपचार प्रदाय न करना

बीमार कैदियों को चिकित्सकीय उपचार नहीं प्रदान किया गया।

जेल नियमावली के नियम 178(अ)(1) के अनुसार जब कोई कैदी गंभीर रूप से बीमार हो और जेल के चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर विशेष उपचार के लिये शासकीय अस्पताल में भर्ती किया जाना हो तब जेल अधीक्षक द्वारा तुरन्त पुलिस गार्ड प्राप्त करने हेतु मांग की जानी चाहिये। यदि स्थिति ऐसी हो कि पुलिस गार्ड प्राप्त किया जाना शीघ्र संभव न हो तो जेल अधीक्षक ऐसे गंभीर रूप से बीमार बन्दी को दो प्रहरियों के साथ शासकीय अस्पताल में भेजकर भर्ती करवाएगा।

हमने देखा कि 18 जेलों¹¹ में वर्ष 2007-12 की अवधि में 2.27 लाख प्रकरणों में चिकित्सा अधिकारी द्वारा अस्पताल हेतु भेजने की सिफारिश की गई। जबकि 1.91 लाख (84 प्रतिशत) कैदियों को पुलिस गार्ड / प्रहरियों के अभाव में अस्पताल नहीं भेजा जा सका (परिशिष्ट -2.3)।

जेल अधीक्षकों ने कहा (मार्च-अगस्त 2012) कि यद्यपि पुलिस अधीक्षकों द्वारा पुलिस गार्ड उपलब्ध नहीं कराए गये। प्रहरियों की मदद से अति गंभीर कैदियों को शासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा प्रदाय की गई थी।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि चिकित्सा अधिकारी द्वारा कैदी को चिकित्सा हेतु संदर्भित किये जाने के उपरांत भी वांछित चिकित्सा सभी कैदियों को प्रदाय नहीं की जा सकी। इसके अलावा अति गंभीर कैदियों के प्रकरणों में प्रहरियों की मदद से चिकित्सकीय सुविधा प्रदाय किये जाने के अभिलेख लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

2.1.7.4 पेरोल की अवधि का व्यतीत होना

पेरोल पर रिहा किये गये 24 कैदी न तो जेल में वापस आये और न ही उन्हें गिरफ्तार किया गया।

कैदी अधिनियम 1900 भाग 6 एवं कैदी (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम 1985 की धारा 31-ए के अंतर्गत कैदी को 21 दिन¹² की सामान्य छुट्टी की पात्रता है। आपात आधार पर कैदियों को धारा 31-बी के अधीन एक वर्ष में अधिकतम 15 दिन के लिए पात्रता है। जेल नियमावली में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि कैदी निर्धारित अवधि पश्चात् वापस नहीं आता है तो संबंधित की सुरक्षा राशि व्यपगत कर शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिये।

¹¹ के.जे. भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, सीवा, सागर, सतना एवं उज्जैन

जि.जे. छतरपुर, इन्दौर एवं शहडोल

उ.जे. ब्योंहारी,, बुढ़ार, खाचरोद, महिदपुर, मऊगंज, पाटन, सांवेर एवं तराना

¹² 1 वर्ष में संशोधित अवधि तीन भागों में 14 दिन का

जेल मुख्यालय द्वारा दी गई सूचना अनुसार वर्ष 2007-12 की अवधि में 8671 कैदियों को अवकाश स्वीकृत किये गये। जिनमें से 20 कैदी पैरोल अवधि से अधिक अवधि तक बाहर रहे जबकि 127 कैदी अवकाश अवधि समाप्त होने के पश्चात भी नहीं लौटे तथा उन्हें पुनः गिरफ्तार नहीं किया जा सका।

विवरण निम्न तालिका -3 में दिया गया है:

तालिका -3 पैरोल से अधिक अवधि को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	धारा 31 ए अंतर्गत	धारा 31 बी अंतर्गत	अवधि के पश्चात् उपस्थिति	अवधि से अधिक रूकना	वापस नहीं हुए कैदी
2007-08	242	57	289	4	6
2008-09	344	68	404	5	3
2009-10	1834	72	1902	2	2
2010-11	3413	80	3484	5	4
2011-12	2458	103	2445	4	112
योग	8291	380	8524	20	127

(स्रोत- जेल विभाग द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

जेल मुख्यालय द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि तहसीलदारों को सुरक्षा निधि की राशि वसूल करने और संबंधित पुलिस थाना / पुलिस अधीक्षकों को कैदी को गिरफ्तार करने हेतु कहा गया है।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि कैदी की सुरक्षा निधि वसूली पर्याप्त नहीं थी। छुट्टी की अवधि पश्चात् वापस न आने वाले कैदियों को गिरफ्तार करने के प्रभावी प्रयास किये जाने चाहिये क्योंकि अवधि के पश्चात् वापस न आने से वे समाज की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने कहा (अक्टूबर 2012) कि 103 कैदी जेल में वापस आ चुके थे और 24 कैदी अक्टूबर 2012 तक वापस नहीं आये। कैदियों के जेल में वापस न आने के प्रकरणों में जमानतदाता की जिम्मेदारी भी तय की गयी है।

2.1.7.5 हथियारों की कमी

जेल नियमावली के नियम 9 से 11 एवं परिशिष्ट 26, के अनुसार सहायक जेलर या उससे ऊपर की श्रेणी के प्रत्येक अधिकारी के लिए एक पिस्तौल / रिवाल्वर एवं प्रत्येक प्रहरी के लिए एक 410 बोर बन्दूक का पैमाना बनाया गया है। सभी अधीक्षक केन्द्रीय जेल शस्त्रों की एवं शस्त्र गोला बारूद की आपूर्ति के लिए मांग पत्र महानिरीक्षक, जेल को प्रत्येक वर्ष मार्च में निर्धारित प्रारूप में भेजेंगे तथा महानिरीक्षक जेल उक्त मांग को राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को भेजेंगे।

36 जेलों की नमूना जांच करने पर हमने देखा (मार्च 2012) कि राइफल/बंदूक एवं पिस्तौल /रिवाल्वर में आवश्यकता से 24 प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत की कमी थी। जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

पिस्तौल/रिवाल्वर				राइफल/गन			
आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	कमी का प्रतिशत	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	कमी का प्रतिशत
118	97	21	18	1557	1178	379	24

(स्रोत- जेल अधीक्षक)

36 नमूना जांच की गयी जेलों में हथियारों की कमी पायी गयी।

नमूना जांच किये गये जेलों में हथियारों की सूची को **परिशिष्ट -2.4** में दर्शाया गया है। हमने जाँच में देखा कि हथियारों की महत्वपूर्ण कमी चार के. जे. (भोपाल, रीवा, सतना एवं उज्जैन) में थी जबकि अन्य तीन के.जे. (ग्वालियर, जबलपुर एवं सागर) तथा एक जिला जेल नरसिंहपुर में हथियारों की मात्रा आवश्यकता से अधिक थी।

जेल मुख्यालय ने कहा (मई 2012) कि अधीक्षकों द्वारा मांग आई.जी.पी. से नहीं की गई है अतः आई.जी.पी. द्वारा मांग भारत सरकार से नहीं की गई। हथियारों की कमी से जेलों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने कहा (अक्टूबर 2012) कि आगामी वर्षों में प्रावधान कर कमी को दूर किया जायेगा।

2.1.7.6 आधुनिक सुरक्षा उपकरण

अनेक जेलों में आधुनिक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध अथवा क्रियाशील नहीं थे।

आदर्श जेल नियमावली जिसे म.प्र. राज्य द्वारा आंशिक रूप से अपनाया गया था इसके अनुसार प्रत्येक जेल को ठीक से सुसज्जित किया जायेगा जैसे अग्नि शमन उपकरण, आकस्मिक प्रकाश व्यवस्था, वायरलेस उपकरण, सर्च लाईट, आंसू गैस उपकरण, फिंगर प्रिंट मशीन, अलार्म और सायरन, एक्स रे एवं क्लोज सर्किट टेलीविजन इत्यादि। आधुनिक सुरक्षा उपकरण जेलों की बेहतर सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं।

36 जेलों की नमूना जाँच करने पर देखा गया कि अनेक जिलों में आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का अभाव था जिसका विवरण **तालिका 4** में दिया गया है-

तालिका 4- जेलों की संख्या जहां मार्च 2012 की स्थिति में उपकरण उपलब्ध/कार्यरत थे

मद	उपलब्ध जिनमें से सभी अथवा कुछ कार्यरत थे	उपलब्ध परन्तु कार्यरत नहीं	उपलब्ध नह
सी.सी.टी.वी.	13	3	20
जेनरेटर	19	11	6
इन्टरकॉम	24	1	11
सायरन	16	8	12
वाकी टाकी	31	3	2

(स्रोत- जेलों के जेल अधीक्षक)

नमूना जाँच जेलों में हमने देखा कि बहुत से उपकरण अकार्यरत थे जिसका विवरण **तालिका 5** में नीचे दिया गया है

तालिका 5- लेखापरीक्षित जेलों में उपकरणों की स्थिति

लेखापरीक्षित जेलों में संयंत्रों की स्थिति	सी.सी.टी.वी.	जेनरेटर	इन्टरकॉम	सायरन	वाकी टाकी
उपकरणों की कुल संख्या	129	55	82	28	284
कार्य नहीं कर रहे उपकरणों की संख्या	27	25	7	11	102

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2012) में प्रमुख सचिव ने कहा कि उपकरण बहुत पुराने हो चुके हैं, नये आधुनिक सुरक्षा उपकरण क्रय करने की प्रक्रिया प्रगतिरत थी।

पर्याप्त आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण जेलों की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

राज्य में जेलों से
भागने की 91
घटनायें घटित हुईं ।

हमने पाया कि राज्य की विभिन्न जेलों में अवधि 2007 -12 के दौरान जेल से कैदियों के भागने की 91 घटनायें हुईं जिसमें 96 कैदी¹³ भागे । साथ ही हमने पाया कि 2007-12 के दौरान नमूना जाँच की गई 21 जेलों¹⁴ से 57 कैदी दीवार कूद कर, चाय में विषाक्त सामग्री का मिश्रण कर सुरक्षा कर्मचारियों को पिलाने एवं सुरक्षा कर्मचारियों की लापरवाही के कारण भागे थे।

प्रमुख सचिव द्वारा निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2012) में कहा गया कि सुरक्षा में कुछ कमियों के कारण घटनायें हुईं और जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी।

2.1.7.7 प्रतिबंधित वस्तुओं को रखा जाना

नौ नमूना जाँच
की गई जेलों
में प्रतिबंधित
वस्तुओं के जेल
में बरामद किये
जाने की 184
घटनाएँ प्रकाश
में आईं ।

जेल नियमावली के नियम 185 के अनुसार जेल में प्रतिबंधित वस्तुओं को रखने या गैर चिह्नित वस्तुओं को रखने से रोकने की दृष्टि से उप जेल अधीक्षक जेल के बाहर जाने वाले या जेल में वापस आने वाले प्रत्येक कैदी की तलाशी करवाएगा और सप्ताह में कम से कम एक बार निश्चित समय पर प्रत्येक कैदी की एवं सभी कपड़ों, बिस्तरों, वार्डों, कर्मशालाओं और कोठरियों की पूर्णतया तलाशी करवाएगा।

हमने वर्ष 2007-12 के दौरान नौ नमूना जाँच की गई जेलों में देखा कि औचक निरीक्षण के दौरान 184 घटनाओं में प्रतिबंधित वस्तुएं जैसे ब्लेड, मोबाईल, गांजा, चरस, तार, चाकू आदि का होना पाया गया (परिशिष्ट-2.5)।

यह जेलों में प्रवेश के समय और आगंतुकों के साथ बैठक के दौरान सुरक्षा की कमियों को इंगित करता है । जेलों में प्रतिबंधित वस्तुओं के प्रवेश को रोका जाना आवश्यक है जिससे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों को रोका जा सके।

प्रमुख सचिव ने निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2012) में कहा कि अधिकतर जेलों में दोहरी दीवार नहीं होने से प्रतिबंधित वस्तुओं को असामाजिक तत्वों द्वारा जेल के बाहर से फेंका गया था । तथापि इस प्रकार की वस्तुएं औचक निरीक्षण के दौरान जब्त की गई थीं । उत्तर समुचित सुरक्षा व्यवस्था, की कमी की पुष्टि करता है।

¹³ 2007-08 (3), 2008-09 (20), 2009-10 (25), 2010-11 (13), 2011-12 (35)

¹⁴ जि.जे. बड़वानी (1), जि.जे. बैतूल (3), के.जे. भोपाल (1), उ.जे. बिजावर (1), उ.जे. डबरा (9), के.जे. ग्वालियर (4), के.जे. इन्दौर (5), जि.जे. इन्दौर (5), के.जे. जबलपुर (6), उ.जे. खचरोद (1), उ.जे. लवकुशनगर (4), उ.जे. मऊगंज (7), उ.जे. मैहर (1), उ.जे. मऊ (1), उ.जे. मुलतई (1), जि.जे. नरसिंहपुर (1), उ.जे. नागौद (1), के.जे. शीवा (1), के.जे. सागर (2), उ.जे. तराना (1), के.जे. उज्जैन (4)

2.1.8 विचाराधीन कैदियों का निरोध

विचाराधीन कैदियों को नियत तारीख पर न्यायालय में पेश नहीं किया गया।

2.1.8.1 विचाराधीन कैदियों को न्यायालय में देर से प्रस्तुत करना

डी.जी.पी. के निर्देश (जुलाई 2009) जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार, विचाराधीन कैदियों की न्यायालय से पेशी हेतु सूचना प्राप्त होने के तत्काल बाद जेल अधीक्षकों द्वारा कैदी का नाम, अपराध की धारा, कैदी के विरुद्ध लंबित प्रकरणों की संख्या तथा कैदी किस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है का स्पष्ट उल्लेख करते हुए पुलिस की मांग का पत्र पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किया जाए।

22 नमूना जाँच किए गये जेलों के विचाराधीन कैदियों की जेल अधीक्षकों द्वारा प्रदाय जानकारी के अनुसार 2007-08 से 2011-12 की अवधि में कुल विचाराधीन कैदियों के 18 प्रतिशत से 22 प्रतिशत विचाराधीन कैदी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये थे (परिशिष्ट -2.6)। जिसके परिणाम स्वरूप, विचाराधीन कैदियों को न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं मिल सका। पुलिस गार्ड को विलंब से मांगे जाने से विचाराधीन कैदियों को पुलिस की व्यवस्था प्रदाय में भी देरी हुई। हमने देखा कि जेल अधीक्षक (के.जे. ग्वालियर एवं जबलपुर को छोड़कर) विचाराधीन कैदियों हेतु पुलिस गार्ड की मांग पुलिस अधीक्षकों को न्यायालय में पेशी से 2-3 दिन पूर्व ही भेजी गई।

के.जे. ग्वालियर एवं जबलपुर के अधीक्षकों ने कहा कि पुलिस बल की मांग न्यायालय द्वारा आदेश प्राप्त होते ही तुरंत पुलिस अधीक्षकों से की गई। केन्द्रीय जेल (भोपाल, इन्दौर, सतना एवं उज्जैन) एवं जिला जेल इन्दौर के अधीक्षकों ने कहा कि व्यावहारिक परेशानी के कारण उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा सका जबकि अन्य जेल अधीक्षकों ने लेखा परीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया।

प्रमुख सचिव ने निर्गम सम्मेलन में कहा (अक्टूबर 2012) कि पुलिस महानिदेशक द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों को जेल प्राधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर तुरंत पुलिस गार्ड प्रदाय करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

सरकार को प्रत्येक विचाराधीन कैदी को न्यायालय में निर्धारित समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिये जिससे सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचा जा सके।

- जेल नियमावली के नियम 82 के अनुसार जिला दंडाधिकारी/अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अपने मुख्यालय की जेल का प्रत्येक माह में एक बार निरीक्षण करेंगे, परंतु अपरिहार्य कारणों के होने से तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य निरीक्षण करेंगे। इस प्रकार के निरीक्षणों का प्रारंभिक उद्देश्य प्रकरणों के शीघ्र निराकरणों पर जांच रखने और अनावश्यक रूप से विचाराधीन कैदियों को अधिक समय तक निरोध में रखने पर रोक लगाना है। यदि निरीक्षणकर्ता अधिकारी यह पाते हैं कि किसी विचाराधीन कैदी के विरुद्ध प्रकरण में अप्रत्यक्ष रूप से विलंब हो रहा है तो इस आशय की टीप निरीक्षण पंजी में दर्ज करेंगे।

9 जेलों¹⁵ के निरीक्षण में हमने देखा कि जिला दंडाधिकारी /अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा वर्ष 2007-12 की अवधि में कोई निरीक्षण नहीं किया गया। नमूना जांच की गई

¹⁵ 3 के.जे: भोपाल, इन्दौर, सतना

कैदियों को न्यायालय के निर्णय की प्रतियां नहीं उपलब्ध कराई गयीं।

17 जेलों में 60 मासिक निरीक्षण किये जाने थे उनमें कमी का प्रतिशत 60 प्रतिशत से 98 प्रतिशत के बीच रहा। त्रैमासिक निरीक्षणों के संदर्भ में केवल उप जेल डबरा में 20 त्रैमासिक निरीक्षणों के विरुद्ध 24 निरीक्षण करना पाया गया। शेष बची हुई 16 जेलों में त्रैमासिक निरीक्षणों में कमी 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य रही (परिशिष्ट-2.7)।

प्रमुख सचिव ने निर्गम सम्मेलन में कहा (अक्टूबर 2012) कि जेल नियमावली के नियम 82 के अंतर्गत सभी जिला दंडाधिकारियों से पत्राचार कर संबंधित जेलों का निरीक्षण करने के लिए कहा गया है।

2.1.8.2 जेल अधीक्षकों को निर्णय की छाया प्रति प्रदाय करना

जेल नियमावली के नियम 780 के अनुसार निर्णय की प्रति के लिये आवेदन करने और अपील प्रेषित करने की दिनांक प्रत्येक कैदी के हिस्ट्रीटिकिट में दर्ज की जायेगी और अपील का परिणाम भी दर्ज किया जायेगा। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय (जनवरी 2005) के निर्देशों के अनुसार, न्यायालय से निर्णय की छाया प्रतिलिपि निर्णय पारित होने के दिनांक से एक माह की समयावधि में जेल प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त की जाएगी जिससे कैदियों को आवश्यकता होने पर विधिक सहायता प्रदाय की जा सके।

हमने 25 जेलों¹⁶ की नमूना जाँच में देखा कि हिस्ट्रीटिकिट में न्यायालय से निर्णय की छाया प्रति प्राप्त करने से संबंधित प्रविष्टि नहीं की गई थी। जिससे, हम यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि कैदियों को निर्णय की छाया प्रतियाँ प्रदाय की गईं और कैदियों द्वारा मांगे जाने पर विधिक सहायता प्रदाय की गई।

जेल अधीक्षकों ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया और न्यायालय से निर्णय की छायाप्रति प्राप्त करने के लिये आश्वासन दिया।

प्रमुख सचिव ने निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2012) में कहा कि संबंधित कैदियों के वकीलों को न्यायालय द्वारा निर्णय की छाया प्रति प्रदाय की जाती है तथा निर्णय की प्रति प्रदाय करने की जिम्मेदारी न्यायालय की है। फिर भी विभाग द्वारा निर्णय की छायाप्रति कैदियों को प्रदाय करने के प्रयास किये जायेंगे।

उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार विभाग की यह जिम्मेदारी है कि कैदियों को निर्णय की छाया प्रति प्रदाय करें इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।

2.1.9 सुधार, पुनर्वास एवं शिक्षा

जेल प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सुधार एवं पुनर्वास है और कैदियों को सजा के दौरान शिक्षा और विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें सक्षम करना है जिससे वे रिहाई पश्चात् समाज के जिम्मेदार नागरिक बने एवं परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

6 उ.जे: खुरई, लवकुशनगर, महिदपुर, नौगांव, सांवेर, सिहोरा

¹⁶ के.जे: भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना तथा उज्जैन;

3 जि.जे: इन्दौर, नरसिंहपुर तथा शहडोल;

14 उ.जे: ब्योहारी, बुंदार, डबरा, देपालपुर, खुरई, लवकुश नगर, मऊगंज, नौगांव, पाटन, रहेली, सेंधवा, सांवेर, सिहोरा तथा तराना

2.1.9.1 शैक्षणिक कार्यक्रम

जेल विभाग के उद्देश्यों के अनुसार जेलों में बंद कैदियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिये उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिये। कैदियों की ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक कार्यों में किया जाना चाहिये।

नमूना जाँच की गई 36 जेलों में देखा गया कि केवल केन्द्रीय जेलों में शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम किसी भी जि.जे. एवं उ.जे. पर संचालित नहीं हैं जबकि वहाँ अधिक संख्या में विचाराधीन एवं दंड वाले कैदी कम संख्या में थे।

केन्द्रीय जेलों में कैदियों द्वारा अर्जित लाभ नीचे दर्शाया गया है-

तालिका 6- शैक्षणिक कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त कैदियों की संख्या

शैक्षणिक कार्यक्रम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
प्राथमिक	939	977	788	719	472
माध्यमिक	191	110	202	198	171
उच्चतर माध्यमिक/इन्टरमीडिएट	44	48	90	686	19
स्नातक	50	40	47	56	43
स्नातकोत्तर	57	66	59	39	197
योग	1281	1241	1186	1698	902

(स्रोत: जेल विभाग द्वारा प्रदाय आँकड़े)

विभाग द्वारा कहा (जुलाई 2012) कि शिक्षकों की कमी के कारण अन्य जेलों में शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं किये जा सके। शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया प्रगति पर थी।

विभाग का उत्तर यह दर्शाता है कि अन्य जेलों के कैदियों को शिक्षा का लाभ प्राप्त नहीं हो सका।

प्रमुख सचिव द्वारा निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2012) में कहा गया कि शिक्षकों की भर्ती जो कि अंतिम चरण में है, के पश्चात् जिला एवं उप जेलों में शैक्षणिक कार्यक्रम प्रारंभ किये जायेंगे।

2.1.9.2 कैदियों के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

विभाग की वर्ष 2008-09 की कार्य योजना जि.जे. बैतूल एवं जि.जे. धार में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव (नवम्बर 2008) कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे बढईगिरी, ट्रेक्टर मैकेनिक और बिजली सुधार कार्य हेतु रखा गया था।

विभाग द्वारा 352 कैदियों¹⁷ को चार बैचों में जनवरी 2009 से दिसम्बर 2012 तक प्रशिक्षण प्रदाय करने का लक्ष्य निर्धारित (नवम्बर 2008) किया गया था। हमने पाया कि दोनों व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र जि.जे. बैतूल और जि.जे. धार में अप्रैल 2012 तक प्रारंभ नहीं किये गये थे, हालांकि अधोसंरचना विकास, मशीनरी इत्यादि पर ₹ 76.50

वर्ष 2008-09 में प्रस्तावित दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केन्द्र स्थापित नहीं हुए।

¹⁷ प्रथम बैच-96, द्वितीय बैच-96, तीसरा बैच- 96 एवं चतुर्थ बैच- 64

लाख व्यय किया गया। इस तरह 40 माह व्यतीत होने के पश्चात् भी नवम्बर 2008 में प्रस्तावित व्यावसायिक केन्द्रों का लाभ कैदियों को नहीं मिल सका।

विभाग द्वारा कहा गया (अप्रैल 2012) कि राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के निरीक्षण पश्चात् प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सकेगा।

प्रमुख सचिव ने निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2012) में कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ (सितंबर 2012) में किया गया है।

2.1.9.3 न्यायसंगत मजदूरी का भुगतान

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बावजूद कैदियों को न्यायसंगत मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश (1998) के अनुसार, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रत्येक अपराधी द्वारा जेल में किये गये कार्य के बदले मजदूरी दर का भुगतान उस समान दर से किया जाना चाहिये जिस दर से जेल के बाहर कार्य करने पर "न्यूनतम मजदूरी अधिनियम" के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा न्याय संगत मजदूरी निर्धारण के लिये "मजदूरी निर्धारण समिति" का गठन किया गया (1999) और मजदूरी दरों की घोषणा की गई। "मजदूरी निर्धारण समिति" द्वारा मजदूरी दरों में संशोधन प्रत्येक तीन वर्षों पश्चात् संशोधित किये जाने की अनुशंसा (जून 1999) की थी। मजदूरी दरों में अंतिम संशोधन दिसम्बर 2008 में किया गया था।

हमने देखा कि श्रम विभाग द्वारा जेल के बाहर कार्य करने पर मजदूरी दर में संशोधन प्रत्येक छह माह पश्चात् किया जाता है। जबकि मजदूरी निर्धारण समिति की तीन वर्षों में एक बार मजदूरी दर का निर्धारण करने की अनुशंसा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार नहीं था।

विभाग द्वारा अपने उत्तर (मई 2012) में कहा कि शासन स्तर पर एक बैठक का आयोजन कैदियों द्वारा किए गए कार्य की मजदूरी दरों के संशोधन और भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी दर का निर्धारण करने हेतु किया जावेगा।

प्रमुख सचिव द्वारा निर्गम सम्मेलन में कहा (अक्टूबर 2012) कि शासन द्वारा एक समिति का गठन कैदियों की मजदूरी दर के संशोधन के लिये किया गया और समिति की अनुशंसाएँ राज्य सरकार को भेजी गयी (सितम्बर 2012)।

2.1.9.4 मजदूरी को संयुक्त बैंक खाते में जमा न करना -

जेल नियमावली के नियम 647 (ब) (4) के अनुसार कैदियों द्वारा अर्जित मजदूरी के 50 प्रतिशत¹⁸ राशि का प्रबंध निम्नलिखित रीति से किया जायेगा:

(क) मजदूरी के एक तिहाई भाग का भुगतान कैदी अथवा उसके परिवार के सदस्यों को विधिक व्ययों की पूर्ति के लिये किया जायेगा। परंतु ऐसी आवश्यकता नहीं होने पर रकम कैदी और जेल अधीक्षक के संयुक्त बैंक खातों में जमा की जायेगी;

¹⁸ शेष 50 प्रतिशत राशि नियम 647 (ब)(3)(ब) के अनुसार सामान्य निधि में जमा की जाती है।

(ख) दूसरा एक तिहाई कैदी एवं जेल अधीक्षक के राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए संयुक्त बैंक खाते में जमा किया जायेगा। इस रकम का भुगतान उसकी विमुक्ति के समय किया जायेगा;

(ग) शेष एक तिहाई भाग कैदी को कारागार की कैन्टीन से वस्तुएं क्रय करने के लिये या यदि कारागार में कैन्टीन नहीं हो तो कारागार के बाहर से जेल अधीक्षक के माध्यम से वस्तुएं क्रय करने के लिये कूपन के रूप में उपलब्ध रहेगा;

हमने 30 जेलों की नमूना जाँच में देखा कि कैदियों की मजदूरी की राशि ₹ 69.33 लाख¹⁹ जेल की तिजोरी में रखी गई थी जो नियमावली के प्रावधानों की अवहेलना को इंगित करता है। इसके परिणाम स्वरूप कैदी उनके द्वारा अर्जित राशि पर मिलने वाले ब्याज से वंचित रहे। हमने यह भी देखा कि जेल नियमावली के नियम 647 (ब) (4) कैदियों की मजदूरी से संबंधित भागों "क", "ख" और "ग" जैसा ऊपर दर्शाया गया है का संधारण अलग अलग संधारित नहीं किया गया।

सभी जेल अधीक्षकों ने कहा (अप्रैल से जुलाई 2012) कि कैदियों द्वारा अर्जित की गई मजदूरी का संधारण किया जायेगा।

प्रमुख सचिव ने निर्गम सम्मेलन में कहा (अक्टूबर 2012) कि जेल अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं। साथ ही, सरकार द्वारा निर्देश जारी कर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को कैदियों के बैंक में खाते खोले जाने हेतु सहयोग करने के लिये कहा गया है। सरकार द्वारा यह निर्देश जारी किये गये कि मजदूरी की राशि कैदी के परिवार या उसके पते पर भेजी जाय और यदि राशि प्राप्त नहीं की जाती है तो वह राशि शासकीय खाते में जमा की जाये।

2.1.9.5 सामान्य निधि में अत्यधिक शेष

जेल नियमावली की धारा 36-अ एवं नियम 647 (ख) (3) (ख) के अनुसार कैदियों द्वारा उपार्जित की गई मजदूरी की कुल राशि की 50 प्रतिशत राशि एक पृथक सामान्य निधि में अपराध के पात्र पीड़ितों या उनके परिवार को (पीड़ित के मृत्यु के प्रकरण में) क्षतिपूर्ति का भुगतान करने हेतु जमा की जायेगी। सामान्य निधि की राशि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट एवं जेल अधीक्षक के संयुक्त नाम से कोषालय में खोले गये वैयक्तिक जमा खाते में जमा की जायेगी। जेल मेनुअल के नियम 647 (क) (I) के अनुसार प्रत्येक के.जे., जि.जे, एवं उ.जे. की समिति जिसके अध्यक्ष, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक सदस्य एवं अधीक्षक, के.जे. / जि. जे./ उ.जे. सदस्य सचिव होंगे का गठन प्रत्येक जेल में प्रतिकर की राशि के निर्धारण हेतु किया जायेगा।

¹⁹ बड़वानी-₹ 0.72 लाख, ब्यौहारी-₹ 0.038 लाख, भोपाल-₹ 7.92 लाख, बिजावर-₹ 0.19 लाख, बुढ़ार-₹ 0.013 लाख, छतरपुर-₹ 0.92 लाख, डबरा-₹ 0.027 लाख, देपालपुर-₹ 0.78 लाख, ग्वालियर-₹ 0.38 लाख, के.जे. इन्दौर-₹ 9 लाख, जि.जे. इन्दौर-₹ 0.16 लाख, जबलपुर-₹ 0.05 लाख, खाचरोद-₹ 0.16 लाख, खुरई-₹ 0.94 लाख, लवकुशनगर-₹ 1.03 लाख, महिदपुर-₹ 0.087 लाख, महु-₹ 0.33 लाख, मुलतई-₹ 0.29 लाख, नरसिंहपुर-₹ 3.61 लाख, नौगांव-₹ 0.023 लाख, पाटन-₹ 0.05 लाख, रहेली-₹ 0.19 लाख, सीवा-₹ 12.62 लाख, सागर-₹ 17.59 लाख, सतना-₹ 9.27 लाख, सांवेर-₹ 0.15 लाख, सिंहोरा-₹ 0.10 लाख, सेंधवा-₹ 0.13 लाख, शहडोल-₹ 1.73 लाख एवं उज्जैन-₹ 0.84 लाख

हमने मार्च 2012 की स्थिति में देखा कि, कुल राशि रु. 9.62 करोड़ "सामान्य निधि" हेतु 33 जेलों के पी.डी. खातों में पड़ी हुई हैं। इस राशि में 19 उ.जे. के ₹ 1.49 करोड़ शामिल है। उ.जे. के अधीक्षकों ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 302 (अर्थात् पीड़ित के मृत्यु) के प्रकरणों में कैदियों को उप जेलों में नहीं रखा जाता। हमने मार्च 2012 की स्थिति में पाया कि सात जेलों में पी.डी. रोकड़ वही एवं कोषालय के अभिलेखों के आंकड़ों में राशि ₹ 1.12 करोड़ का अंतर था (परिशिष्ट-2.8)।

जेल अधीक्षकों ने कहा (अप्रैल से जुलाई 2012) कि समिति की बैठकों के आयोजन हेतु समिति के सदस्यों के साथ पत्राचार किया जा रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि पी.डी.एकाउन्ट और पी.डी. रोकड़ बही के अंतर का समाशोधन किया जायेगा।

प्रमुख सचिव ने निर्गम सम्मेलन में कहा (अक्टूबर 2012) की योग्य पात्र पीड़ितों को क्षतिपूर्ति की राशि के वितरण हेतु बैठक की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी।

2.1.9.6 कैदियों को कार्य प्रदाय न करना

जेल मैनुअल के नियम 176 के अनुसार जेल अधीक्षक प्रत्येक कैदी को कार्य आवंटित करेंगे। 36 जेलों की नमूना जाँच में आठ के.जे. में उद्योग जैसे पावरलूम, बर्तन बनाना, बढई गिरि, दर्जी, जूते बनाना आदि उद्योग संचालित हैं। अन्य जेलों में कैदियों से जेल सेवा का कार्य कराया जाता है। हमने वर्ष 2007-12 की अवधि में पाया कि चार के.जे. भोपाल, जबलपुर, सागर और सतना में कैदियों को कार्य आवंटित न करने का प्रतिशत दो से दस के मध्य रहा जबकि अन्य के.जे. (ग्वालियर, इन्दौर, रीवा और उज्जैन) में यह प्रतिशत 14 से 48 के मध्य था।

इस प्रकार, जेल अधीक्षक जेल मैनुअल के प्रावधानों की पूर्ति नहीं कर सके।

जेल अधीक्षकों ने कहा (अप्रैल से जुलाई 2012) कि जेलों में उद्योगों की कमी एवं कुछ कैदियों की बीमारी के कारण यह संभव नहीं था कि उन्हें कार्य सौंपा जाये।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि बीमार, अशक्त एवं स्वास्थ्य लाभ पाने वाले कैदियों को गणना में शामिल नहीं किया गया था। इससे कैदियों को कुशल बनाने का उद्देश्य विफल रहा जो उनके रिहाई पश्चात् उनकी आजीविका के लिये मदद कर सकता था।

प्रमुख सचिव ने निर्गम सम्मेलन में कहा (अक्टूबर 2012) कि कैदियों की संख्या जेलों में कार्यों की तुलना में अधिक थी, अतः यह संभव नहीं था कि सभी कैदियों को कार्य सौंपा जा सके।

2.1.10 दंडादेशों की समीक्षा में विलंब

म.प्र. जेल मैनुअल 1968 के नियम 358 के अनुसार आजीवन कारावास या 14 वर्ष से अधिक के दंडादिष्ट कैदियों को समय पूर्व छोड़ने के लिये "राज्य दंडादेश पुनर्विलोकन बोर्ड" का गठन मंत्री की अध्यक्षता में, ऐसे कैदियों जिन्होंने न्यूनतम 14 वर्ष का दंडादेश पूर्ण किया हो, समय पूर्व रिहाई के उद्देश्य से किया जायेगा। बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगी।

हमने देखा कि राज्य में 14 वर्ष से अधिक दंडादेश के 182 प्रकरण वर्ष 2010-11 की अवधि में थे। जिनमें से 27 प्रस्ताव इस अवधि में समीक्षा हेतु जेल मुख्यालय भेजे गये

थे जो 31 मार्च 2012 तक लंबित थे। ऐसे प्रकरणों में वर्ष 2011-12 में कोई नया प्रकरण सम्मिलित नहीं हुआ। राज्य बोर्ड की बैठक 2010-12 की अवधि में केवल एक बार (सितम्बर 2011) में हुई जिसमें दंडादिष्ट कैदियों के रिहाई पर चर्चा हुई।

विभाग ने कहा (मार्च 2012) कि दंडादिष्ट कैदियों की रिहाई हेतु कैदियों की पहचान करने के लिये समिति की बैठक आयोजित की जायेगी।

प्रमुख सचिव द्वारा निर्गम सम्मेलन में कहा (अक्टूबर 2012) कि दंडादिष्ट कैदियों को समय पूर्व रिहाई हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं (जनवरी 2012)।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित लंबित प्रकरणों पर कोई कार्यवाही न किये जाने के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

2.1.11 अधोसंरचना

जेल के कुशल प्रबंधन के लिए अधोसंरचना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। राज्य में और 36 नमूना जाँच की गई जेलों में बुनियादी ढांचे की उपलब्धता एवं पर्याप्तता की जाँच में निम्न कमियों का पता चला:

2.1.11.1 केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य

₹ 155.15 करोड़ के वित्तीय लक्ष्यों के विरुद्ध ₹ 151.13 करोड़ व्यय किये परन्तु 37 कार्य अपूर्ण रहे।

केन्द्र प्रवर्तित " जेलों के आधुनिकीकरण " योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य के अंतर्गत राज्य की जेलों में, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राशि ₹ 155.15 करोड़ (केन्द्रांश ₹ 116.36 करोड़ एवं राज्यांश राशि ₹ 38.79 करोड़) पांच नई जेलों, 67 बैरकों, एक सेनीटेशन कार्य एवं 746 अन्य कार्यों के लिये वर्ष 2002-07 की अवधि हेतु आवंटित की गई थी। आगे भारत सरकार द्वारा इन कार्यों को पूर्ण करने की अवधि 2008-09 तक बढ़ा दी गई थी। हमने देखा कि आवंटित राशि के विरुद्ध उपयोग की गई राशि ₹ 151.13 करोड़ (केन्द्रांश ₹ 116.36 करोड़ एवं राज्यांश ₹ 34.77 करोड़) (दिसम्बर 2011) थी। जबकि, जुलाई 2003 से जनवरी 2008 के मध्य स्वीकृत 37 कार्य²⁰ जनवरी 2012 तक अपूर्ण थे। इन अपूर्ण कार्यों पर दिसम्बर 2011 तक राशि ₹ 36.07 करोड़ व्यय की गयी थी। निर्माण कार्यों को तीन वर्षों से अधिक विलंब करने के परिणामस्वरूप आवश्यक अधोसंरचनाएं अपर्याप्त रहीं साथ ही लागत में वृद्धि हो गई।

विभाग द्वारा (जनवरी 2013) कहा गया कि योजना का क्रियान्वयन देशी से करना, कार्यों की धीमी प्रगति एवं वर्ष 2008 में निर्माण दरों में वृद्धि के कारण लागत में वृद्धि हुई। राज्य सरकार द्वारा इन अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिये ₹ 47.85 करोड़ की अतिरिक्त राशि अनुमोदन (जनवरी 2012 में) की गयी जिसमें से राज्य बजट 2012-13 में राशि ₹ 14.66 करोड़ उपलब्ध की गई।

प्रमुख सचिव ने निर्गम सम्मेलन में कहा (अक्टूबर 2012) कि इन कार्यों को पूर्ण करने के लिये लोक निर्माण विभाग मुख्य रूप से उत्तरदायी है।

²⁰ जीर्णोद्धार और निर्माण- 9 कार्य; नये बैरकों का निर्माण-16 कार्य; नई जेलों में निर्माण कार्य- 9 कार्य; जलापूर्ति एवं नाली निर्माण- 2 कार्य; आई टाइप क्वार्टर- 1 कार्य

तथ्यात्मक स्थिति यह है कि निष्पादन में देशी के कारण राज्य सरकार को इन कार्यों को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ा। इसके अलावा विभाग में आधारभूत संरचनाओं की कमी रही।

2.1.11.2 केन्द्रीय जेल इन्दौर के निर्माण में राशि अवरूद्ध रहना

नवीन के.जे.
इन्दौर का
निर्माण राशि ₹
8.83 करोड़
खर्च किये जाने
के पश्चात् भी
अपूर्ण रहा ।

वर्तमान केन्द्रीय जेल इन्दौर 100 वर्ष पुरानी थी और पर्याप्त स्थान नहीं था। इन्दौर में नई के.जे. निर्माण हेतु कलेक्टर इन्दौर और मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड (म.प्र.हा.बो.) के बीच एक अनुबन्ध अक्टूबर 2002 में हुआ था जिसकी अनुमानित लागत ₹ 33.60 करोड़ थी। कार्य पूर्ण करने के लिये अनुमानित लागत संशोधित कर ₹ 55 करोड़ की गयी (2007) तथा कार्य जून 2009 तक पूर्ण करने हेतु समय निर्धारित किया गया। तथापि, म.प्र.हा.बो. द्वारा किये कार्य की धीमी प्रगति के कारण मंत्री परिषद ने जुलाई 2008 में अनुबंध निरस्त कर दिया। म.प्र.हा.बो. ने चार दीवारी, प्रशासनिक ब्लॉक, गार्ड रूम और कर्मचारियों के क्वार्टर्स निर्माण के विरुद्ध ₹ 17.91 करोड़ की मांग की। म.प्र.हा.बो. द्वारा किये कार्यों को भुगतान के लिये जेल विभाग द्वारा जांच के लिये एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा म.प्र.हा.बो. को ₹ 9.92 करोड़ भुगतान की अनुशंसा की। तथापि, विभाग द्वारा ₹ 8.83 करोड़, (मार्च 2012) का भुगतान म.प्र.हा.बो. को किया गया। इस प्रकार जेल भवन पर ₹ 8.83 करोड़ व्यय पश्चात् भी कैदियों को पर्याप्त स्थान प्रदाय करने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। हमने देखा कि के.जे. इन्दौर में कुल क्षमता से 125 प्रतिशत अधिक कैदी थे। इसके अलावा के.जे. इन्दौर में महिला कैदियों के लिये कोई कोठरी नहीं है।

प्रमुख सचिव द्वारा निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2012) में कहा कि नई के.जे. इन्दौर का निर्माण हुडको से ऋण लेकर लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

2.1.11.3 जेलों में क्षमता से अधिक कैदी का होना

जेल नियमावली 1968 के नियम 30 के अनुसार जेल भवन का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिये जिससे प्रत्येक कैदी को 41.806 वर्ग मीटर स्थान प्राप्त हो सके।

राज्य में प्रत्येक जेल की क्षमता, वास्तविक अधिभोग और अधिभोग का प्रतिशत 31 दिसम्बर 2011 तक तालिका 7 में दर्शाया गया है और संक्षिप्त स्थिति चार्ट में दी गई है:


तालिका-7 कैदियों की संख्या

(31 दिसम्बर 2011 की स्थिति)

वर्ष के अंत में	क्षमता	कैदियों की संख्या									कुल			आधिक्य (प्रतिशत)
		दंडित			विचाराधीन			अन्य			पु.	म.	योग	
		पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग				
दिस. 2007	20448	15879	373	16252	15772	481	16253	207	00	207	31858	854	32712	12264 (60)
दिस. 2008	23430	15538	390	15928	17902	586	18488	333	06	339	33773	982	34755	11325 (48)
दिस. 2009	24130	14967	400	15367	16780	531	17311	128	00	128	31875	931	32806	8676 (36)
दिस. 2010	25545	14145	412	14557	15948	574	16522	208	09	217	30301	995	31296	5751 (23)
दिस. 2011	25685	15502	454	15956	16071	630	16701	258	01	259	31831	1085	32916	7231 (28)
योग		76031	2029	78060	82473	2802	85275	1134	16	1150	159638	4847	164485	

(स्रोत- जेल विभाग) पु.= पुरुष, म.= महिलाएं

चार्ट क्र. 1



चयनित 36 जेलों में से 21 जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या थी।

इसके अतिरिक्त 167 बच्चे भी अपने अभिभावकों के साथ निवास कर रहे थे। कैदियों²¹ के वास्तविक जेल में प्रवेश और स्वीकृत क्षमता का विश्लेषण करने पर, हमने पाया कि नमूना जांच की गयी 36 जेलों में से 21 जेलों में क्षमता से अधिक कैदी निरूद्ध थे। के.जे. ग्वालियर को छोड़कर सभी के.जे. में क्षमता से अधिक कैदी थे। के.जे. भोपाल, जबलपुर, सागर, रीवा एवं उज्जैन में क्षमता से 15 से 93 प्रतिशत अधिक कैदी विद्यमान थे। के.जे. इन्दौर (125 प्रतिशत) एवं के.जे. सतना (287 प्रतिशत) में क्षमता से बहुत अधिक कैदी होने से स्थिति गंभीर थी। हमने 28 नमूना जांच जि.जे. एवं उ.जे. में पाया कि 14 जि.जे. एवं उ.जे. में क्षमता से अधिक कैदी थे। क्षमता से अधिक कैदियों

²¹ के.जे. भोपाल- 2985: 2600, के.जे. सतना- 1485: 384, जि.जे. बड़वानी- 426: 416, जि.जे. सिवनी- 387: 132, उ.जे. बैदन- 178: 50, उ.जे. देपालपुर- 51: 50,

की उपस्थिति जि.जे. शहडोल (140 प्रतिशत) एवं उप जेल खाचरौंद (116 प्रतिशत) में गंभीर थी। विवरण परिशिष्ट 2.9 में दिया गया है। क्षमता से अधिक कैदियों का मुख्य कारण जेल भवनों की कमी थी।

क्षमता से अधिक कैदियों के परिणामस्वरूप कैदियों को जगह और बाहरी हवा अपर्याप्त थी जिससे उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा पानी, स्वच्छता प्रबंधन एवं सीवरेज आदि की सुविधाओं पर भी प्रभाव/दबाव पड़ सकता है। सुरक्षा कर्मचारियों पर भी दबाव बढ़ता है।

विभाग ने कहा (मई 2012) कि जेलों की क्षमता वृद्धि के प्रयास किये जा रहे थे।

प्रमुख सचिव ने निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2012) में कहा कि कोठरियों में कार्य पूर्ण होने के पश्चात् और अधिक सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती से भीड़भाड़ कम हो जायेगी।

2.1.11.4 कैदी प्रबंधन प्रणाली (पी.एम.एस) एवं आगंतुक प्रबंधन प्रणाली (व्ही.एम.एस.) का अक्रियाशील रहना

केन्द्रीय योजना "जेलों के आधुनिकीकरण" के अंतर्गत व्यवस्थित रूप से कैदियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी संघारण करने के उद्देश्य से 11 चिह्नित सर्किल जेल²² में पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. के बायोमेट्रिक उपकरण स्थापित करने हेतु राशि ₹ 80.99 लाख राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) को प्रदान किये गये (अक्टूबर 2009)। इन सर्किल जेलों के अधीक्षकों को इस महत्वपूर्ण परियोजना का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। संबंधित जेल अधीक्षकों द्वारा फर्नीचर, बिजली के प्वाइंट, मास्टर डेटा की प्रविष्टि एवं कैदियों के डेटा उपलब्ध कराना था। एन.आई.सी.को अक्टूबर 2009 में चार माह की कार्य सीमा प्रदान की गई थी। के.जे. भोपाल को (दिसम्बर 2009) परियोजना के अद्यतन क्रियान्वयन हेतु एवं प्रत्येक सर्किल जेल के संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चुना गया।

के.जे. भोपाल में पी.एम.एस./व्ही.एम.एस. के क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा (अप्रैल 2012) करने पर हमने पाया कि दिसम्बर 2010 तक का डाटा प्रविष्टि कार्य शुरू होकर पूरा नहीं हुआ था। हमने यह भी पाया कि सभी सर्किल जेलों में व्ही.एम.एस. सॉफ्टवेयर कम्प्यूटरों पर अप्रैल 2012 में लोड हुआ था पर किसी भी लेखा परीक्षित आठ केन्द्रीय जेलों पर यह क्रियाशील नहीं था (अक्टूबर 2012)।

जेल अधीक्षकों द्वारा (मई 2012) बताया गया कि तकनीकी कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण पी.एम.एस. /व्ही.एम.एस. प्रारंभ नहीं हो सका। उप महानिदेशक जेल द्वारा (अप्रैल 2012) बताया गया कि पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. का प्रारंभ होना अंतिम चरण में है और प्रत्येक जेल में एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदस्थ किया जावेगा ताकि डेटा प्रविष्टि कार्य पूरा किया जा सके।

परियोजना के पूरा करने की समय सीमा समाप्त होने के 30 महीने बाद भी तथ्यात्मक स्थिति यह थी कि प्रणाली प्रारंभ न हो सकी।

²² भोपाल, दतिया, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, नरसिंहपुर, शीवा, सागर, सतना, सिवनी तथा उज्जैन

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव द्वारा (अक्टूबर 2012) बताया गया कि पी.एम.एस./व्ही.एम.एस. के द्वारा कैदियों से संबंधित जानकारी तैयार किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

2.1.11.5 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का अक्रियाशील रहना

22 जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली की सुविधा प्रदान की गई परन्तु 05 जेलों में क्रियाशील थी।

विचाराधीन कैदियों के प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु 22 जेलों एवं जिला न्यायालयों के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम की स्थापना की गई। वर्ष 2007-12 की अवधि में 17 जेलों²³ में राशि ₹ 1.08 करोड़ व्यय किये गये जबकि पाँच जेलों²⁴ में स्थापना पर व्यय पुलिस विभाग द्वारा वहन किया गया। जेल मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी (जुलाई 2012) के अनुसार मई 2008 से अक्टूबर 2011 के मध्य 22 जेलों (आठ के.जे., 13 जि.ले. एवं एक उ.जे.) में कुल 25,727 विचाराधीन कैदियों²⁵ की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के माध्यम से की गई। तथापि हमने पाया कि (जुलाई 2012) सिस्टम केवल पाँच जेलों²⁶ में क्रियाशील था। इस प्रकार सिस्टम 17 जेलों में अगस्त 2005 से इसकी स्थापना पर उल्लेखनीय व्यय किये जाने के उपरांत भी अक्रियाशील रहा।

जेल मुख्यालय द्वारा (जुलाई 2012) बताया गया कि कुछ जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम कार्य कर रहा था एवं जहाँ सिस्टम काम नहीं कर रहा था, उसकी मरम्मत हेतु कार्यवाही की जा रही थी।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव द्वारा (अक्टूबर 2012) बताया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा इस सुविधा से सुनवाई के निर्देशों पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है।

उत्तर स्वीकार नहीं था क्योंकि राशि ₹ 1.08 करोड़ व्यय करने के उपरांत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम 17 जेलों में अक्रियाशील रहा।

2.1.11.6 शौचालय सीटों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता

जेल मैनुअल की धारा v नियम 33 के अनुसार प्रत्येक कक्ष से संलग्न शौचालय सीट्स की पर्याप्त संख्या होनी चाहिये। एक शौचालय सीट पाँच कैदियों के लिये पर्याप्त होती है।

जेल मुख्यालय से अक्टूबर 2012 की स्थिति में प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में कुल 34,000 कैदियों के विरुद्ध 3,500 शौचालय थे अर्थात् दस कैदियों पर एक

²³ 3 के.जे: सागर, सतना तथा उज्जैन;
13 जि.जे: बडवानी, बैतूल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, होशंगाबाद, इन्दौर, नरसिंहपुर, खंडवा, स्तलाम, शहडोल तथा शाजापुर

01 उ.जे: मंदसौर

²⁴ 05 के.जे: भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर तथा रीवा

²⁵ 07 के.जे: भोपाल (7858), ग्वालियर (5429), इन्दौर (2864), जबलपुर (5090), रीवा (386), सागर (1497) तथा सतना (790)

04 जि.जे: बैतूल (05), छतरपुर (1072), होशंगाबाद (96) तथा खंडवा (640)

²⁶ 01 के.जे: सागर; 04 जि.जे: बडवानी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद तथा खंडवा

शौचालय। लेखा परीक्षित 16 जेलों²⁷ में पाया गया कि कुल 15,752 कैदियों के विरुद्ध 2,444 शौचालय उपलब्ध थे अर्थात् औसतन 6 कैदियों पर एक शौचालय उपलब्ध था।

विभाग द्वारा (मई 2012) बताया गया कि शौचालय सीटों की संख्या बढ़ाई जायेगी।

यह आवश्यक है कि स्वच्छ वातावरण बनाये रखने हेतु मानकों के अनुसार शौचालय सीटों का निर्माण किया जावे।

2.1.12 एल.पी.जी. का बिना मानक निर्धारण के व्यय करना

34 नमूना जाँच जेलों में तय मानकों के अभाव में रसोई गैस की खपत में भारी विचलन था।

जेल मैनुअल के नियम 530 से 564 के अनुसार कैदियों के लिये विभिन्न श्रेणियों के आहार की मात्रा तय है। इसके अलावा, जेल मैनुअल के नियम 531 के अनुसार ईंधन की खपत (कोयला और लकड़ी) हेतु मानक तय किये गये थे। तथापि प्रति कैदी प्रतिदिन रसोई गैस की खपत बिना मानकों के निर्धारण के उपयोग की जा रही थी।

हमने पाया कि 34 नमूना जाँच की गयी जेलों (आठ के.जे., छः जि.जे. एवं 20 उ.जे.) में 2007-12 की अवधि में रसोई गैस की खपत पर कुल ₹ 12.86 करोड़ व्यय किया गया। विभिन्न जेलों में मानकों के न होने के कारण औसत प्रति कैदी प्रति वर्ष खपत में भारी विचलन था जो कि 151.33 कि.ग्रा. (जि.जे. बैतूल) से 424.25 कि.ग्रा. (उ.जे. सावेर) (परिशिष्ट 2.10) के मध्य था।

जेल अधीक्षको द्वारा (फरवरी 2012 से जुलाई 2012) बताया गया कि रसोई गैस की खपत कैदियों की संख्या पर निर्भर करती है। तथापि इस संबंध में कोई मानक निर्धारित नहीं था।

उत्तर स्वीकार नहीं था क्योंकि मानकों के अभाव में रसोई गैस का दुरुपयोग हुआ।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव द्वारा (अक्टूबर 2012) बताया गया कि विभाग द्वारा (अक्टूबर 2012) प्रदेश की सभी जेलों को प्रति दिन प्रति कैदी रसोई गैस की खपत किये जाने के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं।

2.1.13 भोजन सामग्री का क्रय

भोजन सामग्री का उचित मूल्य की दुकानों से क्रय नहीं किया जाकर उच्च दरों पर स्थानीय बाजार से क्रय किया गया।

म.प्र. भंडारण एवं भण्डार क्रय नियमों के अनुसार सामग्री का क्रय निविदाएँ / एकल निविदा के माध्यम से न्यूनतम दरों पर किया जाना चाहिये। जेल मुख्यालय द्वारा (फरवरी 2007) तथा समय समय पर सक्षम प्राधिकारियों को खाद्य सामग्री का क्रय खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से क्रय किये जाने हेतु निर्देश / जारी किये गये।

हमने पाया कि 28 लेखा परीक्षित जेलों²⁸ में 2007-12 की अवधि के दौरान जेल अधीक्षकों द्वारा 19.9 टन चावल, 4.6 टन शक्कर एवं 11.2 टन गेहूँ उचित मूल्य की

²⁷ 07 के.जे. भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना तथा उज्जैन

02 जि.जे. बैतूल तथा इन्दौर

07 उ.जे. बंडा, खुरई, मैहर, मऊगंज, मुलताई, नौगांव तथा रहेली

²⁸ 08 के.जे. भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना तथा उज्जैन

06 जि.जे. बड़वानी, बैतूल छतरपुर, इंदौर, नरसिंहपुर तथा शहडोल

14 उ.जे. बंडा, ब्योहारी, बिजावर, खाचरोद, खुरई, लवकुशनगर, मुल्ताई, नौगांव, पाटन, रहेली, सावेर, सेंधवा, सीहोरा तथा तराना

दुकान से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जारी दरों²⁹ के स्थान पर बाजार दर³⁰ पर क्रय किया गया जो कि जेल मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन था।

जेल अधीक्षकों द्वारा (फरवरी 2012 से जुलाई 2012) बताया कि कैदियों को भोजन उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होने के कारण क्रय किया गया।

उत्तर स्वीकार नहीं था क्योंकि चावल, गेहूँ एवं शक्कर की आवश्यकता का पुर्वानुमान लगाया जा सकता था जिससे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को अग्रिम में सामग्री की मांग की जा सके। इस प्रकार आधिक्य व्यय से बचा जा सकता था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव द्वारा (अक्टूबर 2012) बताया गया कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से गेहूँ, चावल एवं शक्कर की पूर्ति हेतु मांग की गई थी लेकिन वर्तमान में केवल गेहूँ प्रदाय किया गया। आगे भी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से चावल एवं शक्कर प्रदान किये जाने हेतु मांग की गई किंतु उनके द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किये गये।

2.1.14 जेल भूमि का अतिक्रमण

नमूना जाँच की गयी जेलों (फरवरी 2012 से जुलाई 2012) द्वारा प्रदाय की गई जानकारी के अनुसार तीन के.जे. (भोपाल 12440 वर्ग फुट, सतना- 8,71,200 वर्ग फुट एवं उज्जैन- 900 वर्ग फुट) में जेल भूमि पर अतिक्रमण था। के.जे. जबलपुर द्वारा जेल भूमि का सीमांकन नहीं हो पाने के कारण जानकारी प्रदाय नहीं की जा सकी। शेष के.जे. द्वारा जेल भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना बताया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा जेल मुख्यालय से विभिन्न जेलों में अतिक्रमण की वर्तमान स्थिति के संबंध में पूछताछ (जुलाई 2012) किये जाने पर जेल मुख्यालय द्वारा बताया गया कि मार्च 2006 की स्थिति में 11 जेलों³¹ में अतिक्रमण था। यह जानकारी भी प्रदान की गई कि के.जे. सतना की जेल भूमि पर अतिक्रमण का प्रकरण उच्च न्यायालय में लंबित था। के.जे. उज्जैन में अतिक्रमण से संबंधित जानकारी मुख्यालय द्वारा अद्यतन रूप में संधारित न होने से उपलब्ध नहीं थी।

विभाग द्वारा (जुलाई 2012) बताया गया कि पाँच जेलों³² में जेल भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने के प्रयास स्थानीय स्तर पर किये जा रहे थे।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2012) में प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि 60 जेलों में दीवारों का निर्माण पूरा हो चुका है एवं शेष जेलों में दीवारों के निर्माण का प्रस्ताव अगले परस्पेक्टिव प्लान में शामिल किया जावेगा।

²⁹ शक्कर: न्यूनतम-₹ 1425 प्रति क्विंटल; अधिकतम-₹ 4380 प्रति क्विंटल;
चावल: न्यूनतम-₹ 1100 प्रति क्विंटल; अधिकतम-₹ 2400 प्रति क्विंटल;
गेहूँ: न्यूनतम-₹ 1000 प्रति क्विंटल; अधिकतम-₹ 1700 प्रति क्विंटल;

³⁰ शक्कर: -₹ 1350 प्रति क्विंटल
चावल:-₹ 920 प्रति क्विंटल (11 मई 2011 को संशोधित दर ₹ 1100 प्रति क्विंटल)

³¹ 03 के.जे. भोपाल, जबलपुर, तथा सतना

04 जि.जे. बडवानी, छतरपुर, नरसिंहपुर तथा सीधी

04 उ.जे. बिजावर, सबलगढ़, सिवनीमालवा तथा सिलवानी

³² के.जे. भोपाल, जि.जे. बडवानी, जि.जे. नरसिंहपुर, उ.जे. सिवनीमालवा तथा उ.जे. सिलवानी

2.1.15 मानव संसाधन प्रबंधन

2.1.15.1 विभिन्न संवर्गों में पदों की कमी

जेल मुख्यालय से प्राप्त जानकारी (मार्च 2012) के अनुसार विभिन्न संवर्गों में प्रमुख पद जैसे चिकित्सक, लेखापाल, प्रशिक्षक, फार्मासिस्ट, पुरुष परिचारक एवं मेट्रन के पद रिक्त थे। स्वीकृत पदों के अनुसार कमी का प्रतिशत 33 से 77 के मध्य था (परिशिष्ट 2.11)। हमने पाया कि जेल अधीक्षक एवं प्रहरी संवर्ग में 10 से 17 प्रतिशत पद रिक्त थे। उद्योग अधीक्षक, वरिष्ठ परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के सभी पद मार्च 2012 की स्थिति में रिक्त थे।

विभाग द्वारा (मई 2012) बताया गया कि प्रहरियों, पुरुष परिचारक एवं फार्मासिस्ट के पदों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ है (सितम्बर 2012)।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव द्वारा (अक्टूबर 2012) बताया गया कि जेल अधीक्षक एवं सहायक जेल अधीक्षक के पदों के भरने की प्रक्रिया शासन स्तर पर जारी है।

2.1.15.2 प्रशिक्षण संस्थान सागर में प्रहरियों का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण संस्थान सागर, प्रहरियों के आधारभूत प्रशिक्षण हेतु एक मात्र संस्थान है। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान प्रशिक्षण के लक्ष्य एवं उपलब्धि निम्नानुसार थी:

तालिका- 8 प्रहरियों के आधारभूत प्रशिक्षण की स्थिति

वर्ष	प्रहरियों हेतु प्रशिक्षण	वास्तविक रूप से प्रशिक्षित प्रहरी	कमी (प्रतिशत)
2007-08	150	44	106 (71)
2008-09	150	28	122 (81)
2009-10	150	80	70 (47)
2010-11	150	147	3 (2)
2011-12	150	76	74 (49)
योग	750	375	375(50)

हमने पाया कि किसी भी वर्ष में लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई एवं कमी का प्रतिशत 2 से 81 प्रतिशत के मध्य रहा। हमने पाया कि केवल 375 प्रहरी ही वर्ष 2007-12 की अवधि में प्रशिक्षित किये गये। यह भी देखा गया कि प्रदेश की जेलों में मार्च 2012 की स्थिति में कुल 2,655 प्रहरी थे।

जेल अधीक्षक, सागर (अप्रैल 2012) द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षण प्रदान करने वाले कर्मचारियों की कमी के कारण प्रहरियों को प्रशिक्षण प्रदाय नहीं किया जा सका।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि प्रशिक्षण के लक्ष्यों में कमी से प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

प्रशिक्षण संस्थान, सागर द्वारा प्रहरियों को प्रशिक्षण दिये जाने संबंधी लक्ष्यों को पूर्ण नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव द्वारा (अक्टूबर 2012) बताया गया कि जेलों में प्रहरियों की संख्या कम है एवं सुरक्षा कारणों से यह संभव नहीं था कि सभी प्रहरियों को प्रशिक्षण हेतु भेजा जा सके जो कि लक्ष्यों की अप्राप्ति का मुख्य कारण था। तथापि, प्रहरियों की भर्ती की कार्यवाही प्रचलन में है।

2.1.16 जेलों का निरीक्षण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

2.1.16.1 अपर्याप्त निरीक्षण

निरीक्षणों के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया।

(i) जेल मैनुअल के नियम 72 के अनुसार डी.जी.पी. / आई.जी.पी. प्रत्येक जेल में दो वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण करेंगे। जेल मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर हमने पाया कि डी.जी.पी. / आई.जी.पी. द्वारा किये गये निरीक्षणों में वर्ष 2007-12 के दौरान नीचे दिये गये विवरण के अनुसार 30 प्रतिशत से 84 प्रतिशत की कमी थी।

तालिका- 9 निरीक्षणों में कमी

वर्ष	जेलों की संख्या	निर्धारित निरीक्षणों की संख्या	किये गये निरीक्षण	कमी (प्रतिशत)
2007-08	120	60	38	22(37)
2008-09	120	60	38	22(37)
2009-10	120	60	42	18(30)
2010-11	122	61	42	19(31)
2011-12	123	62	10	52(84)
योग		303	170	

साथ ही, विचाराधीन कैदियों के प्रकरणों की निपटान पर निगरानी हेतु जिला दंडाधिकारी द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों में कमी थी। जैसा कि कंडिका 2.1.8.1 में उल्लेखित है।

विभाग द्वारा (दिसम्बर 2011) बताया गया कि प्रशासकीय आवश्यकता के अनुसार निरीक्षण किये गये।

विभाग का उत्तर स्वीकार नहीं था क्योंकि जेल मैनुअल में निर्देशित मानदंडों के अनुसार प्रत्येक जेल में निरीक्षण किये जाने चाहिये थे।

(ii) जेल मैनुअल के नियम 76 के अनुसार संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ समस्त जेलों के निरीक्षण के समय निर्धारित शासकीय कार्य के अतिरिक्त उन तमाम विषयों पर, जिनका संबंध जेलों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रबंधों से है, परामर्श अधिकारी होंगे और यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी स्वतंत्र राय महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ

को दें। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रबंध के किसी महत्वपूर्ण मसले पर अगर मत वैभिन्न्य हो तो आई. जी. पी. प्रकरण को शासन को भेज देंगे।

लेखा परीक्षा हेतु चयनित 27 जेलों के जेल अधीक्षकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2007-12 की अवधि में संचालक, स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किये गये।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2012) में यह बताया गया कि जेल मुख्यालय द्वारा संचालक स्वास्थ्य सेवाओं के निरीक्षण संबंधी विषय शासन के पास भेजा गया है।

निरीक्षणों में कमी जेल कर्मियों की दक्षता एवं प्रभावशीलता में कमी को प्रदर्शित करता है।

2.1.16.2 आंतरिक लेखा परीक्षा

आंतरिक
लेखापरीक्षा में
17 से 61
प्रतिशत की
कमी थी साथ
ही 3,662
कंडिकायें
निराकरण हेतु
लंबित थी।

जेल मुख्यालय में उपसंचालक (वित्त) द्वारा नियंत्रित एक आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई है। जेलों की आंतरिक लेखा परीक्षा किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष एक रोस्टर तैयार किया जाता है।

वर्ष 2008-09 से 2011-12 की अवधि में लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्षिक आंतरिक लेखा परीक्षा योजना के विरुद्ध की गयी आंतरिक लेखा परीक्षा में 17 से 61 प्रतिशत की कमी थी। साथ ही, मार्च 2012 की स्थिति में आंतरिक लेखा परीक्षा के 3,662 कंडिकाओं के उत्तर लंबित थे। ऐसी अनियमिततायें जैसे कि रोकड़बही, देयक पंजी एवं आकस्मिक पंजी आदि में अनियमितताएँ आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा नियमित रूप से दर्ज की गईं।

जेलों की आंतरिक लेखा परीक्षा में कमी निम्नानुसार है:

तालिका-10 आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष	जेलों की संख्या (इकाई)	चयनित इकाईयाँ	लेखापरीक्षित इकाईयाँ	कमी (प्रतिशत)
2007-08	120	96	37	59 (61)
2008-09	120	96	80	16 (17)
2009-10	120	86	58	28 (33)
2010-11	122	95	69	26 (27)
2011-12	123	93	48	45 (48)

निर्गम सम्मेलन में विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा (अक्टूबर 2012) बताया गया कि पदों की कमी के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा के आयोजन में कमी हुई।

उत्तर इंगित करता है कि उपलब्ध लेखा परीक्षा स्टाफ के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा योजना तैयार नहीं की गई।

2.1.17 निष्कर्ष

"जेलों के प्रबंधन" पर वर्ष 2007-12 की अवधि के लिये निष्पादन लेखा परीक्षा में निम्न तथ्य उद्घटित हुये:

- वित्तीय प्रबंधन की कमी थी। योजनागत निधियों का प्रावधान स्वीकृत योजना के परिव्यय की तुलना में कम था। योजना मद में प्राप्त धन राशि की तुलना में व्यय कम किया गया जबकि विभागीय प्राप्तियों का शासकीय विभागीय खातों में देशी से प्रेषण किया गया।
- कैदियों को सुरक्षा एवं सुविधाएं प्रदान करने के लिये विभाग की व्यवस्थाएँ संतोषजनक नहीं थीं। नये प्रवेश हुये कैदियों को आमद इकाई के अभाव में जेलों में प्रवेश के समय संगरोध नहीं किया जा सका। विचाराधीन एवं दंडित महिला कैदियों हेतु कुछ जेलों में पृथक कोठरियां नहीं थी। अनेक बीमार कैदियों को जेल चिकित्सा अधिकारी द्वारा अस्पताल में भेजने हेतु रेफर करने के पश्चात् भी पुलिस गार्ड के अभाव में चिकित्सा प्रदाय नहीं की गई थी।
- हथियारों और आधुनिक सुरक्षा उपकरणों जैसे सी.सी.टी.वी., सायरन, इंटरकॉम, जनरेटर आदि की मुख्य रूप से जिला एवं उप जेलों में कमी थी। नमूना जांच की गयी 8 केन्द्रीय जेलों में कैदी प्रबंधन प्रणाली / आगंतुक प्रबंधन प्रणाली कार्यरत नहीं थी। राज्य में वर्ष 2007-12 में जेलों से भागने के 91 प्रकरणों में 96 कैदी जेलों से फरार हुए। प्रतिबंधित वस्तुओं को कैदियों के पास से 9 नमूना जांच जेलों में जब्त किया गया।
- विचाराधीन कैदियों को पुलिस गार्ड्स के अभाव में निर्धारित तिथियों को न्यायालय में प्रकरणों की सुनवाई हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था। जिससे विचाराधीन कैदियों को अनावश्यक हिरासत में रखा गया। इसके अलावा 21 नमूना जांच जेलों में संख्या से अधिक कैदी रखे गये थे जिसका मुख्य कारण जेल भवनों एवं बैरकों का निर्माण न होना अथवा निर्माण देशी से होना है। केन्द्रीय जेल सतना में क्षमता से 287 प्रतिशत अधिक कैदियों को रखा गया था।
- जिला जेलों एवं उप जेलों में कैदियों के लिए शिक्षा सुविधायें उपलब्ध नहीं थी। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद भी जेलों के उद्योगों में कार्यरत कैदियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया।
- विभाग में जेलों एवं चिकित्सक / पैरामेडिकल अमलें की अत्यधिक कमी थी। केवल 50 प्रतिशत प्रहरियों को ही प्रशिक्षण दिया गया।
- विभागीय प्राधिकारियों द्वारा जेलों में निर्धारित निरीक्षण नियमित रूप से नहीं किए गए थे जिससे जेल प्रशासन का कमजोर नियंत्रण प्रदर्शित होता है।

2.1.18 अनुशंसाएं

- सरकार को जेल प्रशासन हेतु आयोजनागत योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिये वित्तीय प्रबंधन में सुधार करना चाहिये।
- जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को आवश्यक हथियारों और उपकरणों को प्रदाय कर अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिये।
- विचाराधीन कैदियों को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे अनावश्यक हिरासत एवं जेलों में संख्या से अधिक कैदियों को रखने से बचा जा सके।
- शैक्षणिक कार्यक्रम एवं औद्योगिक प्रशिक्षण सभी योग्य कैदियों को प्रदाय करना चाहिये।
- जेलों के कुशल संचालन के लिये सभी रिक्त पदों को भरा जाना चाहिये।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

2.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

कार्यपालन सारांश

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 फरवरी 2006 से मध्य प्रदेश के 18 जिलों¹ में प्रथम चरण में प्रभावी हुआ। द्वितीय चरण में 1 अप्रैल 2007 से राज्य के 13 और जिले² योजना में सम्मिलित किये गये तथा 1 अप्रैल 2008 से शेष 19 जिले³ योजना में सम्मिलित किये गये।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की निष्पादन लेखा परीक्षा वर्ष 2007-12 की अवधि हेतु 13 जिलों को सम्मिलित कर मार्च से जून 2012 के मध्य की गयी।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-12 तक राज्य में कुल 1,18,60,150 पंजीकृत परिवार थे तथा लेखा परीक्षा अवधि में 117.20 करोड़ मानव दिवस सृजित किये गये। भारत सरकार द्वारा राज्य को वर्ष 2007-12 की अवधि के दौरान ₹ 15,946.54 करोड़ की राशि जारी की गई तथा योजना के क्रियान्वयन में ₹ 17,193.12 करोड़ की राशि व्यय की गयी।

➤ यह पाया गया कि यद्यपि राज्य रोजगार गारंटी परिषद की स्थापना निर्धारित समयावधि में की गयी किन्तु परिषद की बैठकें निर्धारित अन्तराल पर नहीं की गयी।

राज्य रोजगार गारंटी परिषद की सामान्य सभा तथा सशक्त समिति की बैठकें निर्धारित अन्तराल पर की जानी चाहिये।

➤ पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की पदस्थापना नहीं की गयी।

➤ वार्षिक विकास योजना एवं श्रम बजट तैयार करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

➤ राज्य, जिलों, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार गारंटी निधि की स्थापना नहीं की गयी।

➤ राज्य शासन के आदेशानुसार सभी ग्रामीण परिवारों का पंजीयन किये जाने के परिणामस्वरूप चयनित जिलों में 13.35 लाख से 19.74 लाख अपात्र हितग्राहियों का योजना के अंतर्गत पंजीयन किया गया।

¹ बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, छतरपुर, धार, डिण्डोरी, खण्डवा, झाबुआ, खरगौन, मण्डला, सतना, सिवनी, शहडोल, सिहोर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, तथा उमरिया

² अनुपपूर, अशोकनगर, बुरहानपुर, छिन्दवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, गुना, हरदा, कटनी, पन्ना, राजगढ़ तथा शीवा

³ अलीराजपुर, भिण्ड, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, मन्दासौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, रायसेन, रतलाम, सागर, सिहोर, शाजापुर, सिंगरीली, उज्जैन तथा विदिशा

पंजीयन तथा जॉब कार्ड जारी किये जाने से पूर्व आवेदकों की पात्रता यथोचित रूप से सत्यापित की जानी चाहिये।

➤ केवल 2.31 प्रतिशत से 12.60 प्रतिशत पंजीकृत परिवारों द्वारा ही 100 दिवस का गारंटीशुदा रोजगार पूर्ण किया जा सका।

➤ योजना के अंतर्गत गैर अनुमत्य कार्य किये गये। कुछ किये गये निर्माण कार्य अस्तित्व में नहीं पाये गये यद्यपि उक्त कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके थे।

योजनान्तर्गत गैर अनुमत्य कार्य स्वीकृत नहीं किए जाने चाहिये।

➤ वर्ष 2007-12 की अवधि में अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को प्रदाय किया गया रोजगार 18 प्रतिशत से 21 प्रतिशत रहा जबकि अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को प्रदाय किया गया रोजगार 49 प्रतिशत से घटकर 27 प्रतिशत हो गया।

➤ ग्राम पंचायतों द्वारा आवश्यक अभिलेख संधारित नहीं किये गये।

रोजगार सृजन तथा सम्पत्ति निर्माण के आवश्यक अभिलेखों का संधारण सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

➤ शिकायतों का निर्धारित समयावधि में निराकरण सुनिश्चित नहीं किया गया।

प्राप्त शिकायतों का समयावधि में निराकरण करने हेतु शिकायत निवारण प्रणाली को सशक्त बनाना चाहिए।

निर्माण कार्यों के निरीक्षण का अभिलेख ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित नहीं किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभाव आकलन के प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये गये।

2.2.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (एन आर ई जी ए) ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत प्रत्येक ऐसे परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है। अधिनियम ग्रामीण परिवारों को स्थानीय ग्राम पंचायत में स्वयं को पंजीकृत कराने एवं रोजगार की मांग करने का अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम के अनुसार योजना के नियोजन व क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक स्तर पर पंचायतों को प्रधान प्राधिकारी बनाया गया है।

अधिनियम के अंतर्गत राज्य शासन को एक राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बनानी थी। तदनुसार मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम पी आर ई जी एस) 2 फरवरी 2006 को अधिसूचित की गयी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को

योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर नोडल विभाग बनाया गया। अधिनियम का नाम माह अक्टूबर 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम जी एन आर ई जी ए) के रूप में परिवर्तित किया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रथम चरण में दिनांक 2 फरवरी 2006 से मध्य प्रदेश के 18 जिलों में प्रभावी हुआ। द्वितीय चरण में दिनांक 1 अप्रैल 2007 से राज्य के 13 और जिले योजना में सम्मिलित किये गये और तृतीय चरण में दिनांक 1 अप्रैल 2008 से शेष 19 जिले योजना में सम्मिलित किये गये।

2.2.2 संगठनात्मक संरचना

ग्राम स्तर पर योजना ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित की जाती है। कार्यक्रम अधिकारी (पी ओ) विकास खण्ड स्तर पर ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा किये गये कार्यों के समन्वयन हेतु उत्तरदायी हैं जबकि जिला योजना समन्वयक (डी पी सी) जिला स्तर पर योजना के सम्पूर्ण समन्वय एवं क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है। योजना के क्रियान्वयन, मूल्यांकन तथा निगरानी हेतु राज्य रोजगार गारंटी परिषद राज्य शासन को परामर्श देती है। एम जी एन आर ई जी एस के अंतर्गत सम्मिलित किये जाने वाले कार्यों के प्राथमिकता क्रम का निर्धारण तथा अधिनियम की अनुसूची -I, धारा 1 (ix) के अंतर्गत केन्द्र शासन को कार्यों के प्रस्तावों की अनुशंसा करना भी परिषद की भूमिका में सम्मिलित है।

2.2.3 क्रियान्वयन एजेन्सी

अधिनियम द्वारा लागत के मान से न्यूनतम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाना अधिदेशित किये जाने से कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत एकल सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। अन्य क्रियान्वयन एजेन्सियों में जनपद एवं जिला पंचायतें, शासन के लाईन विभाग, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केन्द्र एवं राज्य सरकारों की आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली सहकारी समितियाँ तथा बेहतर प्रदर्शन की पृष्ठभूमि वाले प्रतिष्ठित एन जी ओ सम्मिलित हैं।

कार्यों के आकलन, माप व पर्यवेक्षण कार्य में तकनीकी सहयोग प्रदान करना क्रियान्वयन एजेन्सियों की भूमिका है। इस कार्य हेतु क्रियान्वयन एजेन्सियों को किसी भी ओवरहेड चार्ज का भुगतान नहीं किया जायेगा। ग्राम पंचायत के अतिरिक्त अन्य क्रियान्वयन एजेन्सियों का चयन उनकी तकनीकी दक्षता और संसाधनों, उपलब्ध समय-सीमा के भीतर काम पूरा कर पाने की क्षमता, कार्य से संबंधित पृष्ठभूमि और लाभान्वितों के व्यापक हित के आधार पर किया जाएगा। क्रियान्वयन एजेन्सियों के चयन को विकास योजना में भी दर्शाया जाना चाहिये।

2.2.4 लेखा परीक्षा का उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि;

- योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा संगठनात्मक तंत्र स्थापित किया गया है;
- कार्य की अपेक्षित मांग का आकलन तथा परियोजनाओं की सूची तैयार करने हेतु परिप्रेक्ष्य योजना तथा वार्षिक योजना तैयार करने हेतु विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त व प्रभावी पद्धति है;
- राज्य शासन द्वारा अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार निधियों को निर्गमित, लेखांकित किया गया व उपयोग में लाया गया;
- परिवारों के पंजीयन, जॉब कार्ड के आवंटन तथा रोजगार आवंटन हेतु अधिनियम/नियमों के अनुसार प्रभावी प्रक्रिया निर्धारित की गई थी;
- लक्षित ग्रामीण समुदाय को निर्धारित मजदूरी दर पर 100 दिवस का वार्षिक रोजगार प्रदाय कर आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के योजना के मुख्य उद्देश्य को प्रभावी तरीके से प्राप्त किया गया तथा कार्य की मांग पर निर्धारित समयावधि में रोजगार उपलब्ध न कराने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते का भुगतान अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है;
- एम जी एन आर ई जी एस कार्य उचित रूप से नियोजित थे तथा मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभावी रूप से निर्धारित समयावधि में अधिनियम और नियमों के अनुसार पूर्ण किये गये, स्थायी परिसंपत्तियाँ निर्मित की गयी, संधारित की गयी और उपयुक्त रूप से लेखांकित की गयी;
- ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के योजना के सहायक उद्देश्यों को प्रभावी तरीके से अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के अनुरूप प्राप्त किया गया;
- योजना का अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ अभिसरण लक्षित ग्रामीण समुदायों की आजीविका सुनिश्चित करने तथा व्यापक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार हेतु किया गया है;
- सभी स्तरों पर आवश्यक अभिलेख संधारित किये गये हैं तथा एम जी एन आर ई जी एस आंकड़े कम्प्यूटरीकृत किये गये हैं एवं विश्वसनीय तथा समय पर एम आई एस आँकड़े उपलब्ध कराते हैं।

- अधिनियम के क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में नियोजन से निगरानी तथा मूल्यांकन तक सम्पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने हेतु सभी सहभागियों को सम्मिलित किया गया है;
- एम जी एन आर ई जी एस के प्रभावों का परिवारों, स्थानीय श्रम बाजार, पलायन चक्र व निर्मित परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता के आकलन हेतु राज्य स्तर पर प्रभावी तंत्र मौजूद है।

2.2.5 लेखा परीक्षा के मापदण्ड

निष्पादन लेखा परीक्षा के मापदण्ड निम्नांकित स्रोतों से लिये गये;

- एन आर ई जी ए 2005 तथा उसके संशोधन।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एम जी एन आर ई जी एस हेतु जारी परिचालनात्मक दिशा निर्देश 2006 तथा 2008 एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र।
- फरवरी 2006 में अधिसूचित मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
- फण्ड नियम 2006, वित्तीय नियम 2009 तथा योजना के लेखापरीक्षा नियम 2011 ।
- एम जी एन आर ई जी ए निर्माण कार्य फील्ड मैनुअल।
- राज्य के मनरेगा आयुक्त के पास उपलब्ध राज्य/जिले के राष्ट्रीय स्तर के पर्यवेक्षकों के प्रतिवेदन।
- मस्टर रोल की जांच हेतु दिशा निर्देश।
- राज्य द्वारा आंतरिक निगरानी हेतु दिशा निर्देश/जांच सूची।
- भारत/राज्य सरकार द्वारा तय प्रदर्शन संकेतक।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी मनरेगा विजन, रणनीति फ्रेमवर्क एवं कार्य योजना (2010-11)।

2.2.6 लेखा परीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखा परीक्षा हेतु 13 जिलों⁴ के 29 ब्लॉकों की 287 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया और राज्य रोजगार गारंटी परिषद के 2007-12 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच मार्च 2012 से जून 2012 के दौरान की गयी। लेखा परीक्षा

⁴ अशोकनगर, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, दतिया, धार, इन्दौर, खरगौन, नीमच, सतना, सिहोर, शहडोल, शाजापुर एवं विदिशा

कार्यप्रणाली में हितग्राहियों का सर्वे, योजना के अंतर्गत किये गये निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन और ग्राम पंचायत की सामाजिक अंकेक्षण बैठक में उपस्थित होना सम्मिलित था। कुल 2744 हितग्राहियों के साक्षात्कार लिये गये तथा 2809 निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया।

प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन के साथ प्रवेश सम्मेलन दिनांक 14 फरवरी, 2012 को किया गया। प्रवेश सम्मेलन में लेखा परीक्षा के उद्देश्य, मापदण्ड और क्षेत्र पर चर्चा की गयी।

प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन के साथ निर्गम सम्मेलन 17 जुलाई 2012 को किया गया, जिसमें निष्पादन लेखा परीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई तथा राज्य शासन द्वारा लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर कंडिकावार उत्तर प्रस्तुत किये गये।

2.2.7 संगठनात्मक संरचना तथा क्षमता निर्माण

2.2.7.1 राज्य रोजगार गारंटी परिषद् (एस ई जी सी) की कार्यप्रणाली

एन आर ई जी ए, 2005 की धारा 12(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार के लिये आवश्यक था कि वह एक राज्य परिषद्, जो राज्य रोजगार गारंटी परिषद् के रूप में जानी जायेगी, का गठन करें जिसमें एक अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा अवधारित संख्या में सरकारी सदस्य तथा राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (पी आर आई), कर्मकार संगठनों और असुविधाग्रस्त समूहों से नाम निर्दिष्ट 15 से अनाधिक गैर सरकारी सदस्य होंगे।

राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2006 में राज्य रोजगार गारंटी परिषद् का गठन किया गया।

म.प्र. एस ई जी सी (नियम) के पैरा 12.1 के अनुसार एस ई जी सी की सामान्य सभा की बैठक एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जानी थी।

एस ई जी सी की सामान्य सभा तथा सशक्त समिति की बैठकें निर्धारित समय पर नहीं की गईं

हमने देखा कि एस ई जी सी की सामान्य सभा की बैठक इसके पंजीकरण से मात्र दो बार (जून 2007 तथा फरवरी 2008) आयोजित की गयी जबकि मार्च 2012 तक 13 बैठकें आयोजित की जानी थी।

एस ई जी सी (नियम) के पैरा 15.5 के अनुसार सशक्त समिति की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार आयोजित की जानी थी।

हमने पाया कि पंजीकरण दिनांक से मार्च 2012 तक सशक्त समिति की मात्र छः बैठकें आयोजित की गईं जबकि 25 बैठकें आयोजित की जानी थीं। जिससे योजना के क्रियान्वयन हेतु आयोजना और निगरानी की प्रक्रिया में उच्च स्तरीय संलग्नता की कमी प्रदर्शित होती है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान राज्य शासन ने उत्तर में कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों तथा मुख्यमंत्री द्वारा नियमित तिमाही समीक्षा किये जाने के कारण सामान्य सभा द्वारा निर्णित किये जाने हेतु कोई मुख्य मुद्दे न होने के कारण सामान्य सभा की बैठकें कम संख्या में आयोजित की गईं। आगे यह भी कहा गया कि कार्यक्रम के लिये बहुत स्पष्ट दिशा निर्देशों के उपलब्ध होने के कारण प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में सशक्त समिति की बैठकों की भी आवश्यकता नहीं थी।

उत्तर में पुष्टि होती है कि शासन का ये कदम एम पी एस इ जी सी (नियम) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।

2.2.7.2 मुख्य कार्यकर्ताओं की नियुक्तियाँ

ग्राम रोजगार सहायक (जी आर एस)

योजना के परिचालनात्मक दिशा निर्देश, 2008 के पैरा 3.1.1 के अनुसार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में जी आर एस की नियुक्ति किये जाने का सुझाव था।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में जी आर एस की नियुक्ति नहीं की गई

हमने पाया कि वर्ष 2011-12 तक राज्य की 23,336 ग्राम पंचायतों में मात्र 6,438 जी आर एस नियुक्त किये गये थे।

निर्गम सम्मेलन के दौरान राज्य शासन ने उत्तर दिया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जी आर एस नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। जी आर एस की नियुक्ति की गति तेज करने हेतु वर्ष 2011-12 में नये दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

कार्यक्रम अधिकारी (पी ओ)/अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी (ए पी ओ)

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 3.1.2 के अनुसार एक पूर्णकालिक समर्पित पी ओ, जो विकास खण्ड अधिकारी (बी डी ओ) के स्तर से नीचे का ना हो, को ब्लॉक स्तर पर नियुक्त किया जाना था। पी ओ की जिम्मेदारी का निर्वहन बी डी ओ द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में एक अतिरिक्त व्यक्ति की ए पी ओ के रूप में नियुक्ति की जानी चाहिये।

राज्य के किसी भी ब्लॉक में पूर्णकालिक पी ओ की नियुक्ति नहीं की गई तथा प्रत्येक ब्लॉक में ए पी ओ की नियुक्ति नहीं की गई

एस ई जी सी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि राज्य के 313 ब्लॉक में से किसी में भी पूर्णकालिक पी ओ की नियुक्ति नहीं की गयी। जनपद पंचायत (इंटरमीडिएट पंचायत) में मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सी ई ओ) द्वारा पी ओ के कार्यों का निर्वहन किया गया। सी ई ओ के सहयोग हेतु 313 ए पी ओ के पदों के विरुद्ध मात्र 249 ए पी ओ नियुक्त किये गये।

निर्गम सम्मेलन के दौरान राज्य शासन द्वारा उत्तर दिया गया कि प्रशासकीय मद में छः प्रतिशत सीमा⁵ के अंतर्गत सीमित निधियाँ उपलब्ध होने के कारण पी ओ की स्वतंत्र

⁵ एम जी एन आर ई जी एस के अंतर्गत प्रशासकीय व्यय की सीमा कुल वार्षिक व्यय का 6 प्रतिशत है

रूप में नियुक्ति नहीं की गई तथा शेष ए पी ओ की नियुक्ति आवश्यकतानुसार तथा प्रशासकीय मद में निधि की उपलब्धता के आधार पर की जायेगी।

शासन के उत्तर से पुष्टि होती है कि शासन द्वारा योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि एम जी एन आर ई जी एस के समन्वय हेतु ब्लॉक स्तर पर एक पूर्णकालिक पी ओ/ए पी ओ की नियुक्ति आवश्यक है।

ब्लॉक स्तर पर सहायक अमला

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 3.1.2 के अनुसार ब्लॉक स्तर पर योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु पी ओ का सहायक अमला यथा इंजीनियर, लेखा पाल तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर पदस्थ किये जाने चाहिये।

पर्याप्त संख्या में
इंजीनियर्स तथा डाटा
एंट्री ऑपरेटर्स की
नियुक्ति नहीं की गई

हमने पाया कि तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु इंजीनियर के 2,817 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 1,447 (51 प्रतिशत) इंजीनियर्स की नियुक्ति की गई तथा 626 स्वीकृत डी ई ओ के पदों के विरुद्ध केवल 421 डी ई ओ (67 प्रतिशत) की नियुक्ति की गई।

निर्गम सम्मेलन में राज्य शासन ने उत्तर दिया कि योजना के सीमित प्रशासनिक बजट पर अतिरिक्त स्टाफ के रूप में अनावश्यक भार डालने के प्रति शासन सतर्क एवं संवेदनशील था। शासन द्वारा अब हाल ही में 969 और इंजीनियर्स की नियुक्ति की गई है तथा उनके प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। इसी प्रकार डी ई ओ की नियुक्तियाँ चरणबद्ध रूप से की गई है तथा जिलाध्यक्षों को किसी बाह्य एजेन्सी से या कलेक्टर दर पर डी ई ओ की नियुक्ति कर कार्य जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई है।

उत्तर से यह पुष्टि होती है कि शासन द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सहायक अमले की पदस्थापना नहीं की गई।

2.2.7.3 मुख्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर व्यय

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 3.3.1 के अनुसार सभी मुख्य इकाईयों को अधिनियम के अंतर्गत अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। राज्य शासन द्वारा अधिनियम तथा दिशा निर्देशों के प्रमुख बिन्दुओं पर सभी मुख्य कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देते हुये मूलभूत प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी (अक्टूबर 2012) के अनुसार 2008-12 की अवधि में प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर राशि ₹ 14.81 करोड़ व्यय की गई। यद्यपि प्रशिक्षित अमले का विवरण लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

2.2.8 जिला परिप्रेक्ष्य योजना व वार्षिक योजना का तैयार किया जाना

2.2.8.1 जिला परिप्रेक्ष्य योजना (डी पी पी) का तैयार न किया जाना

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 4.5.1 के अनुसार जिला परिप्रेक्ष्य योजना द्वारा पूरे जिले के लिये अग्रिम योजना तैयार करना और विकास की एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना लक्षित था। डी पी पी का लक्ष्य है कि एम जी एन आर ई जी एस के अंतर्गत ऐसे कार्यों की पहचान की जाये जिनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और ऐसे कार्यों तथा दीर्घकालीन रोजगार सृजन एवं स्थायी विकास के मध्य संभावित संबंधों को चिन्हित किया जाए।

पाँच जिलों द्वारा डी पी पी नहीं बनाया गया तथा तीन जिलों द्वारा डी पी पी राज्य शासन को अनुमोदन हेतु नहीं भेजा गया

नमूना जांच किये गये 13 जिलों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पाँच जिलों⁶ द्वारा डी पी पी तैयार नहीं किये गये तथा आठ जिलों में से तीन⁷ जिलों द्वारा डी पी पी को तैयार किया गया किन्तु शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित नहीं किया गया।

हमने आगे पाया कि 13 चयनित जिलों में से चार जिलों⁸ को भारत सरकार द्वारा ₹ 40 लाख की राशि जारी की गयी। तथापि केवल तीन जिलों द्वारा राशि ₹ 22.06 लाख का व्यय करके डी पी पी तैयार किया गया किन्तु इंदौर जिले द्वारा डी पी पी तैयार नहीं किया गया। शेष पाँच जिलों⁹ द्वारा इस कार्य हेतु भारत सरकार से राशि प्राप्त किये बिना डी पी पी तैयार किया गया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन द्वारा उत्तर दिया कि डी पी पी तैयार करना तथा शासन द्वारा उसका अनुमोदन किया जाना मात्र एक औपचारिक प्रक्रिया है तथा योजना के वास्तविक क्रियान्वयन पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। माँग आधारित योजना होने से, मानसून के बदलाव तथा अन्य कारणों से मजदूरी की वास्तविक माँग का आंकलन किया जाना असंभव है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अग्रिम योजना व स्थायी विकास के लिये जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार किया जाना एक आवश्यक प्रक्रिया थी।

2.2.8.2 नियोजन में कमियाँ

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 4.4.1 के अनुसार जिला पंचायत, जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत नियोजन के मुख्य कार्यकारी हैं। अधिनियम की धारा 13-16 में निर्धारित की गयी योजना की प्रक्रिया के अनुसार अधिनियम ग्राम सभा को एम जी एन आर ई जी एस के अंतर्गत लिए जाने वाले कार्यों की अनुशंसा करने की शक्ति प्रदान करता है तथा ग्राम सभा के अनुमोदन पर परियोजनाओं की सूची को सम्मिलित कर विकास योजना तैयार करना ग्राम पंचायत का कार्य है। ग्राम पंचायत द्वारा अपनी प्राथमिकता के साथ दिनांक 15 अक्टूबर तक विकास योजना को पी ओ को अग्रेषित किया जाना

⁶ अशोकनगर, इन्दौर, खरगौन, नीमच तथा शहडोल

⁷ दतिया, शाजापुर तथा विदिशा

⁸ दतिया, इन्दौर, सीहोर तथा विदिशा

⁹ बालाघाट, छिन्दवाड़ा, धार, सतना तथा शाजापुर

आवश्यक है। पी ओ उन्हें ब्लॉक योजना के रूप में संकलित करेगा तथा 30 नवम्बर तक डी पी सी को अग्रेषित करेगा। डी पी सी द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर तक ब्लॉक के एस ओ पी तथा श्रम बजट का अनुमोदन किया जायेगा।

हमने नियोजन प्रक्रिया में ग्राम पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर निम्नलिखित कमियाँ पाई -

जिला, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन निर्धारित तिथियों पर नहीं किया गया

(i) नमूना जांच की गयी 56 ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक योजना के अनुमोदन हेतु निर्धारित तिथियों का ध्यान नहीं रखा गया। अनुमोदन में 1 से 21 माह का विलंब पाया गया। विवरण **परिशिष्ट-2.12** में दिया गया है।

(ii) नमूना जांच किये गये नौ ब्लॉक में वार्षिक योजना का अनुमोदन निर्धारित तिथियों पर नहीं किया गया। अनुमोदन में 1 से 11 माह का विलंब पाया गया। विवरण **परिशिष्ट-2.13** में दिया गया है।

(iii) नमूना जांच किये गये सात जिलों में वार्षिक योजना का अनुमोदन निर्धारित तिथियों पर नहीं किया गया। अनुमोदन में 1 माह से 11 माह का विलंब पाया गया। विवरण **परिशिष्ट-2.14** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि वार्षिक योजना एवं श्रम बजट तैयार करने की प्रक्रिया ग्राम सभा द्वारा एस ओ पी के अनुमोदन से आरंभ होती है जिसके आधार पर आगे नियोजन किया जाता है। ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध सीमित क्षमता को ध्यान में रखते हुये यह स्वीकार किया गया कि वर्ष के प्रारंभ में एस ओ पी को तैयार नहीं किया जा सका।

तथ्यात्मक स्थिति यह है कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर प्रभावी नियोजन हेतु वार्षिक योजना का समय से तैयार किया जाना तथा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है।

2.2.8.3 अवास्तविक श्रम बजट

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 8.4 के अनुसार डी पी सी प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह में अगले वित्तीय वर्ष हेतु श्रम बजट तैयार करेंगे जिसमें जिलों में अकुशल श्रम की अनुमानित मांग का विवरण सम्मिलित किया जायेगा। श्रम बजट वार्षिक एस ओ पी तथा विकास योजना से प्राप्त किये गये, किये जाने वाले कार्यों के प्रकार एवं संख्या के वास्तविक आकलन पर आधारित होना था।

श्रम बजट पूर्व वर्ष के वास्तविक व्यय के आधार पर तैयार नहीं किये गये जिसके फलस्वरूप यह मात्र एक औपचारिक प्रक्रिया रही

चयनित 13 जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि वर्ष 2007-08 के तीन जिलों¹⁰ को छोड़कर वर्ष 2007-12 की अवधि हेतु सभी चयनित जिलों द्वारा श्रम बजट तैयार किया गया। हमने यह भी पाया कि प्रत्येक वर्ष वास्तविक व्यय की तुलना में बजट अनुमान में सभी चयनित जिलों में अंतर था। विदिशा जिले में वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में वास्तविक व्यय बजट अनुमानों का क्रमशः छः प्रतिशत तथा आठ

¹⁰ अशोकनगर, बालाघाट एवं दतिया

प्रतिशत था (परिशिष्ट 2.15)। इस प्रकार श्रम बजट वास्तविक के आधार पर तैयार नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने उत्तर दिया कि योजना मांग पर आधारित है तथा आजीविका सुरक्षा पर केन्द्रित है और श्रम बजट संभावित मांग का अनुमान है।

श्रम बजट अनुमानित मांग पर आधारित है फिर भी इससे कुछ प्रकरणों में देखे गये वास्तविक व्यय तथा अनुमान के अत्यधिक अंतर का औचित्य सिद्ध नहीं होता।

2.2.8.4 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (डी पी आर) को तैयार करने में निष्फल व्यय

मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश (जून 2007) के अनुसार बाह्य एजेन्सियों को नियुक्त कर कपिल धारा¹¹, खेत तालाब¹², नंदन फलोद्यान¹³ भूमि शिल्प¹⁴, तथा शैलपर्ण¹⁵ उप योजना हेतु डी पी आर तैयार किये जाने थे। चयनित बाह्य एजेंसी दो वर्षों के लिए चयनित हितग्राहियों हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने तथा तीनों स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं से डी पी आर का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार थी।

डी पी आर तैयार करने पर किया गया व्यय निष्फल रहा क्योंकि उक्त डी पी आर से एक भी कार्य नहीं कराये गये

जिला छिन्दवाड़ा के ब्लॉक पाण्डुर्ना के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि डी पी आर तैयार करने हेतु कार्यादेश (मई 2008) में मै. पराग प्रिंटर्स पाण्डुर्ना को जारी किये गये। उक्त कार्य माह मई 2009 में पूर्ण किया जाना दर्शाया गया तथा इस कार्य हेतु राशि ₹ 24.04 लाख का भुगतान संबंधित एजेन्सी को डी पी आर तैयार करने हेतु किया गया। तैयार किये गये डी पी आर का विवरण निम्नानुसार तालिका-1 में दिया गया है

तालिका-1: उप योजनाओं अनुसार डी पी आर का विवरण

क्र.सं.	उप योजना का नाम	संख्या/क्षेत्र जिसके लिये डी पी आर तैयार किये गये	व्यय (₹ लाख में)
1	कपिल धारा (कूप)	2,803	8.97
2	खेत तालाब	536	1.61
3	नंदन फलोद्यान	961	2.79
4	भूमि शिल्प	3,317	9.95
5	शैलपर्ण	359 हैक्टेयर	0.72
		योग	24.04

¹¹ कूप निर्माण हेतु योजना

¹² कृषि हेतु तालाब निर्माण की योजना

¹³ फलदार पौधों के वृक्षारोपण की योजना

¹⁴ कृषि हेतु खेतों का समतलीकरण योजना

¹⁵ कृषि हेतु पत्थरों के उपयोग से मेड निर्माण योजना

हमने देखा कि उक्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में से एक भी कार्य का क्रियान्वयन नहीं किया गया (31 मार्च 2012)। इस प्रकार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने पर किया गया व्यय ₹ 24.04 लाख निष्फल रहा।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि आवश्यक जांच पूर्व में ही हो चुकी है तथा विभागीय कार्यवाही प्रगतिरत है (जुलाई 2012)।

2.2.9 वित्तीय प्रबंधन

एम जी एन आर ई जी एस एक केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में अधिनियम के उपबंधों के अनुसार केन्द्र एवं राज्य के मध्य लागत के विभाजन के आधार पर कार्यान्वित की जाती है। अकुशल श्रमिकों को देय मजदूरी की संपूर्ण लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है तथा कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों को देय मजदूरी एवं सामग्री की लागत का 75 प्रतिशत के साथ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रशासकीय व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। सामग्री की लागत एवं कुशल एवं अर्ध कुशल श्रमिकों की मजदूरी का 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। बेरोजगारी भत्ता एवं राज्य रोजगार गारंटी परिषद के प्रशासनिक व्यय की राशि भी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

2007-09 के दौरान योजना की निधियाँ भारत सरकार द्वारा सीधे जिलों को स्थानांतरित की गई थी। वर्ष 2009-10 से निधियाँ एस ई जी सी को जारी की गई तथा एस ई जी सी द्वारा इन्हें राज्य सरकार के अंश के साथ जिलों को स्थानांतरित किया गया था। जिलों द्वारा निधियाँ ब्लॉक, ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों को स्थानांतरित की गई थी। वर्ष 2007-12 के दौरान योजनान्तर्गत निधियों की प्राप्ति एवं किये गये व्यय का विवरण तालिका-2 में दिया गया है।

तालिका -2 वर्ष 2007-12 के दौरान प्राप्ति एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	कुल उपलब्ध राशि	व्यय	अंतिम शेष (प्रतिशत)	प्रारंभिक शेष एवं अंतिम शेष में अंतर की राशि
1	2	3 (4-2)	4	5	6	7
2007-08	357.00	2945.38	3302.38	2892.67	409.71(12)	
2008-09	448.92	4360.95	4809.87	3551.67	1258.20(26)	39.21
2009-10	1550.01	4805.58	6355.59	3779.72	2143.14(34)	291.81
2010-11	2664.92	2871.12	5536.04	3512.14	1687.03(30)	521.78
2011-12	1900.39	3343.63	5244.02	3456.92	1766.96(34)	213.36

(स्रोत- एस ई जी सी द्वारा प्रदाय किए गये आंकड़े)

निधियों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया तथा प्रारंभिक शेष तथा अंतिम शेषों में अंतर पाया गया

हमने पाया कि वर्ष 2007-12 के दौरान निधियों का उचित उपयोग नहीं किया गया जिससे वर्ष के अंत में कुल उपलब्ध राशि में से 12 प्रतिशत से 34 प्रतिशत राशि अव्ययित शेष रही। पूर्व वर्ष के अंतिम शेष एवं आगामी वर्ष के प्रारंभिक शेषों में भी बड़ा अंतर पाया गया। प्रारंभिक शेष की राशि पूर्व वर्ष की अंतिम शेष की राशि से अधिक लिया जाना पाया गया जैसा कि ऊपर तालिका में दर्शित है। एस ई जी सी द्वारा उपलब्ध करायी गई वर्ष 2009-12 के अंतिम शेषों की राशि का, अंतिम शेषों की वास्तविक राशि (कुल उपलब्ध-व्यय की गई राशि) से भी मिलान नहीं होता।

निर्गम सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार द्वारा उत्तर दिया गया कि एस ई जी सी वित्तीय वर्ष 2009-10 से भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज रही है। पूर्व में भारत सरकार द्वारा निधियाँ सीधे जिलों को जारी की गई थीं और जिलों द्वारा भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जा रहे थे। तथापि प्रारंभिक शेष एवं अंतिम शेष के अंतर की गणना की जा रही है।

2.2.9.1 रोजगार गारंटी निधि की स्थापना न की जाना

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 8.2.2 एवं 8.2.3 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से राज्य रोजगार गारंटी निधि की स्थापना की जानी थी। इस निधि को एक आवर्ती निधि के रूप में व्यय करना और शासित करना था और अधिनियम के प्रयोजनों के अनुसार इसका उपयोग सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त नियम बनाये जाने थे। इसी प्रकार की आवर्ती निधियाँ जिला ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर भी सृजित की जानी थीं।

जिला, ब्लॉक व ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार गारंटी निधि की आवर्ती निधि के रूप में स्थापना नहीं की गई

हमने पाया कि मार्च 2009 तक राज्य स्तर पर रोजगार गारंटी निधि स्थापित नहीं की गई थी तथा जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर भी आवर्ती निधि का सृजन नहीं किया जाना पाया गया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि योजना के संचालन हेतु जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत में एक समर्पित पृथक खाता संधारित किया गया है। उक्त बैंक खाते में उपलब्ध राशि आवर्ती निधि की तरह कार्य करती है एवं जिला, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर एम जी एन आर ई जी एस के पृथक बैंक खाते के रूप में ऐसी निधि के सृजन की कोई आवश्यकता नहीं है।

उत्तर योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं था। साथ ही योजना के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये सभी स्तर पर रोजगार गारंटी निधि स्थापित की जाना आवश्यक थी।

2.2.9.2 संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) एवं राष्ट्रीय कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम (एन एफ एफ डब्ल्यू पी) की राशि का विलंब से अंतरण

सात जिलों द्वारा एस जी आर वाई व एन एफ एफ डब्ल्यू पी की शेष राशि का एन आर ई जी निधि में हस्तांतरण में एक वर्ष से पांच वर्ष तक का विलम्ब हुआ

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 20 मार्च 2006 के अनुसार एन एफ एफ डब्ल्यू पी एवं एस जी आर वाई योजनाओं की 1 अप्रैल 2006 को शेष अव्ययित राशि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (एन आर ई जी) खाते में अंतरित की जानी थी।

हमने देखा कि सात जिलों द्वारा एस जी आर वाई एवं एन एफ एफ डब्ल्यू पी की शेष राशि ₹ 6.73 करोड़ एक से पांच वर्ष के विलंब से अंतरण की गई। विवरण परिशिष्ट-2.16 में दिया गया है। इस प्रकार बन्द योजनाओं की अव्ययित राशियां बैंक खातों में निष्क्रिय रखी गयीं और एम जी एन आर ई जी एस के क्रियान्वयन पर उपयोग नहीं की जा सकी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि एस जी आर वाई एवं एन एफ एफ डब्ल्यू पी योजनाओं से एम जी एन आर ई जी एस योजना में अंतरण फील्ड में लेखाकरण और चालू कार्यों के हस्तांतरण के मान से एक वृहद कार्य था। देयताओं की गणना एवं अन्य क्रियान्वयन ब्यौरा तैयार करने में अधिक समय लगा जिसके कारण निधि अंतरण में विलंब हुआ।

शासन के उत्तर से स्पष्ट है कि एस जी आर वाई एवं एन एफ एफ डब्ल्यू पी निधियों की शेष राशि एन आर ई जी खाते में समय से हस्तांतरित नहीं की गई।

2.2.9.3 लेखाओं का मासिक बंदीकरण

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 8.6.1 द्वारा आर्थिक रिसाव के खतरे को कम करने और निधियों के प्रबंधन में पारदर्शिता व यथार्थता को बढ़ाने के लिए लेखों के मासिक बंदीकरण की व्यवस्था शुरू करने पर जोर दिया गया है। लेखों को तीन शीर्षों में वर्गीकृत करना चाहिए यथा (i) बैंक खातों में जमा राशि (ii) क्रियान्वयन एजेंसियों को दी गई अग्रिम राशि एवं (iii) वास्तविक व्यय की रसीदें, तथा मासिक लेखों के संकलन के प्रत्येक स्तर पर इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

जिला, ब्लॉक व ग्राम पंचायत स्तर पर लेखाओं का मासिक बंदीकरण नहीं किया गया

लेखा परीक्षा में पाया गया कि 160 ग्राम पंचायतों, 20 ब्लॉक एवं 10 जिलों में लेखों का मासिक बंदीकरण नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि एस ई जी सी स्तर पर राज्य अनुदान लेखों का मासिक हिसाब निरंतर किया जाता है तथा एम आई एस सार्वजनिक रहता है। ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध सीमित साधनों के कारण मासिक समाधान किया जाना बहुत मुश्किल है। तथापि ग्राम पंचायतों द्वारा बहुत अधिक संख्या में योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जाते हैं तथा उनके अभिलेख संधारित करने पड़ते हैं अतः उनसे मासिक लेखाओं के बंदीकरण की अपेक्षा करना अव्यवहारिक है।

उत्तर योजना निर्देशों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि निधि प्रबंधन की परिशुद्धता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु लेखाओं का मासिक बंदीकरण करना आवश्यक है।

2.2.9.4 बैंक पास बुक मुद्रण पर अनियमित व्यय ₹ 22.15 लाख

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 7.2.1 (viii) के अनुसार बैंको द्वारा एम जी एन आर ई जी एस श्रमिकों के खाते बिना किसी प्रभार के खोले जाना आवश्यक था।

हितग्राहियों की बैंक पास बुक के मुद्रण पर राशि ₹ 22.15 लाख का व्यय किया गया

डी पी सी शहडोल के लेखाओं की जांच में पाया गया कि डी पी सी शहडोल द्वारा विभिन्न 11 बैंकों की 1,96,000 पास बुकें राशि ₹ 22.15 लाख व्यय कर प्राइवेट प्रिंटेर्स के माध्यम से छपाई गई तथा संबंधित बैंको को हितग्राहियों को वितरण हेतु जारी की गई, विवरण परिशिष्ट-2.17 में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने उत्तर दिया कि संबंधित जिले द्वारा वर्ष 2008-09 में पास बुक मुद्रण की राशि जमा करवाने हेतु लीड बैंक को मांग प्रेषित की गई है। संबंधित बैंकों के खातों का समाधान किया जायेगा तथा राज्य स्तरीय बैंकिंग कमेटी के समक्ष समस्त बैंकों को निर्देश दिए जाने हेतु प्रकरण रखा जायेगा।

उत्तर से यह पुष्टि होती है कि चार वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी शासन द्वारा बैंकों के साथ खातों का समाधान करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

2.2.10 पंजीयन एवं रोजगार

2.2.10.1 समस्त ग्रामीण परिवारों का पंजीयन एवं जॉबकार्ड जारी किया जाना

अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत अनुसूची-II के अनुसार प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य जो (i) किसी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हों और (ii) अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों, अपने नाम, उम्र एवं परिवार का पता संबंधित ग्राम पंचायत को पंजीयन एवं जॉबकार्ड, जारी करने हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं। ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि उपयुक्त जांच उपरांत सही पाए जाने पर परिवार का पंजीयन कर जॉबकार्ड जारी करें।

वर्ष 2003 की बी पी एल सर्वे सूची में सम्मिलित सभी परिवारों का योजनान्तर्गत पंजीयन कर जॉब कार्ड जारी किये गये। पंजीकृत व जॉब कार्ड जारी किये गये परिवारों की तुलना में ऐसे परिवार, जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया, की संख्या 32 प्रतिशत से 55 प्रतिशत रही

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 5.1.2 के अनुसार परिवार के समस्त वयस्क सदस्य जो पंजीकृत हैं, कार्य के लिए आवेदन कर सकेंगे। मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जिले एवं ब्लॉक के समस्त प्राधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए (जनवरी 2006) कि ग्रामीण क्षेत्र के समस्त परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) सर्वे 2003 के आधार पर पंजीयन करें। परिवार, जिनके नाम बी पी एल सर्वे 2003 सूची में सम्मिलित नहीं थे, पंजीयन हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायतों द्वारा शासन के उपरोक्त आदेश के पालन में नमूना जांच किए गए 13 जिलों में हितग्राहियों से बिना औपचारिक आवेदन प्राप्त किए, बी पी एल सर्वे 2003 सूची में सम्मिलित समस्त परिवारों का पंजीयन किया

गया। इस प्रकार, 13.35 लाख से लेकर 19.74 लाख परिवार, जिन्होंने पंजीयन हेतु न तो आवेदन किया और न ही वे बी पी एल थे, को योजनातर्गत लेखापरीक्षा अवधि में पंजीकृत कर जॉबकार्ड जारी किए गए, विवरण **परिशिष्ट-2.18** में दिया गया है। हमने आगे देखा कि 13 चयनित जिलों में जिन परिवारों का पंजीयन कर जॉबकार्ड जारी किए गए, की तुलना में जिन परिवारों को रोजगार दिया गया, की संख्या वर्ष 2007-12 के दौरान 32 प्रतिशत से 55 प्रतिशत के मध्य रही।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि राज्य शासन ने पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2006 के माध्यम से जिलों को पंजीयन हेतु सही तौर पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे। पत्र का प्रथम पैरा बी पी एल सर्वे 2003 के आधार पर पंजीयन करने हेतु इंगित करता है। तथापि यह इंगित नहीं किया गया कि केवल बी पी एल परिवारों का ही पंजीयन किया जाना है। वस्तुतः वर्ष 2003 की बी पी एल सर्वे सूची संदर्भ सूची थी, जिसमें गांव के समस्त परिवार वर्ष 2003 में सर्वे किए जाकर सूचीबद्ध किए गए थे। यह विश्वसनीय संदर्भ सूची सुलभता से उपलब्ध थी, इसलिए इसके आंकड़े उपयोग करने के लिए कहा गया।

तथ्यात्मक स्थिति यह है कि समस्त ग्रामीण परिवारों का पंजीयन कर जॉबकार्ड जारी किए गए, जिनमें वो परिवार भी सम्मिलित थे, जो न तो गरीबी रेखा के नीचे थे और न ही उनसे मौखिक/लिखित आवेदन लिया गया तथा घर-घर जाकर सर्वे भी नहीं किया गया, जो अनियमित था।

2.2.10.2 हितग्राहियों को रोजगार आवेदन की दिनांकित पावती जारी न किया जाना

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा क्रमांक 1.5 के अनुसार एम जी एन आर ई जी एस अंतर्गत मजदूरी रोजगार कार्यक्रम मांग आधारित है। योजना के अंतर्गत रोजगार इस बात पर निर्भर करता है कि आवेदक अपनी इच्छानुसार पंजीयन हेतु आवेदन कर जॉबकार्ड प्राप्त करे तथा रोजगार प्राप्त करने के लिए समय एवं अवधि, जिसके लिए रोजगार चाहता है, आवेदन करे।

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा क्रमांक 5.4 के अनुसार रोजगार प्राप्त करने के लिए लिखित आवेदन ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करना चाहिए। आवेदक स्वयं ग्राम पंचायत में उपस्थिति होकर कार्य करने के लिए सहमित दे सकता है। इसकी प्रविष्टि निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप तथा रोजगार पंजी में की जावेगी। आवेदक को कार्य हेतु आवेदन की दिनांकित पावती दी जाना आवश्यक है।

आवेदकों को रोजगार आवेदन की दिनांकित पावती जारी नहीं की गई

हमने पाया कि आठ जिलों के 16 ब्लॉक की 158 ग्राम पंचायतों में आवेदकों को रोजगार आवेदनों की दिनांकित पावती नहीं दी गई (**परिशिष्ट-2.19**)। रोजगार पंजी का संधारण या तो नहीं किया गया या अपूर्ण संधारण किया गया था जैसा कि अगले पैरा क्रमांक 2.2.10.3 में उल्लेखित है। दिनांकित पावतियों के अभाव एवं रोजगार पंजी की अधूरी जानकारी के कारण यह सुनिश्चित करना कठिन है कि वास्तविक रूप से कितने लोगों द्वारा रोजगार की मांग की गई।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने उत्तर दिया कि एम जी एन आर ई जी एस अंतर्गत कार्य की आवश्यकता होने पर ही श्रमिक आते हैं। इस प्रकार यदि श्रमिकों को सरपंच रोजगार उपलब्ध कराता है तो इसका यह आशय नहीं है कि कार्य की मांग नहीं की गई अथवा श्रमिकों ने अधिकार पूर्वक रोजगार की मांग नहीं की। फिर भी तथ्य यह है कि ग्रामीण जनता में सामान्यतः कार्यक्रम की पूर्ण जानकारी का अभाव होता है तथा राज्य शासन द्वारा सूचना, शिक्षा तथा संचार (आई ई सी) गतिविधियों को विस्तृत व परिणाम मूलक करने हेतु कदम उठाये गये हैं।

उत्तर से पुष्टि होती है कि कार्य की मांग तथा रोजगार सृजन के अभिलेखों का ठीक तरीके से संधारण नहीं किया गया।

2.2.10.3 रोजगार पंजी के संधारण में अनियमितताएँ

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 9.1.1(vi) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा एक रोजगार पंजी संधारित की जायेगी जिसमें रोजगार की मांग हेतु आवेदन, दिये गए रोजगार, किए गए कार्य तथा श्रमिकों को भुगतान की गई मजदूरी अथवा बेरोजगारी भत्तों की जानकारी संधारित की जायेगी।

नमूना जांच किये गये दो जिलों के चार ब्लॉक की 10 ग्राम पंचायतों में रोजगार पंजी का संधारण नहीं हुआ तथा 10 जिलों के 23 ब्लॉक की 220 ग्राम पंचायतों में रोजगार पंजी अपूर्ण संधारित की गयी थी विवरण **परिशिष्ट-2.20** एवं **परिशिष्ट 2.21** में दिया गया है।

ग्राम पंचायत स्तर पर या तो रोजगार पंजी संधारित नहीं थी या अपूर्ण थी

इस प्रकार प्रति परिवार रोजगार सृजन के आंकड़ों का अद्यतन संधारण तथा भारत सरकार की निधि से 100 दिवस रोजगार की निर्धारित सीमा को जांचा नहीं जा सका।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने उत्तर दिया कि वर्तमान एम आई एस में रोजगार पंजी स्वतः सृजित होती है तथा सार्वजनिक रूप में उपलब्ध है। इस प्रकार इन पंजियों का भौतिक रूप से संधारण करना अनावश्यक है।

उत्तर योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं था क्योंकि एम आई एस के डाटा के प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक अभिलेखों का संधारण किया जाना आवश्यक था।

2.2.11 ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा

2.2.11.1 ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा की पूर्ति सुनिश्चित न करना।

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 1.1 के अनुसार योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिये प्रत्येक ऐसे परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं।

कुल पंजीकृत परिवारों में से मात्र 2.31 प्रतिशत से 12.60 प्रतिशत ने 100 दिवस का रोजगार पूर्ण किया

राज्य रोजगार गारंटी परिषद के अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि लेखापरीक्षा अवधि (2007-12) के दौरान कुल पंजीकृत परिवारों की तुलना में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवार 2.31 प्रतिशत से 12.60 प्रतिशत के मध्य थे तथा प्रति पंजीकृत परिवार को एक वित्तीय वर्ष में औसतन 14 दिन से 38 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया।

आगे यह देखने में आया कि यद्यपि श्रम बजट में मानव दिवसों का आकलन वर्ष 2009-10 को छोड़कर घटते क्रम में था फिर भी वास्तविक सृजित मानव दिवसों की संख्या श्रम बजट के अनुमानों से अत्यधिक कम थी। विवरण तालिका 3 में नीचे दिया गया है।

तालिका 3 - परिवारों का पंजीयन तथा रोजगार सृजन दर्शाने का विवरण

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	श्रम बजट(मानव दिवसों का आकलन लाख में)	परिवारों की संख्या जिन्हे रोजगार उपलब्ध कराया गया	सृजित मानव दिवस (लाख में)	औसत सृजित मानव दिवस प्रति परिवार (5/2)	100 दिन का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवार लाख में (प्रतिशत) (7/2*100)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2007-08	72,38,784	अनुपलब्ध	43,46,916	2753.01	38	9.12(12.60)
2008-09	1,12,29,546	3703.00	52,04,924	2946.97	26	9.79(8.72)
2009-10	1,12,92,252	4720.90	47,22,409	2623.12	23	7.32(6.48)
2010-11	1,16,87,129	3499.47	40,46,933	1782.54	15	3.74(3.20)
2011-12	1,18,60,150	2900.00	37,75,915	1613.88	14	2.74(2.31)

(स्रोत: राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी)

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि योजना मांग आधारित है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से कार्य की मांग करते हैं, उन्हें कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा अकुशल शारीरिक श्रम का कार्य उपलब्ध कराया जाता है।

तथ्यात्मक स्थिति यह है कि अवधि 2007-12 के मध्य 100 दिन का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या तथा प्रति परिवार औसत मानव दिवस घटते क्रम में रहे।

2.2.11.2 मजदूरी का विलंब से भुगतान

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 7.1.5 के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जाना चाहिए तथा किसी दशा में कार्य करने के दिन से एक पखवाड़े में भुगतान आवश्यक है।

मजदूरी के भुगतान में 30 दिवस से 360 दिवस तक का विलम्ब होना पाया गया

हमने 11 जिलों के 21 डिवीजनों में लाइन विभागों के 2027 मस्टर रोलों की समीक्षा में पाया कि 66,636 श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान 30 दिन से 360 दिन विलंब से किया गया। विवरण **परिशिष्ट-2.22** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि विलंब से मजदूरी भुगतान की समस्या किसी जिले और राज्य तक ही सीमित नहीं है।

उत्तर विलम्ब से किए गए मजदूरी भुगतान की पुष्टि करता है।

श्रमिकों को मजदूरी पर्ची जारी नहीं की गई जिसके फलस्वरूप उनको किये गये भुगतान की विश्वसनीयता सत्यापित नहीं की जा सकी

2.2.11.3 मजदूरों को मजदूरी पर्ची जारी न करना

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 7.2(xi) के अनुसार {अनुलग्नक बी-3 (i)} में दिए गए निर्धारित प्रारूप में मजदूरों को सूचना हेतु मजदूरी पर्ची जारी की जानी चाहिए। मजदूरी राशि का वितरण मजदूरी पर्ची तथा श्रमिकों की आहरण पर्ची प्रस्तुत करने पर अथवा श्रमिक के अधिकृत प्रतिनिधि को ही किया जावेगा।

हमने पाया कि 12 जिलों के 25 ब्लॉक की 247 ग्राम पंचायतों में मजदूरों को मजदूरी पर्ची जारी नहीं की गई (**परिशिष्ट-2.23**)। इस प्रकार श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य के लिए मजदूरी भुगतान की विश्वसनीयता सत्यापित नहीं की जा सकी।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने उत्तर दिया कि प्रत्येक हितग्राही के व्यक्तिगत बैंक खाते में 100 प्रतिशत भुगतान किया जाता है, अतः मजदूरी पर्ची पूर्णतः निरर्थक हो गई है।

उत्तर योजना के दिशा निर्देशों जिसमें मजदूरी पर्ची जारी करने के निर्देश हैं के अनुरूप नहीं था।

2.2.11.4 मेट का लगाया जाना

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 6.5.4 के अनुसार कार्यस्थल पर श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने तथा कार्य के पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक कार्य पर एक मेट लगाया जाना चाहिए। मेट को पारिश्रमिक का भुगतान एम जी एन आर ई जी ए कार्य लागत में सामग्री घटक के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए।

प्रत्येक कार्य पर मेट नहीं लगाये गये तथा मेटस का भुगतान श्रम घटक में दर्ज किया गया

हमने 12 जिलों के 23 ब्लॉक की 227 ग्राम पंचायतों की नमूना जांच में पाया कि प्रत्येक कार्य पर मेट नहीं लगाए गए (**परिशिष्ट-2.24**)। जहाँ कहीं भी क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा मेट की सेवाएं ली गईं, मेट को पारिश्रमिक का भुगतान अकुशल श्रमिक के समान किया गया तथा भुगतान की राशि कार्य के सामग्री घटक के स्थान पर श्रम घटक में दर्ज की गई। इस प्रकार प्रत्येक कार्य पर मेट न लगाये जाने से न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने के लिए समूह बनाने, कार्य की माप लेने, श्रमिकों की भौतिक उपस्थिति दर्ज करने तथा कार्य की पूर्ण निगरानी एवं पर्यवेक्षण किया जाना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि कार्यस्थल पर मेट का श्रमिकों से अनुपात कम से कम 1:50 होना चाहिए। इस प्रकार यह आवश्यक नहीं था कि प्रत्येक

कार्य पर मेट लगाया जाए तथा आगे कहा कि मेट की मजदूरी अर्द्धकुशल मजदूर की मजदूरी के समान होनी चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में अकुशल श्रमिक की मजदूरी से कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए राज्य में निर्णय लिया गया कि मेट को उन कार्यों पर लगाया जाये, जहां 50 से अधिक मजदूर कार्य पर लगाए गए हों। इस प्रकार यह आशा नहीं की जाती कि प्रत्येक कार्य पर मेट लगाया जाए। राज्य द्वारा आगे यह भी निर्णय लिया गया कि मेट को अकुशल श्रमिक का कार्य दिया जाए जिसमें गुप बनाना एवं कार्य स्थल सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इस प्रकार यह आशा नहीं की जा सकती कि मेट अर्द्धकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करें। इसलिए उसे अकुशल श्रमिक की मजदूरी का भुगतान कर लेखांकन किया गया।

उत्तर योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं था, जिसमें प्रत्येक कार्य पर मेट लगाए जाने के निर्देश थे। आगे मेट की सेवायें निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं ली गईं तथा मेट को भुगतान की गई राशि कार्य के श्रम लागत में सम्मिलित की गई, जो अनियमित थी।

2.2.12 कार्यों का क्रियान्वयन

2.2.12.1 गैर अनुमत्य कार्यों का क्रियान्वयन

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 6.1 में स्पष्ट है कि एम जी एन आर ई जी एस का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत रोजगार गारन्टी उपलब्ध कराना है। अधिनियम की अनुसूची-I में दर्ज अनुमत्य कार्यों का ही क्रियान्वयन किया जाना चाहिये।

ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि ग्राम पंचायतों द्वारा निम्न प्रकार के गैर अनुमत्य कार्यों का क्रियान्वयन किया गया:

(i) सीमेंट कांक्रीट (सी सी) सड़क निर्माण

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 6.1.1(viii) के अनुसार एम जी एन आर ई जी एस अंतर्गत योजनांतर्गत सीमेंट कांक्रीट (सी सी) सड़क का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए।

सी सी रोड़ के गैर अनुमत्य कार्यों पर ₹ 66.37 लाख का अनियमित व्यय किया

चयनित कार्यों के भौतिक सत्यापन के दौरान हमने पाया कि सात जिलों¹⁶ में अवधि 2007-08 से 2011-12 के दौरान 38 सी सी सड़कों के निर्माण पर ₹ 66.37 लाख का व्यय किया गया। विवरण **परिशिष्ट-2.25** में दिया गया है। चूंकि एम जी एन आर ई जी एस के अंतर्गत सी सी सड़कों का निर्माण किया जाना अनुमत्य नहीं था, अतः उपरोक्त कार्यों पर किया गया व्यय ₹ 66.37 लाख अनियमित था।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने उत्तर दिया कि भारत सरकार के परिपत्र (जनवरी 2012) में सीमेंट कांक्रीट सड़कों का निर्माण किये जाने का प्रावधान है। इसलिए सी सी सड़कों के कार्य एम जी एन आर ई जी एस अंतर्गत अनुमत्य श्रेणी में है।

¹⁶ बालाघाट, इन्दौर, खरगौन, सतना, सीहोर, शहडोल तथा विदिशा

शासन का उत्तर योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था तथा भारत सरकार के आदेशानुसार सी सी सडक जनवरी 2012 से लिए जाने का निर्देश है जबकि इन सड़कों का निर्माण जनवरी 2012 के पहले किया गया।

(ii) तालाबों का घाट निर्माण

एम जी एन आर ई जी ए वर्क्स फील्ड मेन्युअल में निहित प्रावधानों के अनुसार घाटों¹⁷ का निर्माण कार्य योजनान्तर्गत अनुमत्य नहीं था।

तालाबों की घाट निर्माण के गैर अनुमत्य कार्यों पर ₹ 33.85 लाख का अनियमित व्यय किया गया

अभिलेखों की जांच एवं कार्यों के भौतिक सत्यापन में हमने पाया कि जिला शहडोल की नमूना जांच में ली गई ग्राम पंचायतों में घाट निर्माण के दस कार्य तालाबों के निर्माण के साथ लिए गए, जिन पर राशि ₹ 33.85 लाख का व्यय हुआ। चूंकि ये कार्य एम जी एन आर ई जी वर्क्स फील्ड मेन्युअल में सम्मिलित नहीं है, अतः इन कार्यों पर किया गया व्यय राशि ₹ 33.85 लाख अनियमित था (परिशिष्ट-2.25)।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने उत्तर दिया कि सामान्यतः नदियों पर घाट निर्माण ऐसे स्थानों पर किए जाते हैं जहां नदी के उस भाग पर बाढ़ के पानी की अधिक तीव्रता होती है। जो बांध/किनारों को काटते हैं। इसी तरह, तालाब बांध, जहां नहाने के उद्देश्य तथा सामान्य निस्तार के कारण जनता का सामान्य आना जाना अधिक होता है भूमि कटाव के लिए संवेदनशील होते हैं। इसलिए घाटों का निर्माण लोकहित की गतिविधि से कहीं अधिक बांधो/जल स्थलों की सुरक्षा देने के लिए किया जाता है।

तथ्यात्मक स्थिति यह है कि कार्य एम जी एन आर ई जी ए वर्क्स फील्ड मेन्युअल के अनुरूप नहीं थे।

¹⁷ तालाब की सीढ़ियाँ



घाट निर्माण
ग्राम पंचायत-बिजुरी, ब्लॉक बुढार, जिला शहडोल, वर्ष 2009-10, व्यय राशि ₹ 3.54 लाख।

(iii) श्मशान घाट में चबूतरा तथा बाउण्डीवाल निर्माण

एम जी एन आर ई जी ए वर्क्स फील्ड मेन्युअल के अनुसार बाउण्डीवाल, चबूतरा तथा स्थल समतलीकरण के कार्य अनुमत्य नहीं थे।

श्मशान घाट की
बाउण्डीवाल व चबूतरा
निर्माण के गैर अनुमत्य
कार्यों पर ₹ 21.78
लाख का अनियमित व्यय
किया गया

अभिलेखों की जांच तथा कार्यों के भौतिक सत्यापन के दौरान हमने पाया कि चार जिलों की नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों में श्मशान घाट में चबूतरा, बाउण्डीवाल निर्माण एवं स्थल समतलीकरण के दस कार्य अवधि 2007-08 से 2011-12 के दौरान कराए गए, जिन पर राशि ₹ 21.78 लाख का व्यय हुआ (परिशिष्ट-2.25)।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा श्मशान स्थल के विकास हेतु उप-योजना के दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके अनुसार गांव में उपरोक्त कार्य अनुमत्य किए गए।

तथ्यात्मक स्थिति यह है कि मध्यप्रदेश शासन से जारी दिशा निर्देशों में स्थल समतलीकरण तथा बाउण्डीवाल निर्माण के कार्य एम जी एन आर ई जी ए वर्क्स फील्ड मेन्युअल के प्रावधानों के विपरीत थे।



श्मशान घाट समतलीकरण
ग्राम पंचायत-उमरीखेड़ा, इन्दौर, वर्ष 2011-12, व्यय ₹ 29,000

(iv) जैट्रोफा वृक्षारोपण

एम जी एन आर ई जी ए वर्क्स फील्ड मेन्युअल के अनुसार जैट्रोफा वृक्ष न हो कर झाड़ी है, इसलिए वृक्षारोपण के लिए वन वृक्षों को लिया जाना चाहिए जो कि कठोर एवं उपयोगी होते हैं, न कि जैट्रोफा।

जैट्रोफा पौधरोपण
के गैर अनुमत्य
कार्यों पर
₹ 9.40 लाख का
अनियमित व्यय
किया गया

अभिलेखों की जांच एवं कार्यों के भौतिक सत्यापन में हमने पाया कि दो जिलों की नमूना जांच में ली गई ग्राम पंचायतों में जैट्रोफा वृक्षारोपण के 11 कार्य कराए गए, जिन पर ₹ 9.40 लाख का व्यय हुआ। इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया व्यय ₹ 9.40 लाख अनियमित था **(परिशिष्ट-2.25)**।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने उत्तर दिया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार की बायो डीजल क्रय नीति, दिनांक 9 अक्टूबर, 2005 को प्रकाशित के अनुसार जैट्रोफा वृक्षारोपण का कार्य बड़े पैमाने पर लिया जाना था तथा यह कहा गया कि जैट्रोफा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था तथा ग्रामीण आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। तदनुसार राज्य द्वारा जैट्रोफा वृक्षारोपण बहुत सीमित मान में किए जाने की अनुमति प्रदान की गई।

तथ्यात्मक स्थिति यह थी कि एम जी एन आर ई जी ए वर्क्स फील्ड मेन्युअल के अनुसार जैट्रोफा वृक्षारोपण गैर अनुमत्य कार्य था।



जैट्रोफा वृक्षारोपण

ग्राम पंचायत- बंका, ब्लॉक- मझगंवा, जिला सतना, वर्ष 2007-08, व्यय ₹ 28,000

2.2.12.2 क्रियान्वित दर्शाये गये कार्यों का अस्तित्व में न पाया जाना

(i) जिला इन्दौर, ब्लॉक देपालपुर की ग्राम पंचायत बिरगोदा के कार्यों के विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान हमने पाया कि वर्ष 2008-09 में उप-योजना निर्मल वाटिका के अंतर्गत 19 यूनिट लीचिंग पिट निर्माण कराए गए, जिस पर राशि ₹ 25,861 का व्यय किया गया तथा कार्य की कार्य पूर्णता रिपोर्ट दिनांक 23.8.2010 को जारी की गई। हमने पांच कार्य स्थलों पर लीचिंग पिट निर्माण का कार्य अस्तित्व में होना नहीं पाया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि प्रकरणों की जांच की जा रही है तथा उपयुक्त सुधारात्मक उपाय किये जायेंगे।

निर्माण कार्यों के भौतिक सत्यापन में वृक्षारोपण के तीन कार्य अस्तित्व में नहीं पाये गये

(ii) जिला शाजापुर, ब्लॉक शाजापुर की ग्राम पंचायत बिरगोद के कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान हमने पाया कि वर्ष 2009-10 में सामुदायिक फलोद्यान¹⁸ के तीन कार्य कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं (ई ई, आर ई एस) शाजापुर से करवाए गए थे तथा इन कार्यों पर ₹ 7.27 लाख व्यय किया गया। तथापि हमने कार्य स्थल पर वृक्षारोपण का कार्य नहीं पाया। ई ई, आर ई एस ने कहा कि ये कार्य अस्तित्व में नहीं थे।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने उत्तर दिया कि प्रकरणों में तथ्यात्मकता पाई गई है तथा विभाग द्वारा उपयुक्त विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

जल संसाधन विभाग, सतना के सात इंजीनियरों से वसूली योग्य ₹ 1.05 करोड़ विविध लोक निर्माण अग्रिम अंतर्गत दर्ज की गई

(iii) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग (ई ई, डब्ल्यू आर डी) सतना के अभिलेखों की जांच में हमने देखा कि वर्ष 2008-09 में स्टाप डैम एवं तालाब निर्माण के 18 कार्य, लागत ₹ 3.62 करोड़ के स्वीकृत हुए। कार्य क्रियान्वयन पर राशि ₹ 3 करोड़ का व्यय किया गया। ई ई, डब्ल्यू आर डी, सतना द्वारा कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन करने पर पाया (अगस्त 2010) कि इन कार्यस्थलों पर मात्र

¹⁸ कम्युनिटी गार्डन

राशि ₹ 1.95 करोड़ का कार्य ही किया गया। अंतर की राशि ₹ 1.05 करोड़ को इन कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराये गये सात इन्जीनियरों से वसूली योग्य "विविध लोक निर्माण अग्रिम" माना गया।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने उत्तर दिया कि डब्ल्यू आर डी स्तर से आवश्यक वसूली कार्यवाही की जायेगी तथा संबंधित विभाग से कार्यवाही तेज करने का अनुरोध किया जायेगा।

2.2.12.3 श्रम तथा सामग्री का अनुपात 60:40 न रखा जाना

नमूना जांच किये गये जिलों में श्रम सामग्री के निर्धारित अनुपात 60:40 का पालन नहीं किया गया

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 6.2 के अनुसार मजदूरी लागत और सामग्री लागत का अनुपात न्यूनतम मानक 60:40 से कम नहीं होना चाहिए जैसा कि अधिनियम में उल्लेखित है।

चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि जिला स्तर पर योजना दिशा निर्देशों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार मजदूरी का सामग्री से अनुपात 60:40 नहीं रखा गया। नमूना जांच में लिए गए 13 जिलों में से वर्ष 2009-10 में दस जिलों में (40.82 प्रतिशत से 70.33 प्रतिशत), वर्ष 2008-09 में सात जिलों में (41.70 प्रतिशत से 74.71 प्रतिशत) एवं वर्ष 2010-11 में (40.70 प्रतिशत से 64.59 प्रतिशत) और तीन जिलों में वर्ष 2007-08 में (44.38 प्रतिशत से 74.86 प्रतिशत) तथा 2011-12 में चार जिलों में (40.73 प्रतिशत से 47.33 प्रतिशत) सामग्री की अधिकता वाले कार्यों का क्रियान्वयन करते हुये सामग्री मद व्यय को 40 प्रतिशत तक सीमित नहीं रखा गया। विवरण परिशिष्ट-2.26 में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने उत्तर दिया कि योजना के निर्देशों के अनुरूप इस अनुपात को बनाये रखने के लिए प्रयत्नों को जारी रखा जायेगा।

2.2.12.4 लाईन विभाग को ओवरहेड व्यय का भुगतान

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 6.3.3 के अनुसार लाईन विभागों का कार्य योजनांतर्गत कराए जा रहे कार्यों की लागत का अनुमान निकालना, माप एवं पर्यवेक्षण के रूप में तकनीकी सहायता देना है। इसके लिए लाईन विभागों को ओवरहेड व्यय हेतु राशि नहीं दी जावेगी।

पी एम यू के व्यय हेतु ई ई, आर ई एस को एम जी एन आर ई जी एस के प्रशासनिक मद से राशि ₹ 1.68 करोड़ प्रदाय किया गया। क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा वर्ष 2010-12 की अवधि में इस मद में राशि ₹ 72.56 लाख का व्यय किया गया

मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एम जी एन आर ई जी योजना का मुख्य मंत्री सड़क योजना (एम एम एस वाई) तथा बैकवर्ड रीजन ग्रांट फण्ड (बी आर जी एफ) से अभिसरण करने की कार्य योजना समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयकों को जारी की गई (मार्च 2010)। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं (ई ई, आर ई एस) को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया। इसके लिए प्रत्येक जिले में ई ई, आर ई एस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी एम यू) के रूप में कार्य करेंगे। डी पी आर बनाने, गुणवत्ता नियंत्रण, पर्यवेक्षण, कार्यों की निगरानी के लिए एक फील्ड कन्सल्टेंट की नियुक्ति करना थी एवं इन कार्यों के व्यय का भुगतान एम जी एन आर ई जी एस के प्रशासकीय मद से किया जाना था।

नमूना जांच किए गये पाँच जिलों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ई ई, आर ई एस को पी एम यू के व्यय के लिए एम जी एन आर ई जी एस के प्रशासकीय मद से राशि ₹ 1.68 करोड़ जारी की गई। विवरण **परिशिष्ट-2.27** में दिया गया है। क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा अवधि 2010-12 के दौरान प्रशासकीय मद में राशि ₹ 72.56 लाख का व्यय किया गया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि एम जी एन आर ई जी एस अंतर्गत पी एम यू का गठन प्रभावी सर्वे एवं जॉब कार्ड धारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए समर्पित यूनिट के रूप में किया गया। समर्पित परामर्शदाताओं से उक्त कार्यों हेतु सेवाएं ली गईं। किसी भी प्रकरण में लाईन विभागों के ओवर हैड जैसे कि वेतन और भत्ते या आर ई एस के स्टाफ का ओवरहैड भार एम जी एन आर ई जी एस पर नहीं डाला गया।

उत्तर योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं था क्योंकि पी एम यू कार्यक्रम अधिकारियों का सहायक स्टाफ न होकर आर ई एस के प्रशासकीय नियंत्रण में थे। इसलिये कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु एम जी एन आर ई जी एस के प्रशासकीय मद से ओवर हैड व्यय नहीं करना था।

2.2.13 कमजोर वर्गों को रोजगार की उपलब्धता

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 1.2(अ) के अनुसार समाज के कमजोर वर्गों के लिए जब रोजगार के अन्य अवसर क्षीण अथवा अपर्याप्त हों, उनको वैकल्पिक स्रोत के रूप में रोजगार उपलब्ध कराते हुए सशक्त सामाजिक सुरक्षा नेट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना था। योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 5.5.9 के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराते समय महिलाओं को इस तरह से प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी कि हितग्राहियों में कम से कम एक तिहाई महिलाएँ होनी चाहिए जो पंजीकृत थी एवं जिन्होंने कार्य हेतु आवेदन दिए।

अनुसूचित जाति/जनजाति (एस सी/एस टी) तथा महिला हितग्राहियों को उपलब्ध कराये गए रोजगार का विवरण **तालिका 4** में दिया जा रहा है।

तालिका-4: अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिला हितग्राहियों को दिये गये रोजगार का विवरण पत्रक
(लाख में)

वर्ष	कुल सृजित मानव दिवस	एस सी मानव दिवस(प्रतिशत)	एस टी मानव दिवस (प्रतिशत)	महिला मानव दिवस(प्रतिशत)
2007-08	2753.01	491.96 (18)	1342.46 (49)	1147.34(42)
2008-09	2946.97	525.07 (18)	1379.85 (47)	1275.39(43)
2009-10	2623.12	484.35 (18)	1188.25 (45)	1171.38(45)
2010-11	1782.54	380.88 (21)	519.39 (29)	744.17(42)
2011-12	1613.88	341.02 (21)	442.40 (27)	687.27(42)

(स्रोत:- राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा प्रस्तुत आकंड़े)

वर्ष 2007-12 की अवधि में अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को दिया गया रोजगार कुल सृजित मानव दिवस का 18 प्रतिशत से बढ़कर 21 प्रतिशत हो गया जबकि अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को दिया गया रोजगार 49 प्रतिशत से घटकर 27 प्रतिशत हो गया

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि अवधि 2007-12 के दौरान एस सी हितग्राहियों को उपलब्ध कराए गए रोजगार का प्रतिशत कुल सृजित मानव दिवस का 18 प्रतिशत से बढ़कर 21 प्रतिशत हो गया, जब कि एस टी हितग्राहियों को प्रदाय किए गए रोजगार का प्रतिशत 49 प्रतिशत से घट कर 27 प्रतिशत रह गया। यद्यपि महिला हितग्राहियों को उक्त अवधि में प्रदाय किए गए रोजगार का प्रतिशत दिशा निर्देशों में उल्लिखित कुल हितग्राहियों की एक तिहाई से अधिक था, परन्तु यह समान अवधि के दौरान 42 प्रतिशत से 45 प्रतिशत पर स्थिर रहा। अतः एस टी हितग्राहियों को उपलब्ध कराए गए मानव दिवसों में कमी को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाया जाना आवश्यक है।

2.2.14 अभिसरण

2.2.14.1 एम जी एन आर ई जी एस की राशि का अनियमित अभिसरण

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 14.1 के अनुसार स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण करने के लिये एन आर ई जी ए निधियों को अन्य निधियों के साथ मिलाया जा सकता है। तथापि यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि अन्य क्षेत्रों या योजनाओं के संसाधनों का प्रतिस्थापन एन आर ई जी एस निधियों से न किया जाये। एम जी एन आर ई जी एस अनुदानों का उद्देश्य अतिरिक्त रोजगार पैदा करना है। अन्य कार्यक्रमों की निधियों को एम जी एन आर ई जी एस योजना के तहत स्वीकार्य कार्यों पर व्यय किया जा सकता है लेकिन एम जी एन आर ई जी एस योजना की निधि को किसी और योजना पर व्यय नहीं किया जा सकता। अभिसरण की सभी पहल एम जी एन आर ई जी एस के मानकों के दायरे में होंगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि ठेकेदार पूर्णतः प्रतिबंधित रहे।

मनरेगा निधि का एम एम एस वाई तथा बी आर जी एफ निधियों के साथ बारहमासी सड़कों के निर्माण हेतु अनियमित अभिसरण किया गया।

राज्य शासन ने एम जी एन आर ई जी एस की राशि का मुख्यमंत्री सड़क योजना (एम एम एस वाय) तथा बी आर जी एफ योजना की राशि के अभिसरण से बारहमासी सड़क¹⁹ के निर्माण हेतु एक कार्य योजना (मार्च 2010) बनायी जिसमें प्रारंभिक कच्चा तथा ग्रेवल कार्य एम जी एन आर ई जी एस निधि से एम जी एन आर ई जी एस के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाना था। कच्चा कार्य होने के पश्चात सड़क निर्माण का कार्य एम एम एस वाय/बी आर जी एफ निधि से ठेकेदारों तथा भारी मशीनों के माध्यम से किया जाना था।

चयनित आठ जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि योजनान्तर्गत अवधि 2010-12 के मध्य राशि ₹ 252.92 करोड़ की लागत के 570 सड़क निर्माण कार्य एम एम एस वाय योजना के अभिसरण से स्वीकृत किये गये। क्रियान्वयन एजेन्सी (आर ई एस) द्वारा उक्त कार्यों पर एम जी एन आर ई जी एस निधि से राशि ₹ 36.45 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट-2.28 में दिया गया है।

उक्त कार्यों के क्रियान्वयन में हमने निम्न कमियाँ पाई -

¹⁹ ऑल वेदर रोड्स

- सामाजिक अंकेक्षण हेतु मस्टर रोल को ग्राम पंचायतों को अग्रेषित नहीं किया गया।
- उक्त कार्यों पर सृजित रोजगार का विवरण संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा नहीं संधारित किया गया।
- बी आर जी एफ तथा एम एम एस वाय निधि से कराये गये कार्यों पर ठेकेदारों तथा भारी मशीनों के उपयोग के कारण अतिरिक्त रोजगार का सृजन नहीं हुआ।
- श्रम तथा सामग्री का 60:40 का अनुपात मात्र एम जी एन आर ई जी निधि पर संधारित किया गया, सम्पूर्ण कार्य की राशि पर नहीं।
- यद्यपि 59 सड़कों का कार्य पूर्ण हो गया था परन्तु उक्त किसी भी परिसम्पत्ति का हस्तान्तरण संबंधित ग्राम पंचायतों को नहीं किया गया।

इस प्रकार उक्त कार्यों पर किया गया व्यय अनियमित था।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर में कहा कि राज्य शासन ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से एक उप-योजना तैयार की है जो अकुशल शारीरिक श्रम पर व्यय एम जी एन आर ई जी एस निधि से तथा मशीनरी एवं अधिक मात्रा में सामग्री पर व्यय राज्य के स्रोतों या बी आर जी एफ निधि से करने की अनुमति प्रदान करती है।

शासन ने अपने उत्तर में आगे कहा कि -

- मस्टर रोल तथा रोजगार सृजन की जानकारी की एम आई एस में प्रविष्टि क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा की जा रही है अतएव ग्राम पंचायतों को प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं है।
- यह सत्य है कि 60:40 का अनुपात एम जी एन आर ई जी एस निधि पर ही संधारित किया गया, परन्तु सम्पूर्ण कार्य पर उक्त अनुपात का संधारण अनिवार्य नहीं था।
- पूर्ण सड़कों का हस्तांतरण यथा समय किया जायेगा।

शासन का उत्तर योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं था क्योंकि (i) एम जी एन आर ई जी एस तथा एम एम एस वाय/बी आर जी एफ योजना के अभिसरण से प्राप्त राशि का उपयोग एम जी एन आर ई जी एस योजना के मानकों के दायरे में नहीं किया गया क्योंकि श्रम तथा सामग्री का 60:40 अनुपात मात्र एम जी एन आर ई जी एस निधि पर संधारित किया गया, (ii) उक्त कार्यों पर ठेकेदारों तथा भारी मशीनों का उपयोग किया गया और (iii) अतिरिक्त रोजगार का सृजन नहीं हुआ क्योंकि अन्य योजनाओं की निधियों का उपयोग रोजगार सृजन हेतु नहीं हुआ।

इस प्रकार एम जी एन आर ई जी एस निधि का अन्य योजनाओं की निधियों से अभिसरण के फलस्वरूप अतिरिक्त रोजगार सृजन करने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई।



ग्राम पंचायत गोगाखेड़ी, जिला इन्दौर में एम एम एस वाय, स्वीकृत राशि ₹ 42.22 लाख, वर्ष 2010-11, एम जी एन आर ई जी एस निधि से व्यय ₹ 24.49 लाख

2.2.15 अभिलेखों का संधारण

2.2.15.1 आवश्यक अभिलेखों का संधारण न किया जाना

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 9.1.1 के अनुसार अभिलेखों का भली-भांति संधारण एम जी एन आर ई जी एस के सफल क्रियान्वयन के प्रमुख घटकों में से एक है। विवेचनात्मक आगतों, पद्धति, उत्पादन तथा परिणामों की जानकारी को निर्धारित पंजियों में डी पी सी, पी ओ, ग्राम पंचायतों तथा अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा अति सावधानी पूर्वक अंकित किया जाना है। कम्प्यूटर आधारित एम आई एस में भी यही जानकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सम्मिलित की जायेगी। विभिन्न स्तर पर जानकारी एकत्रीकरण के सुगमीकरण हेतु आवश्यक अभिलेखों का संधारण किया जाना है।

चयनित जिलों की ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि पंजीयन तथा रोजगार सृजन, कार्यों के क्रियान्वयन, परिसम्पत्तियों के निर्माण, कार्यों की निगरानी तथा पर्यवेक्षण से संबंधित आवश्यक अभिलेख या तो संधारित नहीं थे, या अपूर्ण थे जिसका विवरण **परिशिष्ट-2.20** तथा **परिशिष्ट 2.21** में दिया गया है।

हमने नमूना जांच किये गये सात जिलों²⁰ में आगे पाया कि योजना के दिशा निर्देश के पैरा 9.2.2 में निहित प्रावधानानुसार ग्राम पंचायतों से रोजगार सृजन का पाक्षिक प्रतिवेदन ब्लॉक स्तर पर संकलन हेतु प्राप्त नहीं हुये।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर में कहा कि अभिलेखों के संधारण हेतु दिशा निर्देश पहले ही जारी किये जा चुके हैं। एम आई एस उपलब्ध है तथा उसमें सभी आवश्यक अभिलेख सम्मिलित किये जाते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के अभिलेखों का उचित संधारण हमेशा एक चुनौती रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर मानव शक्ति, कार्यालय का आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, सुविधाओं की अत्यंत अल्प क्षमता कुछ प्रमुख कारण हैं।

तथ्यात्मक स्थिति यह है कि ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार सृजन तथा परिसम्पत्ति निर्माण के विश्वसनीय आंकड़ों हेतु आवश्यक अभिलेखों का संधारण आवश्यक है।

2.2.15.2 एम आई एस आँकड़ों का वास्तविक आँकड़ों से मिलान न करना

चयनित जिलों के डी पी सी तथा पी ओ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि योजना के भौतिक तथा वित्तीय प्रगति के एम आई एस आंकड़ों का मिलान मूल अभिलेखों के आंकड़ों से नहीं किया गया।

एम आई एस आंकड़ों का एम पी आर के आंकड़ों से मिलान नहीं किया गया।

इस संबंध में एस ई जी सी ने सभी डी पी सी को एम आई एस में सुधार करने हेतु निर्देश (सितम्बर 2011) जारी किये थे क्योंकि वर्ष 2010-11 में एम आई एस तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन के आंकड़ों में प्रदेश के सभी जिलों के मानव दिवस सृजन के आँकड़ों में 55 प्रतिशत से 112 प्रतिशत तक भिन्नता थी तथा व्यय के आँकड़ों में 82 प्रतिशत से 122 प्रतिशत तक भिन्नता थी।

आगे देखा कि जिला शहडोल में वर्ष 2011-12 में ₹ 2.65 करोड़ के व्यय के आंकड़े एम आई एस से बाहर रहे क्योंकि एम आई एस में आंकड़ों की प्रविष्टि का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था (जून 2012)।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर में कहा कि भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2011-12 की डाटा प्रविष्टि का कार्य जुलाई 2012 तक करने की अनुमति दे दी है तथा एम आई एस में सही आंकड़ों की स्थिति जुलाई 2012 के पश्चात ही प्रकट हो सकेगी।

शासन ने वर्ष 2011-12 के पूर्व एम आई एस आंकड़ों तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन के आंकड़ों में भिन्नता पर कोई टिप्पणी नहीं की।

2.2.15.3 अभिलेख प्रस्तुत न करना

- जिला इन्दौर के ब्लॉक देपालपुर की ग्राम पंचायत अरोदाकोट की एम जी एन आर ई जी एस की रोकड़ बही, व्हाउचर्स, मस्टर रोल, बैंक खाते का विवरण तथा लेखों से संबंधित अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

²⁰ अशोकनगर, इन्दौर, नीमच, सतना, सिहोर, शहडोल तथा शाजापुर

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर ग्राम पंचायत के सचिव ने उत्तर में कहा कि अभिलेख खो गये हैं तथा दिनांक 05.05.2012 को प्राथमिकी²¹ दर्ज करायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा अवधि में किये गये व्यय का सत्यापन नहीं किया जा सका।

- जिला शहडोल के ब्लॉक सोहागपुर की तीन ग्राम पंचायतों²² ने 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान किये गये कार्यों की माप पुस्तिकाएं लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं की।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर उक्त ग्राम पंचायतों के सचिवों ने उत्तर दिया कि माप पुस्तिकाएं कार्यालय में न होकर उप यंत्री के पास है जो निलम्बित है। लेखा परीक्षा हेतु माप पुस्तिकाएं उपलब्ध न कराने के कारण उपरोक्त ग्राम पंचायतों द्वारा एम जी एन आर ई जी एस के कार्यों पर किये गये व्यय का सत्यापन नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर में कहा कि संबंधित उप यंत्री को सेवा से पृथक कर दिया गया है तथा उसके विरुद्ध अनुपस्थिति तथा अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु कानूनी कार्यवाही भी की गई है।

- जिला शहडोल के ब्लॉक सोहागपुर की ग्राम पंचायत बोड़री की निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान उक्त ग्राम पंचायत का सचिव कार्यालय से अनुपस्थित रहा।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर में कहा कि ग्राम पंचायत बोड़री के सचिव के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 69(1) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

- जिला बालाघाट के ब्लॉक खैरलॉजी की ग्राम पंचायत घोटी तथा जिला सतना के ब्लॉक रामनगर की ग्राम पंचायत भरतपुर के अभिलेखों की जांच उक्त ग्राम पंचायतों के सचिवों के जेल में होने के कारण नहीं की जा सकी तथा कार्यक्रम अधिकारी/डी पी सी द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकी।

2.2.16 पारदर्शिता

2.2.16.1 शिकायत निवारण व्यवस्था

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 11.7 के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी ब्लॉक स्तर पर तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी होंगे। प्रत्येक स्तर पर शिकायतों से निपटने के लिये अपील की व्यवस्था की जायेगी।

²¹ प्रथम सूचना प्रतिवेदन

²² पदमनियां खुर्द, जमुई तथा लालपुर

योजना के दिशा- निर्देशों के पैरा 9.1.1(ix) के अनुसार पी ओ/डी पी सी/ग्राम पंचायत/अन्य क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा शिकायत पंजी संधारित की जायेगी ।

शिकायत पंजी 215 ग्राम पंचायतों में संधारित नहीं थे तथा राज्य एवं जिला स्तर पर बड़ी संख्या में शिकायतें निवारण हेतु लंबित थी ।

हमने पाया कि नमूना जांच की गयी 287 ग्राम पंचायतों में से 215 ग्राम पंचायतों में शिकायत पंजी संधारित नहीं थी तथा 40 ग्राम पंचायतों में शिकायत पंजी अपूर्ण थी(परिशिष्ट-2.20 तथा 2.21)।

आगे पाया गया कि राज्य स्तर पर अवधि 2007-08 से 2011-12 के दौरान प्राप्त हुई 2352 में से मात्र 1799 शिकायतों(76 प्रतिशत) का निराकरण किया गया (परिशिष्ट-2.29)।

जिला स्तर पर चयनित 13 जिलों में उक्त अवधि में प्राप्त हुई 4185 शिकायतों में से मात्र 3629 (87 प्रतिशत) शिकायतों का निराकरण किया गया (परिशिष्ट-2.29)।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर में कहा कि शिकायतों के प्रभावी तथा समय पर निराकरण के लिए एम जी एन आर ई जी अधिनियम के अनुसार मध्यप्रदेश महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी योजना(शिकायत निवारण)नियम, 2012 का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासकीय स्वीकृति के उपरांत सशक्त समिति से अनुमोदन हो गया है। नियमों को अधिसूचित किया जाना प्रक्रियाधीन है। प्रशासन के सभी स्तरों पर शिकायत संबंधी अभिलेख संधारित करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

2.2.16.2 कार्यों के पर्यवेक्षण में कमी

कार्यों के पर्यवेक्षण के अभिलेख ग्राम पंचायतों में संधारित नहीं थे ।

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 10.3.1 के अनुसार कार्यों के अंतरिम सत्यापन हेतु मैदानी स्तर पर कार्यालयीन अमले हेतु प्रत्येक तिमाही में लक्ष्य निर्धारित किये गये थे जिसके अनुसार ब्लॉक स्तर पर 100 प्रतिशत, जिला स्तर पर 10 प्रतिशत तथा राज्य स्तर पर दो प्रतिशत कार्यों का सत्यापन किया जाना था।

हमने पाया कि कार्यों के विभिन्न स्तरों द्वारा किये गये निरीक्षण के अभिलेख ग्राम पंचायतों पर संधारित नहीं थे ।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर में कहा कि राज्य स्तर पर कार्यों के निरीक्षण हेतु सुपरिभाषित व्यवस्था है। आंतरिक पर्यवेक्षण के अलावा स्वतंत्र निगरानी भी की जाती है।

तथ्यात्मक स्थिति यह है कि कार्यों के निरीक्षण के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

2.2.16.3 सामाजिक अंकेक्षण

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 12.1.1 के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण का मूल उद्देश्य परियोजना के क्रियान्वयन, कानून तथा नीतियों में लोक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है और यह लोक सर्तकता की सतत प्रक्रिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना (जून 2011) के अनुसार ग्राम पंचायतों/क्रियान्वयन एजेन्सीज

द्वारा ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण हेतु व्हाउचर्स, रोकड़ वही, बैंक एकाउंट विवरण और मस्टर रोल आदि उपलब्ध कराना आवश्यक है।

सामाजिक अंकेक्षण हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा दलों ने छः जिलों की 12 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही में भाग लिया जिसका विवरण परिशिष्ट-2.30 में दिया गया है तथा पाया कि पंचायत सचिवों ने सामाजिक अंकेक्षण के नाम पर आठ से दस लोगों की एक सभा बुलायी तथा ग्राम सभा का आयोजन किया गया। सचिव द्वारा कार्यों का विवरण पढ़कर सुनाया गया तथा कार्यवाही विवरण को एक कागज पर लिखा जिस पर सरपंच, सचिव, तथा कुछ अन्य उपस्थित लोगों ने हस्ताक्षर किये। सामाजिक अंकेक्षण हेतु निर्धारित प्रक्रिया यथा लेखों की छायाप्रतियों का वितरण, ग्राम सभा के आयोजन हेतु 15 दिनों का अग्रिम नोटिस, जिले तथा विकास खण्ड के अधिकारियों की सहभागिता इत्यादि का पालन नहीं किया गया।

चयनित 287 ग्राम पंचायतों के 2744 हितग्राहियों के सर्वेक्षण में हमने पाया कि मात्र 18 प्रतिशत हितग्राहियों को ही सामाजिक अंकेक्षण के बारे में जानकारी थी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर में कहा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु गंभीर तथा ईमानदार प्रयास किये गये हैं। राज्य द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की गयी है।

2.2.17 प्रभाव ऑकलन

योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 10.4 के अनुसार एम जी एन आर ई जी एस के परिणामों के ऑकलन हेतु योजना के विशिष्ट कार्यों का नियमित मूल्यांकन एवं संदर्श सर्वेक्षण करना चाहिये। मूल्यांकन अध्ययन के परिणामों को एस ई जी सी, जिला पंचायतों तथा अन्य एजेंसीज को सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए पहल करने हेतु प्रयोग किया जाना चाहिये।

योजना के प्रभाव ऑकलन का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया

हमने पाया कि राज्य स्तर पर तीन-तीन जिलों हेतु भारतीय प्रबंधन संस्थान, इन्दौर²³ तथा भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान²⁴, भोपाल को एम जी एन आर ई जी एस के प्रभाव ऑकलन का कार्य दिया गया (जनवरी 2010), जिसके लिये उन्हें राशि ₹ 48.60 लाख का भुगतान किया गया। प्रभाव ऑकलन का प्रतिवेदन सात माह (अगस्त 2010) के अंदर प्रस्तुत करना था परन्तु प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया (जुलाई 2012)।

हमने आगे पाया कि महिला चेतना मंच²⁵, भोपाल को राशि ₹ 24.15 लाख की लागत से छः जिलों में प्रभाव ऑकलन का कार्य मार्च 2011 में दिया गया था। यद्यपि प्रतिवेदन नौ माह (दिसम्बर 2011) के अंदर प्रस्तुत करना था परन्तु प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया (जुलाई 2012)।

²³ स्वीकृत राशि ₹ 48 लाख के विरुद्ध ₹ 28.80 लाख का भुगतान किया गया।

²⁴ स्वीकृत राशि ₹ 44 लाख के विरुद्ध ₹ 19.80 लाख का भुगतान किया गया।

²⁵ स्वीकृत राशि ₹ 24.15 लाख के विरुद्ध ₹ 14.49 लाख का भुगतान किया गया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर में कहा कि अंतिम प्रारूप प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं तथा कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ है। अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार समयावृद्धि दी जायेगी।

शासन के उत्तर से पुष्टि होती है कि शासन ने एजेन्सियों द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही नहीं की तथा शासन द्वारा समयावृद्धि दिये जाने के संबंध में भी अभी तक निर्णय लेना शेष है।

2.2.18 निष्कर्ष

निष्पादन लेखा परीक्षा के दौरान हमने पाया कि योजना का नियोजन तथा निगरानी कमजोर थी क्योंकि एस ई जी सी तथा उसकी सशक्त समिति की निर्धारित संख्या में बैठकें नियत समय पर आयोजित नहीं की गईं। मुख्य कार्यकर्ता जैसे कि जी आर एस कार्यक्रम अधिकारी तथा मेट वांछित संख्या में पदस्थ नहीं किये गये।

नमूना जांच किये गये जिलों में जिला परिप्रेक्ष्य योजना या तो तैयार नहीं की गई या राज्य शासन को अनुमोदन के लिये नहीं भेजी गई। सभी स्तरों पर वार्षिक योजना तथा लेबर बजट का तैयार करना मात्र एक औपचारिक प्रक्रिया रही तथा निर्धारित तिथियों पर अनुमोदन होना सुनिश्चित नहीं किया गया। अव्ययित राशि कुल उपलब्ध राशि के 12 प्रतिशत से 34 प्रतिशत के बीच रही। रोजगार गारंटी निधि की स्थापना आवर्ती निधि के रूप में जिला, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं की गई। एस जी आर वाई तथा एन एफ एफ डब्ल्यू पी योजनाओं की राशियों का एम जी एन आर ई जी एस निधि में हस्तान्तरण विलम्ब से किया गया। आर्थिक रिसाव के खतरे को कम करने हेतु लेखाओं का मासिक बंदीकरण नहीं किया गया। नमूना जांच किये गये जिलों में मात्र 32 से 55 प्रतिशत आवेदकों को ही रोजगार दिया गया। सभी ग्रामीण परिवारों को बिना आवेदन प्राप्त किये ही योजनान्तर्गत पंजीकृत कर जॉब कार्ड जारी किये गये। आवेदकों को रोजगार आवेदन की दिनांकित पावती नहीं दी गई। ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई क्योंकि राज्य में पंजीकृत कुल परिवारों में से मात्र 2.31 प्रतिशत से 12.60 प्रतिशत परिवार ही 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार पूर्ण कर सके। योजनान्तर्गत गैर अनुमत्य कार्यों का निष्पादन किया गया। कुछ कार्य जिनको क्रियान्वित करना बताया गया, अस्तित्व में नहीं पाये गये जबकि इन कार्यों के कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके थे। अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को दिया गया रोजगार वर्ष 2007-12 की अवधि में 49 प्रतिशत से घटकर 27 प्रतिशत हो गया। एम जी एन आर ई जी एस का अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के फलस्वरूप अतिरिक्त रोजगार सृजन होना सुनिश्चित नहीं किया गया तथा अभिसरण से प्राप्त राशि को एम जी एन आर ई जी एस के मानकों के अनुरूप व्यय नहीं किया गया। आवश्यक अभिलेख यथा रोजगार पंजी विभिन्न स्तरों पर या तो संघारित नहीं थी या अपूर्ण थी। शिकायत निवारण व्यवस्था प्रभावी नहीं थी क्योंकि राज्य तथा जिले स्तर पर भारी संख्या में शिकायतें निराकरण हेतु लंबित थी। शिकायतों के निराकरण हेतु समय सीमा का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया। प्रभाव आकलन हेतु नियुक्त की गई एजेन्सियों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये गये।

2.2.19 अनुशांसाएं

- एस ई जी सी तथा उसकी सशक्त समिति की नियमित बैठकें होनी चाहिये ।
- हितग्राहियों के पंजीयन तथा जॉब कार्ड जारी करने हेतु उनकी पात्रता की समुचित जाँच की जानी चाहिये ।
- कार्यों की मांग हेतु हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त किये जाने चाहिये तथा उन्हें दिनांकित पावती दी जानी चाहिये ताकि 15 दिन के अंदर रोजगार प्राप्त न होने की स्थिति में वे बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर सकें ।
- रोजगार सृजन तथा परिसम्पत्ति निर्माण के आवश्यक अभिलेखों का संधारण सुनिश्चित किया जाना चाहिये । लाइन विभागों द्वारा किये गये कार्यों का पाक्षिक प्रतिवेदन तथा मस्टर रोल की प्रति ग्राम पंचायतों को रोजगार सृजन के आँकड़े संधारित करने हेतु दी जानी चाहिये ।
- गैर अनुमत्य कार्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किये जाने चाहिये ।
- एम जी एन आर ई जी एस निधि का अन्य योजनाओं की निधियों से अभिसरण अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु तथा अन्य योजनाओं का लाभ भी एम जी एन आर ई जी एस के हितग्राहियों को देने हेतु किया जाना चाहिये।
- शिकायतों के समय पर निवारण हेतु शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना चाहिये ।

तीसरा अध्याय

शासकीय विभागों की कार्य पद्धति

तीसरा अध्याय

शासकीय विभागों की कार्य पद्धति

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (लो.स्वा. एवं प.क.)

3.1 मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लो.स्वा. एवं प.क. विभाग की लेखा परीक्षा

कार्यपालन सारांश

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (लो. स्वा. एवं प. क.) की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा, वर्ष 2009-10 से 2011-12 की अवधि को समाविष्ट करते हुए यह जांच करने के लिए की गई कि क्या विभाग द्वारा राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के परिक्षेत्र, गुणवत्ता तथा सुगमता में सुधार सहित उपचारात्मक, निवारक तथा संवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ परिवार कल्याण सेवार्यें प्रदाय की जा रही हैं। विभाग द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये नियमों तथा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये योजनाओं तथा गतिविधियों का क्रियान्वयन मितव्ययितापूर्वक, प्रभावशाली ढंग से तथा दक्षतापूर्वक किया जा रहा है। महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

- विभाग द्वारा कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना सहित परिप्रेक्ष्य योजना तथा वार्षिक योजनाएं तैयार की गईं। तथापि यह योजनाएं बिना किसी परिवार सर्वेक्षण एवं सुविधा सर्वेक्षण के तैयार की गईं। वृहद संख्या में योजनागत गतिविधियां संचालित नहीं हुईं।

समस्त स्तरों पर कार्य योजना तैयार करने के लिए हितग्राहियों तथा सुविधाओं का एक व्यापक आधारभूत सर्वेक्षण किया जाना चाहिये। अभिप्रेत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये योजनाओं में समाहित गतिविधियों का कार्यान्वयन निर्धारित समय सीमा में किया जाना चाहिये।

- बजटीय तथा वित्तीय प्रबंधन दोषपूर्ण था जैसा कि संचालक स्वास्थ्य सेवार्यें तथा मिशन संचालक, नेशनल रूरल हैल्थ मिशन (एन.आर.एच.एम.) के द्वारा निधियों का उल्लेखनीय रूप से अल्प उपयोग, अनुपूरक अनुदानों का अनावश्यक प्रावधान, मार्च माह में व्यय का आधिक्य, रोकड़ संधारण से संबंधित अभिलेखों में संहितागत प्रावधानों का उल्लंघन तथा विलंब से प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्रों के कारण केन्द्रांश के विलंब से प्राप्ति के कारण लेखा परीक्षा में दृष्टि गोचर हुआ।

निधियों के अनावश्यक प्रावधान तथा अल्प उपयोग के परिहार्य हेतु बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

- विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों/इच्छित प्रयोजनों के लिए दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, राज्य बीमारी सहायता निधि तथा मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के तहत प्रदाय की गई धनराशि के उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया गया। माह फरवरी 2006 में प्रस्तावित गुना जिले में ट्रामा सेन्टर स्थापित किया जाना शेष था।

- एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में स्वास्थ्य केन्द्र अत्यधिक रूप से कम थे। भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों (आई.पी.एच.एस.) की तुलना में अस्पतालों की सुविधाओं में कमी थी। 17 जिलों के लिए प्रस्तावित 34 दृष्टि केन्द्र स्थापित नहीं हो पाये। वर्ष 2011-12 में संस्थागत प्रसवों की संख्या कुल प्रसवों की 86 प्रतिशत थी। विभाग द्वारा मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर तथा कुल प्रजनन दर के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके, तदापि इन दरों में थोड़ा सुधार दिसम्बर 2011 में देखा गया।

विभाग द्वारा कार्यक्रमों का उचित क्रियान्वयन तथा स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी इस प्रकार सुनिश्चित की जानी चाहिये कि जिससे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों के लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें।

- उपार्जन प्रक्रिया दोषपूर्ण थी। आपूर्तिकर्ता समय-सीमा में औषधि/सामग्री की आपूर्ति करने में विफल रहे जिस कारण स्थानीय बाजार से अधिक लागत पर क्रय करना पड़ा। गुणवत्ता जांच रिपोर्ट प्राप्त किए जाने के पूर्व औषधियां मरीजों को प्रदाय की गईं।

समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक औषधि तथा सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये उपार्जन नीति की समीक्षा की जानी चाहिये।

- आई.पी.एच.एस. के अनुसार स्वीकृत पद संख्या की तुलना में मुख्य पदों पर स्वीकृत मानव शक्ति में उल्लेखनीय रूप से कमी थी। डॉक्टरों की उपलब्धता कम होने के बावजूद उन्हें जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया जा रहा था।

सभी रिक्त पदों को भरा तथा आई.पी.एच.एस. के अनुसार चरणबद्ध तरीके से मानव संसाधन में सुधार किया जाना चाहिये।

- स्वास्थ्य योजना और निगरानी समितियां विभिन्न स्तरों पर गठित नहीं हुईं। योजना क्रियान्वयन के अनुश्रवण तथा रणनीति के लिए राज्य स्तर की दो शीर्ष समितियों की बैठक नियमित अंतराल पर नहीं हो रहीं थीं। अद्यतन विभागीय मैनुअल के द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा निरीक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये।

निगरानी तंत्र समुचित स्तरों पर मजबूत किया जाना चाहिये तथा आंतरिक लेखापरीक्षा निरीक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किये जाने चाहिये।

3.1.1 प्रस्तावना

जनगणना 2011¹ के अनुसार 7.26 करोड़ जनसंख्या के साथ मध्यप्रदेश, भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य में महिलाओं की संख्या 930 प्रति हजार पुरुष तथा 0-6 उम्र के समूह में महिला लिंग अनुपात 912 है। दिसम्बर 2011 की स्थिति में राज्य में बाल

¹ अनंतिम

मृत्यु दर (आई.एम.आर.), मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.) तथा कुल प्रजनन दर (टी.एफ.आर.) जैसे स्वास्थ्य संकेतक, अखिल भारतीय स्वास्थ्य संकेतक क्रमशः 47 प्रति 1000 जन्म, 212 प्रति एक लाख जन्म तथा 2.6 बच्चे प्रति महिला की तुलना में क्रमशः 62 प्रति 1000 जन्म, 310 प्रति 1 लाख जन्म तथा 3.2 बच्चे प्रति महिला थे। वर्ष 2009-12 की अवधि में राज्य शासन द्वारा कुल बजट राशि ₹ 1,72,010 करोड़ में से राशि ₹ 6,233 करोड़ (3.62 प्रतिशत) स्वास्थ्य के लिए प्रदाय की गई।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (विभाग) राज्य के लोगों को उपचारात्मक, निवारक तथा संवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ परिवार कल्याण सेवाओं की प्रदायगी के लिए उत्तरदायी है। यह राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के परिक्षेत्र, गुणवत्ता तथा सुगमता में सुधार के लिए भी उत्तरदायी है। चिकित्सालयों तथा औषधालयों के सुदृढीकरण, वैक्टर जनित रोगों के उन्मूलन, महामारी जनित रोगों के नियंत्रण तथा निवारण, तपैदिक, अंधत्व, एड्स, एकीकृत रोग निगरानी परियोजना (आई.डी.एस.पी.) इत्यादि के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य कार्यक्रम/योजनाओं का संचालन किया जाता है। विभाग द्वारा राज्य में 50 जिला चिकित्सालय (डी.एच.), 150 सिविल चिकित्सालय (सी.एच.) एवं औषधालय, 332 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.), 1156 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.) तथा 8765 - उपस्वास्थ्य केन्द्रों (एस.एच.सी.) के माध्यम से स्वास्थ्य सेवायें प्रदाय की जाती हैं।

3.1.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य स्तर पर विभाग के शीर्ष अधिकारी प्रमुख सचिव होते हैं जिनकी सहायता आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें एवं मिशन संचालक, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन (एन.आर.एच.एम.) करते हैं। राज्य बजट, प्रशासकीय मामले तथा राज्य योजनाओं का प्रबंधन एवं नियंत्रण आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें के अधीन संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा किया जाता है। जिसकी सहायता संचालनालय स्तर पर आठ संचालकों द्वारा, संभाग स्तर पर सात संभागीय संयुक्त संचालकों (जे.डी.) द्वारा, जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.) तथा सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक (सी.एस.) द्वारा तथा विकास खंड स्तर पर खंड चिकित्सा अधिकारी (बी.एम.ओ.) द्वारा की जाती है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के क्रियान्वयन हेतु प्राधिकारी मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम. हैं। एन.आर.एच.एम. की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु एक राज्य स्वास्थ्य समिति (एस.एच.एस.) है जिसमें नीति निर्धारण तथा गतिविधियों की निगरानी हेतु एक साधारण सभा है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य मंत्री द्वारा की जाती है। साधारण सभा के अनुमोदनानुसार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा गतिविधियों की निगरानी का कार्य कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाता है।

राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के प्रमुख मिशन संचालक होते हैं। जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें के लेखों का संधारण राज्य स्तर पर अतिरिक्त संचालक, वित्त (वित्तीय सलाहकार) द्वारा तथा जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन द्वारा किया जाता है। मिशन संचालक के लेखों का संधारण राज्य स्तर पर

संचालक वित्त द्वारा तथा जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति के लेखा प्रबंधक द्वारा किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें के अधीन है। इसके अतिरिक्त प्रमुख सचिव, लो.स्वा.एवं प.क. विभाग के समग्र नियंत्रण में नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा परियोजना संचालक, राज्य एड्स नियंत्रण समिति भी कार्यरत है जिनको लेखापरीक्षा में सम्मिलित नहीं किया गया।

3.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- ग्रामीण जनसंख्या की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभाग द्वारा परिप्रेक्ष्य योजना/वार्षिक योजना तैयार की गई है;
- निधियों का उपयोग तथा बजटीय नियंत्रण प्रभावी एवं दक्षता पूर्ण था;
- योजना/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रभावशाली, दक्षतापूर्ण तथा समयबद्ध तरीके से किया गया;
- सामग्री प्रबंधन कुशल एवं प्रभावी था;
- योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के लिए विभाग के पास पर्याप्त जनशक्ति एवं आधारभूत ढांचा उपलब्ध था तथा
- अनुश्रवण और मूल्यांकन प्रणाली तथा आंतरिक नियंत्रण प्रभावी एवं पर्याप्त था।

3.1.4 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

लेखापरीक्षा के मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से निर्धारित किये गये:

- नियम, आदेश, अधिसूचनायें, योजनाओं की मार्गदर्शिका तथा स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में भारत सरकार तथा राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश।
- योजना, बजट प्रलेख, वार्षिक प्रतिवेदन, प्रशासनिक प्रतिवेदन, कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना इत्यादि।
- म.प्र. वित्तीय संहिता (म.प्र.वि.सं.), म.प्र. कोषालय संहिता (म.प्र.को.सं.), भंडार क्रय नियम इत्यादि।
- जैव चिकित्सा अवशिष्ट के प्रबंधन से संबंधित नियम एवं अधिनियम।
- विभाग द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अनुश्रवण प्रणाली निर्धारण हेतु निर्देश, कार्यक्रम मार्गदर्शिका इत्यादि।

3.1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा पद्धति

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा, तीन वर्षों की अवधि (2009-12) को समाविष्ट करते हुये मार्च से सितम्बर-2012 के मध्य की गई। लेखापरीक्षा में राज्य स्तर पर आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मिशन

संचालक, संभागीय स्तर पर चार संयुक्त संचालक एवं 18 चयनित जिलों के 18 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, 18 सिविल सर्जन तथा 18 जिला स्वास्थ्य समितियों के अभिलेखों की संवीक्षा समाविष्ट है। इस प्रकार, कुल 108 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों में से 41 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की लेखापरीक्षा समाविष्ट है। चयनित इकाईयों की सूची **परिशिष्ट-3.1** में प्रदर्शित है। लेखा परीक्षा साक्ष्य में विभाग के अभिलेखों, लेखापरीक्षा ज्ञापन/आपत्ति के संदर्भ में दिये गये उत्तर/जानकारी तथा विभाग की वेबसाइट² पर उपलब्ध जानकारी समाहित है।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र तथा पद्धति पर विचार विमर्श हेतु प्रवेश सम्मेलन मई 2012 में आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें के साथ आयोजित हुआ जिसमें संयुक्त संचालक, एन.आर.एच.एम. तथा अन्य अधीनस्थ अधिकारी उपस्थित थे। निर्गम सम्मेलन नवंबर 2012 में आयोजित हुआ जिसमें विभाग द्वारा दिये गये उत्तर समीक्षा में सम्मिलित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1.6 योजना

विभाग द्वारा एन.आर.एच.एम. की अवधि (2005-2012) को सम्मिलित करते हुये एक समेकित परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की जानी थी जिसकी रूप रेखा में स्वास्थ्य सुविधाओं का चिन्हांकन, केन्द्र एवं राज्य शासन के संभावित अंश एवं विनियोग का आकलन करते हुये वर्षवार स्त्रोतों तथा प्रत्येक जिले की गतिविधियों की आवश्यकता जैसे स्वास्थ्य संकेतकों (बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर) में सुधार, स्वास्थ्य संस्थाओं का भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप उन्नयन, रोगों की रोकथाम हेतु सार्वभौमिक टीकाकरण, आशाओं की नियुक्ति इत्यादि तत्व सम्मिलित होना थे।

विभाग द्वारा अवधि 2005-12 के बजाय अवधि 2007-12 की एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई। परिप्रेक्ष्य योजना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसवों की बढ़ती हुई मांग का सामना करने के लिये ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रदायगी, जनसंख्या के मानकों के अनुसार ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की सुगमता के लिये नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना, समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये भवन, सहयोगी कर्मचारियों का सुदृढीकरण तथा कार्यालय स्वचालन और म.प्र. स्वास्थ्य प्रक्षेत्र परियोजना की स्थापना सम्मिलित थे।

परिप्रेक्ष्य योजना की संवीक्षा में देखा गया कि उपरिलिखित गतिविधियों के संबंध में मात्र भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये गये तथा उनको वित्तीय लक्ष्यों से सह-संबंधित नहीं किया गया। यह दिखाने के लिए अभिलेखों पर कुछ भी नहीं था कि परिप्रेक्ष्य योजना को तैयार करते समय निचले स्तर की इकाईयों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई। विभाग द्वारा परिप्रेक्ष्य योजना की तर्ज पर वार्षिक योजनायें तैयार की गईं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी एन.आर.एच.एम. की मार्गदर्शिका के अनुसार वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना तैयार की गई। तदपि, राज्य की कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना को तैयार करने के पूर्व परिवार सर्वेक्षण एवं सुविधा सर्वेक्षण नहीं किया गया। हमने देखा कि

परिप्रेक्ष्य योजना तथा वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई; परन्तु कोई आधारभूत सर्वेक्षण नहीं किया गया

² www.health.mp.gov.in

प्रत्येक वर्ष लगभग दो माह के विलंब से कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई थीं। जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा जिला स्वास्थ्य कार्य योजनाएँ तैयार की गईं।

आयुक्त द्वारा (नवंबर 2012) लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को स्वीकार करते हुये कहा गया कि अवधि 2005-12 के लिये परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई एवं वार्षिक योजनाएँ बनाई गईं।

3.1.7 वित्तीय प्रबंधन

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के मध्य किये गये बजट प्रावधान तथा उनके विरुद्ध किये गये व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1: बजट प्रावधान एवं व्यय (आयोजना एवं आयोजनेत्तर)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान		व्यय		बचत(-)/आधिक्य(+)	
	आयोजना	आयोजनेत्तर	आयोजना	आयोजनेत्तर	आयोजना (प्रतिशत)	आयोजनेत्तर
2009-10	411.53	831.07	399.41	812.02	-12.12 (2.95)	-19.05
2010-11	595.78	1122.29	501.19	1012.02	-94.59 (15.88)	-110.27
2011-12	935.72	1220.73	692.76	1200.31	-242.96(25.96)	-20.42
कुल	1943.03	3174.09	1593.36	3024.35	-349.67	-149.74

स्रोत- विनियोग लेखे

2011-12 की अवधि में बजटीय आयोजना निधियों का 26 प्रतिशत उपयोग नहीं हुआ

उपरोक्त तालिका से यह समझा जा सकता है कि आयोजना शीर्ष के अंतर्गत बचतों में क्रमिक रूप से 3 प्रतिशत (2009-10) से 26 प्रतिशत (2011-12) की वृद्धि हुई, जो दर्शाता है कि वर्ष 2009-12 की अवधि में कार्यक्रम निधियों का अल्प उपयोग हुआ।

3.1.7.1 बजटीय एवं व्यय नियंत्रण

विभाग द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रम एवं योजनाएँ, केन्द्रीय प्रक्षेत्र योजनाएँ, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ तथा राज्य आयोजना पर आधारित हैं। संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें के बजट प्रावधान तथा व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

तालिका 2: संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्यें

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मांग संख्या ³	आयोजनेत्तर/ आयोजना	मूल प्रावधान	अनुपूरक अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
2009-10	19	आयोजनेत्तर	831.07	00	831.07	812.02	-19.05
		आयोजना	323.12	20.00	343.12	334.55	-8.57
	41	आयोजना	36.31	00	36.31	32.38	-3.93
	64	आयोजना	32.10	00	32.10	32.48	0.38
2010-11	19	आयोजनेत्तर	884.70	237.59	1122.29	1012.02	-110.27
		आयोजना	410.82	76.33	487.15	409.00	-78.15
	41	आयोजना	50.05	9.88	59.93	51.72	-8.21
	64	आयोजना	32.74	15.96	48.70	40.47	-8.23
2011-12	19	आयोजनेत्तर	1186.36	34.37	1220.73	1200.31	-20.42
		आयोजना	579.22	84.27	663.49	524.08	-139.41
	41	आयोजना	96.78	46.00	142.78	89.41	-53.37
	64	आयोजना	61.95	67.50	129.45	79.27	-50.18
कुल			4525.22	591.90	5117.12	4617.71	-499.41

स्रोत- विनियोग लेखे

मिशन
संचालक,
एन.आर.एच.ए
म. के पास
₹ 366.96
करोड़ के
अव्ययित शेष
थे

वर्ष 2009-10 से 2011-12 की अवधि में भारत सरकार द्वारा योजनावार जारी राशि, उसके साथ राज्यांश की प्राप्ति, तथा अन्य स्रोतों(ब्याज) से प्राप्ति और मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम. द्वारा किये व्यय की स्थिति निम्न प्रकार है:

³ 19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, 64-अनूसूचित जाति उपयोजना

तालिका 3: मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम.

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वार्षिक स्वास्थ्य योजना में प्रस्तावित राशि	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत बजट राशि	कार्यक्रम का नाम ⁴	प्रारंभिक शेष	भारत सरकार द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति को जारी अनुदान	राज्यांश	अन्य स्रोत (ब्याज)	कुल उपलब्ध राशि	व्यय	शेष
2009-10	962.36	962.36	आर.सी.एच	171.27	360.98	113.00	0	645.25	506.69	138.56
			एन.आर.एच.एम							
			टीकाकरण							
			एन.व्ही.बी.डी.सी.पी	4.12	8.31	0	0.23	12.66	3.63	9.03
			आर.एन.टी.सी.पी.	2.39	10.52	0	0.11	13.02	8.87	4.15
			एन.एल.ई.पी.	1.80	0.60	0	0.04	2.44	1.48	0.96
			एन.पी.सी.बी.	2.29	12.87	0	0.06	15.22	13.69	1.53
			आई.डी.एस.पी.	2.46	2.01	0	0.25	4.72	2.04	2.68
			पल्स पोलियो	0.76	14.72	0	0	15.48	14.42	1.06
योग	185.09	410.01	113.00	0.69	708.79	550.82	157.97			
2010-11	1067.16	1010.73	आर.सी.एच	138.56	542.07	130.09	0	810.72	659.31	151.41
			एन.आर.एच.एम							
			टीकाकरण							
			एन.व्ही.बी.डी.सी.पी	9.03	8.52	0	0.98	18.53	9.26	9.27
			आर.एन.टी.सी.पी.	4.15	8.60	0	0.12	12.87	11.72	1.15
			एन.एल.ई.पी.	0.96	0.98	0	0.10	2.04	1.36	0.68
			एन.पी.सी.बी.	1.53	10.00	0	0.13	11.66	7.07	4.59
			आई.डी.एस.पी.	2.68	1.98	0.60	0.10	5.36	2.45	2.91
			पल्स पोलियो	1.06	15.00	0	0	16.06	14.82	1.24
योग	157.97	587.15	130.69	1.43	877.24	705.99	171.25			
2011-12	1117.07	990.97	आर.सी.एच	151.41	617.65	129.00	0	898.06	582.12	315.94
			एन.आर.एच.एम							
			टीकाकरण							
			एन.व्ही.बी.डी.सी.पी	9.27	8.40	4.86	0.08	22.61	10.53	12.08
			आर.एन.टी.सी.पी.	1.15	15.99	8.10	0.26	25.50	14.07	11.43
			एन.एल.ई.पी.	0.68	1.89	1.06	0.06	3.69	1.39	2.30
			एन.पी.सी.बी.	4.59	19.59	10.38	0.40	34.96	18.23	16.73
			आई.डी.एस.पी.	2.91	0.88	0.30	0.07	4.16	2.32	1.84
			पल्स पोलियो	1.24	7.77	0	0	9.01	2.37	6.64
योग	3146.59	2964.06	योग	171.25	672.17	153.70	0.87	997.99	631.03	366.96

स्रोत- राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रदाय किये गये आंकड़ें

⁴ आर.सी.एच.-रीप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, एन.आर.एच.एम.- नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, टीकाकरण-सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, एन.व्ही.बी.डी.सी.पी.- नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, आर.एन.टी.सी.पी.- रिवाइसड नेशनल टयुबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, एन.एल.ई.पी.- नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, एन.पी.सी.बी.- नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, आई.डी.एस.पी.- इंटिग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम तथा पल्स पोलियो प्रोग्राम

तालिका- 3 से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2009-12 की अवधि में केन्द्र एवं राज्य दोनों के अंश में वृद्धि हुई। यद्यपि वर्ष 2010-11 में कुल व्यय में 28.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई परंतु 2011-12 में कुल व्यय में गत वर्ष की तुलना में 10.62 प्रतिशत की कमी हुई। वर्ष 2009-10 का अव्ययित शेष राशि ₹ 157.97 करोड़, 2011-12 में बढ़कर ₹ 366.96 करोड़ हो गया।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें से संबंधित अभिलेख जैसे- बजट प्रावधान, अनुपूरक प्रावधान, पुनर्विनियोजन/समर्पण, व्यय पत्रक तथा राज्य लेखों की संवीक्षा के दौरान वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण से संबंधित देखी गई कमियां निम्नलिखित परिच्छेदों में परिचर्चित हैं:

3.1.7.2 महत्वपूर्ण बचतें

मध्यप्रदेश बजट मैनुअल के नियम- 91 के अनुसार, व्यय करने वाले विभाग के लिए आवश्यक है कि जब कभी प्रत्याशित बचतें दृष्टिगोचर हों तो अनुदान/विनियोग अथवा उसके भाग को समय पूर्व वित्त विभाग को समर्पित कर दें।

कुल प्रावधान
₹ 85.46 करोड़
में से ₹ 56.01
करोड़ की बचत
हुई

199 योजनाओं में से 17 योजनाओं में हमने देखा कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 50 लाख और अधिक की बचतें हुईं जो 23 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक थीं तथा कुल प्रावधानित राशि ₹ 85.46 करोड़ के विरुद्ध ₹ 56.01 करोड़ थीं (परिशिष्ट-3.2)। उल्लेखनीय बचतें योजनाओं के धीमे क्रियान्वयन को दर्शाती थीं।

हमने पाया कि इन बचतों को समर्पित/पुनर्विनियोजित न किये जाने के कारण शासन द्वारा इनका उपयोग अन्य योजनाओं में किये जाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रही।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें ने कहा (नवंबर-2012) कि यह बचतें मुख्यतः निर्माण कार्यों के विलम्ब से पूर्ण होने के कारण हुईं। तदपि भविष्य में यह स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिये उचित कदम उठाये जायेंगे।

₹ 499.41
करोड़ के
अनुपूरक
प्रावधानों का
उपयोग नहीं
हुआ

जैसा कि तालिका क्र. 2 में प्रदर्शित है कि अनुदान संख्या 19, 41 एवं 64 के अंतर्गत विभाग को मूल बजट उपलब्ध कराया गया। हमने पाया कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान इन अनुदानों में राशि ₹ 591.90 करोड़⁵ का अनुपूरक प्रावधान किया गया। तदपि, यह अतिरिक्त निधियां अपनी परिसीमा तक उपयोग नहीं हुईं जिसे ₹ 499.41 करोड़ की बचत के रूप में देखा गया। यह तथ्य बजटीय नियंत्रण में कमी को प्रदर्शित करता है।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें ने कहा (नवंबर-2012) कि भविष्य में यह स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिये आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

⁵ अनुदान संख्या- 19- ₹ 452.56 करोड़, अनुदान संख्या- 41 ₹ 55.88 करोड़ तथा अनुदान संख्या- 64 - ₹ 83.46 करोड़

3.1.7.3 व्यय का आधिक्य

मध्य प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा 92 के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों में व्यय के आधिक्य का परिहार्य किया जाना चाहिये। वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही/माहों में अत्यधिक व्यय वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के विपरीत है।

2009-12 की अवधि में मार्च माह में व्यय के आधिक्य की सीमा 50 से 91 प्रतिशत थी

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें के अभिलेखों की संवीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान 16 योजनाओं⁶ में माह मार्च में हुये व्यय की सीमा कुल वार्षिक व्यय की तुलना में 50 प्रतिशत से 91 प्रतिशत तक थी जैसा कि परिशिष्ट -3.3 में प्रदर्शित है।

यह वित्तीय प्रबंधन में दोषपूर्णता तथा व्यय के एक समान प्रवाह में कमी दर्शाता है जो कि बजटीय नियंत्रण की प्रारम्भिक आवश्यकता है।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा सूचित किया गया (नवंबर-2012) कि अंतिम तिमाही/मार्च माह में व्यय के आधिक्य को रोकने के लिए त्रैमासिक बजट आवंटित किया जा रहा था।

तथ्यात्मक स्थिति यह है कि वर्ष 2011-12 में त्रैमासिक बजट आवंटित किये जाने के बावजूद इस वर्ष भी व्यय का आधिक्य हुआ।

3.1.7.4 राशि व्यक्तिगत खाते में पड़े रहना

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा व्यक्तिगत खाता क्रमांक 37 संचालित किया गया जिसमें वर्ष के अंत में वृहद राशियां शेष रहीं। जिसका ब्यौरा निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4: व्यक्तिगत खाते के संव्यवहारों का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्ति	कुल	आहरण	अंतिम शेष
2009-10	127.99	6.93	134.92	69.05	65.87
2010-11	65.87	15.38	81.25	48.00	33.25
2011-12	33.25	44.14	77.39	59.49	17.90

स्रोत - कोषालय से एकत्रित आंकड़े

व्यक्तिगत खाते की संवीक्षा में निम्नानुसार पाया गया कि:

- कुल राशि ₹ 29.14 लाख⁷ विभागीय प्राप्ति (निविदा प्रपत्रों के विक्रय से आय, बयाना राशि का राजसात तथा शास्ति) से संबंधित थी जिसे मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के नियम 7 (i) के प्रावधान अनुसार विभागीय प्राप्ति शीर्ष में जमा किये जाने के बजाय त्रुटिपूर्ण ढंग से व्यक्तिगत खाते में जमा किया गया।
- साथ ही, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग से औषधियों की आपूर्ति के लिए प्राप्त राशि ₹ 58.06 लाख आयुक्त के व्यक्तिगत खातों में वर्ष 2009-12 के दौरान शेष रही। जिसे या तो भोपाल गैस पीड़ितों के लिए औषधियों के प्रदाय हेतु उपयोग किया जाना था अथवा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को वापिस कर दिया जाना चाहिए था।

विभागीय प्राप्ति ₹ 29.14 लाख त्रुटि से व्यक्तिगत खाते में जमा रहे तथा अन्य विभाग से संबंधित राशि ₹ 58.06 लाख अनुपयोगी पड़ी रही

⁶ 11 राज्य योजनाओं, 3 नाबार्ड योजनाओं एवं 2 केन्द्रीय योजनायें

⁷ ₹ 21.68 लाख-मार्च 2011, ₹ 6.94 लाख जनवरी-2012 तथा ₹ 0.52 लाख-मार्च 2012

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा कहा गया (नवंबर 2012) कि यह राशि त्रुटिवश व्यक्तिगत खाते में जमा हो गई थी जिसे संबंधित शीर्ष में जमा किया जायेगा तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास विभाग से संबंधित राशि वापिस की जावेगी।

3.1.7.5 व्यय का मिलान

नियंत्रण अधिकारी द्वारा व्ययों पर उचित नियंत्रण बनाये रखने के लिये, मध्यप्रदेश बजट मैनुअल के नियम-110 तथा शासन के स्थायी आदेशों में उल्लिखित है कि वार्षिक लेखे बंद होने के पूर्व विभागीय व्ययों के आंकड़ों का मिलान नियमित अंतराल से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा बुक किये गये आंकड़ों से करना चाहिये।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने देखा कि वर्ष 2009-12 की अवधि में व्यय के आंकड़ों का मिलान न किये जाने के कारण विभाग द्वारा प्रदाय किये गये व्यय के आंकड़े तथा मांग संख्या 19, 41 तथा 64 के मुख्य शीर्ष 2210⁸, 2211⁹ तथा 4210¹⁰ के अंतर्गत महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा बुक किये गये व्यय के आंकड़ों में भिन्नता थी। ब्यौरा निम्नानुसार है-

तालिका 5: विभाग तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के व्ययों के आंकड़ों में भिन्नता (₹ करोड़ में)

वर्ष	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखाबद्ध किये गये व्यय के आंकड़े	विभाग के व्यय के आंकड़े	भिन्नता
2009-10	1211.44	1202.17	(-) 9.27
2010-11	1513.21	1507.79	(-) 5.42
2011-12	1893.08	1910.63	(+) 17.55

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे तथा विभाग द्वारा प्रदायित व्यय के आंकड़े

आयुक्त ने कहा (नवंबर 2012) कि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से व्ययों के आंकड़ों का मिलान करने के लिये निर्देश जारी किये जा रहे थे।

3.1.7.6 रोकड़ तथा भंडारों को रखने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा निधि

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के नियम 282 के अनुसार क्षति /दुर्विनियोग होने की दशा में शासन के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि रोकड़ एवं भंडारों को रखने वाले कर्मचारियों से राशि ₹ 5000 सुरक्षा निधि के रूप में जमा करवाई जाये। 41 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों में से 28 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों¹¹ के मामले में हमने देखा कि 527 कर्मचारियों (रोकड़िया- 125 तथा भंडारी- 402) से सुरक्षा

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखाबद्ध किये गये व्यय के आंकड़े तथा विभाग के आंकड़ों में मिलान न किये जाने के कारण व्यय के आंकड़ों में ₹ 5.42 करोड़ से लेकर ₹ 17.55 करोड़ तक की भिन्नता थी

रोकड़ तथा भंडार का कार्य करने वाले 527 कर्मचारियों से सुरक्षा निधि के रूप में राशि ₹ 26.02 लाख प्राप्त नहीं की गयी

⁸ 2210-चिकित्सा एवं परिवार स्वास्थ्य

⁹ 2211-परिवार कल्याण

¹⁰ 4210-चिकित्सा एवं परिवार स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

¹¹ आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें भोपाल (₹ 0.10 लाख), मु.चि.एवं स्वा.अधि., बालाघाट (₹ 0.95 लाख), बड़वानी (₹ 0.40), भोपाल (₹ 0.80लाख), छतरपुर (₹ 0.10लाख), छिन्वाड़ा (₹ 1.15लाख), खरगोन ₹ 3.70 लाख), धार (₹ 3 लाख), डिन्डोरी (₹ 1.80लाख), मण्डला (₹ 0.90लाख), रतलाम (₹ 2लाख), सागर (₹ 2.55 लाख), सीहोर (₹ 1.45लाख), शहडोल (₹ 1.85लाख), टीकमगढ़ (₹ 1.80लाख), उज्जैन (₹ 1.60लाख) एवं उमरिया (₹ 0.95लाख), सिविल सर्जन भोपाल (₹ 0.05लाख), छतरपुर (₹ 0.04लाख), छिन्वाड़ा (₹ 0.10लाख), खरगोन (₹ 0.10लाख), धार (₹ 0.10लाख), रतलाम (₹ 0.10लाख), सागर (₹ 0.10लाख), सीहोर (₹ 0.05लाख), शहडोल (₹ 0.10लाख), टीकमगढ़ (₹ 0.08लाख) एवं उमरिया (₹ 0.10लाख)

निधि के रूप में राशि ₹ 26.02 लाख प्राप्त नहीं किये गये। जो कि संहितागत प्रावधानों का उल्लंघन था।

समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा कहा गया कि संबंधित कर्मचारियों से आवश्यक सुरक्षा राशि जमा की जावेगी।

आयुक्त द्वारा कहा गया (नवंबर 2012) कि उपयुक्त आदेश जारी किये गये।

3.1.7.7 रोकड़ पुस्तक का संधारण

म.प्र. कोषालय संहिता भाग-1 के नियम 53 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक माह के अंत में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अपने हस्ताक्षरों के साथ रोकड़ का सत्यापन करना आवश्यक है और रोकड़ का विश्लेषण रोकड़ पुस्तक में अभिलेखित करना चाहिये। रोकड़ पुस्तक के दैनिक योगों की जांच रोकड़ पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति से करायी जानी चाहिये। कोषालय प्रमाणक पर्चियों के संदर्भ में आहरणों का पाक्षिक सत्यापन किया जाये तथा प्रत्येक माह के अंत में कोषालय से आहरणों की कम्प्यूटरकृत सूची प्राप्त की जाये।

41 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों में से 23 के द्वारा रोकड़ पुस्तक के संधारण के संबंध में संहितागत प्रावधानों का पालन नहीं किया गया

41 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों में से 23 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों¹² के मामले में देखा गया कि रोकड़ पुस्तक के दैनिक योग की जांच रोकड़ पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति के आलावा अन्य व्यक्ति से नहीं कराई गई थी। प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। रोकड़ प्रबंधन के संबंध में संहितागत प्रावधानों का उल्लंघन रोकड़ का कार्य करने वाले कर्मचारी द्वारा रोकड़ का दुरुपयोग किये जाने का कारण हो सकता है।

समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा कहा गया कि उपरलिखित प्रेक्षणों का भविष्य में पालन किया जावेगा।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर, संहितागत प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने के बावत् विभाग द्वारा निर्देश नवम्बर 2012 में जारी किये गये।

3.1.7.8 बिल पंजी एवं बजट नियंत्रण पंजी का संधारण

म.प्र. कोषालय संहिता भाग-1 के नियम 197 के प्रावधानों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा बिल पंजी की मासिक समीक्षा कर उसके परिणाम बिल पंजी पर अंकित किया जाना चाहिये। म0प्र0 कोषालय संहिता भाग-1 के नियम 276 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी के द्वारा कोषालय से कपटपूर्ण आहरणों को रोकने के लिए बिल संक्रमण पुस्तक की सप्ताह में दो बार समीक्षा की जानी चाहिये और इस आशय का प्रमाण पत्र उस पर अभिलेखित करना चाहिये। साथ ही साथ सामान्य वित्तीय नियम-52 तथा म0प्र0 कोषालय संहिता भाग-1 के नियम-297 के अनुसार कार्यालय के आकस्मिक व्ययों पर निगरानी रखने के लिए बजट नियंत्रण पंजी तथा आकस्मिक व्यय पंजी का संधारण किया जाना चाहिये ताकि बजट नियंत्रण तंत्र प्रभावी रूप से कार्य कर सकें।

¹² आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें- भोपाल, मु.वि.एवं स्वा.अधि.-बालाघाट, बड़वानी, भोपाल, छतरपुर, धार, डिन्डौरी, इन्दौर, खरगौन, उज्जैन, रतलाम, सीहोर, शहडोल, टीकमगढ़, सिविल सर्जन-भोपाल, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, धार, इन्दौर, रतलाम, सीहोर, शहडोल एवं उज्जैन

41 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के संबंध में उपरोक्त पंजियों की संवीक्षा (मार्च से सितम्बर 2012) किए जाने पर देखा गया कि निम्नलिखित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा संहितागत प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया। जिसका ब्यौरा **परिशिष्ट 3.4** में तथा सारांश **तालिका-6** में दिया गया है-

तालिका-6 लेखा पंजियों का संधारण न होना/संहितागत प्रावधानों का अनुपालन न होने का ब्यौरा

संहितागत प्रावधानों का अनुपालन न होना	आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की संख्या
बिल पंजी की समीक्षा न होना	33
बिल संक्रमण पुस्तक की समीक्षा न होना	34
बजट नियंत्रण पंजी का संधारण न होना	24
आकस्मिक व्यय पंजी का संधारण न होना	18

समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उत्तर दिया गया कि संहितागत प्रावधानों का भविष्य में अनुपालन किया जायेगा।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा संहितागत प्रावधानों का कड़ाई से पालन किए जाने हेतु नवम्बर 2012 में निर्देश जारी किए।

3.1.7.9 चार स्तरीय वेतनमान के अंतर्गत गैर अनुमत्य भुगतान

म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चिकित्सा अधिकारी, दंत शल्य चिकित्सक तथा विशेषज्ञ संवर्ग में कार्य कर रहे चिकित्सकों को कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में प्रोन्नति लाभ देने के लिए वित्त विभाग के अनुमोदन (अगस्त 2008) से आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावी थे। लाभ पाने की पात्रता वेतनमान में 26 अगस्त 2008 को छः वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होना थी।

साथ ही, विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया (मई 2009) जिसके अनुसार नियुक्ति दिनांक से गणना कर काल्पनिक नियुक्ति मानते हुये योजना का लाभ अगस्त 2008 तक और वास्तविक वित्तीय लाभ अगस्त 2008 से दिया जाना था। इस परिवर्तन के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मई 2012 में, मई 2009 में जारी आदेश निरस्त कर दिया गया। शासन द्वारा जारी एक अन्य आदेश (जून 2012) के अनुसार काल्पनिक नियुक्ति की गणना के आधार पर हुये अधिक भुगतान की वसूली के आदेश दिये गये।

26 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अभिलेखों की संवीक्षा तथा उनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अंतर्गत 210 वेतन निर्धारण प्रकरणों की नमूना जांच में देखा गया कि चार स्तरीय वेतनमान के अंतर्गत काल्पनिक आधार पर गणना नियुक्ति दिनांक से की गई थी। परिणाम स्वरूप, 210 डॉक्टरों को राशि ₹ 3.85 करोड़ (लगभग) का अधिक भुगतान विभिन्न अवधियों (26 अगस्त 2008 से 31 मार्च 2012) के मध्य किया गया जैसा **परिशिष्ट 3.5** में उल्लिखित है। इसके अतिरिक्त अधिक वेतन पर देय अन्य भत्तों की राशि भी वसूली योग्य थी।

अधिक वेतन लाभ की गणना के फलस्वरूप 210 कर्मचारियों को ₹ 3.85 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान हुआ

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा कहा गया (नवम्बर 2012) कि किये गए अधिक भुगतान की वसूली के लिये आदेश जून 2012 में जारी कर दिये गये हैं। तदपि, जून 2012 के आदेशों में उल्लिखित है कि अधिक भुगतान का समायोजन छठवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर भुगतान किये जाने वाले एरियर्स की राशि से किया जावेगा। आगे संवीक्षा में देखा गया कि अधिक भुगतान की राशि वसूल नहीं हुई थी (अक्टूबर 2012)

मिशन संचालक, राज्य स्वास्थ्य समिति, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन

3.1.7.10 उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

एन.आर.एच.एम. के क्रियान्वयन ढांचे के अनुसार भारत सरकार के अंश की प्रथम किश्त प्रत्येक वर्ष अप्रैल/मई में जारी होनी थी। द्वितीय किश्त गत वर्ष में उपयोग की गई राशि, योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति, लेखापरीक्षित लेखे/उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण के आधार पर सितम्बर/अक्टूबर माह में जारी की जानी थी। इस प्रकार, द्वितीय किश्त की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र अगस्त माह में प्रस्तुत करने थे।

हमने देखा कि वर्ष 2009-10 के उपयोगिता प्रमाण पत्र अगस्त - 2010 में प्रस्तुत करने के पश्चात 2010-11 एवं 2011-12 के उपयोगिता प्रमाण पत्र नवम्बर 2012 में प्रस्तुत किये गये। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा विलम्ब से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के कारण, भारत सरकार के अनुदान की द्वितीय किश्त सभी वर्षों में विलम्ब से मार्च माह तक जारी की गई।

भारत सरकार से वर्ष के अंत में राशि जारी किये जाने के फलस्वरूप बैंक खातों में वृहद राशि शेष रही।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा कहा गया (नवम्बर 2012) कि सामान्यतः समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के बावजूद केन्द्रीय निधियां चार से पांच किश्तों में प्राप्त होती हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्रों का समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिये था।

3.1.7.11 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यांश की प्राप्ति न होना

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश (दिसम्बर 2007) के अनुसार परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय होने वाले आकस्मिक व्यय, पेट्रोल, ऑयल एवं लुब्रीकेंट्स तथा डॉक्टर के सहायक का शुल्क के भारों का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाना था।

हमने देखा कि सात¹³ नमूना जांच की गई जिला स्वास्थ्य समितियों में किये गये 2,32,330 परिवार नियोजन ऑपरेशन में आकस्मिक व्यय, पेट्रोल, ऑयल एवं लुब्रीकेंट्स तथा सहायक के शुल्क के रूप में ₹ 1.29 करोड़ व्यय हुए जिसका विवरण **तालिका 7** में दिया गया है।

विलंब से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के कारण भारत सरकार से विलंब से निधियां जारी की गई

परिवार नियोजन ऑपरेशन्स में राज्य शासन द्वारा वहन किये जाने वाले प्रासंगिक व्ययों की राशि ₹ 1.29 करोड़ कार्यक्रम निधियों से व्यय की गयी

¹³ जिला स्वास्थ्य समिति-छतरपुर, छिन्दवाड़ा, धार, डिन्डोरी, मंडला, सीहोर एवं उमरिया

तालिका 7: परिवार नियोजन प्रकरणों में राज्यांश की प्राप्ति न होना

वर्ष	एन.एस.व्ही.टी. ¹⁴ ₹ 47 प्रति केस		एल टी टी ¹⁵ ₹ 57 प्रति केस		सी टी टी ¹⁶ ₹ 42 प्रति केस	
	(₹ लाख में)					
	केस की संख्या	राशि	केस की संख्या	राशि	केस की संख्या	राशि
2009-10	3961	1.86	53263	30.36	4323	1.82
2010-11	5585	2.62	79278	45.19	6582	2.76
2011-12	2669	1.26	70782	40.35	5887	2.47
योग	12215	5.74	203323	115.90	16792	7.05

स्रोत- जिला स्वास्थ्य समितियाँ

हमने पाया कि जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा व्यय की गई राशियों की भरपाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा मार्च 2012 तक नहीं की गई।

निर्गम सम्मेलन में आयुक्त ने कहा (नवम्बर 2012) कि प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

3.1.7.12 निधियों का वर्ष के अंत में जारी होना

भारत सरकार/राज्य शासन से प्राप्त होने वाली निधियों को राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जिला स्वास्थ्य समितियों को तथा जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा विकास खंड तथा ग्राम स्तर की इकाइयों को बिना किसी विलंब के जारी किया जाना था, जिससे कि जिला स्वास्थ्य कार्य योजना में उस वर्ष के लिए निर्धारित की गई गतिविधियों के लक्ष्यों को उसी वर्ष प्राप्त किया जा सके।

वर्ष 2009-10 से 2011-12 की अवधि में हमने देखा कि राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जिला स्वास्थ्य समितियों को योजना निधियां ₹ 4.40 करोड़ से लेकर ₹ 42.76 करोड़ तक, वित्तीय वर्ष के अंत में (15 मार्च से 31 मार्च) जारी की गईं। हमने यह भी देखा कि 18 चयनित जिला स्वास्थ्य समितियों में से 14 जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा ₹ 1.98 करोड़ से लेकर ₹ 5.35 करोड़ की सीमा तक निचले स्तर की इकाइयों को वर्ष के अंत में (15 मार्च से 31 मार्च) निधियां जारी की गईं जिसका ब्यौरा परिशिष्ट 3.6 में दिया गया है।

जिला स्वास्थ्य समितियों तथा निचले स्तर की इकाइयों को वर्ष के अंत में निधियां जारी होने से गतिविधियों का निष्पादन तथा न्यायपूर्वक उपयोग संभव न हो सका।

आयुक्त द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि जिला स्वास्थ्य समितियों को उनके कुल परिव्यय के अनुपात में निधियां जारी की जाती हैं। निधियां गतिविधि-वार जारी नहीं की जातीं तथा निधियों के अभाव में जिला अथवा निचले स्तर पर कोई गतिविधि प्रभावित नहीं हुई।

उत्तर आपत्ति के अनुरूप नहीं है क्योंकि विलंब से निधियां जारी किये जाने के कारण वृहद अव्ययित राशियां जिला तथा निचले स्तर पर देखी गईं।

¹⁴ नॉन स्केलपल वासेक्टोमी

¹⁵ लेपरोस्कोपिक ट्यूबकटोमी

¹⁶ कन्वेनशनल ट्यूबकटोमी

राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जिला स्वास्थ्य समितियों को ₹ 4.40 करोड़ से ₹42.76 करोड़ तक निधियाँ वर्ष के अंत में जारी की गयीं

राज्य स्वास्थ्य समिति के स्तर पर ₹ 90 करोड़ का अंतर योजना हस्तांतरण देखा गया जिसमें से ₹ 21 करोड़ मार्च 2012 तक वापिस नहीं हुए

मार्च 2008 से पूर्व लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को जारी अग्रिम राशि ₹ 55.55 करोड़ मार्च 2012 तक बकाया थी

3.1.7.13 अंतर योजना हस्तांतरण/निधियों का व्यपवर्तन

भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निधियों का उपयोग चिन्हित गतिविधियों/योजनाओं पर किया जाना चाहिए तथा किसी प्रकार का अंतर योजना हस्तांतरण/व्यपवर्तन बिना भारत सरकार की अनुमति के अनुमत्य नहीं था।

वर्ष 2009-10 से 2011-12 की अवधि में, अंतर योजना हस्तांतरण के 14 प्रकरण राशि ₹ 90 करोड़ देखे गये। अभिलेखों में ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं था जिस आधार पर यह सुनिश्चित हो सके कि अस्थाई व्यपवर्तन बाबत भारत सरकार से अनुमोदन लिया गया था। मार्च 2012 की स्थिति में कुल राशि ₹ 21 करोड़ उस योजना को वापिस नहीं की गई जिससे निधियां स्थानान्तरित की गई थीं विवरण परिशिष्ट 3.7 में दर्शाया है।

आयुक्त ने कहा (नवंबर - 2012) कि राज्यांश (15 प्रतिशत) जो कि राज्य स्वास्थ्य समिति के एन.आर.एच.एम. फ्लैक्सीपूल में जमा था उसे आवश्यक होने पर अन्य योजनाओं में हस्तांतरित किया गया।

भारत सरकार के निर्देशों के संदर्भ में उत्तर स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा जैसा उल्लिखित है, अंतर योजना हस्तांतरण की सम्पूर्ण राशि पूल योजना में वापिस नहीं की गई।

3.1.7.14 अग्रिमों का समायोजन न होना

राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा औषधियों, उपकरणों, सामग्री इत्यादि के क्रय/उपार्जन हेतु कोई भी नीति नहीं बनाई गई। तदपि, औषधियों, उपकरणों सामग्री इत्यादि का क्रय/उपार्जन संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (औषधि प्रकोष्ठ) के माध्यम से औषधियों/सामग्री के क्रय हेतु अग्रिम देकर किया गया।

भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों (अप्रैल 2011) के अनुसार सभी स्तरों पर अग्रिमों का वर्षवार विश्लेषण किया जाना चाहिए तथा अग्रिमों के समायोजन और अव्ययित राशियों की वापिसी हेतु त्रैमासिक अनुस्मारक भेजते हुये प्रबल अनुसरण करना चाहिए। हमने देखा कि भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया जैसा कि नीचे उल्लिखित है:

अभिलेखों की संवीक्षा एवं राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रदत्त जानकारी में हमने देखा कि 31 मार्च 2008 की स्थिति में राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को औषधि, किट इत्यादि के क्रय हेतु दिये गये ₹ 91 करोड़ के अग्रिम बकाया थे। लेकिन 1 अप्रैल 2008 को दर्शाये गये पूर्व शेष में यह राशि ₹ 48.03 करोड़ दर्शाई गई जो कि अग्रिम लेजर में दर्शाये गये अन्तिम शेष से ₹ 42.97 करोड़ कम थी। ₹ 48.03 करोड़ में से ₹ 35.45 करोड़ मार्च 2012 तक समायोजित कर ₹ 12.58 करोड़ का शेष रहा। तदपि 1 अप्रैल 2008 को अग्रिम लेजर में कम लेखांकित किये गये ₹ 42.97 करोड़ का मिलान राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा मार्च 2012 तक नहीं किया गया।

मार्च 2011 में औषधियों के क्रय हेतु औषधिय प्रकोष्ठ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को जारी किये गये ₹ 1.18 करोड़ मार्च 2012 तक असमायोजित थे

इसके अतिरिक्त, एन.व्ही.बी.डी.सी.पी¹⁷ के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को औषधियों के क्रय हेतु ₹ 1.40 करोड़ का अग्रिम (मार्च 2011) दिया गया। इसमें से ₹ 0.22 करोड़ औषधियों के क्रय हेतु उपयोग किया गया एवं ₹ 1.18 करोड़ असमायोजित शेष था। इस प्रकार, राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा अग्रिमों का समय पर समायोजन तथा समुचित उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन में आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा कहा गया (नवंबर 2012) कि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर अग्रिमों का समायोजन किया जायेगा तथा आंकड़ों की भिन्नता का मिलान किया जावेगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य स्वास्थ्य समिति दिये गये अग्रिमों के समय पर उपयोग तथा आंकड़ों में भिन्नता के नियमित मिलान के लिए उत्तरदायी है।

3.1.8 कार्यक्रम प्रबंधन

लेखापरीक्षा के दौरान केन्द्रीय योजनायें, जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, रीप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, टीकाकरण तथा राज्य योजनायें जैसे दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, राज्य बीमारी सहायता निधि, मुख्य मंत्री बाल हृदय उपचार योजना के क्रियान्वयन तथा ट्रामा केयर सेन्टर की स्थापना का परीक्षण किया गया तथा देखी गई कमियों पर आगामी कण्डिकाओं में चर्चा की गई है:-

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें

3.1.8.1 दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना

दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना (योजना) की जारी मार्गदर्शिका (सितम्बर 2004) के अनुसार योजना के अन्तर्गत अनसूचित जाति/जनजाति समुदाय के गरीबी रेखा के नीचे के कार्डधारी अन्तः रोगियों¹⁸ का निशुल्क उपचार किया जाना था। जुलाई 2006 से योजना का क्षेत्र विस्तृत कर इसमें सामान्य वर्ग के गरीबी की रेखा के नीचे के कार्डधारियों को भी सम्मिलित किया गया। योजना के अनुसार उपचार संबंधी आवश्यक प्रविष्टि (औषधियों की लागत तथा जांचों/परीक्षण का व्यय इत्यादि) नियमित रूप से हितग्राहियों को जारी स्वास्थ्य कार्ड के साथ-साथ चिकित्सालयों की पृथक स्टॉक अभिलेख में की जानी थी। योजना की निधियों का उपयोग अन्य योजनाओं में नहीं किया जाना था।

वर्ष 2009-12 की अवधि में योजना पर आवंटित तथा व्यय की गई निधियां निम्नानुसार थी:-

¹⁷ नेशनल वैक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम

¹⁸ वार्षिक उपचार लागत ₹ 20,000 प्रति परिवार तक जिसे सितम्बर 2011 में पुनरीक्षित कर ₹ 30,000 कर दिया गया।

तालिका 8: राज्य में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना पर बजट प्रावधान तथा व्यय
(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बजट	व्यय
2009-10	29.65	25.39
2010-11	29.10	26.75
2011-12	29.81	28.30
योग	88.56	80.44

स्रोत- आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें

मार्ग दर्शिका में निर्धारित कार्यविधि के अनुपालन के बिना ₹ 13.43 करोड़ का व्यय किया गया

हमने 17 नमूना जांच किये आहरण एवं संवितरण अधिकारियों में देखा कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 की अवधि में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना अन्तर्गत 5.85 लाख रोगियों के उपचार पर ₹ 13.43 करोड़ व्यय हुये, जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.8** में दिया गया है।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अभिलेखों की संवीक्षा में लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई कमियां निम्नानुसार हैं:

- (i) योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा औषधियों के पृथक भण्डार अभिलेख संधारित नहीं किए गए तथा योजना के अन्तर्गत जारी की गई औषधियों का मूल्य निर्गम प्रमाणकों पर तथा अधीनस्थ इकाइयों जैसे: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जारी की जाने वाली औषधियों की पंजियों पर अंकित नहीं किया गया। इस कारण लेखापरीक्षा यह निर्धारित नहीं कर सका कि इस योजना के अंतर्गत हुआ वास्तविक व्यय मार्गदर्शिका के अनुरूप निर्धारित परिसीमा में हुआ।
- (ii) रोगियों को जारी औषधि तथा जांच एवं परीक्षण पर हुये व्यय से संबंधित पृथक अभिलेख नमूना जांच किये किसी भी आहरण एवं संवितरण अधिकारी के अधीनस्थ सिविल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा संधारित नहीं किया गया।
- (iii) जिला स्तर के अभिलेखों की जांच के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, संचालक, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार (सितम्बर-2004) यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ अपात्र रोगियों को प्राप्त नहीं हो रहा था, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा हितग्राहियों के 10 प्रतिशत प्रकरणों का सत्यापन किया जाना था। परंतु अभिलेखों में कहीं भी यह नहीं पाया गया कि नमूना जांच किये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सत्यापन कार्य किया गया।

अतः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि योजना का लाभ केवल पात्र हितग्राहियों को दिया गया तथा निधियों का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिए किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा कहा गया (मार्च से सितम्बर 2012) कि मार्गदर्शिका के अनुसार उचित अभिलेखों के संधारण हेतु संबंधित कर्मचारियों को निर्देश जारी किये जायेंगे।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा कहा गया (नवंबर 2012) कि जांच उपरांत सुधारात्मक उपाय अपनाये जायेंगे।

3.1.8.2 राज्य बीमारी सहायता निधि¹⁹

राज्य बीमारी सहायता निधि के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले रोगियों को 20 अधिसूचित बीमारियों²⁰ के उपचार हेतु वित्तीय सहायता प्रदाय की जाती है। निर्धारित वित्तीय सहायता, जिला स्तर के प्राधिकारी द्वारा ₹ 1 लाख प्रति प्रकरण तथा राज्य स्तर के प्राधिकारी द्वारा ₹ 2 लाख प्रति प्रकरण प्रदाय की जाती है। जिसकी स्वीकृति प्रबंधन कमेटी देती है। प्राक्कलन के आधार पर सहायता राशि अग्रिम के रूप में सीधे सूचीबद्ध स्वास्थ्य संस्थानों को भुगतान की जाती है। उपचार उपरांत संबंधित संस्थान/चिकित्सालय से विस्तृत व्यय विवरण के साथ-साथ डिस्चार्ज टिकिट की प्रमाणित प्रति एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने थे।

नमूना जाँच किये गये 19 में से 14 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों²¹ में हमने देखा कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 की अवधि में 6848 प्रकरणों में कुल राशि ₹ 79.40 करोड़ प्रदाय की गई जबकि उपयोगिता प्रमाण-पत्र मात्र 1437 प्रकरणों के राशि ₹ 16.65 करोड़ के प्राप्त हुये, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 3.9 में दिया गया है। तदपि, संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के साथ व्यय के विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये।

हमने आगे देखा कि, संबंधित संस्थानों से उपचार का विवरण, उपचार की अवधि, स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा किया गया व्यय इत्यादि प्राप्त नहीं किये गये। अव्ययित राशि यदि कोई हो तो, उसे संस्थाओं से वापिस प्राप्त नहीं किया गया। दिये गये अग्रिम के विरुद्ध व्यय का विस्तृत विवरण प्राप्त न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि व्यय निर्धारित उद्देश्यों पर किया गया।

आयुक्त ने कहा (नवंबर 2012) कि संस्थानों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ विस्तृत व्यय विवरण प्रस्तुत करने हेतु 3 माह की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

3.1.8.3 मुख्य मंत्री बाल हृदय उपचार योजना²²

मुख्य मंत्री बाल हृदय उपचार योजना, अपने उपचार का व्यय वहन करने में असमर्थ 0-15 वर्ष की आयु के बच्चों के हृदय रोगों के निशुल्क उपचार तथा शल्य चिकित्सा हेतु जुलाई 2011 में प्रारंभ की गई। योजनान्तर्गत हितग्राहियों को शासकीय अथवा

उपचारित रोगियों के राशि ₹ 62.75 करोड़ के विस्तृत व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य संस्थाओं से प्राप्त नहीं किये गये

¹⁹ स्टेट इलनेस असिस्टेंस फंड

²⁰ कैंसर, रीनल सर्जरी रीनल ट्रांसप्लानटेशन, हिप ज्याइंट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ नी, ब्रेन इन्ज्यूरी, स्पाइनल सर्जरी, रेटिनल डिटेचमेंट, पोस्ट डिस्लेवरी काम्प्लीकेशन, हार्ट सर्जरी, थॉरोपिक सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, एम.डी.आर., पेस मेकर, वस्कुलर सर्जरी, कन्जेशनल मेल फार्मेशन, एप्पलास्टिक एनीमिया, बर्न एवं पोस्ट बर्न कन्डक्टर, क्रॉनिक रीनल डिस्सीज, स्वाइन फ्लू (C केटेगरी)

²¹ आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें तथा 18 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो कि योजनान्तर्गत निधियां स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत हैं।

²² चीफ मिनिस्टर चाइल्ड हार्ट ट्रीटमेंट स्कीम

अधिकृत निजी चिकित्सालयों में उपचार/शल्य चिकित्सा के लिए ₹ 1 लाख तक की सहायता प्रदाय की जाती है। संभागीय समिति के अध्यक्ष द्वारा संबंधित दस्तावेजों के साथ स्वीकृत प्रकरणों की सूची राज्य समन्वयक को राशि स्वीकृत करने हेतु भेजी जाती है। तदपि, योजना मार्गदर्शिका (जुलाई 2011) में कहीं भी चिकित्सालयों को दिये अग्रिम के अनुगमन का उल्लेख नहीं था।

शासकीय एवं निजी चिकित्सालय को उपचार हेतु दिये गये अग्रिमों पर हुये व्ययों के उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा विस्तृत व्यय विवरण प्राप्त करने का योजना में प्रावधान नहीं था

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें भोपाल के अभिलेखों की संवीक्षा में देखा गया कि जुलाई 2011 से मार्च 2012 की अवधि में 710 प्रकरणों में राशि ₹ 6.94 करोड़ आठ निजी चिकित्सालयों को तथा 61 प्रकरणों में राशि ₹ 0.55 करोड़ दो शासकीय चिकित्सालयों को प्रदाय की गई। हमने आगे देखा कि निजी चिकित्सालयों के सम्मिलित होने के बाबजूद योजना में चिकित्सालयों को दिये अग्रिमों का विस्तृत व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण- पत्र प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं था। कुल 771 प्रकरणों में दी गई राशि ₹ 7.49 करोड़ में से मात्र 449 प्रकरणों की राशि ₹ 4.40 करोड़²³ के उपयोगिता प्रमाण- पत्र तथा व्ययों का ब्यौरा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्राप्त (जनवरी 2013) किये गये।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें ने कहा कि (नवंबर 2012) संबंधित चिकित्सालयों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देश (अक्टूबर 2012) जारी किये गये हैं।

तथ्य यह है कि मार्गदर्शिका तथा विशिष्ट निर्देशों के अभाव में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा दिये गये अग्रिमों के अनुगमन में कमी रहेगी।

3.1.8.4 ट्रामा केयर सेन्टर की स्थापना

राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित शासकीय चिकित्सालयों में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन के लिए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गुना जिले के जिला चिकित्सालय में ट्रामा केयर सेन्टर की स्थापना हेतु राशि ₹ 1.50 करोड़ (₹ 20 लाख एम्बुलेंस तथा उपकरण हेतु, ₹ 61.50 लाख सिविल कार्य हेतु, रुपये एक लाख संचार प्रणाली हेतु तथा ₹ 67.50 लाख उपकरण एवं फर्नीचर हेतु) की स्वीकृति (फरवरी 2006) दी गई थी। विभाग द्वारा भी ट्रामा केयर सेन्टर हेतु तीन विशेषज्ञ, चार स्टाफ नर्स, दो ड्रेसर तथा चार वार्ड बॉय के पद स्वीकृत (अक्टूबर 2006) किये थे।

सिविल कार्य तथा मशीन/उपकरण के उपार्जन पर ₹ 1.06 करोड़ व्यय होने के बावजूद प्रस्तावित ट्रामा केयर सेन्टर की स्थापना न हो सकी

अभिलेखों की संवीक्षा में देखा गया कि सितम्बर 2008 में लागत ₹ 61.50 लाख के निर्माण कार्य पूर्ण हो गये तथा 2009-10 के दौरान राशि ₹ 44.93 लाख के उपकरण तथा फर्नीचर का क्रय किया गया। तदपि, अभिलेखों से कहीं भी यह प्रदर्शित नहीं होता कि शेष उपकरण जैसे-एम्बुलेंस, कलर डायलर, पोर्टेबल एक्स रे मशीन, सेन्ट्रल औक्सीजन तथा सक्शन मशीन, संचार प्रणाली इत्यादि के उपार्जन हेतु कोई प्रयास किये गये। फरवरी 2013 को बैंक खाते में ब्याज सहित अव्ययित राशि ₹ 56.51 लाख अनुपयोगी पड़ी हुई थी। आगे, ड्रेसर्स को छोड़कर केन्द्र के स्वीकृत पदों को भी नहीं भरा गया। इस प्रकार, पिछले छः वर्षों में ₹ 1.06 करोड़ व्यय होने के बावजूद ट्रामा केयर सेन्टर की स्थापना नहीं की जा सकी।

²³ शासकीय चिकित्सालय: ₹ 12 लाख (12 प्रकरण), निजी चिकित्सालय ₹ 4.28 करोड़ (437 प्रकरण)

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें ने कहा (नवंबर 2012) कि मशीन और उपकरण क्रय कर लिये गये तथा पद स्वीकृत किये गये लेकिन पदस्थापना किया जाना शेष है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेन्टर के लिए कुछ आवश्यक मशीन एवं उपकरण अभी क्रय किये जाने शेष हैं तथा आयुक्त कर्मचारियों की पदस्थापना के लिए सक्षम है।

3.1.8.5 जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन

जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तालन) नियम 1998 के नियम-8 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिमाह 1000 से कम रोगियों को उपचार/सेवायें प्रदान करने वाले क्लीनिक, औषधालय, पैथोलाजिकल प्रयोगशाला, ब्लड बैंक के अधिभागियों को छोड़कर प्रत्येक ऐसी संस्था के अधिभागियों जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट का जनन, संग्रहण, प्राप्ति, भंडारण, परिवहन, उपचार, निपटान अथवा किसी अन्य रूप में हस्तालन करते हैं, उन्हें विहित प्राधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी आदेश (मई-2009) दिये गये कि केवल ऐसे व्यक्ति/संस्था ही जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन कर सकेंगे जो मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकृत हैं। आगे, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देश (मई 2010) है कि अगर कोई संस्था अथवा स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र सांझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा केन्द्र²⁴ के अतिरिक्त अपने स्वयं के व्यवस्थापन पर जैव चिकित्सा अपशिष्ट का भंडारण, परिवहन, उपचार एवं निपटान करता है तो उसे इस कार्य के लिये मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पृथक प्राधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

चयनित जिलों में स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन एवं हस्तालन के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने देखा कि कुल 80 नमूना जांच किये स्वास्थ्य केन्द्रों में से मात्र 16 स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के जनन का प्राधिकार प्राप्त किया गया था। इनमें से 43 इकाइयों द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान हेतु सांझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा केन्द्र की सेवायें ली जा रही थीं। शेष 37 स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान स्वयं के द्वारा बिना प्राधिकार प्राप्त किये किया जा रहा था। विवरण तालिका 9 में उल्लिखित है:-

²⁴ कोमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसिलिटी

तालिका 9: स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्राधिकार प्राप्त करने की स्थिति

स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या एवं प्रकार जिनके लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक है	जैव चिकित्सा अपशिष्ट का जनन		जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान			
	इकाईयों की संख्या जिनके द्वारा प्राधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया	इकाईयों की संख्या जिनके द्वारा प्राधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया	इकाईयों की संख्या जिनके द्वारा सांझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा केन्द्र की सेवायें ली गयीं	इकाईयों की संख्या जिनके द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान स्वयं के व्यवस्थापन पर बिना प्राधिकार के किया जा रहा है	इकाईयों की संख्या जिनके द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट का विस्तृत अभिलेख संधारित नहीं किया गया	
जिला चिकित्सालय	03	01	02	02	01	03
सिविल अस्पताल	06	02	04	05	01	06
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	60	12	48	33	27	60
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (6 बिस्तरीय)	11	01	10	03	08	11
योग	80	16	64	43	37	80

स्रोत: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन से एकत्रित जानकारी

लेखा परीक्षा द्वारा देखा गया कि:

- जैसा कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तालन) के नियम 6(5) में निर्दिष्ट है कि कोई भी अनुपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्ट 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिये नहीं रखा जावेगा। हमने देखा कि 36 नमूना जांच किये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन में से 13 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों²⁵ द्वारा सांझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा केन्द्र की सेवायें ली जा रही थीं। तदपि, इन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अधीन स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट का संग्रहण सांझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा केन्द्र द्वारा तीन दिन से लेकर 15 दिन के विलंब से किया जा रहा था, जैसा कि संबंधित संस्थान के कर्मचारियों द्वारा सूचित किया गया।
- 80 स्वास्थ्य संस्थानों में से किसी के द्वारा भी जैव चिकित्सा अपशिष्ट का श्रेणीवार²⁶ अभिलेख संधारित नहीं किया गया जो कि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु पूर्वापेक्षित था।
- अभिलेखों से कहीं भी यह प्रदर्शित नहीं होता था कि 80 नमूना जांच किये स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट का पृथक्करण, पैकिंग तथा टैगिंग का कार्य किया जा रहा था। इस कारण, जैव चिकित्सा अपशिष्ट का हस्तालन ठीक से न होने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।

²⁵ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी- बालाघाट, छिंदवाडा, डिंडौरी, खरगोन, मंडला, उज्जैन के अधीन सभी स्वास्थ्य केन्द्र तथा सिविल सर्जन- बालाघाट, छिंदवाडा, डिंडौरी, इंदौर, मंडला, शहडोल तथा उमरिया ।

²⁶ हयूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी तथा बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, वेस्ट शार्प, डिस्काडिड मेडिसिन तथा साइटो-टैक्सिक ड्रग, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट तथा केमिकल वेस्ट ।

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें द्वारा आश्वस्त किया गया कि जाँच उपरान्त सुधारात्मक उपाय किये जायेंगे।

मिशन संचालक, राज्य स्वास्थ्य समिति

3.1.8.6 अनुमोदित पी.आई.पी. में सम्मिलित गतिविधियों का कार्यान्वयन न किया जाना

एन.आर.एच.एम./आर.सी.एच/टीकाकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के परिपेक्ष्य में, एस.एच.एस. मातृ स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों और उपायों, बाल स्वास्थ्य, परिवार कल्याण नियोजन के बुनियादी ढांचे तथा मानव संसाधन, संस्थागत सुदृढीकरण और क्षमता वर्धन आदि के लिये प्रतिवर्ष एक समेकित स्वास्थ्य कार्ययोजना तैयार करता है, जो कि ग्रामीण जनता को अभिप्रेत लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उसी वित्तीय वर्ष के भीतर निष्पादित/लागू किया जाना चाहिये।

कार्यक्रम
क्रियान्वयन योजना
में शामिल 66
गतिविधियों को
नहीं लिया गया

हमने पाया कि वर्ष 2009-12 की अनुमोदित पी.आई.पी.की 66 गतिविधियों में शामिल ₹ 75.19 करोड़ सम्मिलित थे, जो कि स्वास्थ्य संस्थानों का सुदृढीकरण, विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों तथा सह-चिकित्सीय अमले की सेवाओं की नियुक्ति, चिकित्सा अधिकारियों, सह चिकित्सीय अमले तथा सामुदायिक कार्यकर्ताओं की क्षमता वर्धन, रोगी वाहन, मशीन एवं संयंत्र का उपार्जन, अंतर विश्लेषण तथा आधारभूत मूल्यांकन, सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी) की गतिविधियों, आई.पी.एच.एस के मापदण्ड के अनुसार भवनों का निर्माण आदि के लिये थी। एस.एच.एस. की गतिविधिवार प्रगति प्रतिवेदनों की जांच में, हालांकि इन गतिविधियों की मदों के विरुद्ध कोई व्यय नहीं किया गया था। विवरण परिशिष्ट 3.10 में दर्शाया गया।

आर.सी.एच., एन.आर.एच.एम तथा टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन न किये जाने से मिशन के उद्देश्यों की पूर्णता प्रभावित हुई।

आयुक्त ने कहा (नवम्बर 2012) कि प्रकरण की जांच के बाद, आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

3.1.8.7 स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केन्द्रों की स्थापना

एन.आर.एच.एम.का उद्देश्य ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे की वर्तमान क्षमता में अंतराल को पूरा करना है। एन.आर.एच.एम. ढांचे में एक एस.एच.सी. के लिये 5000 जनसंख्या (3000 आदिवासी क्षेत्र में), एक पी.एच.सी. के लिये 30000 जनसंख्या (20000 आदिवासी क्षेत्र में) तथा एक सी.एच.सी.के लिये 120000 जनसंख्या (80000 आदिवासी क्षेत्र में) पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित था।

राज्य की पी.आई.पी. तथा विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन की जांच में पाया गया कि दिसम्बर-2012 की स्थिति में स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों की कमी थी; जैसा विवरण नीचे दिखाया गया है:

तालिका 10: स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों की आवश्यकता के अनुसार, स्थापना एवं कमी

स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र का नाम	जनगणना 2011 के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों की आवश्यकता	पी.आई.पी. में स्वास्थ्य देख भाल केन्द्रों की प्रस्तावित संख्या(जनगणना-2001)	दिसम्बर 2012 की स्थिति में स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों की संख्या	2011 की जन गणना के अनुसार कमी (प्रतिशत)	पी.आई.पी.के विरुद्ध कमी (प्रतिशत)
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	438	333	332	106(24.20)	01
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1751	1713	1156	595(34)	557(32.51)
उप स्वास्थ्य केन्द्र	10508	10194	8765	1743(17)	1429(14)

जनसंख्या के मापदण्ड के अनुसार आवश्यक संख्या में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना नहीं की जा सकी

स्तोत्र: मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम.द्वारा प्रदाय आंकड़े

स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी के कारण, सरकार जनसंख्या के मापदण्डों के आधार पर स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान नहीं कर सकी।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें ने कहा (नवम्बर-2012) कि वित्त एवं मानव संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आवश्यक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिये योजना को तैयार किया जा रहा था।

3.1.8.8 भारतीय लोक स्वास्थ्य (आई.पी.एच.एस) के मापदण्डों की तुलना में अस्पताल भवनों में सुविधा की कमी

भारत सरकार, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, चौबीस घंटे अस्पताल जैसी सुविधायें प्रदान करने के लिये आई.पी.एच.एस. के स्तर तक स्वास्थ्य केन्द्रों को लाना चाहता है। तदनुसार, मानक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये, सी.एच.सी., पी.एच.सी. तथा एस.एच.सी. में भवन सहित आधारभूत संरचना के लिये आई.पी.एच.एस. ने मापदण्ड निर्धारित किये।

हमने पाया कि राज्य में दिसम्बर-2012 की स्थिति में स्थापित सभी 332 सामुदायिक केन्द्रों, 1156 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 8761 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में आई.पी.एच.एस. के सभी मापदण्ड पूर्ण नहीं किये गये।

एस.एच.एस. द्वारा प्रदत्त जानकारी के विश्लेषण में पाया गया कि:

- 332 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से, 53 बिना आपरेशन थियेटर तथा आपात कालीन कक्ष के चल रहे थे।
- 33 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 448 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 8630 उपस्वास्थ्य केन्द्रों में लेबर/प्रसव कक्ष नहीं थे।
- 306 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रक्त भंडारण की सुविधा नहीं थी। 903 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 27 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24x7 आपात कालीन सुविधायें नहीं थीं।

आई पी एच एस के मापदण्डों की तुलना में स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों की सुविधाओं में उल्लेखनीय कमी देखी गई

- (iv) 704 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 24 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नवजात कार्नर के बिना चल रहे थे। साथ ही, 448 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रसूति देखभाल की सुविधा के बिना चल रहे थे।
- (v) 1110 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 103 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्स-रे सुविधा तथा नैदानिक सुविधा उपलब्ध नहीं थी। स्त्री रोगों की जांच के लिये आंतरिक परीक्षण सुविधा 448 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध नहीं थी। विवरण **परिशिष्ट 3.11** में दर्शाया गया।

इस प्रकार, स्वास्थ्य केन्द्रों में आई.पी.एच.एस.के स्तर तक अस्पताल जैसी चौबीस घंटे सुविधा लाने के लिये एन.आर.एच.एम.का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें ने कहा (नवम्बर-2012) कि विशाल आधारभूत संरचना के अंतर तथा उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुये, राज्य ने आइ.पी.एच.एस. के मापदण्ड के अनुसार उन्वयन एवं निर्माण की सुविधाओं की पहचान की है। इन मापदण्डों की उपलब्धि के लिये चरणों में पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।

वास्तविक स्थिति यह है कि अत्यधिक धनराशि की उपलब्धता के पश्चात भी आई.पी.एच.एस.के मापदण्डों के अनुसार मिशन अवधि (2005-12) के दौरान आधारभूत संरचनाओं तथा सुविधाओं को जनता के लिये उपलब्ध नहीं किया जा सका।

3.1.8.9 आयुष²⁷ इकाई की स्थापना


एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत, स्थानीय परंपराओं को पुर्नजीवित करने के लिये प्रत्येक सी.एच.सी. तथा पी.एच.सी. में एक अलग आयुष इकाई की स्थापना की जानी थी। वहाँ पदस्थ चिकित्सा अधिकारी के अतिरिक्त संविदा के आधार पर आयुष चिकित्सकों की पदस्थापना/भर्ती करके बाह्य रोगी सेवाओं को सुदृढीकरण किया जाना था।

आयुष इकाईयों की स्थापना में (61 से 90 प्रतिशत) उल्लेखनीय कमी

अभिलेखों की संवीक्षा एवं आयुष इकाई से संबधित एस.एच.एस.द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में पाया गया कि एन.आर.एच.एम. के आरंभ से सात वर्ष पश्चात भी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुष इकाईयों की उल्लेखनीय कमी थी। जैसा कि आगे चार्ट में दिखाया गया है:

²⁷ आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी

चार्ट-1



स्रोत: एस एच एस द्वारा प्रदाय आंकड़े

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि विद्यमान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 61 प्रतिशत से 90 प्रतिशत आयुष केन्द्रों की स्थापना की कमी रही। साथ ही, अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2009-12 की अवधि के दौरान आवंटन ₹ 43.16 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 17.42 करोड़ (40 प्रतिशत) व्यय किये गये।

इस प्रकार, एस.एच.एस. धन की उपलब्धता के बावजूद औषधियों की वैकल्पिक प्रणालियों की सुविधा प्रदाय नहीं कर सके।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें ने कहा (नवम्बर-2012) कि अंतर की पहचान की जायेगी एवं आगामी पी.आई.पी में समावेशन किया जायेगा।

3.1.8.10 दृष्टि केन्द्र की स्थापना

दृष्टिहीनता के नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम, अंधत्व निवारण (एन.पी.सी.बी) का मुख्य उद्देश्य देश में अंधेपन की दर को कम करना था। एन.पी.सी.बी.के दिशा निर्देशों के अनुसार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नेत्र उपचार के लिये दृष्टि केन्द्र स्थापित किये जाने थे तथा संविदा के आधार पर नेत्र सहायकों की नियुक्ति की जानी थी।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यालय के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2010-12 के दौरान 42 जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को ₹ 50,000 प्रति केन्द्र के हिसाब से 90 दृष्टि केन्द्रों के लिये ₹ 45 लाख (जून-2010, ₹ 20 लाख तथा जनवरी 2012, ₹ 25 लाख) उपकरण क्रय करने हेतु जारी किये। ये केन्द्र तीन माह में स्थापित किये जाने थे।

17 जिलों में 34 दृष्टि केन्द्र स्थापित नहीं किये जा सके तथा ₹ 17 लाख अप्रयुक्त रहे

हालांकि, जनवरी 2013 की स्थिति में ₹ 28 लाख की लागत से 25 जिलों में केवल 56 दृष्टि केन्द्र स्थापित किये गये। ₹ 17 लाख की शेष राशि 17 जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के पास अप्रयुक्त पड़ी रही।

इस प्रकार, अंधेपन के नियंत्रण का उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें ने कहा (नवम्बर-2012) कि शेष जिलों में दृष्टि केन्द्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर था।

3.1.8.11 नेत्र क्लिनिकों के विकास के लिये धन अवरुद्ध रहना

एन.पी.सी.बी.के अन्तर्गत, बाल चिकित्सा नेत्र इकाइयों, रेटिना इकाइयों, कम दृष्टि इकाइयों आदि के विकास के लिये ₹ 40 लाख (प्रति इकाई के लिये) अनावर्ती सहायता के रूप में पांच²⁸ चिकित्सा महाविद्यालयों (दिसम्बर-2009) को राशि उपलब्ध कराई गई थी।

₹ 80 लाख की उपलब्धता के पश्चात भी दो चिकित्सा महाविद्यालय नेत्र मरीजों के लिये उपकरण क्रय नहीं कर सके

अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने पाया कि वर्ष 2009-10 के दौरान चिकित्सा महाविद्यालयों को वर्तमान नेत्र विज्ञान विभाग के उन्वयन तथा नेत्र उपकरणों के उपार्जन के लिये ₹ 2 करोड़ उपलब्ध कराये गये। एस.एच.एस.द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, मार्च 2012 की स्थिति में चिकित्सा महाविद्यालयों के पास राशि अप्रयुक्त रही थी।

आयुक्त ने कहा (नवम्बर-2012) कि सितम्बर-अक्टूबर 2012 के दौरान चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर, ग्वालियर तथा जबलपुर द्वारा राशि का उपयोग कर लिया गया। चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा ने नेत्र उपकरण क्रय नहीं किये तथा चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल ने कोई जानकारी प्रदाय नहीं की।

3.1.8.12 टीकाकरण के लिये निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धि

टीकाकरण कार्यक्रम में लक्ष्यों को पूरा करने के विरुद्ध उल्लेखनीय कमी देखी गई

नियमित टीकाकरण बच्चे की उत्तरजीविता के लिये एक महत्वपूर्ण रणनीति है, जो कि मुख्य रूप से काफी हद तक रूग्णता को कम करने के लिये निवारक पहलुओं पर आधारित है। छह: निवारक रोगों, अर्थात् डिप्थीरिया, खसरा, काली खाँसी, पोलियो, टेटनस एवं तपेदिक जैसे व्यापक रोगों के प्रतिरक्षण हेतु सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बच्चों (0 से 24 माहो) के नियमित टीकाकरण की आधारशिला रखी गई थी। टीकाकरण कार्यक्रम के लिये निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि नीचे दी गई:

²⁸ भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर तथा रीवा

**तालिका 11: लक्ष्य, उपलब्धि तथा टीकाकरण में कमी
(आंकड़े लाखों में)**

वर्ष	लक्ष्य	डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनस (डी.पी.टी)		ओरल पोलियो टीका(ओ.पी.व्ही.)		बेसीलस कालमेट गेरिन(बी.सी.जी)		मीजल्स	
		उपलब्धि	कमी	उपलब्धि	कमी	उपलब्धि	कमी	उपलब्धि	कमी
2009-10	18.96	17.70	1.26 (7%)	17.68	1.28 (7%)	18.36	0.60 (3%)	17.48	1.48 (8%)
2010-11	19.28	16.35	2.93 (15%)	16.37	2.91 (15%)	16.31	2.97 (15%)	16.23	3.05 (16%)
2011-12	17.21	15.72	1.49 (9%)	14.29	2.92 (17%)	15.37	1.84 (11%)	15.44	1.77 (10%)
कुल	55.45	49.77	5.68	48.34	7.11	50.04	5.41	49.15	6.30

स्रोत: विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2010-11 के दौरान कमी के परिप्रेक्ष्य में, एस.एच.एस.द्वारा वर्ष 2011-12 में लक्ष्यों को कम कर दिया गया परन्तु 2011-12 के दौरान उपलब्धि उससे भी कम रही, जो कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन की दक्षता और प्रभावशीलता में कमी दर्शाती है। टीकाकरण में कम उपलब्धि बच्चों के निवारक स्वास्थ्य देखभाल के दायरे में कमी दर्शाता है।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें ने कहा (नवम्बर-2012) कि वर्ष 2009-11 की अवधि के दौरान बच्चे के जन्म दर के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, लेकिन 2011-12 के दौरान जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लक्ष्य तय किये गये थे, वर्ष 2011-12 में लक्ष्यों को प्राप्त न किये जाने का कारण टीकों का देर से प्राप्त होना भी था।

उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं था, विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 में कम लक्ष्यों के पश्चात भी टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की।

3.1.8.13 प्रसव पूर्व देखभाल

एन.आर.एच.एम.के ढांचे की परिकल्पना में प्रसव पूर्व देखभाल के अन्तर्गत सभी गर्भधारण का पता लगाने एवं पंजीकरण की आवश्यकता थी, आदर्श रूप से पहली तिमाही (गर्भावस्था के 12 वे सप्ताह के पहले) तथा भ्रूण की गर्भावधि के हिसाब से अपेक्षित महिलाओं को दी जाने वाली देखभाल आवश्यक थी। कम से कम चार प्रसव पूर्व जांचें निर्धारित थीं। जैसे ही गर्भावस्था संभावित हो पहली बार ही प्रसव पूर्व जांच किया जाना था, दूसरी चौथे एवं छठवे माह के बीच (26 सप्ताहों के आसपास), तीसरी आठवे माह पर (32 सप्ताहों के आसपास) एवं अंतिम नौवे माह पर (36 सप्ताहों के आसपास)। साथ ही, प्रसव पूर्व देखभाल की सेवायें जैसे सामान्य परीक्षा, वजन, ब्लड प्रेशर, एनिमिया, ऊंचाई तथा स्तन की माप के साथ साथ गर्भावस्था के दौरान आयुर्न एवं फोलिक एसिड की पूरकता भी प्रदाय की जाना था। इसमें टेटनेस टॉक्सॉईड इंजेक्शन देना एवं उच्च जोखिम गर्भधारण की पहचान करना तथा परामर्श के लिये शीघ्र रेफर करना भी शामिल था।

प्रथम तिमाही में गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण तथा संस्थागत प्रसवों की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 12: पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या/तिमाही में पंजीकृत गर्भावस्था की संख्या/संस्थागत प्रसवों की संख्या

(आंकड़े लाखों में)

कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से केवल 47 से 49 प्रतिशत महिलाएँ प्रथम तिमाही में पंजीकृत हुईं।

वर्ष	राज्य में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या	प्रथम तिमाही की गर्भावस्था में पंजीकृत महिलाओं की संख्या	तीन प्रसव पूर्ण जांचों के साथ पंजीकृत महिलाओं की संख्या	कुल प्रसव	कुल संस्थागत प्रसव
2009-10	19.93	9.30 (47%)	16.28 (82%)	16.08	12.92 (80%)
2010-11	20.28	9.94 (49%)	15.84 (78%)	15.93	13.35 (84%)
2011-12	19.41	9.58 (49%)	14.86 (77%)	14.85	12.79 (86%)

स्रोत: एस.एच.एच.द्वारा जानकारी प्रदाय

तालिका दर्शाती है कि संस्थागत प्रसव बढ़ी हुई दर की प्रवृत्ति दर्शाते थे, लेकिन गर्भवती महिलाओं का प्रथम तिमाही में कम पंजीकरण तथा तीन वर्ष के दौरान महिलाओं की तीन प्रसव पूर्ण जांचें कम थीं। कमी, विभाग द्वारा जागरूकता पैदा करने की कमी को दर्शाता है। वर्ष 2009-12 के दौरान संस्थागत प्रसवों की संख्या कुल प्रसवों की 80 से 86 प्रतिशत थी।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें ने कहा (नवम्बर-2012) कि समय पर गर्भावस्था की पहचान के लिये सहायक नर्स मिड-वाइफ (ए.एन.एम.) महिला स्वास्थ्य विजीटर (एल.एच.व्ही.) के साथ आशाओं की सहायता ली जावेगी।

3.1.8.14 मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की उपलब्धता

एन.आर.एच.एम. ढांचे की परिकल्पना में 1000 की आबादी वाले प्रत्येक ग्राम में एक आशा उपलब्ध कराना है। आदिवासी, पहाड़ी तथा रेगिस्तानी इलाकों के लिये मापदंड में काम के बोझ के आधार पर एक आशा प्रति बसाहट की छूट दी जा सकती है। आशा समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच अंतरापृष्ठीय है तथा आशा स्वास्थ्य की स्थानीय आवश्यकताओं के आकलन के लिये नोडल व्यक्ति के रूप में कार्य करती है। उनके द्वारा जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य योजनाओं को तैयार करने के लिये जानकारी एकत्रित की जाती है जो कि राज्य स्वास्थ्य कार्ययोजना के काम आती है। आशा को 2011-12 तक सात माड्यूल के प्रेरक प्रशिक्षण प्राप्त करने थे।

56097 चयनित आशाओं के विरुद्ध केवल 32120 आशाएँ सभी सात माड्यूल तक प्रशिक्षित की गईं

हमने पाया कि 56,941 आशाओं के विरुद्ध अक्टूबर 2012 तक 56,097 आशायें भर्ती की गईं। केवल 32,120 आशायें सातवें माड्यूल तक प्रशिक्षित थी तथा 10,285 आशायें पांचवें माड्यूल तक प्रशिक्षित थी। शेष 13,692 आशायें पांचवें माड्यूल तक भी प्रशिक्षित नहीं थीं। आशा के चयन एवं प्रशिक्षण में कमी के कारण ग्रामों में एन.आर.एच.एम.के उद्देश्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें ने कहा (नवम्बर 2012) कि ग्रामों में अधिकतर महिलायें पांचवी कक्षा पास की न्यूनतम योग्यता पूरी नहीं करती हैं, इसलिये, आशाओं का आवश्यक संख्या में चयन नहीं किया जा सका। हालांकि, साक्षर महिलाओं के चयन के लिये सरकार के स्तर पर प्रस्ताव लंबित था।

वास्तविकता यह है कि आशा की कमी से उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से ग्रामीण जनता वंचित रही।

3.1.8.15 आधारभूत संरचना एवं रोगी कल्याण समिति के रख रखाव के लिये अनुदान की उपयोगिता

एन.आर.एच.एम.के अन्तर्गत, भारत सरकार द्वारा तय मापदण्डों²⁹ के अनुसार, स्थानीय स्वास्थ्य कार्य के लिये अनाबद्ध अनुदान (औषधियों आदि पर व्यय) एवं आधारभूत संरचना की मरम्मत तथा सुधार के लिये वार्षिक मरम्मत अनुदान (भवन एवं उपकरणों की मरम्मत) एवं चल रहे ग्रामीण अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में समुदायिक स्वामित्व लाने के लिये रोगी कल्याण समिति (आर.के.एस.) अनुदान एस.एच.एस. द्वारा डी.एच.एस.को प्रदाय की जाती है। इसके बाद, डी.एच.एस उसी को मैदानी इकाइयों को जारी करता है जैसे जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सी.एच.सी., पी.एच.सी., एस.एच.सी., ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति (व्ही.एच.एस.सी.) एवं आर.के.एस.।

एस.एच.एस. के अभिलेखों की जांच में हमने पाया इन अनुदानों की उपयोगिता के अन्तर्गत मार्च 2012 की स्थिति में अत्यधिक शेष राशि ₹ 22.71 करोड़ पाई गई, जैसा कि नीचे दर्शाया गया:

उपलब्ध धनराशि से ₹ 22.71 करोड़ अनाबद्ध, मरम्मत तथा आर के एस अनुदान का उपयोग नहीं किया गया

तालिका 13: अनाबद्ध, रखरखाव तथा आर.के.एस.अनुदान की स्थिति (₹ करोड़ों में)

वर्ष	अनुदान का नाम	उपलब्ध राशि	उपयोगित राशि	अनउपयोगित शेष राशि
2009-10	अनाबद्ध	66.67	26.18	40.49
	रखरखाव	14.14	10.37	3.77
	आर.के.एस.	14.54	10.10	4.44
	योग	95.35	46.65	48.70
2010-11	अनाबद्ध	68.83	37.61	31.22
	रखरखाव	14.19	9.73	4.46
	आर.के.एस.	15.19	10.22	4.97
	योग	98.21	57.56	40.65
2011-12	अनाबद्ध	57.86	42.44	15.42
	रखरखाव	14.40	11.56	2.84
	आर.के.एस.	16.84	12.39	4.45
	योग	89.10	66.39	22.71

स्रोत: एस.एच.एस.द्वारा प्रदाय आंकड़े

²⁹ अनाबद्ध अनुदान-सी.एच.सी. ₹ 50,000, पी.एच.सी. ₹ 25,000, एस.एच.सी. ₹ 10,000 व्ही.एच.एस. सी. ₹ 10,000, मरम्मत अनुदान- सी.एस.सी. ₹ 1लाख, पी.एच.सी. ₹ 50,000, एस.एच.सी. ₹ 10,000 आर.के.एस.अनुदान-डी.एच.ए. ₹ 5 लाख, सी.एच. ₹ 1लाख, सी.एच.सी. ₹ 1लाख तथा पी.एच.सी. ₹ 1 लाख

आधारभूत संरचनाओं के विकास और रखरखाव के लिये धन राशि का उपयोग न होना जन स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित करता है ।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें ने कहा (नवम्बर-2012) कि प्रकरण की जांच की जायेगी तथा सुधारात्मक कार्यवाही की जायेगी।

3.1.8.16 जिला अस्पतालों में नवजात गहन चिकित्सा इकाइयों (एस.एन.सी.यू.)की स्थापना न होना

शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण पाने तथा जिला अस्पतालों पर गहन नवजात देखभाल के लिये, वर्ष 2008-09 के दौरान आर.सी.एच. कार्यक्रम के अन्तर्गत नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाइयाँ प्रस्तावित थीं ।

इकाइयाँ स्थापित न किये जाने से एस एन सी यू के लिये क्रय किये गये ₹ 1.13 करोड़ मूल्य के उपकरण अनुपयोगी रहे

जांच किये गये 18 जिला अस्पतालों में से चार³⁰ में हमने पाया कि नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाइयाँ स्थापित करने हेतु, भवनों की पूर्णता सुनिश्चित किये बिना, संचालनालय ने 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान ₹ 1.13 करोड़ मूल्य के उपकरण³¹ क्रय किये, जो कि जुलाई 2012 तक जिला अस्पतालों के भंडारों में अनुपयोगी पड़े रहे। इस प्रकार इन जिला अस्पतालों में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाइयों की स्थापना न किये जाने से, सुधारात्मक एवं नवजात शिशु देखभाल प्रदाय नहीं किये जाने के बावजूद उपकरणों के क्रय पर ₹ 1.13 करोड़ व्यय किये गये।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें ने कहा (नवम्बर-2012) कि प्रकरण की जांच की जावेगी एवं सुधारात्मक कार्यवाही की जावेगी।

3.1.8.17 पोषण पुनर्वास केन्द्र (एन.आर.सी.)

0-5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में गंभीर कुपोषण के प्रकरणों की दर पर नियंत्रण पाने के लिये, मई 2008 में एन.आर.एच.एम.के अन्तर्गत एन.आर.सी.निर्माण के लिये योजना तैयार की गई। पोषण सहायता जैसे: जिंक, फोलिक एसिड, मल्टी विटामिन, आयरन, एल्वेन्डाजोल आदि प्रदाय करने के साथ चिकित्सक के परामर्श पर पोषक भोजन, बच्चों की देखभाल तथा कुपोषित बच्चों की माताओं को परामर्श के लिये प्रत्येक विकास खंड स्तर पर एन.आर.सी. की स्थापना की जाना थी। महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा आशा द्वारा गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान करना एवं आगे के उपचार के लिये उन्हें एन.आर.सी. में लाना था। कुपोषित बच्चे के एन.आर.सी. में भर्ती होने के पश्चात, एन.आर.सी. का अमला बच्चे की देखभाल करेगा।

हमने पाया कि मार्च 2012 की स्थिति में राज्य में 313 विकास खंडों में से 242 विकास खंडों में 269 पोषण पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई, इनमें से 263 एन.आर.सी.³² कार्यशील थे। शेष छह: एन.आर.सी.चिकित्सीय एवं सह चिकित्सीय अमले के अभाव में

³⁰ बालाघाट (₹ 32.98 लाख), छिंदवाडा (₹ 34.69 लाख), डिंडोरी (₹ 16.26 लाख) एवं उमरिया (₹ 28.80 लाख)

³¹ आक्सीजन कन्सट्रैटर, आटो ब्लड एनालाइजर, पल्स आक्सीमीटर, बिलीरुबिनो मीटर, इन्फेनोमीटर आदि ।

³² 20 बिस्तरीय केन्द्र 53, 10 बिस्तरीय केन्द्र 210

अक्रियाशील थे। इस प्रकार, योजना के अन्तर्गत शेष 71 विकास खंडों के समावेशन न किये जाने से उन विकास खंडों के रहवासी लाभ से वंचित रहे।

71 विकासखण्डों में एन आर सी स्थापित नहीं थे; साथ ही एन आर सी में अमले की कमी थी

दिशा निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक एन.आर.सी. एक चिकित्सक, पोषक प्रशिक्षक तथा एक से तीन नर्सों³³ से सुसज्जित होने थे। हमने पाया कि सात एन.आर.सी.बिना चिकित्सक के थे तथा 18 एन.आर.सी. पोषक प्रशिक्षक के बिना थे। इसके अलावा 369 नर्सों की आवश्यकता के विरुद्ध 254 नर्स थीं ।

आगे हमने पाया कि वर्ष 2009-11 के दौरान सात एन.आर.सी. भवनों का निर्माण प्रारंभ किया गया जो कि छह: माह में पूर्ण किया जाना था। हालांकि, ₹ 32.63 लाख व्यय के पश्चात मार्च 2012 की स्थिति में चार³⁴ एन.आर.सी.भवनों का निर्माण अपूर्ण रहा । शेष तीन कार्य³⁵ मार्च 2012 तक नहीं लिये गये।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवार्ये ने कहा (नवम्बर 2012) कि एन.आर.सी.की स्थापना चरणबद्ध तरीके में सुनिश्चित की जावेगी तथा एन.आर.सी. में पर्याप्त मानव संसाधन प्रदान किये जाने के प्रयास किये जायेंगे । एन.आर.सी.भवन के निर्माण के संबंध में आयुक्त ने कहा कि भूमि की देरी से उपलब्धता के कारण कार्य पूर्ण नहीं किये जा सके ।

वास्तविकता यह है कि प्रत्येक विकास खंड में एन.आर.सी. स्थापित न किये जाने तथा चिकित्सकों, पोषक प्रशिक्षकों, नर्सों की कमी के कारण गंभीर कुपोषित बच्चों के संबंध में उद्देश्य प्राप्त नहीं किये जा सके।

3.1.8.18 स्वास्थ्य संकेतकों के संदर्भ में निष्पादन

एन.आर.एच.एम. के ढांचे में की गई परिकल्पना के अनुसार शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य के निष्पादन संकेतक मिशन अवधि (2005-12) के दौरान प्राप्त करने के लिये तय किये गये।

राज्य के संबंध में स्वास्थ्य के निष्पादन संकेतक का विवरण तालिका-14 में है:

तालिका 14: स्वास्थ्य संकेतकों की स्थिति

स्वास्थ्य संकेतक	एन.आर.एच.एम/आर.सी.एच.प्रारंभ होने के पहले स्थिति		मिशन अवधि में तय किये गये लक्ष्य		स्थिति तक		
	राष्ट्रीय	राज्य	राष्ट्रीय	राज्य	दिसम्बर 2009	दिसम्बर 2010	दिसम्बर 2011
एम एम आर ³⁶ (जीवित जन्म प्रति लाख पर)	254	379	100	220	379	379	310
टी.एफ.आर ³⁷	2.9	3.6	2.1	2.1	3.1	3.1	3.2
आई एम आर ³⁸ (जीवित जन्म प्रति 1000 पर)	58	76	30	60	72	72	62

स्त्रोत-राज्य स्वास्थ्य समिति की पी आई पी

राज्य सरकार द्वारा एम.एम.आर., टी.एफ.आर. तथा आई.एम.आर. के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका

³³ 10 बिस्तरीय केन्द्रों पर एक स्टाफनर्स तथा 20 बिस्तरीय केन्द्र पर तीन स्टाफनर्स

³⁴ पन्ना (डी.एच.पन्ना) सागर (सी.एच.सी., गढ़ाकोटा) श्योपुर (डी.एच., श्योपुर) तथा टीकमगढ़ (सी.एच.सी., बड़ागांव)

³⁵ अशोकनगर(डी एच, अशोकनगर), खरगोन (डी एच, खरगोन), तथा टीकमगढ़ (सी एच सी, बड़ागांव)

³⁶ एम एम आर- मातृ मृत्यु दर (जीवित जन्म प्रति लाख पर)

³⁷ टी एफ आर - कुल प्रजनन दर (किसी महिला द्वारा अपनी प्रजनन अवधि में जन्म दिये गये बच्चों की औसत संख्या)

³⁸ आई एम आर- शिशु मृत्यु दर (जीवित जन्म प्रति 1000 पर)

वास्तविकता यह है कि भारत सरकार से वृहद सहायता राशि प्राप्त होने तथा राज्य शासन द्वारा मिशन अवधि में एम एम आर तथा आई एम आर के लक्ष्य, राष्ट्रीय लक्ष्यों की तुलना में अधिक रखे जाने के बावजूद यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके। टी.एफ.आर. दिसम्बर 2009 में 3.1 थी जो दिसम्बर 2011 में बढ़ कर 3.2 हो गई। एस.एच.एस. द्वारा लक्ष्यपूर्ति में कमी का कारण कुशल जनशक्ति की अनुपलब्धता, अधोसंरचनात्मक कमी इत्यादि बताये गये। यह विभाग के पक्ष पर योजना तथा पूर्व तैयारियों की कमी को प्रदर्शित करता है।

निर्गम सम्मेलन में आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें एवं सह सचिव ने कहा (नवम्बर 2012) कि राज्य में आई.एम.आर., टी.एफ.आर. तथा एम.एम.आर. की दरें कम करने के प्रयास किये जा रहे थे।

3.1.8.19 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एम.सी.एच.) स्तर I³⁹, II⁴⁰ तथा III⁴¹ केन्द्रों की स्थापना

एम.एम.आर. पर नियंत्रण पाने एवं उपलब्ध संसाधनों के युक्तिसंगत उपयोग के लिये, गर्भवती तथा नवजात शिशुओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिये मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य स्तर तक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिये स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों के उन्नयन के लिये पहचान की जानी थी, प्रत्येक लक्षित लाभार्थियों को 20 किलोमीटर के दायरे में स्वास्थ्य सेवायें सुलभ करानी थीं तथा आर.सी.एच.कार्यक्रम के अन्तर्गत एक नक्शा तैयार कराना था, राज्य सरकार द्वारा कुछ डी.एच., सी.एच., सी.एच.सी. तथा पी.एच.सी. को प्रत्येक जिले में सीमांक⁴² तथा बीमांक⁴³ संस्थायें घोषित किया। आगे, भारत सरकार की दिशा निर्देशों के तारतम्य में राज्य सरकार ने (सितम्बर 2010) एम.सी.एच.केन्द्रों को पुनः वर्गीकृत किया तथा एम.सी.एच.स्तर I, एम.सी.एच. स्तर II तथा एम.सी.एच. स्तर III के लिये माप दण्ड तय किये।

वर्ष 2009-12 के दौरान चिन्हित, लक्षित तथा कार्यशील एम.सी.एच.केन्द्रों की स्थिति निम्नानुसार थी:

³⁹ एम.सी.एच.स्तर I ऐसे चिन्हित अभिप्रमाणित उप स्वास्थ्य केन्द्र जिनमें आवश्यक प्रसूति सवोये हेतु प्रशिक्षित कुशल जन्म सहायक (एस.बी.ए.), ए.एन.एम. एवं स्तर II तथा III तक भेजने की परिवहन सुविधा


⁴⁰ एम.सी.एच. II ऐसे चिन्हित अभिप्रमाणित सिविल अस्पताल, सी.एच.सी. तथा पी.एच.सी. जिसमें आधारभूत आवश्यक आपातकालीन प्रसव तथा नवजात देखभाल सेवायें, परामर्श सेवायें के साथ आवश्यक सुविधायें।

⁴¹ एम.सी.एच. III ऐसे सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, डी.एच. तथा चिन्हित सी.एच., सी.एच.सी. जिसमें आधारभूत समग्र आपातकालीन प्रसव तथा नवजात शिशु सुविधायें जैसे सिजेरियन आपरेशन सुविधा, नवजात शिशु चिकित्सा गहन इकाई, ब्लडबैंक, ब्लड भंडारण के साथ 24x7 विशेषज्ञों की उपलब्धता, परिवार कल्याण सेवायें तथा अन्य।

⁴² समग्र आपातकालीन प्रसव तथा नवजात देखभाल सेवायें।

⁴³ आवश्यक आपातकालीन प्रसव तथा नवजात देखभाल सेवायें।

चार्ट- 2



स्रोत: एस.एच.एस. द्वारा प्रदाय आंकड़े

चार्ट-2 से यह स्पष्ट है कि चिन्हित किये गये एम.सी.एच. स्तर के केन्द्रों की संख्या के विरुद्ध एम.सी.एच. स्तर III में 73 (49 प्रतिशत), एम.सी.एच. स्तर II में 321 (39 प्रतिशत) तथा एम.सी.एच. स्तर I में 497 (80 प्रतिशत) कमी थी, जो कि मिशन अवधि (2005-12) तक आवश्यक चिकित्सीय तथा सह चिकित्सीय अमले की उपलब्धता न होने के कारण क्रियाशील नहीं किये जा सके।

यह चिन्हित केन्द्रों में एम.एम.आर तथा आई.एम.आर. पर नियंत्रण पाने में स्वास्थ्य सेवाओं में कमी की ओर संकेत हैं।

साथ ही सात⁴⁴ जांच किये गये जिला स्वास्थ्य समितियों में एम.सी.एच.स्तर के स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना से संबंधित जांच तथा आंकड़ों के विश्लेषण में पायी गयी विभिन्न एम.सी.एच. केन्द्रों में सुविधाओं की कमी को, नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

⁴⁴ बड़वानी, डिंडोरी, इंदौर, खरगोन, रतलाम, सीहोर तथा उज्जैन।

तालिका 15: कार्यशील एम.सी.एच.केन्द्रों की स्थिति

सुविधा का नाम	एम.सी.एच. स्तर III (22 जांच की गई इकाई)		एम.सी.एच. स्तर II (141 जांच की गई इकाई)		एम.सी.एच. स्तर I (80 जांच की गई इकाई)	
	उपलब्ध	कमी	उपलब्ध	कमी	उपलब्ध	कमी
नवजात शिशु गहन इकाई/नवजात इकाई	15	07	97	44	आवश्यक नहीं	
ब्लड बैंक/ब्लड भंडारण	13	09	आवश्यक नहीं		आवश्यक नहीं	
प्रसूति	22	निरंक	141	निरंक	33	47
मशीन तथा उपकरणों की पर्याप्तता	22	निरंक	100	41	42	38
विशेषज्ञ/चिकित्सक	14	08	120	21	आवश्यक नहीं	
ए.एन.एम./स्टाफ नर्स	22	निरंक	107	34	54	26

(स्रोत: जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रदाय आंकड़े)

एम.सी.एच.
स्तर की
इकाइयों में
मानव शक्ति
तथा सुविधाओं
की उल्लेखनीय
कमी रही

मध्यप्रदेश शासन ने (दिसम्बर-2011) राज्य में 77 एम.सी.एच.स्तर III, 493 एम.सी.एच. स्तर II तथा 126 एम.सी.एच.स्तर I इकाइयों को क्रियाशील घोषित किया। हालांकि, हमने देखा (मार्च से सितम्बर-2012) कि सात जांच किये गये जिलों में घोषित की गई एम.सी.एच. इकाइयों में से 22 एम.सी.एच. स्तर III, 141 एम.सी.एच.स्तर II तथा 80 एम.सी.एच. स्तर I की इकाइयों में आवश्यकता के तय मापदण्डों के अनुसार सभी सेवायें उपलब्ध नहीं थीं जैसा कि उपर तालिका 15 में उल्लेख किया गया।

इस प्रकार, 1587 चिन्हित स्वास्थ्य संस्थानों में से केवल 696 शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों (44 प्रतिशत) एम.सी.एच. स्तर तक पहुँच सकीं।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें ने कहा (नवम्बर-2012) कि अधिकांश केन्द्रों को क्रियाशील बनाने के प्रयास किये जा रहे थे।

3.1.8.20 टेलीमेडिसिन परियोजना का कार्यान्वयन

सभी जिला अस्पतालों, चयनित चिकित्सा महाविद्यालयों और विशेषज्ञ अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिये चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण की सुविधा को जारी रखते हुये, भारत सरकार (अगस्त 2007) द्वारा उपग्रह संचार आधारित टेलीमेडिसिन प्रौद्योगिकी के माध्यम से इसरो की तकनीकी सहायता से टेलीमेडिसिन पायलट प्रोजेक्ट योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई।

इस संबंध में, मध्यप्रदेश शासन एवं इसरो के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया (मार्च-2007) जिसके अन्तर्गत संचार प्रणाली, टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर एवं सेटलाइट बैंडविड्थ की लागत इसरो द्वारा वहन की जानी थी। आवश्यक मानव शक्ति तथा घनि, धूल और अनुकम्पन रोधी कमरों, भवन आदि तथा अन्य सिविल कार्यों की लागत मध्यप्रदेश शासन द्वारा वहन की जानी थी।

धनराशि उपलब्ध होने के बाद भी परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा सकी

अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि प्रथम चरण में 10 जिलों में टेलीमेडिसिन परियोजना की स्थापना के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा ₹ 10 लाख (अगस्त-2007) तथा भारत सरकार (अक्टूबर-2008) द्वारा ₹ 1 करोड़ (कुल ₹ 1.10 करोड़) एस.एच.एस. को जारी किये गये। इसके विरुद्ध, भोपाल में टेलीमेडिसिन नेटवर्क का तकनीकी हब स्थापित करने के लिये मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, (एम.पी.सी.एस.टी) को ₹ 32 लाख जारी किये (अगस्त-2007 से दिसम्बर-2011)। टेलीमेडिसिन परियोजना के उपकरण 10 जिला अस्पतालों⁴⁵, तीन चिकित्सा महाविद्यालयों⁴⁶ तथा दो धर्मार्थ अस्पतालों⁴⁷ में स्थापित किये गये। हालांकि नेटवर्क, की स्थापना के बाद विशेषज्ञ चिकित्सा सलाह के लिये एक भी सत्र आयोजित नहीं किया गया। परियोजना के संचालन के लिये आवश्यक व्यवस्थाओं का कोई भी अभिलेख नहीं था। इसरो के साथ समझौता ज्ञापन मार्च 2009 में व्यपगत हो गया तथा इसरो द्वारा दो वर्ष के लिये प्रदाय की जाने वाली बैंडविडथ की मुफ्त सेवायें भी व्यपगत हो गईं। मई 2012 की स्थिति में एस.एच.एस. के पास ₹ 78 लाख अप्रयुक्त थे। टेलीमेडिसिन परियोजना के स्थापित न किये जाने के कारण वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं किये जा सके जबकि धनराशि उपलब्ध थी एवं ₹ 32 लाख का व्यय किया गया।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें ने कहा (नवम्बर-2012) कि इसरो की ओर से लिंक विफलता थी। इस समस्या को हल करने के लिये एक वर्ष से अधिक समय लगा। अब एम.पी.सी.एस.टी. तथा इसरो की सहायता से इस प्रक्रिया को जल्द स्थापित किया जायेगा।

उत्तर संतोष जनक नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा कार्यान्वयन तंत्र के अभाव में परियोजना चालू नहीं की जा सकी जैसे नोडल अधिकारी तथा टेक्नीशियन की नियुक्ति, टेलीमेडिसिन प्रोटोकाल केलेंडर/समय सारिणी तथा घ्वनि, धूल तथा अनुकम्पन रोधी कमरे का निर्माण आदि।

3.1.9 भंडार/सामग्री प्रबंधन

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें

3.1.9.1 औषधियों का उपार्जन

विभाग द्वारा गुणवत्ता पूर्ण औषधियों एवं औषधीय उपकरण के उपार्जन के लिये एक विकेन्द्रीकृत दवा नीति तैयार की गई थी (सितम्बर 2009), जो कि अगस्त 2010 से प्रभावी की गयी। इस नीति के अंतर्गत विभाग द्वारा तमिलनाडु मेडीकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (टी.एन.एम.एस.सी.), तमिलनाडू की सार्वजनिक उपक्रम कंपनी, को अखिल भारतीय स्तर पर निविदायें आमंत्रित करके निर्माताओं के साथ दरों को अंतिम रूप देने के लिये तथा औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं से भी मान्यता प्राप्त करने हेतु अधिकृत

⁴⁵ डी.एच.- बालाघाट, बैतूल, झाबुआ, खरगौन, मंडला, मंदसौर, शाजापुर, शहडोल, श्योपुर कलां एवं सीधी

⁴⁶ चिकित्सा महाविद्यालय- भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर

⁴⁷ पादर अस्पताल, बैतूल तथा योगीराज ट्रस्ट अस्पताल मंडला

किया गया। इसके पश्चात, विभाग ने टी.एन.एम.एस.सी. द्वारा अनुमोदित निर्माताओं से दवाईयों के क्रय हेतु अनुबंध किया।

औषधि नीति 2009 के अनुसार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों/सिविल सर्जनों को औषधियों के क्रय हेतु आवंटित बजट का 80 प्रतिशत तक के आदेश सीधे टी.एन.एम.एस.सी. के अंतर्गत पैनल में शामिल कंपनियों को देना था तथा आपात कालीन मामलों में बजट का 20 प्रतिशत स्थानीय क्रय के माध्यम से क्रय करना था। टी.एम.एन.एस.सी. आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदाय आदेश के प्राप्त होने के 45 दिनों के अन्दर औषधियों का प्रदाय करना था, असफल रहने से निर्धारित दरो पर दंड⁴⁸ की कटौती की जायेगी। आगे औषधियों की आपूर्ति जिला भंडार से आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य संस्थानों को की जाना थी।

औषधियों के उपार्जन में पाई गई कमियों की नीचे चर्चा की गई है:

₹ 12.40 करोड़ के प्रदाय आदेशों के विरुद्ध प्रदायकर्ताओं द्वारा ₹ 6.27 करोड़ की औषधियां प्रदाय नहीं की

(i) 36 जांच किये गये आहरण एवं संवितरण अधिकारियों में से 11⁴⁹ में वर्ष 2010-12 की अवधि में हमने पाया गया कि टी.एम.एन.एस.सी.के साथ पैनल में शामिल कंपनियों को औषधियां/सामग्री प्रदाय करने के लिये ₹ 12.40 करोड़ के आदेश प्रदाय किये गये तदपि, कंपनियां ₹ 6.27 करोड़ की औषधियों की आपूर्ति करने में विफल रहीं।

सी.एम.एच.ओ./सी.एस. द्वारा कहा गया (मार्च से सितम्बर 2012) कि औषधियों की आपूर्ति के लिये अनुस्मण जारी किये गये एवं प्रकरण उच्च अधिकारियों को भेजा गया।

औषधियाँ देरी से प्रदाय किये जाने के कारण जीवन रक्षक/आवश्यक औषधियों की कमी रही एवं आपूर्तिकर्ताओं के देयकों से ₹ 1.56 करोड़ की शास्ति वसूली नहीं की गई।

(ii) 36 जांच किये गये आहरण एवं संवितरण अधिकारियों में हमने पाया कि 1,795 प्रकरणों में निर्धारित समय सीमा से 446 दिनों तक की देरी से औषधियां प्रदाय की गई, यद्यपि 12 जिलों की 400 स्वास्थ्य संस्थानों में जीवन रक्षक/आवश्यक औषधियों की कमी थी। साथ ही, वर्ष 2010-12 के दौरान 1,795 प्रकरणों में अपूर्तिकर्ताओं से ₹ 1.56 करोड़ की राशि दंड के रूप में वसूल नहीं की गई। 1,795 में से 1,075 प्रकरणों में राशि ₹ 1.05 करोड़ की औषधियां/सामग्री 60 एवं अधिक दिनों तक की देरी से प्रदाय की गई। विवरण परिशिष्ट 3.12 में दर्शाया गया है।

सी.एम.एच.ओ./सी.एस. द्वारा कहा गया (मार्च से सितम्बर 2012) कि स्वास्थ्य केन्द्रों में औषधियों की कमी के कारण, देरी से आपूर्ति की गई औषधियों को भंडार में स्वीकार किया गया एवं भविष्य में शास्ति की वसूली की जावेगी।

(iii) विभाग द्वारा पी.एच.सी., सी.एच.सी, सिविल अस्पताल एवं जिला अस्पताल में 69 से 211 आवश्यक औषधियों की आवश्यकता के अन्तर्गत आवश्यक औषधियों की सूची 2009-10 में जारी की गई। साथ ही, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा (फरवरी-2009) में सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में अनिवार्य रूप से जीवन रक्षक औषधियों को रखने

⁴⁸ 45 से 60 दिनों की देरी से 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन अधिकतम 7.5 प्रतिशत दंड एवं 60 दिनों से अधिक की देरी से 20 प्रतिशत दंड।

⁴⁹ सी.एम.एच.ओ.बडवानी, ₹ 124.32 लाख, भोपाल, ₹ 26.62 लाख गुना, ₹ 24.99 लाख, खरगोन, ₹ 71.66 लाख, मंडला, ₹ 88.02 लाख एवं सागर ₹ 41.80 लाख, सी.एस.बडवानी, ₹ 64.94 लाख, छतरपुर, ₹ 14.66 लाख, गुना, ₹ 45.11 लाख, मंडला ₹ 53.34 लाख एवं सागर ₹ 71.48 लाख

के लिये राज्य सरकार को निर्देश दिये। इसके अनुपालन में विभाग द्वारा 87 जीवन रक्षक औषधियों को घोषित किया गया जो कि फरवरी 2009 में परिचालित किया गया।

स्वास्थ्य केन्द्रों के सभी स्तरों पर पर्याप्त संख्या में जीवन रक्षक तथा आवश्यक औषधियां उपलब्ध नहीं थीं

12 जांच किये गये जिलों के अभिलेखों की जांच एवं इन जिलों के संबंधित स्वास्थ्य केन्द्रों से एकत्र जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य संस्थाओं में क्रमशः 22 से 54 एवं सात से 130 जीवन रक्षक औषधियों तथा आवश्यक औषधियों की उल्लेखनीय कमी थी।

तालिका 16: जीवन रक्षक/आवश्यक औषधियों की उपलब्धता

स्वास्थ्य संस्थान	औषधियों का वर्गीकरण	औषधियों की संख्या जो उपलब्ध होनी चाहिये	औषधियों की अनुपलब्धता श्रेणी/संख्या
सिविल सर्जन	जीवन रक्षक	87	22-46
	आवश्यक	211	76-130
सी.एम.एच.ओ./सिविल अस्पताल	जीवन रक्षक	87	26-54
	आवश्यक	179	65-118
सी.एच.सी.	आवश्यक	132	41-90
पी.एच.सी.	आवश्यक	69	7-69

स्रोत:- मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/सिविल सर्जनों से प्राप्त जानकारी

स्थानीय क्रय में स्वीकार्य सीमा से अधिक क्रय ₹ 10.55 करोड़

(iv) हमने पाया कि टी.एन.एम.एस.सी के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा औषधियों/उपकरणों की देरी/प्रदाय न किये जाने से 36 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों में से 20 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों⁵⁰ द्वारा निर्धारित अनुपात 80:20 से अधिक स्थानीय क्रय की गई। स्वीकार्य सीमा से अधिक किया गया व्यय ₹ 10.55 करोड़ था।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों/सिविल सर्जनों द्वारा कहा गया (मार्च से सितम्बर 2012) कि टी.एन.एम.एस.सी. के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा औषधियों की देरी से प्रदाय किये जाने के कारण तथा स्वास्थ्य संस्थाओं को अत्यंत आवश्यकता से चलाने के कारण वे दवाओं के स्थानीय क्रय के लिये मजबूर रहे।

(v) विभाग ने निर्देश जारी किये (अगस्त 1984) कि स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को औषधियों के वितरण से पूर्व, औषधियों के प्रत्येक बैच की गुणवत्ता नियंत्रण जांच नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन से प्राप्त की जाना चाहिए। स्थानीय बाजार से क्रय के कारण, सी.एम.एच.ओ./सी.एस.को स्थानीय क्रय की औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण जांच आवश्यक थी।

36 जांच किये गये आहरण एवं संवितरण अधिकारियों⁵¹ में से 25 में हमने पाया कि 2009-12 के दौरान ₹ 30.26 करोड़ मूल्य की औषधियों का क्रय स्थानीय बाजार से

⁵⁰ सी.एम.एच.ओ.-बड़वानी (₹1.55 करोड़), भोपाल (₹0.02 करोड़), छतरपुर (₹0.15 करोड़), धार (₹0.10 करोड़), डिन्डौरी (₹0.01 करोड़), इंदौर (₹0.32 करोड़) खरगौन (₹1.65 करोड़), मण्डला (₹1.18 करोड़), सीहोर (₹0.44 करोड़), टीकमगढ़ (₹0.15 करोड़) एवं उज्जैन (₹0.13 करोड़), सी एस, बड़वानी (₹1.47 करोड़), धार (₹0.18 करोड़), डिन्डौरी (₹0.16 करोड़), इंदौर (₹1.73 करोड़), मंडला (₹0.66 करोड़), रतलाम (₹0.17 करोड़), सागर (₹0.11 करोड़), सीहोर (₹0.35 करोड़) एवं टीकमगढ़ (₹0.02 करोड़)

⁵¹ सी.एम.एच.ओ.-बड़वानी (₹2.11 करोड़), भोपाल (₹0.55 करोड़), छतरपुर (₹0.61 करोड़), छिन्दवाड़ा (₹2.23 करोड़), डिन्डौरी (₹1.07 करोड़), खरगौन (₹6.31 करोड़), सागर (₹0.47 करोड़), सीहोर (₹1.34 करोड़), टीकमगढ़ (₹0.48

गुणवत्ता जांच किए बिना
₹ 30.26 करोड़ की
औषधियां मरीजों को
वितरित की गईं

किया गया। हमने देखा कि औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण जांच किये बिना मरीजों के उपयोग के लिये वितरित की गईं। इस तरह के व्यवहार मरीजों के लिये जोखिम थे।

सोलह सी.एम.एच.ओ./सी.एस. द्वारा कहा गया (मार्च से सितम्बर 2012) कि औषधि निरीक्षक द्वारा नमूने लिये गये थे लेकिन तत्संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए। नौ सी.एम.एच.ओ./सी.एस.द्वारा सूचित किया गया कि औषधि निरीक्षकों की कमी के कारण औषधि निरीक्षकों द्वारा नमूने एकत्रित नहीं किये गये।

इस प्रकार, औषधियों एवं उपकरणों के उपार्जन प्रणाली में कमी थी जिससे देर से प्रदाय और जीवन रक्षक एवं आवश्यक औषधियों की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय क्रय में वृद्धि एवं स्थानीय क्रय औषधियों की गुणवत्ता की जांच का अतिरिक्त दायित्व रहा।

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें द्वारा कहा गया (नवम्बर-2012) कि आपूर्ति कर्ताओं द्वारा प्रदाय न किये जाने से संचालनालय ने उन्हें काली सूची या निषिद्ध में डालने के लिये आवश्यक कार्यवाही की है। आगे यह भी कहा गया कि देर से प्रदाय प्रकरणों में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को दंडात्मक कार्यवाही करने, जीवन रक्षक तथा आवश्यक औषधियों की उपलब्धता की सुनिश्चितता तथा स्थानीय स्तर पर क्रय की औषधियों की गुणवत्ता जांच विवरण प्राप्त करने के लिये निर्देश जारी किये जावेंगे।

3.1.9.2 भंडार लेखे एवं भंडार पंजी का रख रखाव

मध्य प्रदेश वित्त संहिता के नियम 125 एवं 133 के अनुसार भंडार का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिये प्रत्येक सरकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में सूची के अनुसार भंडार एवं स्कंध लेखा तैयार करना आवश्यक है।

33 आहरण एवं
संवितरण अधिकारियों
द्वारा भंडार लेखे
तैयार नहीं किये गये
एवं 13 आहरण एवं
संवितरण अधिकारियों
द्वारा भंडार का
भौतिक सत्यापन नहीं
किया गया

33 जांच किये गये आहरण एवं संवितरण अधिकारियों⁵² (36 में से), हमने पाया कि अवधि 2009-12 के दौरान किसी भी आहरण एवं संवितरण अधिकारी ने वार्षिक भंडार एवं स्कंध लेखा तैयार नहीं किया। साथ ही सात आहरण एवं संवितरण अधिकारियों⁵³ ने 2009-10 एवं 2010-11 का भंडार का भौतिक सत्यापन नहीं किया तथा 13 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों⁵⁴ ने 2011-12 का सत्यापन नहीं किया। इस प्रकार, सी.एम.एच.ओ./सी.एस. उनके स्कंध लेखों में किसी भी चोरी की संभावना को सुनिश्चित करने में विफल रहे।

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा कहा गया (मार्च से सितम्बर 2012) कि लेखे तैयार किये जायेंगे तथा भविष्य में भंडार का भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

करोड़), उज्जैन(₹0.92 करोड़), एवं उमरिया(₹1.20 करोड़), सी एस-बालाघाट(₹0.29 करोड़), बड़वानी(₹1.64 करोड़), भोपाल(₹0.39करोड़), छतरपुर(₹0.50करोड़), छिन्दवाड़ा(₹1.23 करोड़), धार(₹0.81करोड़), डिंडोरी(₹1.08 करोड़), मंडला(₹2.56करोड़),रतलाम(₹1.32 करोड़), सागर(₹0.30 करोड़), सीहोर(₹1.91करोड़),शहडोल(₹0.46 करोड़) एवं उमरिया(₹0.28 करोड़), सी.एच.बैरागढ़(₹0.20 करोड़),

⁵² सी.एम.एच.ओ- वालाघाट,बड़वानी, भोपाल छतरपुर, छिंदवाड़ा, धार, डिंडोरी,खरगोन, मंडला, रतलाम, सागर, सीहोर, शहडोल टीकमगढ़, उज्जैन, तथा उमरिया, सी.एस-बालाघाट,बड़वानी, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, धार, डिंडोरी, इन्दौर, खरगोन, मंडला, रतलाम, सागर, सीहोर, शहडोल,टीकमगढ़ एवं उमरिया, जे.डी. भोपाल

⁵³ सी.एच.एस.भोपाल, जे.डी. भोपाल, सी.एम.एच.ओ- बालाघाट, भोपाल, छतरपुर, मंडला एवं सी.एस.सीहोर

⁵⁴ सी.एच.एस.भोपाल, जे.डी.भोपाल, सी.एम.एच.ओ. वालाघाट, भोपाल, छतरपुर, धार, डिंडोरी, खरगोन,मंडला, एवं सीहोर, सी.एस.धार, इंदौर एवं सीहोर

बीस आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा भंडार पंजियों में बैच क्रमांक एवं अवसान तिथि अंकित नहीं की गई

आगे 36 जांचे गये आहरण एवं संवितरण अधिकारियों में से 20⁵⁵ में, हमने पाया कि 488 में से 236 स्वास्थ्य केन्द्रों (डी.एच., सी.एच., सी.एच.सी. एवं पी.एच.सी.) के भंडार पंजियों में औषधियों के बैच क्रमांक तथा अवसान तिथि अंकित नहीं की गई। इसके अभाव में अवसान तिथि से पहले औषधियों का उपयोग सुनिश्चित किया जाना संभव नहीं था तथा मरीजों को अवसान तिथि के पश्चात औषधियों के वितरण की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। यदि किसी बैच की औषधि को अवमानक घोषित किया जाता है तो ऐसी औषधियों की भंडार में पहचान करना मुश्किल होगा।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, ने कहा (नवम्बर-2012) कि प्रकरण की जांच की जायेगी एवं आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

3.1.10 मानव संसाधन प्रबंधन

स्वास्थ्य देखभाल मानव जीवन के लिये एक आवश्यक सेवा है। इसके लिये, विभिन्न संवर्गों में आवश्यक मानव संसाधन या तो नियमित अमला या अनुबंध के आधार पर जहां भी अनुमेय हो, उपलब्ध कराया जाना चाहिये। आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें ने विभाग में रिक्त पदों/अतिशेष मानव शक्ति से संबंधित समग्र स्थिति लेखा परीक्षा को प्रदाय नहीं की। हालांकि, 18 चयनित जिलों के मानव शक्ति की तैनाती की कमियों की नीचे चर्चा की गई है:

3.1.10.1 मानव संसाधन तैनाती में कमी


एन.आर.एच.एम. ढांचे के रूप में परिकल्पित, राज्य में मानव शक्ति प्रबंधन के लिये भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों को अपनाया जाना था। हालांकि, हमने पाया कि इन मानकों को नहीं अपनाया गया।

आई.पी.एच.एस. के मान दण्डों के अनुसार विभिन्न संवर्गों में आवश्यकता, स्वीकृत पदों तथा कार्यरत व्यक्तियों की संख्या नीचे चार्ट - 3 में दर्शाई गई है:

⁵⁵ सी.एम.एच.ओ.-बड़वानी, बालाघाट, छतरपुर, छिंदवाडा, डिंडारी, इंदौर, खरगोन, रतलाम, सीहोर, टीकमगढ़ एवं उज्जैन, सी.एस, बड़वानी, भोपाल, डिंडोरी, इंदौर, खरगोन, रतलाम, सीहोर, शहडोल एवं उज्जैन

चार्ट-3

भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों की आवश्यकता के साथ-साथ स्वीकृत पद संख्या की तुलना में मानव संसाधन की कमी थी



उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि आई.पी.एच.एस. की आवश्यकता के विरुद्ध विशेषज्ञों के संवर्ग में (76 प्रतिशत), चिकित्सकों (4 प्रतिशत) तकनीशियनों (56 प्रतिशत) तथा सह-चिकित्सीय अमले (35 प्रतिशत) की कमी रही। राज्य सरकार की स्वीकृत संख्या के संदर्भ में क्रमशः 70 प्रतिशत, 32 प्रतिशत, 26 प्रतिशत तथा 26 प्रतिशत की कमी थी। स्वास्थ्य संस्थाओं में मानवशक्ति की कमी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

मानव संसाधन प्रबंधन की कमियों की नीचे चर्चा की गई है:

- बारह⁵⁶ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों में, मार्च 2012 की स्थिति में 110 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एक से 17 वर्ष की अवधि से बिना चिकित्सक के कार्य कर रहे थे। जैसा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिये नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सकों की सप्ताह में कुछ दिनों की सेवायें प्रदान की जा रही थीं। इसलिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पूर्ण कालिक चिकित्सीय परामर्श बाधित रहा।

⁵⁶ बालाघाट (23) भोपाल (2) छतरपुर (7) धार (9) डिंडारी (6) गुना (2) खरगोन (12) मंडला (16) रतलाम (15) शहडोल (7) उज्जैन (3) एवं उमरिया (8)

- मध्यप्रदेश शासन द्वारा (2007-2012) चार⁵⁷ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 10 उप स्वास्थ्य केन्द्रों⁵⁸ से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (आरोन) से सिविल अस्पताल के उन्नयन तथा तीन जिला अस्पतालों⁵⁹ में बिस्तर क्षमता में वृद्धि के लिये अतिरिक्त चिकित्सीय एवं सह चिकित्सीय अमला स्वीकृत किया गया। हालांकि, आवश्यक अमले की पदस्थापना नहीं की गई। फलस्वरूप स्वास्थ्य संस्थानों का उन्नयन नहीं किया जा सका। इस प्रकार, मरीजों को उनके क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं।

स्वास्थ्य संस्थानों में सभी स्तरों पर चिकित्सीय तथा सह चिकित्सीय अमले की भारी कमी के अलावा यह भी देखा गया कि जन शक्ति के उपलब्ध संसाधनों की तर्क संगत पदस्थापना नहीं की गई। हमने पाया कि 11 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों⁶⁰ में, 387 स्वीकृत संख्या के विरुद्ध 520 चिकित्सीय एवं सह-चिकित्सीय अमले की पद स्थापना की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल में दस चिकित्सक अधिक पदस्थापित थे, जब कि दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक विहीन थे। इस अतिरिक्त अमले को जिन इकाइयों/कार्यालयों में कमी थी, पदस्थापना/स्थानांतरण किया जा सकता था।

चिकित्सकों की भारी कमी के बाद भी 18 जिलों में पी एच सी/सी एच सी जिला अस्पताल में कार्यरत 18 चिकित्सक डी पी एम के पद पर तैनात थे

साथ ही हमने पाया कि शासन द्वारा (सितम्बर 2011) 18 जिलों⁶¹ में 18 चिकित्सकों की पदस्थापना जिला कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में की जो पी.एच.सी./सी.एच.सी./जिला अस्पताल में कार्य कर रहे थे, इसके अलावा 27 जिलों में एम.बी.ए. की योग्यता रखने वाले 27 व्यक्तियों की भर्ती की। राज्य में चिकित्सकों की कमी को देखते हुये चिकित्सकों की जिला कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में पदस्थापना तर्क संगत नहीं थी, जिसके कारण चिकित्सकों की कमी और बढ़ गई।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवार्यें द्वारा कहा गया (नवम्बर 2012)कि आई.पी.एच.एस. के मानदण्डों को अपनाया नहीं जा सका क्योंकि राज्य में मानव शक्ति की भारी कमी थी, जिलों में अतिशेष अमले को युक्ति संगत बनाने के लिए निर्देश जारी किये गये तथा चिकित्सक विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उन्नयन की गई संस्थाओं के प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। यह भी कहा कि जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पद पर चिकित्सकों की पदस्थापना उनके प्रबंधन पाठ्यक्रम के सफलता पूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् जिला कार्यक्रम प्रबंधक के रिक्त पदों के विरुद्ध की गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग स्वीकृत पदों के विरुद्ध भी भर्ती नहीं कर सका। जिला कार्यक्रम प्रबंधक के मामले में, 18 जिलों में एम.बी.ए. योग्यता प्राप्त व्यक्तियों से पूर्ति की जाना चाहिये थी ताकि चिकित्सकों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिये उपयोग किया जा सके।

⁵⁷ पी.एच.सी.बडागांव, खरगापुर, मयाना एवं रामपायली

⁵⁸ एस.एच.सी.- चंदेरा, फतेहगढ़, धाम, जरूआ, करंजा, खचोरा, लोहगुंवा, मारकी मउ, मोहगांव एवं रजेगांव

⁵⁹ गुना रतलाम एवं सीहोर

⁶⁰ सी.एम.एच.ओ.-बडवानी, भोपाल, छतरपुर, सीहोर, सी.एस.- भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, इंदौर, खरगोन एवं रतलाम

⁶¹ अलीराजपुर, बालाघाट, बडवानी, बुरहानपुर, दमोह, दतिया, देवास, हरदा, झाबुआ, मंदसौर, पन्ना, रायसेन, सीवा, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उज्जैन एवं विदिशा

3.1.11 निगरानी, मूल्यांकन एवं आंतरिक लेखा परीक्षा

राज्य की स्वास्थ्य योजनाओं⁶² के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन व्यवस्था को विकसित किया जाना आवश्यक था। हमने पाया कि यह नहीं किया गया। योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी के संबंध में प्रासंगिक कंडिकाओं में चर्चा की गई है। साथ ही, एन.आर.एच.एम. त्रिस्तरीय व्यवस्था के माध्यम से आंतरिक निगरानी, समुदाय आधारित निगरानी एवं स्वतंत्र ऐजेन्सी द्वारा बाह्य मूल्यांकन की मजबूत जवाबदेह ढांचे की परिकल्पना करता है। एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत समुदाय की जानकारी के लिये जिला स्तर पर स्वास्थ्य गतिविधियों पर प्रगति प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक किये जाने थे। हमने पाया कि चयनित जिलों में स्वास्थ्य पर न तो लोक प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया और न ही स्वतंत्र एजेंसी से सर्वे कराया गया।

3.1.11.1 साधारण सभा और कार्यकारिणी सभा की बैठक

साधारण सभा की 28 बैठकों के विरुद्ध मिशन अवधि में केवल दो बैठकें आयोजित की गईं

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तथा राज्य के परिवार कल्याण कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये रणनीति बनाने हेतु 20 सदस्यीय साधारण सभा का गठन किया गया (जुलाई 2002)। इसे कम से कम तीन महीने में एक बार मिलना था। हमने पाया कि मिशन अवधि (2005-12) के दौरान वांछित 28 बैठकों के विरुद्ध केवल दो बैठकें जुलाई 2006 एवं मार्च 2010 में आयोजित की गईं।

समय-समय पर साधारण सभा द्वारा अनुमोदित नीतियों/आयोजनाओं/ परियोजनायें/ योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 32 सदस्यों की कार्यकारिणी सभा जिम्मेदार थी। इसे कम से कम दो महीने में एक बार मिलना था। मिशन अवधि (2005-2012) के दौरान जनवरी 2012 तक वांछित 42 बैठकों के विरुद्ध केवल 9 बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों की कार्यवाही विवरणों में देखा गया कि मुख्य रूप से दूरदराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सीय तथा सह चिकित्सीय अमले के पदों को भरने, स्वास्थ्य संकेतकों की दर में सुधार, भारत सरकार से प्राप्त राशि का बेहतर उपयोग, चिन्हित किये गये स्वास्थ्य संस्थानों को एम.सी.एच. स्तर के अनुरूप कार्यात्मक करना, सार्वभौमिक टीकाकरण की दर बढ़ाना, एस.एन.सी.यू./एन.आर.सी.की स्थापना के कार्य में तेजी लाना, निर्माण कार्यों को निर्धारित समय के भीतर पूरा करना एवं आवश्यक मानदंडों के अनुरूप आशाओं का चयन करना के मुद्दों पर चर्चा की गई। तदनुसार समिति द्वारा उपयुक्त सिफारिशें की गईं।

दोनों शीर्ष सभाओं द्वारा आयोजित बैठकों की अपर्याप्त संख्या ने मिशन कार्यक्रम में परिकल्पित रणनीतिक योजना की निगरानी एवं गतिविधियों के कार्यान्वयन में कमी का संकेत दिया। यदि पूर्वोक्त शीर्ष निकायों की नियमित अंतराल से बैठक आयोजित होतीं तो कमियों पर सुधारात्मक कार्यवाही एवं अनुश्रवण किया जा सकता था।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा कहा गया (नवम्बर-2012) कि राज्य के मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव द्वारा गतिविधियों पर अनुश्रवण एवं निगरानी रखने के लिये स्वास्थ्य सहित

⁶² दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना, राज्य बीमारी सहायता निधि, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, जननी सुखा योजना, परिवार नियोजन आदि।

सभी विभागों की मासिक/तिमाही बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसलिये साधारण सभा तथा कार्यकारणी सभा की अलग से बैठक आयोजित नहीं की गई।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इन दो शीर्ष सभाओं को नीतियों/योजनाओं और मिशन से संबंधित गतिविधियों की रणनीतिक योजना और कार्यान्वायन के लिये विशेष रूप से गठित किया गया था। अतः विभागों की सामान्य समीक्षा एन.आर.एच.एम. की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता।

3.1.11.2 विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण समितियां गठित नहीं की जाना

तीन जिलों में जिले, ब्लॉक तथा पी.एच.सी. स्तर पर अनुश्रवण समितियों का गठन नहीं किया गया

एन.आर.एच.एम ढांचे के तहत, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रत्येक पी.एच.सी., विकास खंड तथा जिला स्तर पर संबंधित स्तर पर गतिविधियों का सतत् अनुश्रवण एवं आयोजनाओं के प्रासंगिक आदानों की सुविधा के लिये अनुश्रवण समितियों का गठन किया जाना था।

हमने पाया कि 18 चयनित जिलों में से तीन⁶³ जिलों में जिला, विकास खण्ड एवं पी.एच.सी.स्तर पर समितियां गठित नहीं की गईं। डी.एच.एस. के साथ साथ एस.एच.एस.ने इस मसले पर अनुसरण करने के लिये अभिलेखों में दिखाने के लिये कुछ नहीं रखा गया। अनुश्रवण समितियों के गठन न किये जाने के कारण कार्यान्वित योजनाओं का अनुश्रवण नहीं किया गया।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा कहा गया (नवम्बर 2012) कि प्रकरण की जांच की जायगी और आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

3.1.11.3 आंतरिक लेखापरीक्षा

तीन वर्षों में 144 इकाइयों के विरुद्ध केवल 29 जिला इकाइयों की लेखा परीक्षा की गई

संचालनालय स्तर पर एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा जिलों में इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिये जिम्मेदार थी। वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान 48 जिला इकाइयों की वार्षिक लेखापरीक्षा के लिये एक वर्षवार रोस्टर तैयार किया गया। तीन वर्ष में 144 (48x3 वर्ष) इकाइयों की लेखापरीक्षा में से, केवल 29 जिला इकाइयों (20 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की गई। मई 2012 की स्थिति में 18 आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के उत्तर प्राप्त हुये। आंतरिक लेखापरीक्षा में 115 जिला इकाइयों की कमी के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के लिये कमजोर प्रतिक्रिया ने आंतरिक लेखापरीक्षा को अप्रभावी कर दिया।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि मानव शक्ति की कमी के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा के लक्ष्य हासिल नहीं किये जा सके।

3.1.11.4 विभागीय नियमावली

विभाग के विस्तृत मार्ग दर्शन के साथ प्रशासनिक कार्यों के इस्तेमाल के लिये विभागीय नियमावली एक स्थायी निर्देश है।

⁶³ धार, मण्डला एवं सीहोर।

हमने पाया कि विभिन्न नई योजनाओं/गतिविधियों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में एवं संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन के बावजूद 1940 से विभागीय नियमावली का संशोधन/अद्यतन नहीं किया गया। नियमावली की प्रति भी संचालनालय में उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा के पूछने पर यह सूचित किया कि नियमावली वेबसाइट पर उपलब्ध है। हालांकि, बरार चिकित्सा नियमावली मध्य प्रांत जो कि वेबसाइट पर डाला गया अप्रचलित प्रतीत होता है। प्रक्रियाओं, कर्तव्यों और जिम्मेवारियों विहित एक अद्यतन नियमावली मार्गदर्शन के अभाव में विभाग की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है।

3.1.12 निष्कर्ष

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में वित्तीय प्रबंधन, योजना, अनुश्रवण तथा योजनाओं का क्रियान्वयन दोषपूर्ण था जैसा कि निम्नलिखित लेखापरीक्षा निष्कर्षों से प्रदर्शित हुआ:

- विभाग द्वारा कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना सहित परिप्रेक्ष्य योजना तथा वार्षिक योजनाएं तैयार की गईं। परन्तु यह योजनायें बिना किसी परिवार सर्वेक्षण एवं सुविधा सर्वेक्षण के तैयार की गईं। वृहद संख्या में योजनागत गतिविधियां संचालित नहीं हुईं।
- बजटीय तथा वित्तीय प्रबंधन दोषपूर्ण था जैसा कि संचालक, स्वास्थ्य सेवायें तथा मिशन संचालक, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन (एन.आर.एच.एम.) के द्वारा निधियों का उल्लेखनीय रूप से अल्प उपयोग, अनुपूरक अनुदानों का अनावश्यक प्रावधान, मार्च माह में व्यय का आधिक्य, रोकड़ संधारण में संहितागत प्रावधानों का उल्लंघन तथा विलंब से प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्रों के कारण केन्द्रांश के विलंब से प्राप्ति के कारण लेखापरीक्षा में दृष्टि गोचर हुए।
- विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों/इच्छित प्रयोजनों के लिए दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, राज्य बीमारी सहायता निधि तथा मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के तहत प्रदाय की गई धनराशि के उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया गया। माह फरवरी 2006 में प्रस्तावित गुना जिले में ट्रामा सेन्टर स्थापित किया जाना शेष था।
- एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में स्वास्थ्य केन्द्र उल्लेखनीय रूप से कम थे। भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों (आई.पी.एच.एस.) की तुलना में अस्पतालों की सुविधाओं में कमी थी। 17 जिलों के लिए प्रस्तावित 34 दृष्टि केन्द्र स्थापित नहीं हो पाये। वर्ष 2011-12 में संस्थागत प्रसवों की संख्या कुल प्रसवों की 86 प्रतिशत थी। विभाग द्वारा मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर तथा कुल प्रजनन दर के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके, तदपि इन दरों में थोड़ा सुधार दिसम्बर 2011 में देखा गया।
- उपार्जन प्रक्रिया दोषपूर्ण थी। आपूर्तिकर्ता समय-सीमा में औषधि/सामग्री की आपूर्ति करने में विफल रहे जिस कारण स्थानीय बाजार से अधिक लागत पर क्रय करना पड़ा। गुणवत्ता जांच परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करने से पूर्व ही मरीजों को औषधियां प्रदाय की गयीं।

- भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक (आई.पी.एच.एस.) के अनुसार स्वीकृत पद संख्या की तुलना में मुख्य पदों पर स्वीकृत मानव शक्ति में महत्वपूर्ण रूप से कमी थी। डॉक्टरों की उपलब्धता कम होने के बावजूद उन्हें जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया जा रहा था।
- स्वास्थ्य योजना और निगरानी समितियां विभिन्न स्तरों पर गठित नहीं हुईं। योजना क्रियान्वयन के अनुश्रवण तथा रणनीति के लिए राज्य स्तर की दो शीर्ष समितियों की बैठक नियमित अंतराल पर नहीं हो रही थीं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली हेतु संहिताबद्ध अद्यतन विभागीय नियमावली नहीं थी और आंतरिक लेखापरीक्षा निरीक्षणों के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये थे।

3.1.13 अनुशंसायें

विभाग के विचारार्थ निम्नलिखित अनुशंसायें हैं:

- समस्त स्तरों पर कार्य योजना तैयार करने के लिए हितग्राहियों तथा सुविधाओं का एक व्यापक आधारभूत सर्वेक्षण किया जाना चाहिये। अभिप्रेत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये योजनाओं में समाहित गतिविधियों का कार्यान्वयन निर्धारित समय सीमा में किया जाना चाहिये।
- निधियों के अनावश्यक प्रावधान तथा अल्प उपयोग के परिहार्य हेतु बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण सुदृढ़ किया जाना चाहिये।
- विभाग द्वारा कार्यक्रमों का उचित क्रियान्वयन तथा स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी इस प्रकार सुनिश्चित की जानी चाहिये जिससे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों के लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें।
- समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक औषधि तथा सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये उपार्जन नीति की समीक्षा की जानी चाहिये।
- सभी रिक्त पदों को भरा जाना चाहिये तथा आई.पी.एच.एस. के अनुसार चरणबद्ध तरीके से मानव संसाधन में सुधार किया जाना चाहिये।
- निगरानी तंत्र समुचित स्तरों पर मजबूत किया जाना चाहिये तथा आंतरिक लेखा परीक्षा निरीक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किये जाने चाहिये।

संस्कृति विभाग

3.2 मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित संस्कृति विभाग की लेखापरीक्षा

कार्यपालन सारांश

राज्य की सांस्कृतिक परंपराओं और पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों के संरक्षण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा संस्कृति विभाग स्थापित किया गया था। 2009-10 से 2011-12 तक की अवधि को समाविष्ट करते हुये विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा यह जाँच करने के लिये की गयी थी कि विभाग के क्रियाकलाप मितव्ययितापूर्वक, दक्षतापूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से चलाये जा रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिये कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये विधियों एवं विनियमों का पालन किया जा रहा है।

मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा में निम्नांकित कमियाँ परिलक्षित हुईं।

- ❖ विभाग ने अभी तक कोई सांस्कृतिक नीति नहीं बनाई है।

एक पूर्ण प्रलेखित सांस्कृतिक नीति बनाई जानी चाहिये।

- ❖ विभाग का वित्तीय प्रबंधन कमजोर था, जैसे कि रोकड़ पंजी संधारण में पाई गई अनियमितताएँ, वित्त वर्ष के अंतिम माह में अधिक व्यय, रोकड़ एवं भंडार संभाल रहे कर्मचारी से सुरक्षा निधि जमा नहीं कराया जाना, अस्थाई अग्रिमों का लंबे समय से असमायोजित रहना आदि से देखा जा सकता है।

- ❖ समीक्षाधीन अवधि में विभाग द्वारा बिना मानदंड के कलाकारों, फिल्मी हस्तियों, पार्श्व गायकों आदि को मानदेय राशि ₹ 7.19 करोड़ का भुगतान किया गया।

- ❖ 23372 कला मंडलियों को वाद्य यंत्रों के क्रय हेतु वित्तीय सहायता राशि ₹ 1.17 करोड़ का अधिक संवितरण किया गया।

- ❖ विभाग के उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आने वाली गतिविधि बिजली, पानी की व्यवस्था हेतु राशि ₹ 1.80 करोड़ व्यय किया गया।

विभाग के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये ही धन का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

- ❖ अशासकीय संस्थाओं को राशि ₹ 3.02 करोड़ के अनुदान वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान यह सुनिश्चित किये बगैर जारी की गई कि वे सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय हैं।

विभाग को सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय अशासकीय संगठनों को मान्यता देने के लिये एक तंत्र की स्थापना सुनिश्चित करना चाहिये।

- ❖ बारहवे वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत भारत भवन न्यास ने सभागार के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिये प्राप्त राशि में से ₹ 63.55 लाख का उपयोग समयावधि 2009-10 तक नहीं किया।

विभाग को वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत प्राप्त राशि का उपयोग निर्धारित समय

सीमा में किया जाना सुनिश्चित करना चाहिये।

- ❖ रीवा, सागर एवं खंडवा में तीन कला संकुल निर्माण के लिये प्राप्त बजट राशि ₹3.01 करोड़ बिना आवश्यकता के वर्ष 2008-09 में आहरित की गई, जबकि इन संकुलों का निर्माण कार्य नवंबर 2012 तक प्रारंभ नहीं किया जा सका।
- ❖ डॉ. विष्णुश्रीधर वाकणकर पुरातत्व अनुसंधान संस्थान की स्थापना हेतु शासन से मार्च 2009 में प्राप्त राशि ₹ 40.85 लाख का मध्यप्रदेश कोष संहिता नियम 284 के विरुद्ध बिना आवश्यकता के आहरित कर मध्यप्रदेश हैरीटेज डेवलपमेंट ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा रखी गई।

तत्काल आवश्यकता के बगैर राशि आहरित नहीं की जानी चाहिये।

- ❖ स्मारकों के जीर्णोद्धार पर व्यय की गई राशि, पर्याप्त सुरक्षा एवं रखखाव के अभाव में निष्फल हो रही है।
- ❖ विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र, आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा, विभागीय मैनुअल और पर्याप्त रिपोर्टिंग सिस्टम के अभाव में कमजोर पाया गया।

एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र विभाग में स्थापित किया जाना चाहिये।

3.2.1 प्रस्तावना

संस्कृति विभाग की स्थापना राज्य शासन द्वारा वर्ष 1980 में संवैधानिक उत्तरदायित्व यथा राज्य के सांस्कृतिक परंपराओं, पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व की स्मारकों के संरक्षण के उद्देश्यों से की गई थी। विभाग के अधीन तीन संचालनालय कार्यरत हैं (1) संस्कृति संचालनालय भोपाल (2) संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय (3) स्वराज संस्थान संचालनालय


विभाग के मुख्य उद्देश्य¹ हैं :

- (अ) सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा और संरक्षण करना;
- (ब) पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना;
- (स) कला के विकास के लिये अवसरों और संसाधनों का विस्तार करना;
- (द) आदिवासी लोक संस्कृति की रक्षा करना;
- (ड) स्वराज पुस्तकालय की पहचान और उसे प्रोत्साहित करना एवं शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से प्रदर्शन कला को प्रोत्साहित करना; और
- (च) कला और संस्कृति में दुर्लभ प्रथाओं के लिये विशेष सहायता प्रदान करना।

¹ स्रोत: मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम, संस्कृति विभाग से संबंधित एवं दिसम्बर 2011 में संशोधित

3.2.2 संगठनात्मक संरचना

विभाग का अध्यक्ष शासन स्तर पर प्रमुख सचिव (पी.एस.) है जिन पर शासन की नीतियों / कार्यक्रमों / योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है। विभाग का वित्तीय / प्रशासनिक / तकनीकी नियंत्रण, विभाग के अधीन कार्यरत तीन संचालनालयों के आयुक्त / संचालकों के साथ निहित है। विभाग की संरचना का संगठनात्मक ढांचा निम्नानुसार है।



3.2.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- कार्यक्रमों के समुचित संचालन हेतु पर्याप्त योजना अस्तित्व में थी;
- बजटीय नियंत्रण एवं वित्तीय प्रबंधन पर्याप्त था;
- विभाग के अधीन कार्यरत संचालनालयों द्वारा कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का संचालन मितव्ययितापूर्वक, दक्षतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से किया गया;
- कार्यक्रमों/गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध थे; और
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रभावी थी।

3.2.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा हेतु मानदण्ड निम्न स्रोतों से प्राप्त किये गये:

- दिसंबर 2011 में संशोधित म.प्र.शासन कार्य आवंटन नियमावली;
- शासन द्वारा अनुमोदित योजनाओं की कार्ययोजना/दिशानिर्देश;
- समय समय पर राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नीतियां, नियम व आदेश;
- निर्धारित निगरानी और मूल्यांकन व्यवस्था;
- आंतरिक लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन एवं विभाग के अधीन कार्यरत कार्यालयों के निरीक्षण प्रतिवेदन ;
- बजट मैनुअल, मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता, मध्यप्रदेश कोष संहिता और
- केन्द्र / राज्य शासन द्वारा विभाग की गतिविधियों के संचालन हेतु जारी की गई सूचनाएँ / दिशा निर्देश।

3.2.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा पद्धति

संस्कृति विभाग के मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखा परीक्षा हेतु वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक विभाग के कार्यकलापों को समाविष्ट किया गया। यह लेखापरीक्षा मार्च 2012 से जून 2012 के दौरान आयोजित की गई। विभाग के तीनों संचालनालयों,² तीन अनुदान प्राप्त संस्थाओं³ एवं जिला स्तर पर आठ इकाईयों⁴ (37 इकाईयों में से) के

² पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय भोपाल; संस्कृति संचालनालय भोपाल; स्वराज संस्थान संचालनालय, भोपाल

³ भारत भवन न्यास भोपाल ; म.प्र. संस्कृति परिषद भोपाल एवं राजा मानसिक तोमर कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।

⁴ उपनिदेशक पुरातत्व एवं संग्रहालय इन्दौर ; उपनिदेशक अभिलेखागार भोपाल; शासकीय ललित कला महाविद्यालय ग्वालियर ; शा.संगीत महाविद्यालय उज्जैन; शासकीय संगीत महाविद्यालय मैहर

अभिलेखों की संवीक्षा समाविष्ट है। 18 अप्रैल 2012 को प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग और संचालनालयों के प्रमुखों के साथ प्रवेश सम्मेलन में मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंड, कार्यक्षेत्र तथा पद्धति को बताया गया। दिनांक 8 नवंबर 2012 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में विभाग के प्रमुख सचिव तथा सभी संचालनालय प्रमुखों के साथ विचार विमर्श किया गया, शासन के अभिमत को उपयुक्त स्थानों में शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.2.6 योजना

3.2.6.1 सांस्कृतिक नीति न बनाया जाना

विभाग एक विस्तृत सांस्कृतिक नीति के बिना कार्य कर रहा है

संस्कृति विभाग द्वारा स्थापना दिनांक से कला, संस्कृति, साहित्य और मध्यप्रदेश राज्य में पुरातात्विक खजाने के संरक्षण, रखरखाव और विकास के लिये विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं। राज्य शासन के कार्यआवंटन नियम के अनुसार विभाग को एक सांस्कृतिक नीति तैयार करना था। हमने पाया कि विभाग के पास कार्य आवंटन नियम के अलावा कोई अन्य नीति उपलब्ध नहीं थी।

विभाग द्वारा सूचित किया गया (जनवरी 2012) कि एक विस्तृत सांस्कृतिक नीति को तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। विभाग का उत्तर पुष्टि करता है कि विभाग विस्तृत सांस्कृतिक नीति के बिना कार्य कर रहा है।

3.2.6.2 सांस्कृतिक कैलेंडर में निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि न होना

विभाग अपने अधीन कार्यरत सभी संचालनालयों, न्यास और अकादमियों द्वारा वर्ष के दौरान आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों से युक्त एक सांस्कृतिक कैलेंडर प्रत्येक वित्तीय वर्ष " कला पंचांग " शीर्षक में प्रकाशित करता है। हमने वित्त वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक संस्कृति संचालनालय, स्वराज संस्थान और भारत भवन न्यास के कला पंचांग के अनुसार आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में कमी पायी जिसका विवरण तालिका 1 में दर्शाया गया है :

तालिका 1 सांस्कृतिक कैलेंडर के लक्ष्य और उपलब्धि

क्रमांक	संचालनालय/न्यास/ अकादमियों का नाम	कार्यक्रमों की संख्या		
		आयोजित किये जाने थे	वास्तव में आयोजित किये गये	आयोजित नहीं किये गये (प्रतिशत)
1	संस्कृति	75	52	23 (30.60)
2	स्वराज संस्थान	71	28	43 (60.56)
3	भारत भवन न्यास	293	197	96 (32.76)

इस प्रकार उपरोक्त संस्थान लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहे एवं लक्ष्य प्राप्ति में 31 से 61 प्रतिशत की कमी रही। शासन द्वारा लक्ष्य अप्राप्त रहने के निम्नलिखित कारण

सतना; पुरातत्ववेत्ता राज्य संग्रहालय धुबेला छतरपुर ; पुरातत्ववेत्ता पुरातत्व एवं संग्रहालय होशंगाबाद एवं रवीन्द्र भवन भोपाल।

(नवंबर 2012) सूचित किये गये (1) प्रसिद्ध कलाकारों की अनुपलब्धता (2) चुनाव अधिसूचना के कारण आचार संहिता का लागू होना (3) बजटीय सीमाओं, और (4) कला पंचाग में उल्लेखित कार्यक्रमों के स्थान पर अन्य कार्यक्रमों के आयोजन। तथ्यात्मक स्थिति यह रही कि बजट सीमाओं और अन्य कार्यक्रमों के संचालन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर गतिविधियों की योजना बनाई जानी थी।

इस प्रकार उचित योजना के अभाव में विभाग, कला पंचाग में उल्लेखित लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सका।

3.2.7 बजटीय नियंत्रण, वित्तीय प्रबंधन एवं अधिनियमों, नियमों और विनियमों का अनुपालन

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान विभाग द्वारा किये गये बजट प्रावधानों, व्यय एवं बचत की स्थिति तालिका 2 में दर्शायी गई है।

तालिका-2 बजट प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान			व्यय			बचत (-) / आधिक्य (+) (प्रतिशत)	
	आयोजना	आयोजने त्तर	योग	आयोजना	आयोजनेत्तर	योग	आयोजना	आयोजनेत्तर
2009-10	16.96	27.25	44.21	16.77	25.46	42.23	(-)0.19 (1.12)	(-)1.79 (6.57)
2010-11	17.57	44.64	62.21	17.07	42.37	59.44	(-)0.50 (2.85)	(-)2.27 (5.08)
2011-12	77.51	45.92	123.43	65.47	41.21	106.68	(-)12.04 (15.53)	(-) 4.71 (10.26)
योग	112.04	117.81	229.85	99.31	109.04	208.34	12.73	8.77

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदायित आँकड़े)

विभाग में वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान आयोजना और आयोजनेत्तर बजट के तहत बचत नगण्य थी, यह 3 प्रतिशत (आयोजना) एवं 7 प्रतिशत (आयोजनेत्तर) में कम थी। हांलाकि विभाग में वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान 10 प्रतिशत से अधिक की बचत आयोजना और आयोजनेत्तर व्यय के तहत थी। संचालनालयवार बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति परिशिष्ट 3.13, 3.14 और 3.15 में दर्शाई गई है। वर्ष 2011-12 में संस्कृति संचालनालय में आयोजना में 13.94 प्रतिशत एवं आयोजनेत्तर में 6.38 प्रतिशत बचत रही (परिशिष्ट 3.13) जबकि संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय में आयोजना में 19.66 प्रतिशत एवं आयोजनेत्तर में 17.94 प्रतिशत बचत रही (परिशिष्ट 3.14)

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर सभी संचालनालयों ने जबाब में बताया (मई एवं जून 2012) कि बचत का मुख्य कारण रिक्त पदों, मितव्ययिता अपनाने, दस प्रतिशत बजट व्यय पर शासन द्वारा लगाई गई कटौती, केन्द्रीय योजनाओं में केन्द्र का अंशदान कम प्राप्त / अप्राप्त रहना तथा यात्रा देयकों का अप्राप्त रहना इत्यादि था। वित्तीय प्रबंधन में पाई गई कमियों की चर्चा नीचे की गई है।

3.2.7.1 व्यय का आधिक्य

सामान्य वित्तीय नियम के नियम 56 (3) के अनुसार वित्तीय वर्ष के समापन महिने में अधिक व्यय किया जाना वित्तीय मर्यादा का उल्लंघन माना जायेगा और उसे परिहार्य

किया जाना चाहिये। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यय के आधिक्य के कारण, असावधानी एवं अकर्मठता पूर्वक व्यय किये जाने के फलस्वरूप शासन को व्यय की गयी राशि का उचित मूल्य नहीं मिल पाने का जोखिम रहता है। संस्कृति संचालनालय, स्वराज संस्थान तथा म.प्र. संस्कृति परिषद द्वारा वर्ष साथ ही साथ मार्च में किये गये व्यय का विवरण **तालिका 3** में दर्शाया गया है:

तालिका 3: मार्च माह में व्यय

(₹ करोड़ में)

कार्यालय का नाम	2009-10			2010-11			2011-12			2009-12 के दौरान मार्च माह में कुल व्यय	
	कुल व्यय	मार्च माह में व्यय	प्रतिशत	कुल व्यय	मार्च माह में व्यय	प्रतिशत	कुल व्यय	मार्च माह में व्यय	प्रतिशत	व्यय	प्रतिशत
संस्कृति संचालनालय भोपाल	18.63	2.54	13.63	32.86	7.69	23.40	39.53	10.32	26.10	20.55	22.57
स्वराज संस्थान	3.82	0.73	19.10	7.18	2.75	38.33	11.21	4.68	41.75	8.16	36.74
मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद	16.50	2.21	13.38	14.83	3.60	24.27	15.38	2.30	14.93	8.11	17.36
योग	38.95	5.48	14.07	54.87	14.04	25.58	66.12	17.30	26.16		

मार्च माह में व्यय 14 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तक वर्ष 2009-10 से 2011-12 के मध्य था।

उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के मार्च माह में संस्कृति संचालनालय, स्वराज संस्थान संचालनालय एवं मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा क्रमशः राशि ₹ 20.55 करोड़, ₹ 8.16 करोड़ एवं ₹ 8.11 करोड़ का व्यय किया गया। वित्त वर्ष 2009-10 से 2011-12 के मार्च माह में व्यय का प्रतिशत संस्कृति संचालनालय (13.63 प्रतिशत से 26.10 प्रतिशत) एवं स्वराज संस्थान संचालनालय (19 प्रतिशत से 42 प्रतिशत) की बढ़ोत्तरी पाई गई। इसके अलावा इन तीनों वर्षों के दौरान उपरोक्त कार्यालयों में कुल व्यय का आधिक्य 14 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तक वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक बढ़ा, जो एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2012) में स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा बताया गया कि यह परिस्थिति तीसरी एवं चौथी तिमाही में अत्यधिक कार्यक्रम आयोजित होने के कारण निर्मित हुई, जबकि संस्कृति संचालनालय द्वारा भविष्य में अनुपालन के लिये कंडिका को टीप किया।

तथ्य यह है कि वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय का आधिक्य बजटीय प्रबंधन, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर कमजोर आंतरिक नियंत्रण एवं अनुचित वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।

3.2.7.2 बिना सुरक्षा निधि जमा किये कर्मचारियों द्वारा रोकड़ तथा भण्डारों को संभालना

रोकड़ तथा भण्डार प्रतिभूति जमा कराये बगैर रोकड़िया/भण्डारी द्वारा संभाली जा रही थी

म.प्र. वित्त संहिता के नियम 282 के अनुसार, शासन द्वारा किसी विशेष या सामान्य आदेश के तहत दी गई छूट को छोड़कर प्रत्येक रोकड़िया/भण्डारी और अन्य अधीनस्थ, जिन्हें नगदी, भंडार अथवा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का अभिरक्षण सौंपा गया है, से प्रतिभूति जमा कराई जानी चाहिये, जिसकी राशि परिस्थिति एवं स्थानीय स्थिति के

अनुसार प्रत्येक प्रकरण में विभागाध्यक्ष के आदेशानुसार निर्धारित की गई हो एवं इस संबंध में एक प्रतिभूति बंध पत्र निष्पादित करें जिसमें उन सब शर्तों का विवरण हो जिनके अंतर्गत शासन के पास प्रतिभूति रहेगी तथा उसे वापस अथवा समायोजित किया जा सकता है।

अभिलेखों की जांच में पता चला कि **तालिका 4** में दर्शाये गये चार कार्यालयों में रोकड़िया/भण्डारी द्वारा रोकड़ तथा भण्डार कार्य बिना सुरक्षा निधि जमा कराये, करवाये गये।

तालिका 4: गत तीन वर्षों के औसत व्यय की स्थिति

कार्यालय का नाम	विगत तीन वर्षों का औसत व्यय (₹ करोड़ में)
संस्कृति संचालनालय, भोपाल	13.85
राजा मानसिंह तोमर (आर.एम.टी.) कला और संगीत विश्वविद्यालय, ग्वालियर	1.01
आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल	2.64
शासकीय ललितकला विद्यालय, ग्वालियर	0.37

रोकड़िया/भण्डारी से सुरक्षा निधि जमा नहीं कराये जाने से शासन को धोखाधड़ी/गबन की वजह से हानि का जोखिम रहता है।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2012) में सभी संचालनालयों द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधितों से सुरक्षा निधि वसूल की जा चुकी है। हालांकि दो इकाईयों⁵ में उत्तर का सत्यापन करने पर हमने पाया कि सुरक्षा निधि वसूल नहीं की गई थी (दिसम्बर 2012)। इस प्रकार संहिता के प्रावधानों का इन वर्षों में पालन नहीं किया गया।

3.2.7.3 असमायोजित अस्थाई अग्रिम

मध्यप्रदेश कोष संहिता के नियम 53 (4) के प्रावधानानुसार अस्थाई अग्रिम यथासंभव शीघ्र समायोजित किया जाना चाहिये और किसी भी हालत में समायोजन में तीन माह से अधिक विलंब नहीं होना चाहिये।

हमने पाया कि **तालिका 5** में दर्शाये अनुसार छह कार्यालयों में राशि ₹ 1.33 करोड़ के अस्थाई अग्रिम जो कि वर्ष 1989 से मार्च 2012 तक वितरित किये गये असमायोजित थे।

तालिका 5: असमायोजित अग्रिमों की स्थिति

क्रमांक	कार्यालय का नाम	राशि (₹ लाख में)	लंबित अवधि (₹लाख में)
1	मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल	1.68	2010-11 (₹ 1.43), 2011-12 (₹ 0.25)
	(1) साहित्य अकादमी भोपाल	7.22	2005-06 (₹ 0.20), 2006-07 (₹ 0.09) 2007-08 (₹ 0.27), 2009-10 (₹ 0.60) 2011-12 (₹ 6.06)
	(2) सिंधी साहित्य अकादमी भोपाल	2.70	2010-11 (₹ 2.10), 2011-12 (₹ 0.60)
	(3) आदिवासी लोक कला अकादमी भोपाल	26.11	2005 से पहले (₹4.20), 2011-12 (₹ 21.91)

⁵ राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय एवं शा. ललित कला महाविद्यालय ग्वालियर।

अस्थाई अग्रिम
3 माह से 23
माह तक
असमायोजित
थे

	(4) उस्ताद अलाउद्दीन खॉ संगीत एवं कला अकादमी भोपाल	26.32	2010-11 (₹ 18.84), 2011-12 (₹ 7.48)
2	स्वराज संस्थान भोपाल	8.50	2004-05 से मार्च 2012
3	आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय, भोपाल	27.68	1989 से मार्च 2012
4	उप संचालक अभिलेखागार भोपाल	5.25	6/2003 से मई 2010
5	कुलपति, राजा मानसिंह तोमर कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, ग्वालियर	14.15	नवंबर 2008 से जनवरी 2012
6	संचालक संस्कृति संचालनालय, भोपाल	13.54	2005-06 से मार्च 2012
	योग	133.15	

लंबी अवधि से अस्थाई अग्रिमों का समायोजन नहीं करना एवं शासकीय धन को शासकीय खाते से बाहर रखा जाना अधिकारियों को अनुचित लाभ दे सकता है।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2012) में संचालनालयों द्वारा अग्रिमों की वसूली हेतु की गई कार्यवाही से अवगत कराते हुये सूचित किया कि शेष लंबित अग्रिमों की वसूली हेतु कार्यवाही प्रगति पर है। पुरातत्व संचालनालय द्वारा सूचित किया गया कि संबंधित कर्मचारियों के वेतन से बकाया अग्रिमों की वसूली के लिये आदेश उनके द्वारा जारी किये गये हैं।

तथ्य यह है कि विभाग ने लेखापरीक्षा की समीक्षाधीन अवधि में इस मामले में ढिलाई बरती है।

3.2.7.4 रोकड़ पंजी का दोषपूर्ण रखरखाव

मध्यप्रदेश कोष संहिता के सहायक नियम 53 (4) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ पंजी के प्रभारी को चाहिये कि वह रोकड़ पंजी में अंकित रोकड़ शेष की जांच करें तथा इस बाबत् अपने दिनांक सहित हस्ताक्षर कर प्रमाण पत्र अंकित करें। रोकड़ शेष का विश्लेषण प्रत्येक श्रेणी के अधीन शेष का विवरण दर्शाते हुये तैयार किया जाना चाहिये तथा उसके निराकरण पर निगरानी प्रति माह रखना चाहिये। नियम 53(3) में प्रावधान है कि प्रति दिन नहीं तो रोकड़ पंजी नियमित अंतरावधि से बंद करना चाहिये तथा पूर्ण रूप से जांच की जानी चाहिये। रोकड़ पंजी के प्रभारी अधिकारी को योग की जांच स्वयं करना चाहिये अथवा किसी जिम्मेदार अधीनस्थ, जो लिखने वाले से भिन्न हो, से कराना चाहिये, तथा सही है या नहीं इस बाबत् संक्षिप्त हस्ताक्षर करना चाहिये। समस्त मौद्रिक लेनदेनों की प्रविष्टि जैसे ही वे घटित होते हैं, रोकड़ पंजी में की जानी चाहिये एवं उसे सक्षम अधिकारी से अभिप्रमाणित किया जाना चाहिये।

रोकड़ पंजी की जाँच में पाया गया कि सात इकाईयों⁶ में रोकड़ पंजी के योगों की जाँच रोकड़ पंजी लेखकों के अलावा अन्य व्यक्तियों से संहितागत प्रावधानों के अनुसार नहीं

रोकड़ पंजी
संधारण में
संहितागत प्रावधानों
का पालन नहीं
किया गया

⁶ सहायक निदेशक स्वराज संस्थान भोपाल ; आयुक्त पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल ; संस्कृति संचालनालय भोपाल ; उपनिदेशक अभिलेखागार भोपाल; म.प्र. संस्कृति परिषद भोपाल ; रवीन्द्र भवन भोपाल एवं राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर ।

किया गया। इसी प्रकार रोकड़ शेष का विश्लेषण माह के अंत में पाँच इकाईयों⁷ में नहीं किया गया।

नियम 53 (6) के अनुसार रोकड़ पंजी में एक बार की गई प्रविष्ट पर काटछांट अथवा उपरि लेखन किया जाना वर्जित है। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो अशुद्ध प्रविष्ट पर पेन से लाईन खींचकर काट दिया जाना चाहिये तथा लाल स्याही से लाईनों के मध्य सही प्रविष्ट लिखना चाहिये। कार्यालय प्रमुख को ऐसे प्रत्येक परिवर्तनों पर अपने दिनांक सहित संक्षिप्त हस्ताक्षर करना चाहिये, ऐसा चार इकाईयों⁸ में नहीं किया गया। इसी प्रकार नियम 53 (8) के टिप्पणी क्रमांक चार के अनुसार जब कभी कोई ऐसा भुगतान जो अंतिम स्वरूप का नहीं है, रोकड़ शेष से दिया जा रहा है अथवा स्थायी अग्रिम से किसी पदाधिकारी को आवश्यक खर्च को पूरा करने हेतु इस शर्त के अधीन दिया गया है कि वह व्हाउचर संलग्न कर हिसाब प्रस्तुत करेगा, लाल स्याही से आहरण अधिकारी के रोकड़ पंजी में भुगतान की तरफ रकम के कॉलम में बिना रकम की प्रविष्ट किये इस अग्रिम भुगतान का खुलासा करना चाहिये। इस प्रकार दिया गया अग्रिम, देने वाले संवितरण अधिकारी की रोकड़ पंजी के शेष का एक भाग होगा। हमने पाया कि संस्कृति संचालनालय भोपाल में अधिकारियों को अस्थायी अग्रिम दिये गये थे जिनकी प्रविष्टि भुगतान पक्ष के रकम के कॉलम में की गयी जो कि उपरोक्त नियम के विरुद्ध है। रोकड़ पंजी के उचित रखरखाव के लिये संहितागत प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने पर शासकीय धन का गबन करने का जोखिम रहता है।

निर्गम सम्मेलन (2012) में संस्कृति संचालनालय एवं स्वराज संस्थान संचालनालय ने सूचित किया कि उन्होंने लेखा परीक्षा सुझावों के अनुसार रोकड़ पंजी का संधारण शुरू कर दिया है जबकि पुरातत्व संचालनालय ने ऐसा करने का आश्वासन दिया।

3.2.7.5 बिल पंजी का त्रुटिपूर्ण संधारण

मध्यप्रदेश कोष संहिता के सहायक नियम 197 के प्रावधान के अनुसार समस्त कार्यालय प्रमुखों को जो उनके द्वारा हस्ताक्षरित देयकों पर कोषालय से धन का आहरण करने हेतु अधिकृत हैं, एम.पी.टी.सी. 17 पर एक देयक पंजी रखना चाहिये। इस पंजी की राजपत्रित अधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा कर, समीक्षा का परिणाम उस पर अंकित किया जाना चाहिये।

चार इकाईयों (उपसंचालक अभिलेखागार भोपाल, आयुक्त पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल, संचालक संस्कृति संचालनालय और रवीन्द्र भवन) में बिल पंजी की संवीक्षा में पाया गया कि बिल पंजी की मासिक समीक्षा ऊपर दिये गये नियमानुसार नहीं की गयी। बिल पंजी के उचित रखरखाव के लिये संहितागत प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने से फर्जी बिलों की पहचान नहीं जा सकती जिसके माध्यम से शासकीय धन का आहरण हो सकता है।

बिल पंजी के संधारण में संहितागत प्रावधानों का पालन नहीं किया

⁷ आयुक्त पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल संस्कृति संचालनालय भोपाल म.प्र. संस्कृति परिषद भोपाल राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर रवीन्द्र भवन भोपाल।

⁸ सहायक निदेशक स्वराज संस्थान भोपाल; उपनिदेशक अभिलेखागार भोपाल; रवीन्द्र भवन भोपाल एवं राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2012) में समस्त संचालनालयों ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा दिये गये सुझावों को लागू करना प्रारंभ कर दिया है।

तथ्य यह है कि संहितागत प्रावधानों का समीक्षा अवधि के दौरान पालन नहीं किया गया।

3.2.7.6 शासकीय धन का कोषालय में विलंब से प्रेषण

वित्त विभाग ने अपने आदेश दिनांक 29 अक्टूबर 1988 द्वारा निर्देशित किया कि राजस्व की संग्रहित राशि अविलंब कोषालय/ बैंक में जमा कराई जाये तथा अपरिहार्य स्थिति में किसी भी दशा में संग्रहित राशि 24 घंटों से अधिक विभाग / कार्यालय अपने पास न रखे। इसी प्रकार जहां बैंक ना हो वहां शासकीय धन तीन दिन के अंदर अवश्य जमा किया जाये।

शासकीय
राजस्व को
आठ माह तक
के विलंब से
कोषालय में
जमा किया
गया।

स्वराज संस्थान, रविन्द्र भवन और आयुक्त, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय के प्राप्ति अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सभागार का किराया, टिकट और प्रतिकृति आदि की बिक्री से प्राप्त आय राशि ₹ 20.47 लाख⁹, दो दिन से आठ माह के विलंब से कोषालय में जमा कराई गई। शासकीय धन का विलंब से कोषालय में प्रेषण किये जाने से उसका दुरुपयोग किये जाने की संभावना बढ़ जाती है।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2012) में स्वराज संस्थान संचालनालय ने बताया कि कर्मचारियों की कमी की बजह से विलंब हुआ जबकि संस्कृति संचालनालय द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा सभी अधीनस्थ अधिकारियों को समय पर प्रेषण सुनिश्चित करने के लिये निर्देश जारी किये गये हैं। पुरातत्व संचालनालय द्वारा बताया गया कि भविष्य में अनुपालन के लिये कंडिका का टीप किया गया है।

तथ्य यह है कि वित्त विभाग के आदेशों का समीक्षा अवधि के दौरान इन मामलों में पालन नहीं किया गया।

3.2.7.7 देनदारी का भुगतान न किया जाना ₹ 53.70 लाख

मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग एक के नियम 13 के अनुसार शासन द्वारा निर्विवाद रूप से देय राशि के भुगतान में विलंब करना समस्त नियमों और बजट सिद्धांतों के विपरीत है, अतः इसे टाला जाना चाहिये। इसी प्रकार नियम 14 के अनुसार समस्त किये गये व्ययों का भुगतान तुरंत किया जाना चाहिये और किसी भी स्थिति में उसे दूसरे वर्ष के विनियोजन से भुगतान करने के लिए स्थगित नहीं रखा जाना चाहिये। यदि संभव हो व्यय को नये बजट की तैयारी तथा उसमें प्रावधान कर स्वीकृति प्राप्त होने तक स्थगित रखा जा सकता है। लेकिन किसी भी हालत में एक वर्ष में किया गया व्यय दूसरे वर्ष के विनियोजन पर निर्भर नहीं जाना चाहिये।

⁹ सहायक निदेशक स्वराज संस्थान भोपाल ₹ 3.49 लाख (जुलाई 2011 से फरवरी 2012 के मध्य प्राप्त -एक से आठ माह के विलंब); आयुक्त पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल ₹ 7.57 लाख (जून 2011 से मार्च 2012 के मध्य प्राप्त -दो दिन से चार माह विलंब); रविन्द्र भवन भोपाल ₹ 9.41 लाख (जुलाई 2009 से मार्च 2011 के मध्य प्राप्त -तीन दिन से पाँच माह के विलंब)

हमने पाया कि उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी, भोपाल ने **तालिका 6** में दर्शायेनुसार कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसका भुगतान करने के लिये पर्याप्त राशि नहीं होने से वर्ष 2011-12 के दायित्व राशि ₹ 53.70 लाख का सृजन किया गया जिसे अगले वित्तीय वर्ष के विनियोजन पर निर्भर किया गया जिसका भुगतान जुलाई 2012 तक नहीं किया गया।

तालिका 6: बकाया बिलों का विवरण

(₹ लाख में)

क्रमांक	कार्यक्रमों का नाम	कार्यक्रम की दिनांक	राशि	बिलों की संख्या
1.	खजुराहों नृत्य महोत्सव 2012	1- 7 फरवरी 2012	28.77	16
2.	तानसेन समारोह 2012	9- 12 दिसम्बर 2011	18.15	7
3.	अमीर खां महोत्सव 2012	20 - 22 जनवरी 2012	1.65	3
4.	मांडू महोत्सव	28 - 30 दिसंबर 2011	3.68	2
5.	राजधानी रंगोत्सव	मार्च 2012	1.45	4
योग			53.70	32

अकादमी ने बताया कि अनुमानित व्यय के आधार पर धनराशि की माँग मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद¹⁰ से की जा रही थी उसके न मिलने से देनदारियों का सृजन हुआ। निर्गम सम्मेलन में बताया गया कि सभी व्यय शासन के निर्देशानुसार किये गये थे। व्यय की प्रतिपूर्ति वर्ष 2012-13 में की जावेगी।

तथ्य यह है कि संहितागत प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये दायित्वों का सृजन किया गया।

3.2.7.8 बैंक खाते में राशि अवरूद्ध रखना

म.प्र. कोषालय संहिता के नियम 284 के अनुसार कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जाएगी जब तक कि तत्काल वितरण की जाना अपेक्षित न हो।

(i) लेखा परीक्षा ने पाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार तीन सांस्कृतिक कला संकुल (सीवा, सागर और खंडवा) के निर्माण के आदेश (मार्च 2008) में जारी किए, जिनके माध्यम से शासन के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, प्रदेश की सांस्कृतिक गतिविधियों के संरक्षण तथा शिक्षा एवं नागरिकों विशेषकर ग्रामीणजनों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति जागरूक बनाने का कार्य कराया जाना था। यह भी आदेश दिया गया था कि उक्त संबंध में अविलंब कार्यवाही की जाए। इस प्रयोजन हेतु संस्कृति संचालनालय को वर्ष 2008-09 में राशि ₹ 3.01 करोड़ का बजट आवंटन प्राप्त हुआ जिसे आहरित कर (अगस्त 2008) संचालनालय के अधीन कार्यरत म.प्र. संस्कृति परिषद को प्रदान की गई।

¹⁰ संस्कृति संचालनालय के अधीन सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों के संचालन हेतु गठित संस्था

बिना आवश्यकता के राशि ₹ 3.42 करोड़ वर्ष 2008-09 में आहरित कर बैंक में जमा रखी गयी।

हमने पाया कि रीवा और सागर में संकुल निर्माण के लिए भूमि मार्च 2012 तक उपलब्ध नहीं हो सकी थी, क्योंकि रीवा में आवंटित भूमि प्रदेश की पुरातत्व विभाग की होने से उनके द्वारा आपत्ति की थी, और सागर में चार एकड़ के स्थान पर, एक एकड़ भूमि ही आवंटित की गई थी। खंडवा कला संकुल हेतु भूमि सितंबर 2010 में आवंटित की गई थी परंतु निर्माण कार्य मार्च 2012 तक प्रारंभ नहीं किया जा सका क्योंकि मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा जिलाध्यक्ष को राशि प्रदान नहीं की गयी थी। इस प्रकार खंडवा में भूमि पर निर्माण गतिविधियाँ पर्याप्त राशि उपलब्ध रहने के बावजूद समय पर शुरू नहीं की जा सकी क्योंकि राशि मध्यप्रदेश कोष संहिता के नियम 284 के प्रावधानों के विरुद्ध बैंक में जमा रखी गई।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2012) में प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग ने बताया कि खंडवा एवं सागर कला संकुल हेतु भूमि जिलाध्यक्षों द्वारा आवंटित की जा चुकी है, एवं रीवा संकुल हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रचलन में है।

तथ्य यह है कि जमीन अधिग्रहण के समय तक राशि की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार राशि ₹ 3.01 करोड़ वर्ष 2008-09 में आहरित कर, बैंक खाते में जमा रखना नियमों के प्रतिकूल है।

(ii) हमने आगे पाया कि आयुक्त पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय को म.प्र. शासन से राशि ₹ 40.85 लाख, मार्च 2009 में, डा.विष्णु श्रीधर वाकणकर पुरातत्व अनुसंधान संस्थान, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित ऐतिहासिक धरोहरों यथा शैलचित्र, स्मारक, वास्तु स्थापत्य, पुरालिपी तथा प्रतिमा विज्ञान की विद्या से नवीन पीढ़ी को जोड़ने तथा इन क्षेत्रों में शोधार्थियों को शोध सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापना हेतु प्राप्त हुई थी। इस संस्थान की स्थापना एवं देखरेख हेतु एक समिति की स्थापना शासन द्वारा फरवरी 2012 में की गई। संस्थान अभी भी (नवंबर 2012) स्थापित किया जाना है।

हमने पाया कि आयुक्त पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय ने राशि ₹ 40.85 लाख का आहरण कर म.प्र. हेरिटेज डेवलपमेंट ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा कराई (मार्च 2009), जबकि उक्त राशि शासन को लौटाई जानी थी।

आयुक्त पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय ने जवाब दिया (मई 2012) कि संस्थान से कार्य शुरू होने के बाद धन का उपयोग किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधि की तुरंत आवश्यकता नहीं होने पर उसे शासन को लौटाया जाना था। इस प्रकार संहितागत प्रावधानों के विपरीत ₹ 40.85 लाख तीन वर्षों तक शासकीय खाते से बाहर बैंक में अवरूद्ध रहे।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2012) में आयुक्त पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल ने सूचित किया कि शासन के आदेशानुसार राशि को पी.डी. खाते में स्थानान्तरित किया जा रहा है।

3.2.7.9 भण्डारों का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाना

म.प्र. वित्त संहिता भाग-1 के नियम 29 के अनुसार समस्त भण्डारों का भौतिक सत्यापन वर्ष में एक बार संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन अवश्य किया जाना

चाहिए। नियम 30 के अनुसार भंडार के सत्यापन का परिणाम यथाप्रसंग सूची, तालिका अथवा लेखा में जहाँ ऐसा सत्यापन किया गया है, अंकित किया जाना चाहिए।

स्टॉक पंजी की समीक्षा में पाया कि पाँच इकाईयों (म.प्र.संस्कृति परिषद्, उपसंचालक अभिलेखागार एवं संस्कृति संचालनालय, भोपाल में वर्ष 2010-11 से, स्वराज संस्थान में प्रारंभ से, एवं रवीन्द्र भवन में 2009-10 से) में भंडारों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया। भण्डारों का भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने से शासकीय संपत्ति की चोरी/दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2012) में स्वराज संस्थान संचालनालय ने कहा कि भौतिक सत्यापन नियमों के अनुसार किया जाएगा, जबकि संस्कृति संचालनालय ने सूचित किया कि वर्ष 2010-11 में कार्यालय स्थानांतरित होने के कारण भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका। हालांकि इस प्रक्रिया को अब आरंभ कर दिया है। पुरातत्व संचालनालय द्वारा बताया गया कि भौतिक सत्यापन अब 2011-12 तक किया जा चुका है।

3.2.8 संचालनालयों के तहत कार्यक्रमों और गतिविधियों का प्रबंधन

संस्कृति संचालनालय

3.2.8.1 मानदंड तैयार किये बिना कलाकारों, फिल्मी हस्तियों, पार्श्व गायकों आदि को मानदेय का भुगतान करना

संस्कृति संचालनालय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिसमें प्रसिद्ध राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय कलाकारों को आमंत्रित कर उनका नृत्य/संगीत प्रदर्शन की व्यवस्था कराते हैं। जिसके लिए इन कलाकारों को मानदेय का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है। 2009-10 से 2011-12 तक के वर्षों के दौरान राशि ₹ 7.19 करोड़ का व्यय इस मद में तालिका 7 में दर्शाये अनुसार किया गया।

तालिका 7: कार्यक्रमों की संख्या और मानदेय भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कार्यक्रमों की संख्या	मानदेय भुगतान
2009-10	45	1.57
2010-11	81	1.89
2011-12	68	3.73
योग	194	7.19

म.प्र. वित्त संहिता के नियम 10 के अनुसार प्रत्येक विभागाध्यक्ष वित्तीय नियंत्रण लागू करने के लिए तथा प्रत्येक कदम पर कठोर मितव्ययता का पालन कराने के लिए उत्तरदायी है। वह यह देखने के लिए भी उत्तरदायी है कि उसके स्वयं के कार्यालय तथा अधीनस्थ संवितरण अधिकारियों के कार्यालय, दोनों द्वारा संबंधित समस्त वित्तीय नियमों एवं विनियमों का पालन किया जा रहा है।

विभाग ने कलाकारों को मानदंड तैयार किये बिना मानदेय का भुगतान किया

हमने पाया कि विभाग द्वारा 2009-10 से 2011-12 के अवधि के दौरान 194 कार्यक्रमों के आयोजन पर राशि ₹ 7.19 करोड़ का मानदेय भुगतान पर व्यय किया, किंतु अभी तक इसके भुगतान हेतु कोई मानदंड नहीं बनाया है। निदेशक (संस्कृति) ने जवाब (नवंबर 2011) में बताया कि कलाकारों को मानदेय के भुगतान के लिए दरों का

निर्धारण नहीं किया जा सकता क्योंकि यह कलाकार की लोकप्रियता, वरिष्ठता, अनुभव, प्रसिद्धि पर निर्भर करता है।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2012) के दौरान संचालनालय ने बताया कि कलाकारों को भुगतान उनकी लोकप्रियता और प्रसिद्धि के अनुसार किया जाता है। जवाब में आगे बताया गया कि कलाकारों को मानदेय उनके अपेक्षा करने एवं उसमें शासन की ओर से यथोचित रियायत का अनुरोध करने पर उनके द्वारा मान्य किये जाने पर निर्धारित किया जाता है।

तथ्य यह है कि विभाग द्वारा मानदेय के भुगतान के लिए कोई मानदंड तय नहीं किया है साथ ही कार्यक्रमों को उनके महत्व के अनुसार (राष्ट्रीय/ राज्य/जिला स्तरीय) पहचान नहीं की है, जिससे किस कार्यक्रम में किस स्तर (राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तरीय) के कलाकार को आमंत्रित किया जाए और उन कार्यक्रमों में देय मानदेय की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सके।

इस प्रकार, मानदेय के भुगतान के लिए कोई भी मानदंड के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि विभागाध्यक्ष द्वारा कलाकारों को मानदेय के भुगतान में वित्तीय नियंत्रण एवं कठोर मितव्ययता का पालन किस प्रकार किया गया।

3.2.8.2 कला मंडलियों को राशि ₹ 1.17 करोड़ की अधिक वित्तीय सहायता प्रदाय करना

संस्कृति संचालनालय ने सचिव, संस्कृति विभाग को प्रदेश में कार्यरत निम्न आय वर्ग में कार्यरत 25000 कला मंडलियों को विभिन्न वाद्ययंत्र प्रदत्त किये जाने के उद्देश्य से राशि ₹ 7000/-¹¹ प्रति मंडली की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव (फरवरी 2008) सचिव, संस्कृति विभाग को प्रेषित किया। प्रस्ताव संस्कृति मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था। वित्त मंत्रालय ने भी उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर राशि ₹ 17.50 करोड़ का प्रावधान (मार्च 2008) में किया। संस्कृति संचालनालय ने ब्लॉक कार्यालयों को, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने हेतु, 48 जिला कलेक्टरों को दो किशतों (₹ 9.60 करोड़ - 1 जुलाई 2008 एवं ₹7.93 करोड़ - 9 सितंबर 2008 को) में राशि वितरित की। ब्लॉक स्तर पर, पाँच सदस्यों की एक समिति (जिले के प्रभारी मंत्री एवं सी.ई.ओ. द्वारा नियुक्त) ग्राम पंचायत में काम करने वाले प्रत्येक कला मंडली की आवश्यकताओं को पहचान कर राशि उपलब्ध करानी थी। संवितरण करने से पहले अपनाई जानी वाली विस्तृत प्रक्रिया को भी इस आदेश के साथ वितरित किया गया। लाभार्थी कला मंडलियों और ब्लॉक कार्यालयों की जिम्मेदारी थी, कि वे उपकरणों के क्रय के पश्चात जिला पंचायत को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये।

23,372 कलामंडलियों को वाद्ययंत्र क्रय करने हेतु राशि ₹ 1.17 करोड़ का अधिक संवितरण किया गया।

हमने पाया कि विभाग ने राशि ₹17.53 करोड़ व्यय की जो कि स्वीकृत राशि ₹ 17.50 करोड़ से राशि ₹ 3 लाख अधिक थी। हमने यह भी पाया कि सचिव(संस्कृति विभाग) ने संस्कृति मंत्री और वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित सहायता राशि ₹ 7000/- प्रति मंडली के स्थान पर राशि ₹ 7500/- प्रति मंडली के मान से सहायता राशि वितरित करने के

¹¹ हारमोनियम ₹5,000/- ; ढोलक ₹ 500/-; मंजीरा/चिमटा ₹,500/- एवं अन्य वाद्ययंत्र ₹1,000/- कुल ₹ 7,000/-

आदेश (मई 2008) जारी किए। इस प्रकार राशि ₹ 1.17 करोड़¹² की अधिक सहायता कला मंडलियों को प्रदाय की गई।

साथ ही मूल प्रस्ताव अनुसार सहायता 25000 कला मंडलियों के लिए प्रदान की जानी थी, लेकिन वित्तीय सहायता वास्तव में केवल 23,372 कला मंडलियों को प्रदान की गई। उसके अलावा कला मंडलियों से प्राप्त आवेदन, राज्य में कार्यरत कला मंडलियों की संख्या, उनसे प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि के अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे हम यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि यह वित्तीय सहायता का उपयोग उसी प्रयोजन पर किया गया जिसके लिए यह प्रदान की गई थी।

निदेशक संस्कृति ने उत्तर (नवंबर 2011) में कहा कि राशि का वितरण शासन के आदेशानुसार किया गया है, एवं अतिरिक्त राशि ₹ 3 लाख के वितरण के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गई है। साथ ही निर्गम सम्मेलन में संचालनालय ने सूचित किया कि प्रशासनिक विभाग को अनुमोदित राशि से 10 प्रतिशत अधिक राशि व्यय करने का अधिकार रहता है, जिससे वित्त विभाग से अलग से अनुमोदन प्राप्त करना वांछित नहीं है। यह भी बताया गया कि सभी जिला कलेक्टरों को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अतिरिक्त राशि किस आइटम के लिए दी गई थी, न तो अभिलेखों में और न ही निर्गम सम्मेलन के दौरान अवगत कराया गया है। इसके अलावा राशि का उपयोग केवल प्रत्येक लाभार्थी कला मंडली से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही सुनिश्चित किया जा सकता था। विभाग ने न तो इसे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया और न ही इस मुद्दे पर शासन ने कोई जवाब दिया।

3.2.8.3 विभाग के उद्देश्यों से असंबंधित गतिविधियों पर राशि ₹ 1.80 करोड़ व्यय किया जाना

कार्य आवंटन नियम के अनुसार संस्कृति विभाग की मुख्य नीति विशेष रूप से कला, साहित्य और संस्कृति से संबंधित मामलों को बढ़ावा देना है। हमने पाया कि ट्रस्टी और महामंत्री, पुष्पगिरी पंचकल्याणक 2011 महामहोत्सव समिति¹³ ने दिनांक 16 से 24 जनवरी 2011 के दौरान आयोजित होने वाले पंचकल्याणक महामहोत्सव के लिए पानी, बिजली, आवास, सुरक्षा इत्यादि के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने का अनुरोध (अक्टूबर 2010) जिला कलेक्टर, देवास को अग्रेषित किया। समिति के आवेदन के आधार पर जिला कलेक्टर, देवास ने सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय को अनुमानित व्यय के आधार पर बिजली की व्यवस्था हेतु राशि ₹ 1.09 करोड़ एवं पानी की व्यवस्था हेतु राशि ₹ 1.43 करोड़ कुल ₹ 2.52 करोड़ का मांग प्रस्ताव प्रस्तुत किया। निदेशक (संस्कृति) ने 9 नवंबर 2010 को ₹ 2.52 करोड़ का बजट प्रावधान करने के लिए एक नोट प्रमुख सचिव (संस्कृति) को प्रस्तुत किया। निदेशक संस्कृति ने 28 दिसंबर 2010 को कोषालय से राशि ₹ 1.80 करोड़ आहरित कर 29 दिसंबर 2010 को जिला कलेक्टर देवास को, पुष्पगिरी पंचकल्याणक महामहोत्सव पर व्यय करने हेतु प्रदान की।

संस्कृति विभाग के उद्देश्यों और गतिविधियों के बजाय अन्य गतिविधियों पर राशि ₹ 1.80 करोड़ व्यय किया गया

¹² 23,372 x ₹ 500 = ₹ 1.17 करोड़

¹³ जैन समाज के द्वारा पुष्पगिरि, देवास में गठित एक धर्माथ न्यास

इस प्रकार ₹ 1.80 करोड़ की राशि संस्कृति विभाग ने एक समारोह के लिए बिजली और पानी की व्यवस्था पर व्यय की, जो कि संस्कृति विभाग के उद्देश्यों और गतिविधियों से संबंधित नहीं था। संचालनालय ने बताया (नवंबर 2011) कि धन का प्रावधान वर्ष 2010-11 के अनुपूरक बजट में किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि हालांकि यह समारोह संस्कृति विभाग के उद्देश्यों और गतिविधियों के अंतर्गत नहीं था, फिर भी शासन के फैसले के आधार पर यह व्यय किया गया। संचालनालय ने स्वीकार किया कि कलेक्टर देवास से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना बाकी था। इसके अलावा निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2012) में विभाग ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेशानुसार कार्यवाही की गई है।

तथ्य यह है कि यह कार्य विभाग के उद्देश्यों और गतिविधियों के दायरे के भीतर नहीं था।

3.2.8.4 अपात्र अशासकीय संगठनों और अर्धशासकीय संगठनों को अनुदान जारी करना

कार्य आवंटन नियम के अनुसार विभाग की मुख्य नीतियों में से एक अशासकीय सांस्कृतिक संगठनों के प्रोत्साहन के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन ने अपने राजपत्र अधिसूचना (मार्च 1987) के तहत "मध्यप्रदेश अशासकीय सांस्कृतिक संगठन अनुदान नियम" बनाया। इस नियम के भाग 4(सी) के नियम 2 के अनुसार यह अनुदान निम्न संस्थाओं को देय था (i) ऐसी अशासकीय संस्थाएं जो प्रादेशिक स्तर के संगठन हैं और जो संस्कृति के क्षेत्र विशेष में तीन से अधिक वर्षों से सक्रिय हैं, (ii) ऐसी अशासकीय संस्थाएं जो किसी कला विशेष में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और नियमित प्रदर्शन की व्यवस्था करती हैं और (iii) ऐसी अशासकीय संस्थाएं जो समय-समय पर लेकिन विशिष्ट स्तर के संगीत समारोह, नाट्य समारोह, कला प्रदर्शनियाँ, साहित्य समारोह आदि आयोजित करती हैं और किसी समारोह या आयोजन विशेष के लिए सहायता चाहती है। इसके अलावा नियम 3(ख) के अनुसार ये संस्थाएं संस्कृति विभाग से मान्यता प्राप्त कर चुकी हों। और ऐसी किसी भी संस्था को कोई अनुदान मंजूर नहीं किया जाना था जिसकी आय सभी स्रोतों से इतनी हो, जो विभाग के मतानुसार शासकीय सहायता प्राप्त किए बिना उसका दक्षतापूर्वक संचालन कर सकने में पर्याप्त हो।

ऐसे संगठनों को राशि ₹ 3.02 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई जिन्हें विभाग द्वारा मान्यता नहीं दी गई

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान अशासकीय संस्थाएं जिन्होंने सहायता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, संस्थाएं जिन्हें संस्कृति संचालनालय द्वारा अनुदान दिया गया और कुल वितरित अनुदान राशि का विवरण तालिका 8 में दिया गया है।

तालिका 8: संगठनों को वितरित अनुदान का विवरण

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	संस्थाओं की संख्या जिन्हें अनुदान दिया गया	राशि जो अनुदान के रूप में दी गई (₹ लाख में)
2009-10	513	188	87.50
2010-11	634	253	107.50
2011-12	633	278	106.75
योग	1780	719	301.75

हमने पाया कि संस्कृति संचालनालय द्वारा संचालनालय से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अभिलेख संधारित नहीं किये हैं।

संस्कृति संचालनालय ने जवाब में बताया कि संस्कृति विभाग द्वारा संस्थाओं को मान्यता दिये जाने की अलग से कोई कार्यवाही नहीं की जाती, एवं अनुदान समिति¹⁴ के अनुशंसा उपरान्त अनुदान जारी किया जाता है। यह भी बताया गया कि अन्य गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं को इन शर्तों के साथ अनुदान स्वीकृत किया है कि वे प्राप्त अनुदान का उपयोग सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए करेंगे।

विभाग के उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुदान जारी करने के लिए प्राथमिक शर्त यथा कला और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय संस्थाओं को विभाग द्वारा मान्यता दिया जाना, का अनुपालन नहीं किया गया। इस प्रकार इन वर्षों के दौरान किए गए संपूर्ण व्यय राशि ₹ 3.02 करोड़ अनुचित साबित हुई क्योंकि किसी भी अशासकीय संस्था ने, जिन्हें अनुदान प्रदान की गई थी, संस्कृति संचालनालय से मान्यता प्राप्त नहीं की।

संस्कृति संचालनालय ने निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2012) में उत्तर दिया कि केवल सांस्कृतिक संस्थाओं को ही अनुदान स्वीकृति के लिए नियमों में संशोधन का प्रस्ताव शासन को किया जा रहा है।

3.2.8.5 निजी संस्थाओं से प्रचार कार्य कराये जाने से राशि ₹ 34.96 लाख का अनियमित व्यय

मुख्य सचिव, म.प्र.शासन के आदेश (मई 2008) द्वारा शासन के विभिन्न विभागों/निगमों/मण्डलों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रचार-प्रसार से संबंधित समस्त पब्लिसिटी के समस्त कार्य (जिनमें होर्डिंग्स, फ्लैक्स बैनर, टी.वी.रिपोर्ट, न्यूज कैप्सूल, वीडियो प्रजेंटेशन आदि) मध्यप्रदेश माध्यम¹⁵ से कराने हेतु निर्देशित किया। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि संस्कृति संचालनालय द्वारा उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन कर पब्लिसिटी से संबंधित कार्य निजी संस्थानों से कराये जिससे तालिका 9 में दर्शाये अनुसार राशि ₹ 34.96 लाख का अनियमित व्यय किया।

तालिका 9: प्रायवेट फर्मों को भुगतान का विवरण

क्रमांक	फर्म का नाम	भुगतान राशि (₹ लाख में)
1.	मै.स्क्रैबिल मीडिया प्रायवेट लिमिटेड, भोपाल	20.91
2.	मै.स्ट्रीमलाइन फिल्मस, भोपाल	1.65
3.	यूएनओ ग्राफिक्स, भोपाल	9.80
4.	तिरंगा फोटो पॉइन्ट, भोपाल	2.47

¹⁴ संचालक संस्कृति की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें छह सदस्य निदेशक संस्कृति के द्वारा नामांकित (दो सदस्य संस्कृति विभाग एवं वित्त विभाग से एक-एक एवं चार अन्य सदस्य संस्कृति संचालनालय के अधीनस्थ कार्यालयों)

¹⁵ म.प्र. शासन जन संपर्क विभाग के अंतर्गत सामाजिक विकास सेक्टर में संचार समाधान हेतु गठित एक स्वायत्तशासी संस्था। इसके अध्यक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसकी स्थापना शासकीय विभागों / संस्थाओं के योजनाओं और अन्य संबंधित कार्यों के प्रचार प्रसार हेतु की गई है।

5.	वर्मा पब्लिसिटी, भोपाल	0.13
	योग	34.96

संस्कृति संचालनालय ने कहा (जून 2012) कि मुख्य सचिव के संदर्भित निर्देशों का भण्डार क्रय नियमों में उल्लेख नहीं होने के कारण संचालनालय को निर्देशों की जानकारी नहीं थी। आगे यह भी बताया गया कि समारोह की प्रकृति वृहद एवं समय कम होने के कारण, सभी निर्णय तुरंत ले लिये गये और अन्य विभागों की भांति नियमानुसार कार्यवाही करने का समय नहीं होता। निर्गम सम्मेलन के दौरान संचालनालय ने बताया कि सभी कार्य नियमानुसार कराये जाते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निजी संस्थाओं से कार्य कराने से शासन के निर्देशों की अवहेलना हुई, जिससे राशि ₹ 34.96 लाख का अनियमित व्यय हुआ।

3.2.8.6 बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का उपयोग भारत भवन न्यास द्वारा अवधि समाप्ति के पूर्व उपयोग नहीं किया जाना

निदेशक संस्कृति, भोपाल ने बारहवें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत भारत भवन ऑडिटरियम के उन्नयन और आधुनिकीकरण एवं अन्य कार्यों पर राशि ₹ 2 करोड़ के व्यय का प्रस्ताव (2004-05) में प्रस्तुत किया। तदनुसार भारत भवन न्यास को बारहवें वित्त आयोग अवधि (2005-06 से 2009-10) अनुदान के रूप में राशि ₹ 2 करोड़ (@ ₹ 50.00 लाख प्रतिवर्ष 2006-07 से) प्राप्त हुई। वित्त आयोग के तहत जारी की गई राशि के उपयोग के लिए जारी दिशा निर्देशों की धारा 3.1 के अनुसार, प्रत्येक राज्य को जारी सहायता अनुदान के समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति (एच.एल.सी.)¹⁶ का गठन करना था। एच.एल.सी. की जिम्मेदारी थी कि (अ) प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में प्रत्येक क्षेत्र में लिए जाने वाली परियोजनाओं का अनुमोदन, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना, और प्रत्येक लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय सारणी निर्धारित करना, और (ब) भौतिक एवं वित्तीय दोनों लक्ष्यों की निगरानी करना, और प्रत्येक अनुदान, जहाँ भी लागू हो, की विशेष शर्तों का पालन सुनिश्चित करना। एच.एल.सी. को प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अनुदान की उपयोगिता की समीक्षा करना था एवं अगर आवश्यकता हुई तो मध्यकालीन सुधार हेतु निर्देश जारी करना था।

वित्त मंत्रालय, म.प्र. शासन द्वारा दिशा निर्देशों को अग्रेषित (जून 2005) करते वक्त प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग को निर्देशित किया कि वे प्रस्ताव और कार्य योजना तैयार कर इसे उच्च स्तरीय समिति (एच.एल.सी.)से अनुमोदित कराये एवं वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित धनराशि का पूरा पूरा उपयोग समयावधि में कर, उपयोगिता प्रमाण पत्र अविलंब भारत शासन वित्त मंत्रालय को उपलब्ध करावें।

हमने पाया कि बारहवें वित्त आयोग के समापन अवधि (2009-10) के अन्त तक, भारत भवन, मशीनरी उपकरणों के क्रय, सिरेमिक स्टूडियो के निर्माण एवं अन्य प्रलेखन कार्यों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि ₹ 63.55 लाख का उपयोग नहीं कर सका। इस में से ₹ 33.69 लाख एवं ₹ 13.15 लाख का उपयोग क्रमशः वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में

बारहवें वित्त आयोग अनुदान के तहत प्राप्त राशि में से ₹ 63.55 लाख भारत भवन द्वारा समय अवधि में नहीं किया गया

¹⁶ जिसके अध्यक्ष राज्य शासन के मुख्य सचिव एवं वित्त सचिव और अन्य विभागों के सचिव सदस्य के रूप में है

किया गया। साथ ही मार्च 2012 के अन्त में ₹ 16.71 लाख अप्रयुक्त रहे। हम ने आगे पाया कि बारहवें वित्त आयोग अनुदान से क्रय की गई संपत्तियों राशि ₹ 1.24 करोड़ को भारत भवन न्यास के तुलन पत्रक में संपत्तियों के रूप में शामिल नहीं किया गया।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भारत भवन ने बताया (मार्च 2012) कि बारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रस्तावित अधिकांश कार्य ऐसे हैं जो अपेक्षाकृत दीर्घकालिक निष्पादन कार्यवाही की माँग करते हैं, जिससे राशि का उपयोग समयावधि में नहीं किया जा सका। यह भी बताया गया कि खरीदी गई स्थाई संपत्तियों में न्यास मद का उपयोग नहीं किये जाने से, संपत्तियों में दर्ज नहीं करते हुए, उसे परियोजना व्यय के रूप में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2012) में शासन ने बताया कि वर्ष 2008-09 के ₹ 0.24 लाख एवं वर्ष 2009-10 के ₹ 10.29 लाख व्यय करने हेतु शेष हैं। यह भी बताया गया कि प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक मद हेतु स्वीकृत वित्तीय सीमा के अन्दर ही व्यय किया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (वित्त आयोग प्रभाग) भारत शासन द्वारा अप्रैल 2009 में प्रमुख सचिव (वित्त), म.प्र. शासन से आग्रह किया था कि वे बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपयोग के लिए अपनी गतिविधियों का संचालन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र /कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत करें, इसके बावजूद उपरोक्त दर्शाये अनुसार धनराशि का उपयोग समयावधि तक नहीं किया गया। इस देरी के कारण, भारत भवन के आगंतुक इन वर्षों के दौरान आधुनिक सभागार सुविधाओं से वंचित रहे। और संपत्तियों को तुलन पत्रक में नहीं दर्शाये जाने से संपत्ति की नुकसान/गबन/दुरुपयोग आदि की जानकारी नहीं लगने की संभावना बढ़ जाती है।

3.2.8.7 भारत भवन न्यास के प्रशासन और प्रबंधन के लिए बाय-लाज और नियमों को नहीं बनाया जाना

रजिस्ट्रार पब्लिक न्यास और उपमंडल अधिकारी के आदेश 31 जनवरी 1996 द्वारा भारत भवन को न्यास के रूप में पंजीकृत किया गया था। पंजीकरण के समय रजिस्ट्रार पब्लिक न्यास और उपमंडल अधिकारी की अदालत ने न्यास के संचालन के लिए नियम और शर्तें भी जारी कीं। अदालत द्वारा बनाए गए ट्रस्ट डीड की धारा 10 के अनुसार "न्यास अपने खातों और गतिविधियों, न्यासी और कार्यकारी समिति के सदस्यों के भत्तों का भुगतान, विशेषज्ञों/विद्वानों/पेशेवरों को पारिश्रमिक/मानदेय/शुल्क के भुगतान, भर्ती, पदोन्नति, सेवा के नियम/शर्तें, कर्मचारियों के कर्तव्यों और शक्तियाँ, और न्यास के प्रशासन और प्रबंधन के लिए नियम बनाने थे।" हालांकि अदालत के आदेश में नियम बनाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की थी।

लेखा परीक्षा के दौरान हमने पाया कि ऊपर उल्लेखित गतिविधियों के संबंध में नियमों का निर्धारण नहीं किया गया, हालांकि न्यास द्वारा ₹ 3.67 करोड़, ₹ 4.90 करोड़ एवं ₹ 5.21 करोड़, वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में नीचे तालिका 10 में दर्शाये अनुसार व्यय किये।

तालिका 10: गत तीन वर्षों के व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

आय				व्यय			
शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12
म.प्र.शा. से प्राप्त अनुदान	3.38	4.38	4.49	स्थापना	2.28	2.73	3.49
ब्याज	0.38	0.27	0.48	ऑपरेशन	0.30	0.32	0.34
कार्यक्रम से प्राप्तियाँ	0.13	0.14	0.11	लेखा परीक्षा फीस	0.0013	0.0017	0.0017
विविध प्राप्तियाँ	0.06	0.10	0.17	कार्यक्रम व्यय	0.54	0.55	0.79
प्रतिपूर्ति	निरंक	0.06	निरंक	संधारण	0.23	0.96	0.40
				12वें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत व्यय	0.32	0.34	0.19
योग	3.95	4.95	5.25		3.67	4.90	5.21

(स्रोत: ट्रस्ट द्वारा प्रदायित आँकड़े)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने माना कि नियम 10 के अंतर्गत बाय-लाज न्यास द्वारा नहीं बनाये गये हैं। यह भी बताया गया कि क्रय, कलाकारों का मानदेय आदि गतिविधियाँ कार्यालयीन आदेश के द्वारा प्रशासित की जाती हैं।

न्यास के उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अदालत के आदेश (जनवरी 1996) और लगभग 16 साल गुजर जाने के बाद भी, भारत भवन न्यास द्वारा कोई नियम नहीं बनाये गये और अदालत के आदेश में निहित प्रावधान का पालन नहीं किया जा सका।

इसके अलावा अदालत के आदेश की कंडिका 24 के अनुसार "शासन द्वारा समय-समय पर न्यास की गतिविधियों और कार्यकलापों के मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय श्रेष्ठता के विशेषज्ञों (भारत भवन न्यास के कार्यकारी और सलाहकार समितियों के सदस्यों और न्यासियों को छोड़कर) एक समिति का गठन करेगी" इसी प्रकार कंडिका 24.1 के अनुसार समिति अपनी सिफारिशें और सुझाव शासन को पेश करेगी और उनमें से जो सुझाव न्यास के साथ परामर्श उपरान्त शासन द्वारा स्वीकार किये जाएँ वह न्यास पर बाध्यकारी होगा।

हमने पाया कि भारत भवन न्यास की गतिविधियों और कामकाज के मूल्यांकन हेतु कोई समिति का गठन शासन द्वारा नहीं किया गया है (मार्च 2012)।

निर्गम सम्मेलन में शासन द्वारा बताया गया कि न्यास डीड के तहत आवश्यक कार्यवाही उपरान्त लेखा परीक्षा को सूचित किया जाएगा।

3.2.8.8 शर्तों की पूर्ति नहीं करने के फलस्वरूप केन्द्र शासन का शेष अंशदान प्राप्त नहीं होना

संस्कृति मंत्रालय, भारत शासन ने लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए युवा वर्ग को कम उम्र से रचनात्मक अभिव्यक्ति के बेहतर रूपों को उजागर करके

समाज में नैतिकता और सौन्दर्य के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से, राज्य शासन द्वारा बनाये गये एक स्वायत्त निकाय को बहुउद्देशीय सांस्कृतिक काम्पलेक्स (एम.पी.सी.सी.) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना कार्यान्वित की। योजना के अनुसार सभागार, पुस्तकालय/रीडिंग हॉल, कार्यशाला आदि सुविधाएं उपलब्ध कराना था।

म.प्र. शासन ने राज्य के तीन जिले ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर में उपरोक्त एम.पी.सी.सी. निर्माण कराने का प्रस्ताव (जबलपुर और उज्जैन-सितंबर 2005 एवं ग्वालियर नवंबर 2006), म.प्र.संस्कृति परिषद् के माध्यम से प्रस्तुत किया। योजना के अंतर्गत प्रत्येक कॉम्पलेक्स की लागत ₹ 2 करोड़ तय की गई जिसे केन्द्र और राज्य शासन द्वारा 50: 50 के अनुपात में वहन करना था। केन्द्र शासन ने प्रथम किस्त के रूप में अपने अंशदान का 60 प्रतिशत राशि कुल ₹ 1.80 करोड़ (₹ 60.00 लाख प्रति काम्पलेक्स के दर से तीन काम्पलेक्स हेतु) जारी की (2005-07 के मध्य) की और शेष 40 प्रतिशत प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र (राज्य शासन के अंशदान सहित) एवं निर्धारित प्रपत्रों में अन्य वांछित जानकारी प्रेषित किये जाने के पश्चात जारी की जानी थी। अनुदान की शर्तों में से एक यह भी थी कि संस्था अनुमोदित परियोजना पर किए गए व्यय और अनुदान के उपयोग का संकेत दर्शाते हुए, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा अंकेक्षित लेखे भारत शासन को प्रस्तुत करेगी।

राज्य शासन ने अपने अंशदान की पूर्ण राशि ₹ 3 करोड़ को जारी किया था। म.प्र.संस्कृति परिषद् ने निर्माण कार्य ग्वालियर विकास प्राधिकरण (जुलाई 2008) जबलपुर विकास प्राधिकरण (अक्टूबर 2007) और उज्जैन विकास प्राधिकरण (फरवरी 2007) को सौंपा। उज्जैन एम.पी.सी.सी. का निर्माण कार्य पूर्ण (नवंबर 2009) होने पर उसका आधिपत्य कालिदास संस्कृत अकादमी को सौंपा गया, जबकि ग्वालियर और जबलपुर के काम्पलेक्स का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं था (मई 2012)। ग्वालियर में निर्माण कार्य भूमि के स्वामित्व में विवाद के कारण और जबलपुर में आर्बिट्रिड भूमि इमारत के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं होने के कारण विलंब हुआ।

हमने पाया कि उज्जैन एम.पी.सी.सी. का निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं आधिपत्य (नवंबर 2009) में प्राप्त होने, एवं शेष दो एम.पी.सी.सी.-ग्वालियर और जबलपुर का निर्माण 80 से 90 प्रतिशत पूर्ण होने के बावजूद, केन्द्र शासन के अंशदान ₹ 1.20 करोड़¹⁷ (40 प्रतिशत) म.प्र. संस्कृति परिषद् द्वारा पहली किस्त की उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित जानकारी प्रस्तुत नहीं किए जाने के फलस्वरूप प्राप्त नहीं किये जा सके।

संयुक्त सचिव म.प्र. संस्कृति परिषद् द्वारा बताया गया (मई 2012) कि शेष अंशदान राशि ₹ 1.20 करोड़ प्राप्त करने के लिए वे संस्कृति मंत्रालय भारत शासन के साथ नियमित पत्राचार कर रहे हैं। परंतु भारत शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में जानकारी की मांग करने पर तीनों विकास प्राधिकरणों (ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से मांग की जा रही है एवं उसके प्राप्ति होने पर भारत शासन को प्रेषित की जाएगी।

¹⁷ ₹ 40.00 लाख प्रति काम्पलेक्स के दर से तीन काम्पलेक्सों हेतु

उत्तर पुष्टि करता है कि योजना के दिशा निर्देशों में निर्धारित था कि संस्कृति संचालनालय को निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है, इसे सुनिश्चित नहीं किया गया। हमने आगे यह भी पाया कि उज्जैन के मामले में संस्कृति विभाग, भारत शासन ₹ 60 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र दिसंबर 2010 से माँग कर रहा है जो मई 2012 तक लंबित थे, जिससे विभाग की उदासीनता स्पष्ट होती है।

इस प्रकार संस्कृति विभाग, भोपाल द्वारा भारत शासन को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से शेष राशि ₹ 1.20 करोड़ प्राप्त नहीं कर सका।

पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय

3.2.8.9 भारत शासन की योजना "क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालयों के स्थापना, संवर्धन और सुदृढीकरण" के अंतर्गत अव्ययित राशि ₹ 94.16 लाख का समर्पण नहीं किया जाना

भारत शासन ने "क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालयों के स्थापना, संवर्धन और सुदृढीकरण" योजना के अंतर्गत बीज राशि के रूप में सचिव, म.प्र. हेरिटेज डेवलेपमेंट ट्रस्ट (पुरातत्व, अभिलेखागार, संग्रहालय संचालनालय के तहत गठित) को ₹ 1 करोड़ का अनुदान प्रदान किया। यह राशि (i) राज्य संग्रहालय, भोपाल (ii) गूजरी महल संग्रहालय, ग्वालियर एवं (iii) स्थानीय पुरातत्व संग्रहालय, सिरोंज, विदिशा के लिए उपयोग की जानी थी। अनुदान स्वीकृति की शर्तों में निम्नलिखित शर्त शामिल थी।

- बीज राशि का उपयोग उपरोक्त संग्रहालयों की प्रारंभिक गतिविधियों, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने सहित उपयोग की जायेगी।
- अव्ययित राशि, यदि कोई हो, बिना विलंब किये शासन को समर्पित की जायेगी।
- अंकेक्षित लेखे और उपयोगिता प्रमाणपत्र, अनुदान जारी होने के वित्त वर्ष के समाप्ति के 12 महीने के भीतर भेजे जायें, अन्यथा संस्थान को यह राशि 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दण्डात्मक ब्याज सहित लौटाई जायेगी।

भारत सरकार से प्राप्त सहायता की उपयोग न की गयी राशि ₹ 94.16 लाख वापिस नहीं की गयी और ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा रखी गयी

हमने पाया कि मई 2012 के स्थिति में राशि ₹ 5.84 लाख¹⁸ ही विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं अन्य प्रारंभिक कार्यों पर उपयोग किया गया। अव्ययित राशि ₹ 94.16 लाख भारत शासन को लौटाए बगैर उसे न्यास के बैंक खाते में जमा रखा गया। यह भी पाया कि अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत शासन को प्रस्तुत नहीं किया गया।

पुरातत्व संचालनालय ने सूचित किया (मई 2012) कि सिरोंज संग्रहालय के चहारदीवारी निर्माण के लिए ₹ 25.00 लाख का एक प्रस्ताव (फरवरी 2012) तैयार कर उसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2012) के दौरान संचालनालय ने बताया कि बीज राशि

¹⁸ ₹ 0.30 लाख दो संग्रहालयों सिरोंज एवं ग्वालियर में EPCO को परामर्श कार्य हेतु एवं ₹ 5.54 लाख तीन संग्रहालयों भोपाल, ग्वालियर एवं सिरांज के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने बाबत-कुल ₹ 5.84 लाख

को केन्द्र शासन को लौटाये जाने की कोई धारा शामिल नहीं है। सिरोंज संग्रहालय में चहारदीवारी का निर्माण प्रक्रियाधीन है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि धारा 2 के अनुसार अनुदान जिस उद्देश्य के लिए जारी किया गया था उसी प्रयोजन पर ही किया जाकर, उपयोगिता प्रमाण पत्र, वित्तीय वर्ष के समाप्ति के 12 महीने के भीतर प्रस्तुत करना था, एवं धारा 13 के अनुसार अव्ययित बीज राशि शासन को समर्पित की जानी थी।

3.2.8.10 स्मारकों पर पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में नरवर किला शिवपुरी, शाहजहाँ महल और जहाँगीर महल के जीर्णोद्धार पर व्यय की गई राशि ₹ 1.64 करोड़ निष्फल होना

आयुक्त पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय को राशि ₹18 करोड़ का आबंटन, ₹ 4.50 करोड़ प्रतिवर्ष के मान से वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक बारहवें वित्त आयोग के अनुदान के रूप में, संग्रहालयों के जीर्णोद्धार, उन्नयन और विकास कार्य शुरू करने के लिए प्राप्त हुई। हमने¹⁹ उन स्मारकों का स्थल दौरा किया जहाँ जीर्णोद्धार पर राशि ₹ 1.70 करोड़ नरवर किला (शिवपुरी), ₹ 7.28 लाख एवं ₹ 7.34 लाख ग्वालियर किला परिसर स्थित जहाँगीर महल और शाहजहाँ महल के लिए उपलब्ध थी।

इन स्मारकों की जीर्णोद्धार हेतु आबंटित राशि, व्यय की गई राशि निम्नानुसार थी।

तालिका 11: आवंटित राशि एवं व्यय

(₹ लाख में)

क्रमांक	विवरण	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
		प्रदाय राशि	व्यय राशि						
1.	नरवर किला शिवपुरी	20.00	19.97	40.00	39.92	60.00	48.81	50.00	45.35
2.	जहाँगीर महल	--	--	--	--	--	--	7.28	5.24
3.	शाहजहाँ महल	--	--	--	--	--	--	7.34	4.79

हमने पाया कि इन स्मारकों में पर्याप्त सुरक्षा एवं देखरेख के लिए कर्मचारियों को तैनात नहीं किया गया है। संचालनालय के अधीन उपलब्ध 352 राज्य संरक्षित स्मारकों में से केवल 127 स्मारकों (36 प्रतिशत) में नियमित सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती है, एवं शेष 225 स्मारकों में सुरक्षा व्यवस्था निजी संस्थाओं से करायी जा रही हैं। कुछ स्मारकों के भौतिक निरीक्षण के दौरान, वनस्पति का उगना, दीवारों/फर्श की खुदाई, आगंतुकों द्वारा दीवारों को विरूपित करना एवं आवारा पशुओं जैसी समस्याओं को देखा, जैसा कि साक्ष्य के तौर पर दर्शाये निम्न तस्वीरों से देखा जा सकता है।

¹⁹ विभागीय अधिकारी लेखा परीक्षा सदस्यों के साथ



नरवर किले में वनस्पति का विकास एवं टूटी हुई दीवार



नरवर किला



शाहजहाँ महल के अन्दर

दीवारों/फर्श की खुदाई



आगंतुकों द्वारा दीवारों को विरूपित करना



आवारा पशु जहाँगीर महल के अन्दर



नरवर किले के अन्दर गोंबर

इस प्रकार अपर्याप्त सुरक्षा और देखभाल के कारण इन स्मारकों के जीर्णोद्धार पर किया गया व्यय निष्फल हो रहा था।

लेखा परीक्षा द्वारा पूछे जाने पर, आयुक्त पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल ने बताया कि शाहजहाँ महल, एवं जहाँगीर महल ग्वालियर किला परिसर में आते हैं, जिसकी सुरक्षा हेतु दो कर्मचारी तैनात हैं। इसी प्रकार नरवर किले पर दो कर्मचारी तैनात हैं। आगे यह भी बताया गया कि नरवर किला 7 कि.मी. के दायरे में फैला है, जिस कारण पेड़ एवं झाड़ियाँ परिसर में उग आई हैं और स्मारक की दीवारों को नुकसान पहुँचा रही हैं। यह भी बताया गया कि तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत श्रेणीवार स्मारकों की सुरक्षा हेतु निजी सुरक्षा एजेन्सी के माध्यम से सुरक्षाकर्मी रखे जाने का प्रावधान है, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

तथ्य यह है कि स्थायी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बजट में ही सुनिश्चित किया जाना चाहिये ताकि जीर्णोद्धार पर किया व्यय निष्फल नहीं हो सके।

3.2.8.11 प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के बिना कार्यों का निष्पादन

म.प्र.वित्त संहिता के नियम 147 के अनुसार कोई कार्य प्रारंभ अथवा कोई भार ग्रहण नहीं किया जाये, जब तक कि:

- (i) प्रत्येक प्रकरण में सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो,
- (ii) व्यय प्राधिकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी की विशेष अथवा सामान्य स्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो,
- (iii) उचित रूप से निर्मित विस्तृत योजना एवं अनुमान स्वीकृत न किया गया हो, तथा
- (iv) सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यय हेतु राशि की व्यवस्था चालू वर्ष में न कर दी गई हो।

आयुक्त पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल ने राशि ₹ 4.80 लाख की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति, उप निदेशक, इंदौर को होल्कर कालीन वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए राजबाड़ा, इंदौर में एक वीथिका के निर्माण के लिए जारी की। उप निदेशक इंदौर ने इस कार्य का ठेका न्यूनतम निविदाकार को राशि ₹ 3.98 लाख में 27 जुलाई 2011 को जारी कर एक महीने के भीतर कार्य सम्पादित करने को कहा।

हमने पाया कि आयुक्त एवं इंदौर के कलेक्टर के द्वारा 2 दिसंबर 2011 को स्थल निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया कि उक्त वीथिका का विस्तार वर्तमान में कार्यालय उपयोग में लायी जा रही लकड़ी के पार्टिशन 10.80 x 4 मीटर को हटाकर प्रस्तावित 10.80 x 19.80 मीटर के स्थान पर एक बड़ी वीथिका 10.80 x 23.20 मीटर की तैयार की जावे। इस प्रकार इस सुझाव के कारण वीथिका का क्षेत्रफल 207.36 वर्गमीटर से बढ़कर 250.56 वर्गमीटर हो गई, जिससे अतिरिक्त 43.2 वर्ग मीटर में वही काम कराना पड़ा। हमने पाया कि उपनिदेशक इंदौर ने यह अतिरिक्त कार्य, संचालनालय से तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किये बगैर, उसी ठेकेदार के माध्यम से कराया, जिसपर राशि ₹ 6.37 लाख का अतिरिक्त व्यय इस मद में किया गया।

उपनिदेशक इंदौर ने जवाब (सितम्बर 2012) में कहा कि यह मामला संचालनालय कार्यालय में विचाराधीन है।

प्रकरण शासन को सूचित (जनवरी 2013) किया गया है जिसका जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 2013)।

स्वराज संस्थान संचालनालय

3.2.8.12 डॉ. शंकर दयाल शर्मा स्वतंत्रता संग्राम राज्य संग्रहालय, भोपाल के वीथिका में नवीनीकरण एवं साजसज्जा कार्य पर बिना अनुमोदन के अतिरिक्त व्यय किया जाना।

स्वराज संस्थान संचालनालय, भोपाल ने अगस्त 2010 में म.प्र. लघु उद्योग निगम से स्थल का निरीक्षण कर, डॉ. शंकर दयाल शर्मा स्वतंत्रता संग्राम राज्य संग्रहालय की वीथिका में प्रस्तावित आंतरिक साज सज्जा, नवीनीकरण तथा शोकेस निर्माणकार्य का प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा। निर्माण स्थल के निरीक्षण उपरान्त म.प्र. लघु उद्योग निगम ने 17 सितंबर 2010 को राशि ₹ 9.64 लाख का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर स्वराज संस्थान से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए धनराशि निगम को अग्रिम प्रदान करने का अनुरोध किया। स्वराज संस्थान संचालनालय ने राशि ₹ 9.64 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 27 सितंबर 2010 को एवं अग्रिम स्वरूप राशि ₹ 9.00 लाख 28 सितंबर 2010 को प्रदान की। म.प्र. लघु उद्योग निगम ने संचालनालय को सूचित किया (दिसंबर 2010) कि कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं कार्य पर कुल व्यय ₹ 16.63 लाख हुआ एवं शेष राशि ₹ 7.63 लाख शीघ्र भुगतान करने का अनुरोध किया। म.प्र. लघु उद्योग निगम को राशि ₹ 6.99 लाख²⁰ का भुगतान मार्च एवं जून 2011 में किया गया।

हमने पाया कि (i) राशि ₹ 7.58 लाख की लागत वृद्धि थी, जिसकी पूर्व अनुमोदन निष्पादन एजेंसी (म.प्र. लघु उद्योग निगम) द्वारा संस्थान से प्राप्त नहीं किया गया और (ii) संस्थान अतिरिक्त व्यय से संबंधित किसी भी जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहा। यह संकेत करता है कि संस्थान की कार्य पर प्रभावी निगरानी नहीं थी, जिसके फलस्वरूप संस्थान को राशि ₹ 7.58 लाख का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

3.2.9 मानव संसाधन प्रबंधन

3.2.9.1 विभाग में कर्मचारियों की कमी-

विभाग में विभिन्न कार्यालयों में स्वीकृत पद संख्या एवं कार्यरत संख्या की स्थिति (मार्च 2012) नीचे दी गई तालिका 12 में दर्शायी है-

तालिका 12: स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की स्थिति

क्रमांक	कार्यालय का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	शासकीय ललित कला महाविद्यालय, ग्वालियर	31	14	18*
2.	संचालक, संस्कृति संचालनालय, भोपाल	37	28	9

²⁰ ₹ 3.66 लाख चैक नं. 642599 दिनांक 31.3.11 एवं ₹ 3.33 लाख चैक नं. 952252 दिनांक 30.6.11 द्वारा भुगतान किया गया शेष ₹ 0.64 लाख

3.	म.प्र. संस्कृति परिषद्, भोपाल	135	120	15
4.	आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय, भोपाल	89	74	15
5.	उपसंचालक, अभिलेखागार, भोपाल	61	41	20
6.	रवीन्द्र भवन, भोपाल	22	16	6
7.	शासकीय संगीत महाविद्यालय, उज्जैन	14	4	10
8.	राजा मानसिंह तोमर कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, ग्वालियर	40	3	37
योग		429	300	130

स्रोत:- संबंधित कार्यालयों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

* निदेशक के एक स्वीकृत पद के विरुद्ध दो कार्यरत हैं।

उपरोक्त तालिका में दर्शाए तथ्य से स्पष्ट है कि विभाग में कुल जनशक्ति की 30 प्रतिशत कमी है। हमने पाया कि ऊपर उल्लेखित कार्यालयों के अलावा संचालनालय स्वराज संस्थान के तहत कार्यरत धर्मपाल और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ में कार्य बिना कर्मचारी के हो रहा है जिसमें केवल निदेशक का एक पद ही भरा है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (नवंबर 2012), स्वराज संस्थान संचालनालय ने कहा कि शोधपीठ में नियुक्ति शासन द्वारा अनुमोदित नहीं हुई और इस वजह से कार्य आउटसोर्स से किया जा रहा है। संस्कृति संचालनालय ने कहा कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया का कार्य प्रचलन में है। पुरातत्व संचालनालय ने कोई जबाब नहीं दिया।

विभाग के उद्देश्यों की उपलब्धि एवं विभाग के प्रभावी कामकाज कर्मचारियों की रिक्तियों से प्रभावित हो रहा है।

3.2.9.2 राजा मानसिंह तोमर (आर.एम.टी.) संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में शिक्षकों का अभाव

शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिये योग्य और अनुभवी शिक्षक उपलब्ध होना अति आवश्यक है। तथा योग्य और अनुभवी शिक्षकों की कमी शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

हमने पाया कि आर.एम.टी.संगीत एवं कला विश्वविद्यालय वर्ष 2008 में स्थापित किया गया था एवं शैक्षणिक गतिविधियाँ वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ की गई, जबकि उनके पास कोई नियमित व्याख्याता एवं संगीतकार नहीं था। विश्वविद्यालय में व्याख्याता एवं संगीतकारों के 23 पद स्वीकृत है लेकिन सभी आज तक (जून 2012) खाली पड़े थे। विश्वविद्यालय की शैक्षिक कक्षाएं उसी परिसर में पूर्व से स्थापित शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय एवं शासकीय ललित कला महाविद्यालय की कक्षाओं में संचालित की जा रही हैं। विश्वविद्यालय की अलग से कोई कक्षाएं आयोजित नहीं की गई थी।

शासन ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2012) कि चार सहायक व्याख्याता आज तक नियुक्त कर दिये गये और शेष रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रगतिरत है।

3.2.10 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली किसी भी संगठन के भीतर कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह वित्तीय प्रतिवेदन, परिचालन आंकड़े (डेटा) और संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लागू नियम, विनियम का अनुपालन और विभिन्न नियंत्रण मानकों का रूपांकन व्यवस्था स्थापित करता है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उच्च स्तर के पदाधिकारियों के अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण के माध्यम से, आवधिक प्रतिवेदनों और विवरणों को प्राप्त करने और आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र आदि की व्यवस्था होने से स्थापित होती है।

3.2.10.1 उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण

एम.पी.टी.सी. भाग एक के नियम 293 में व्यवस्था की गई है कि उच्च अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करना चाहिए। हमारे द्वारा समीक्षा की गई कि आठ जिला स्तरीय कार्यालयों में से चार कार्यालयों²¹ का वर्ष 2009-12 के दौरान उच्च अधिकारियों का निरीक्षण नहीं किया गया।

संस्कृति संचालनालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2012) कि एक लेखा अधिकारी को वित्तीय मामले देखने के लिए नियुक्त किया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक कर्मचारी खुद के काम का निरीक्षण तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का विकल्प नहीं हो सकता है।

3.2.10.2 प्रतिवेदन/विवरण का प्रस्तुतिकरण

हमने पाया कि विभाग में उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रतिवेदन/विवरण प्रपत्र के रूप में कोई प्रतिवेदन प्रणाली स्थापित नहीं है, जिससे वे अपनी गतिविधियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को नियंत्रण और निगरानी करने के लिए सक्षम हो सकें। विभाग ने कहा कि अधीनस्थ कार्यालयों जैसे म.प्र. संस्कृति परिषद्, भारत भवन न्यास, उन्हें दिए गए अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजते हैं। इसके अलावा अधीनस्थ कार्यालयों से अन्य कोई प्रतिवेदन/विवरण प्रपत्र नहीं लिये जा रहे हैं।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा कि संस्कृति संचालनालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों को भौतिक और वित्तीय प्रगति प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है पुरातत्व संचालनालय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

अधीनस्थ इकाइयों की गतिविधियों/कार्यक्रमों के समुचित क्रियान्वयन के संबंध में गतिविधियों की जाँच करने के लिए आवधिक प्रतिवेदन और विवरण प्रपत्र प्रबंधन के हाथों में महत्वपूर्ण कार्य है। एक ऐसी प्रणाली के अभाव में विभाग का अधीनस्थ कार्यालयों की गतिविधियों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं होता है जिससे विभाग के उद्देश्य की उपलब्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

अधीनस्थ कार्यालयों का उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण चार कार्यालयों में नहीं किया गया

अधीनस्थ कार्यालयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र के अलावा कोई अन्य प्रतिवेदन/ प्रपत्र प्राप्त नहीं किये गये

²¹ संगीत महाविद्यालय उज्जैन; म.प्र. संस्कृति परिषद भोपाल; रवीन्द्र भवन भोपाल एवं राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर

संस्कृति
संचालनालय, भारत
भवन न्यास एवं
स्वराज संस्थान में
विभागीय मैनुअल
तैयार नहीं किया
गया

3.2.10.3 विभागीय मैनुअल

विभागीय मैनुअल विभाग के सुचारु संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। हमने अवलोकन किया कि संस्कृति संचालनालय, भारत भवन न्यास और स्वराज संस्थान ने विभागीय मैनुअल नहीं बनाया था। इस संबंध में शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

3.2.10.4 आंतरिक लेखा परीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा विभागीय नियमों का अनुपालन और प्रक्रियाओं और वैधानिक प्रावधानों की जाँच और मूल्यांकन करता है जो विभाग और उसके कार्यान्वयन में आंतरिक नियंत्रण ढाँचे की पर्याप्तता के बारे में वरिष्ठ स्तर पर प्रबंधन को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करता है। विभाग ने पुष्टि की है कि कोई आंतरिक लेखापरीक्षा समूह नहीं है। आंतरिक लेखापरीक्षा समूह के अभाव में शासन के धन की हेराफेरी, गबन और चोरी का जोखिम रहता है। निर्गम सम्मेलन के दौरान (नवम्बर 2012) संस्कृति संचालनालय ने कहा है कि आंतरिक लेखापरीक्षा जल्द प्रारंभ किया जाएगा। संचालनालय ने आगे कहा है कि कोषालय एवं लेखा के संबंधित कार्यालय को लेखा परीक्षक के रिक्त पद को भरने के लिए अनुरोध किया है।

एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र के अभाव में विभाग के कामकाज की कमजोरियों का पता नहीं चल पाने की संभावना रहती है जिससे विभाग के उद्देश्यों की उपलब्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

3.2.11 निष्कर्ष

संस्कृति विभाग द्वारा तीन दशकों से अस्तित्व में होने के बावजूद कोई भी सांस्कृतिक नीति विकसित नहीं की गई जिससे उचित योजना और वित्तीय प्रबंधन के लिये एक आधार प्रदान किया जा सकता था। वर्ष 2011-12 के दौरान संस्कृति संचालनालय और पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय में आयोजना के तहत 10 प्रतिशत से अधिक बचत संकेत करता है कि बजट अनुमानों को उचित आधार पर नहीं बनाया गया जिससे बचत हुई। संस्कृति संचालनालय की गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि विभाग द्वारा संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी संगठनों को पहचानने की किसी भी प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त धन राशि के उपयोग में नियोजन का अभाव था जिसके परिणामस्वरूप धन राशि निर्धारित समयसीमा के भीतर उपयोग न होने से शेष रही। कलाकारों को मानदेय आदि के भुगतान के लिये कोई मानदंड निर्धारित नहीं किये गये। धन की किसी भी तत्काल आवश्यकता के बिना आहरण का उदाहरण देखा गया। भारत भवन न्यास द्वारा ट्रस्ट डीड के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था। विभाग और राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय की गतिविधियों के क्रियान्वयन पर कर्मचारियों की कमी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाना, विभागीय मैनुअल तैयार न होना और आंतरिक लेखापरीक्षा की अनुपस्थिति की बजह से आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर पाया गया।

3.2.12 अनुशासक

विभाग निम्नलिखित सिफारिशें लागू करने पर विचार कर सकता है:

- पूर्ण रूप से प्रलेखित सांस्कृतिक नीति निर्धारण करना;
- सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल गैर सरकारी संगठनों को मान्यता देने के लिये एक तंत्र की स्थापना करना;
- वित्त आयोग अनुदान के तहत प्राप्त धन राशि का उपयोग वित्त आयोग की समयावधि के अंदर करना और उसके उपयोग की निगरानी करना;
- कार्यक्रम/सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बेहतर वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करना;
- एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली की स्थापना करना ।

चौथा अध्याय

लेनदेन लेखापरीक्षा

- 4.1 नियमों का अनुपालन न किया जाना
- 4.2 असावधानी/नियंत्रण में विफलता

चौथा अध्याय

लेनदेन लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों, उनकी क्षेत्रीय संरचनाओं तथा स्वशासी निकायों की लेखापरीक्षा से संसाधनों के प्रबंधन में दोष तथा नियमितता, औचित्य एवं मितव्ययिता के मानकों के पालन में विफलता के अनेक उदाहरण सामने आये हैं। इन्हें व्यापक उद्देश्यों के शीर्षकों के अंतर्गत आगामी कंडिकाओं में प्रस्तुत किया गया है।

4.1 नियमों का अनुपालन न किया जाना

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों तथा सक्षम अधिकारी के आदेशों के अनुरूप हो इससे न केवल अनियमितताएं, दुर्विनियोजन तथा धोखाधड़ी पर रोक लगती है अपितु अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने में सहायता भी मिलती है। नियमों तथा विनियमों के अनुपालन न किये जाने से संबंधित कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

4.1.1 जिला योजना अधिकारी, पन्ना द्वारा शासकीय धन राशि का गबन

जिला योजना अधिकारी, पन्ना द्वारा कोषालय से अग्रिम के रूप में अनियमित आहरण एवं रोकड़ पुस्तिका में अशुद्ध प्रविष्टि कर ₹ 2.11 लाख का गबन किया गया। लेखापरीक्षा में इंगित करने पर ₹ 1.80 लाख विभागीय बैंक खाते में जमा कराये गये।

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता, खण्ड-1 के नियम 53(II) में प्रावधान है कि समस्त मौद्रिक लेन-देनों की प्रविष्टि जैसे ही वे घटित होते हैं, रोकड़ बही में की जाना चाहिये तथा रोकड़ बही के प्रभारी द्वारा इनकी जांच की गयी है, इसके प्रमाण में उसे अभिप्रमाणित किया जाना चाहिये। साथ ही नियम 53(IV) में प्रावधान है कि प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ बही के प्रभारी को चाहिये कि वह व्यक्तिगत रूप से रोकड़ बही में अंकित रोकड़ शेष की जांच करे तथा इस बाबत अपने दिनांकित हस्ताक्षरों से प्रमाण पत्र अंकित करे। साथ ही नियम 190 में प्रावधान है कि एक शासकीय सेवक जिसे धन का भुगतान करने का कार्य सौंपा गया है, प्रत्येक भुगतान के लिये जिसे उसे करना है, शासन के पास पूर्व से जमा की गई राशियों के पुनर्भुगतान सहित एक प्रमाणक अभिप्राप्त करेगा, जिसमें दावे का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण अंकित हो तथा उसका लेखाओं में उचित वर्गीकरण करने तथा पहचान के लिये समस्त वांछित जानकारियां हों। साथ ही आगे नियम 284 में प्रावधान है कि कोई भी धन राशि

कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जायेगी जब तक कि तत्काल वितरण की आवश्यकता न हो।

कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, पन्ना के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (अगस्त 2011) एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, पन्ना से प्राप्त जानकारी से हमने पाया कि राज्य योजना आयोग, मध्य प्रदेश ने विकेंद्रीकृत जिला योजना 2011-12 तैयार करने हेतु 3 नवंबर 2010 को जिला परियोजना अधिकारी, पन्ना को राशि ₹ 3.59 लाख आवंटित की। हमने देखा कि पन्ना जिले की वर्ष 2011-12 के लिये जिला योजना का अनुमोदन राज्य योजना आयोग द्वारा 10 दिसंबर 2010 को संप्रेषित कर दिया गया। यद्यपि अनुमोदन आदेश अग्रिम धन आहरित करने की अनुमति नहीं देता, जिला योजना अधिकारी द्वारा स्वयं ही पांच स्वीकृतियों के आधार पर राशि ₹ 2.27 लाख (27 एवं 29 दिसंबर 2010) अग्रिम¹ के रूप में आहरित की गई। रोकड़ बही एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त अभिलेखों की जाँच में प्रकट हुआ कि जिला योजना अधिकारी द्वारा आहरित राशि ₹ 2.27 लाख से पांच बैंकर्स चैक जिला योजना अधिकारी, पन्ना के पक्ष में क्रय किये गये (30 दिसंबर 2010)। रोकड़ बही में जिला योजना अधिकारी द्वारा राशि विकेंद्रीकृत जिला योजना की तैयारी के लिये वितरित किये जाने की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि (30 दिसंबर 2010) की गई तथापि संवितरण के समर्थन में लेखापरीक्षा को केवल ₹ 15,704 के ही प्रमाणक प्रस्तुत किये गये, जिनमें से राशि ₹ 11,364 के प्रमाणक 15 दिसंबर 2010 से मार्च 2011 तक की अवधि अर्थात् जिला योजना को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात के थे।

बैंकर्स चैकों के आहरण एवं नकदीकरण कराये जाने का विवरण नीचे दर्शाया गया है।

बिल क्रमांक / दिनांक	कोषालय चेक क्रमांक एवं दिनांक जिनसे राशि आहरित की गयी	बैंकर्स चेक क्रमांक/दिनांक	राशि (₹)	बैंकर्स चेक के नकदीकरण की स्थिति
133 29/12/2010	00712 30/12/2010	557764 04/01/2011	34,032	जिला योजना अधिकारी द्वारा 19 मई 2011 को नकदीकरण कराया गया
132 29/12/2010	00713 30/12/2010	557760 04/01/2011	45,376	जिला योजना अधिकारी द्वारा 8 फरवरी 2011 को नकदीकरण कराया गया
121 27/12/2010	00716 30/12/2010	557762 04/01/2011	45,376	जिला योजना अधिकारी द्वारा 19 मई 2011 को नकदीकरण कराया गया
123 27/12/2010	00715 30/12/2010	557763 04/01/2011	45,376	जिला योजना अधिकारी द्वारा 19 मई 2011 को नकदीकरण कराया गया

¹ प्रारूप एम.पी.टी.सी.-76 में, जो कि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 618 के अधीन ऋण, अग्रिम एवं साधारण प्राप्ति पर विविध भुगतानों के लिए निर्धारित है।

122 27/12/2010	00717 30/12/2010	557761 04/01/2011	56,720	श्री एस.सी.जैन (जिला योजना अधिकारी) के भारतीय स्टेट बैंक, पन्ना में व्यक्तिगत खाता क्रमांक 10518300048 में 8 फरवरी 2011 को जमा कराया गया
योग			2,26,880	

हमने देखा कि ₹ 56,720 का बैंकर्स चेक जिला योजना अधिकारी² के व्यक्तिगत बैंक खाते में स्थानांतरित किया गया। शेष राशि नकद रूप में आहरित की गई परंतु रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई। लेखापरीक्षा के समक्ष दिनांक 2 अगस्त 2011 को रोकड़िया द्वारा नकद रोकड़ का भौतिक सत्यापन किया गया और उस दिन रोकड़ शेष राशि ₹ 1,015 होना प्रमाणित किया।

इस प्रकार जिला योजना अधिकारी द्वारा बिना आवश्यकता के राशि अग्रिम रूप में आहरित कर एवं रोकड़ बही में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां कर राशि ₹ 2.11 लाख³ का गबन किया गया।

यह इंगित किए जाने के पश्चात जिला योजना अधिकारी ने बताया (2 अगस्त 2011) कि राशि ₹ 46,512 के प्रमाणक उपलब्ध थे एवं शेष राशि ₹ 1,80,368 कार्यालय में नकद उपलब्ध थी जिसे आगामी कार्यदिवस को विभागीय खाते में जमा करा दिया जावेगा। जिला योजना अधिकारी ने आगे सूचित किया (14 अगस्त 2012) कि शेष राशि ₹ 1,80,368 दिनांक 3 अगस्त 2011 को विभागीय खाते में जमा करा दी गई थी एवं विकेंद्रीकृत जिला योजना की रोकड़ पुस्तक पृथक से संधारित की गई थी।

तथापि उत्तर सही नहीं था क्योंकि 2 अगस्त 2011 को किये गये रोकड़ शेष के भौतिक सत्यापन के दौरान वास्तविक रोकड़ शेष केवल ₹ 1,015 था। साथ ही केवल राशि ₹ 15,704 के ही प्रमाणक लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए जा सके। आगे राशि व्यक्तिगत बैंक खाते में जमा करने एवं जिला योजना तैयार करने का कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात राशि अग्रिम के रूप में आहरित करने के संबंध में जिला योजना अधिकारी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। साथ ही कोषालय से आहरित राशियों हेतु पृथक से रोकड़ बही संधारित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार से नकदी के आहरण एवं रख रखाव में संहितागत प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 2.11 लाख का गबन हुआ।

प्रकरण शासन को मार्च 2012 एवं जून 2012 में प्रतिवेदित किया गया तथा अक्टूबर 2012 एवं मार्च 2013 में अनुस्मरण पत्र भेजे गये। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2013)।

² श्री एस.सी.जैन, जो दिनांक 31.03.2011 को सेवानिवृत्त हुए

³ (₹ 2.27 लाख - ₹ 15,704)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

4.1.2 शासकीय धन का गबन

जिला संयोजक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग (जिला संयोजक, आदिवासी कल्याण) पन्ना, के कार्यालय में राशि ₹ 1.50 लाख का गबन हुआ। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के उपरांत राशि शासकीय लेखे में जमा कर दी गई।

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता, भाग एक के नियम 53 (iv) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ बही के प्रभारी को चाहिए कि वह व्यक्तिगत रूप से रोकड़ बही में अंकित रोकड़ शेष की जांच करेगा तथा इस बाबत अपने दिनांकित हस्ताक्षरों से प्रमाण पत्र अंकित करेगा। आगे नियम 53 (v) के अनुसार शासकीय धनराशि जो शासकीय सेवक की अभिरक्षा में है, कोषालय अथवा बैंक में जमा किये जाने पर इस प्रकार से जमा करने वाले कार्यालय प्रमुख को चाहिए कि वह चालान पर अथवा पासबुक में कोषालय अधिकारी अथवा बैंक की पावती का मिलान रोकड़ बही में की गई प्रविष्टि से उसको अभिप्रमाणित करने के पूर्व करेगा तथा स्वयं संतुष्टि कर लेगा कि रकम वास्तव में कोषालय अथवा बैंक में जमा की जा चुकी है।

कार्यालय जिला संयोजक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग (जिला संयोजक, आदिवासी कल्याण) पन्ना के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2011) में हमने पाया कि कलेक्टर पन्ना ने म.प्र. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के तहत एक विधवा को राहत राशि ₹ 1.50 लाख के भुगतान की स्वीकृति (अक्टूबर 2010) प्रदान की थी। योजना के अंतर्गत आवंटित राशि की अनुपलब्धता के कारण कलेक्टर पन्ना के आदेश पर जिला संयोजक ने अन्य योजनाओं की राशि, जो कि मध्य भारत ग्रामीण बैंक पन्ना में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं तत्कालीन जिला संयोजक (पुराना खाता क्र.542/नया खाता क्र.8016805091) के संयुक्त खाते में जमा थी, में से इस शर्त के साथ भुगतान (21 अक्टूबर 2010) किया कि आवंटन प्राप्त होने पर राशि की क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी। उक्त नियम (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत राशि ₹ 1.50 लाख का आवंटन भी उसी दिनांक (21 अक्टूबर 2010) को फैंक्स द्वारा प्राप्त हुआ। कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत करने के बाद उक्त राशि का आहरण देयक क्र.423 दिनांक 21 अक्टूबर 2010 द्वारा बैंक क्र.000914 दिनांक 31 दिसम्बर 2010 के रूप में कोषालय से किया गया। रोकड़िया द्वारा रोकड़ बही में बैंक खाता क्र.542/8016805091 में दिनांक 6 जनवरी 2011 को जमा किया जाना दर्शाया गया तथा इस प्रविष्टि के समर्थन में जमा पर्ची की बैंक द्वारा अभिस्वीकृत पावती रिकार्ड में रखी गयी।

बैंक खाते के विवरण पत्रक की जांच करने पर हमने पाया कि राशि ₹ 1.50 लाख को उक्त खाते में जमा नहीं किया गया था। हमने तत्कालीन रोकड़िया के बैंक खाते के विवरण पत्रक एवं अन्य दस्तावेजों, जैसे जमा पर्ची, पावती इत्यादि जिन्हें संबंधित बैंक से एकत्रित किया, से यह पाया कि बैंक क्र.000914 दिनांक 31.12.2010 राशि ₹ 1.50 लाख रोकड़िया के व्यक्तिगत बचत खाते में जमा की गयी थी। जमा पर्ची की जिला संयोजक द्वारा हस्ताक्षरित बैंक प्रति पर श्री प्रदीप तिवारी (तत्कालीन रोकड़िया)

का नाम खाता धारक के रूप में अंकित था। इस प्रकार शासकीय धन, जो कि रोकड़िया के व्यक्तिगत खाते में जमा किया गया था, को धोखाधड़ी पूर्वक विभाग के खाते में जमा होना बताया गया। रोकड़ बही में की गयी प्रविष्टियाँ भी जिला संयोजक द्वारा अभिप्रमाणित की गई थी। नगद शेष का पुनर्मिलान बैंक खाता विवरणी से किये जाने के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

गबन का पता लगने और जिला संयोजक को दिनांक 14.07.2011 को इंगित किये जाने पर दिनांक 15.07.2011 को राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला संयोजक के संयुक्त खाते में जमा करा दी गई थी।

वर्तमान जिला संयोजक, आदिवासी कल्याण ने बताया (जुलाई 2011 एवं मई 2012) कि तत्कालीन रोकड़िया ने जिला संयोजक को अंधेरे में रखकर जालसाजी कर राशि स्वयं के खाते में जमा कर ली थी। रोकड़िया को निलंबित कर उसके विरुद्ध कार्यवाही जारी थी। उसने आगे बताया (अगस्त 2012) कि तत्कालीन रोकड़िया ने बिना अनुमति प्राप्त किये ही जुलाई 2011 में राशि विभागीय संयुक्त खाता क्र.8016805091 में जमा कर दी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जमा पर्ची की बैंक प्रति जिला संयोजक द्वारा हस्ताक्षरित थी और रोकड़ बही में रोकड़िया द्वारा की गई प्रविष्टि जिला संयोजक द्वारा अभिप्रमाणित की गई थी। रोकड़िया द्वारा राशि दिनांक 15.07.2011 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला संयोजक के संयुक्त खाते में लेखापरीक्षा आपत्ति ज्ञापन दिनांक 14.07.2011 को जारी करने के बाद जमा किया गया। इससे यह भी इंगित होता है कि राशि ₹ 1.50 लाख का गबन षडयंत्र के द्वारा किया गया।

प्रकरण की जानकारी शासन को दी गई (मार्च 2012, जून 2012 एवं मार्च 2013)। उत्तर में शासन द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को आयुक्त अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को उनकी टिप्पणी हेतु अग्रेषित किया (मार्च 2013), जो कि अपेक्षित थी (मार्च 2013)।

सामाजिक न्याय विभाग

4.1.3 शासकीय धन का गबन/दुर्विनियोजन

शासकीय नियमों के उल्लंघन एवं आंतरिक नियंत्रण के अभाव के परिणामस्वरूप कार्यालय उप संचालक, सामाजिक न्याय, राजगढ़ में राशि ₹ 41.79 लाख का दुर्विनियोजन हुआ।

मध्य प्रदेश निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 (अधिनियम) एवं उसके अधीन बने नियमों (1999) में यह प्रावधानित है कि प्रत्येक जिले में कृषि उपज मण्डी समिति से तथा अन्य स्रोतों से संगृहीत की गई निराश्रित निधि⁴ की रकम

⁴ निराश्रित निधि का उपयोग निराश्रितों के लिये आश्रमों, रैन बसेरा, दिवा केन्द्र की स्थापना और संधारण पर और निराश्रितों के लिये अन्य कल्याणकारी गतिविधियों के लिये किया जाता है।

राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाते में रखी जायेगी और ऐसे सावधि जमा पर अर्जित ब्याज की राशि चालू/बचत खाते में जमा की जायेगी जिनका संचालन जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। सभी जिला कलेक्टरों को राज्य सरकार के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा निर्देशित (नवंबर 2006) किया गया कि निराश्रित निधि में जमा समस्त राशि को संबंधित कोषालय में स्थानीय निधि के रूप में जमा रखा जावे। आगे, नियमों में किये गये संशोधन (जनवरी 2007) के अनुसार कलेक्टर को निराश्रित निधि पर दो लाख रुपये की सीमा तक ब्याज राशि का व्यय करने के लिये अधिकृत किया गया और उससे अधिक राशि के व्यय के लिए आयुक्त/संचालक से स्वीकृति प्राप्त की जानी थी। इन स्वीकृत आदेशों के आधार पर कलेक्टर उप संचालक, सामाजिक न्याय (उप संचालक) के पक्ष में बैंक जारी करेगा और उप संचालक, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगा कि राशि का संग्रहण तथा व्यय नियमों के अनुसार किया जा रहा है एवं इस उद्देश्य के लिये अलग खाता संधारित है। बैंकों के कपटपूर्ण उपयोग को रोकने की दृष्टि से निराश्रित निधि खाते की बैंक बुक किसी जिम्मेदार अधिकारी की अभिरक्षा में रखी जानी थी तथा उप संचालक द्वारा रोकड़ बही के शेष का मिलान बैंक अभिलेख के साथ किया जाकर समय से लेखा बन्दी की जानी चाहिये थी।

उप संचालक, सामाजिक न्याय, राजगढ़ के अभिलेखों की नमूना जाँच (मार्च 2012) में एवं आगे प्राप्त जानकारी (अगस्त 2012) में पाया कि उपरोक्त प्रावधानों/निर्देशों का उल्लंघन कर जिले में संग्रहीत निराश्रित निधि (अप्रैल 2006 से आगे तक) की राशि को भारतीय स्टेट बैंक, राजमहल शाखा, राजगढ़ के बचत खाता क्र. 63003448123 ने एवं कलेक्टर (निराश्रित निधि) राजगढ़ के नाम से बैंक ऑफ इंडिया के खाता क्र. 995010200008431 में रखी गई है।

हमारे मांगे जाने पर रोकड़ बही (1 दिसम्बर 2006 से 21 सितम्बर 2009, जिसमें 15 बैंक शामिल थे), व्हाऊचर, कलेक्टर अथवा उच्च अधिकारियों के संबंधित स्वीकृति आदेश एवं भुगतान पावती लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकी क्योंकि रोकड़िया बिना अभिलेख दिए अनुपस्थित था। 21 अक्टूबर 2010 को नई रोकड़ बही तैयार की गई जिसमें 21 सितम्बर 2009 से लेन-देन की प्रविष्टि की गई।

हमने बैंक खाता विवरण पत्रक एवं पास बुक से पाया कि कलेक्टर के हस्ताक्षर से ₹ 41.79 लाख की राशि का नकद आहरण 17 बैंकों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के खाते से 17 सितंबर 2007 से 18 मई 2010 के दौरान किया गया जैसा कि परिशिष्ट 4.1 में दर्शाया गया है। इन 17 बैंकों में से राशि ₹ 3.60 लाख के दो बैंक (संख्या 074661 दिनांक 05.04.2010 एवं 074662 दिनांक 17.05.2010) का आहरण वर्तमान उप संचालक (मार्च 2012) के पद पर रहते हुए किया गया, उन्होंने यह पुष्टि की कि आहरित की गई राशि की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई और बैंक के पृष्ठ भाग पर प्राधिकरण पर अपने हस्ताक्षर को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आगे बताया कि बैंक पर कलेक्टर के हस्ताक्षर भी सही प्रतीत नहीं हो रहे थे।

आगे यह भी पाया गया कि इन 17 बैंकों में से एक बैंक (क्र.1733119 दिनांक 24.02.2009) राशि ₹ 3.66 लाख का आहरण कर डिमांड ड्राफ्ट बनाकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान हेतु उनके खाते में जमा कर दी गई। इस प्रकार के भुगतान हेतु कोई स्वीकृति/देयक नहीं थे। शेष 16 बैंकों का सेल्फ

चैक द्वारा आहरण किया गया एवं नकद राशि तत्कालीन सहायक ग्रेड-II (रोकड़िया) के द्वारा प्राप्त की गयी।

आहरण एवं किए गए व्यय की विश्वसनीयता को सिद्ध करने के लिये सुसंगत अभिलेखों का अभाव यह बताता है कि धन का दुर्विनियोजन/गबन किया गया है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, आयुक्त सामाजिक न्याय ने मामले की जाँच हेतु तीन सदस्यीय कमेटी का गठन (अप्रैल 2012) किया। जाँच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट (मई 2012) में पाया कि ₹ 41.79 लाख का गबन तात्कालिक रोकड़िया द्वारा किया गया था। आगे, शासन ने आयुक्त, भोपाल संभाग को इस प्रकरण की जाँच हेतु जाँच अधिकारी नियुक्त (जून 2012) किया। आयुक्त, भोपाल संभाग ने अपनी रिपोर्ट (नवम्बर 2012) में बताया कि राशि ₹ 41.79 लाख का गबन किया गया एवं इसकी विस्तृत जाँच शासन स्तर पर किए जाने की अनुशंसा की।

पुनश्च, आयुक्त सह सचिव, सामाजिक न्याय विभाग ने सूचित (मार्च 2013) किया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय विभाग (मार्च 2013) के आदेशानुसार एक जाँच दल का गठन किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग

4.1.4 शासकीय प्राप्तियों का अनाधिकृत प्रतिधारण

संहितागत प्रावधान का उल्लंघन कर प्रशासन अकादमी, भोपाल द्वारा ₹ 25.88 करोड़ की शासकीय प्राप्तियों को अनाधिकृत रूप से प्रतिधारित कर शासकीय लेखों से बाहर रखा गया एवं उनको व्यय के लिये उपयोग किया गया।

मध्य प्रदेश, कोषालय संहिता के नियम 7(1) में प्रावधान है कि राज्य की समेकित निधि तथा लोक लेखा में जमा की जाने हेतु शासकीय सेवकों द्वारा प्राप्त या उनको निविदत्त सभी धनराशियां बिना विलम्ब किये तुरन्त कोषागार या बैंक में जमा कर देना चाहिये और उन्हें राज्य की समेकित निधि तथा लोक लेखा में शामिल कर देना चाहिये। उपरोक्तानुसार प्राप्त धन राशियों का विनियोग न तो विभागीय व्यय की पूर्ति के लिये किया जाना चाहिये और न अन्यथा राज्य की समेकित निधि/लोक लेखे से पृथक रखा जावेगा जबकि नियम 7(2) के अनुसार कुछ विभाग/संगठन⁵ कुछ व्यय विभागीय प्राप्तियों से कर सकते हैं।

आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल (अकादमी) की स्थापना वर्ष 1966 में राज्य प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों एवं विभिन्न विभागों द्वारा प्रायोजित प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये की गयी थी। अकादमी, प्राप्तियों से व्यय के विनियोजन हेतु पूर्वोक्त नियम 7(2) में अधिकृत नहीं है। वित्त विभाग द्वारा जनवरी 2006 में अकादमी को इस शर्त के साथ बैंक खाता संचालित करने की अनुमति दी

⁵ सिविल न्यायालय, लोक निर्माण विभाग, जेल विभाग, वन विभाग, शासकीय अस्पताल

गयी थी कि बैंक में कम से कम आवश्यक राशि रखकर अतिशेष राशि कोषालय में स्थानीय निधि निक्षेप के रूप में जमा करें।

महानिदेशक आर.सी.व्ही.पी. प्रशासन अकादमी भोपाल के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल 2009) एवं आगे एकत्रित जानकारी (जुलाई 2012) से प्रकट हुआ कि शासन राज्य प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु एवं प्रशासनिक व्यय के लिये निधि प्रदान करता है। अकादमी द्वारा विभिन्न विभागों/संगठनों के प्रायोजित अन्य प्रतिभागियों के प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण शुल्क प्रभारित कर प्राप्त राशियों को शासकीय लेखे में जमा करने के बजाए अकादमी के बैंक खाते में रखी गयी। राज्य बजट से प्रदायित निधियाँ भी आहरित कर उसी बैंक खाते में जमा की जा रही थी।

अकादमी द्वारा प्रदान की गयी जानकारी के अनुसार वर्ष 2000-2001 से 2011-12 तक की प्राप्ति राशि ₹ 25.88 करोड़ बैंक खाते में जमा किये गये। इसी अवधि में अकादमी ने निर्माण कार्य (₹ 8.58 करोड़) सहित विभागीय व्यय के रूप में ₹ 27.24 करोड़ व्यय किये।

शासकीय प्राप्तियों को शासकीय लेखे से बाहर रखकर उसे विभागीय व्यय की पूर्ति में विनियोजित करना संहितागत प्रावधानों का उल्लंघन था। हमने यह भी पाया कि ₹ 17.88 लाख के गबन का प्रकरण आंतरिक लेखा परीक्षा के दौरान (सितम्बर 2009) संज्ञान में आया था।

उपनिदेशक अकादमी ने उल्लेख (अप्रैल 2009) किया कि अन्य विभागों के प्रशिक्षण व्यय हेतु अकादमी द्वारा बजट में प्रावधान नहीं किया जाता है। इसलिये प्राप्त प्रशिक्षण शुल्क को राजस्व के रूप में कोषालय में जमा नहीं किया जाता तथा उन्हीं प्राप्तियों से प्रशिक्षण व्यय किये जाते हैं। तथापि मध्य प्रदेश कोषालय नियम 7(2) के अधीन प्राप्तियों से प्रशिक्षण पर व्यय करने की अनुमति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा (नवम्बर 2012) गया है। शासन द्वारा भी उक्त स्थिति सूचित (जनवरी, 2013) की गयी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि शासन ने अकादमी को नियम 7(2) के प्रावधान के अधीन प्राप्तियों से व्यय करने हेतु अधिकृत नहीं किया था।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

4.1.5 औषधियों का अनियमित क्रय

अधीक्षक, सुल्तानिया जनाना अस्पताल, भोपाल द्वारा भंडार क्रय नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध निविदाएं आमंत्रित किये बिना राशि ₹ 3.30 करोड़ की औषधियाँ इत्यादि अनाधिकृत रूप से क्रय की गयीं।

मध्य प्रदेश शासन की दवा नीति 2006-07 के पैरा 3.12 के अनुसार औषधियों के क्रय

हेतु आवंटित बजट के अधिकतम 20 प्रतिशत तक व्यय आपात/स्थानीय क्रय खुली निविदाओं के माध्यम से करें एवं एजेंसी निर्धारित कर किया जाना था। भण्डार क्रय नियम⁶ के नियम 2(24) के प्रावधान के अनुसार क्रय सामग्री का मूल्य ₹ 25,000 से अधिक होने पर क्रय खुली निविदा आमंत्रित कर किया जाना चाहिये।

अधीक्षक, सुल्तानिया जनाना अस्पताल, भोपाल (अधीक्षक) के अभिलेखों की जांच (फरवरी 2011) और आगे एकत्रित जानकारी (मई 2011 और जून 2012) में प्रकट हुआ कि अधीक्षक द्वारा वर्ष 2008-09 के लिये आपातकालीन आवश्यकता हेतु औषधियों, पैथोलॉजी, सूचर सामग्री की स्थानीय खरीदी के लिए निर्माताओं/अधिकृत विक्रेताओं से निविदा आमंत्रण हेतु सूचना जारी की गयी (मार्च 2008)। जिसके अंतर्गत पांच निविदाएं प्राप्त हुई थीं। चार निविदाकारों की निविदाएं निविदा आमंत्रण सूचना की शर्तों⁷ को पूरा न करने के कारण निरस्त कर दी गयीं एवं अकेले योग्य पाये गये निविदाकार मेसर्स भवानी मेडिको की निविदा अप्रैल 2008 में स्वीकृत कर ली गयी थी। तदनुसार प्रदायकर्ता से एक अनुबंध संपादित किया गया जो कि 31 मार्च 2009 तक वैध था। आगे 24 मार्च 2009 को यह निर्णय लिया गया कि मेसर्स भवानी मेडिको से विद्यमान अनुबंधित दरों पर क्रय करना जारी रखा जाए क्योंकि वर्ष 2009-10 के लिए निविदाएं लोकसभा चुनाव के कारण चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण नहीं खोली जा सकी थीं। इसी बीच नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल द्वारा 26 जून 2009 को मेसर्स भवानी मेडिको की दुकान निरीक्षण के दौरान हमेशा बंद पाये जाने के कारण औषधि अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) को निरस्त कर दिया गया। अधीक्षक द्वारा नवीन निविदाएं आमंत्रित करने के बजाए एक गैर निविदाकार फर्म मेसर्स वीर इन्टर प्राइजेस से मेसर्स भवानी मेडिको की अनुबंधित दरों पर तथा मेसर्स वीर इन्टर प्राइजेस द्वारा दिनांक 22 जुलाई 2009 को प्रस्तुत शपथ पत्र, जिसमें यह उल्लेखित किया गया था कि मेसर्स भवानी मेडिको के नाम पर व्यापार उनके द्वारा ही किया जा रहा था एवं नाम परिवर्तित किया गया है, के आधार पर, क्रय करना प्रारंभ कर दिया गया। तथापि हमने यह भी पाया कि दोनों फर्म एक एवं समान नहीं हो सकतीं क्योंकि जब मेसर्स भवानी मेडिको का अनुज्ञा पत्र भी वैध था उसी अवधि में मेसर्स वीर इन्टर प्राइजेस को दिनांक 10 जून 2009 को अलग से औषधि अनुज्ञा पत्र जारी किया गया था। इस प्रकार नई निविदा आमंत्रित किये बिना गैर निविदाकार से औषधियों का क्रय अनियमित था। हमने आगे पाया कि निविदाओं को खोलने की निर्धारित प्रक्रिया की अवहेलना किये जाने के कारण वर्ष 2010-11 के दौरान प्राप्त निविदाओं को निरस्त किया गया और वर्ष 2011-12 के दौरान निविदा आमंत्रित नहीं की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप मेसर्स वीर इन्टर प्राइजेस से दिसंबर 2011 तक औषधियों का क्रय जारी रहा। अधीक्षक द्वारा अगस्त 2009 से दिसंबर 2011 तक राशि ₹ 3.30 करोड़ की औषधियों इत्यादि का अनाधिकृत तथा अनियमित क्रय किया गया।

हमारे द्वारा इंगित करने पर शासन द्वारा (जुलाई 2012) में उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार किया गया तथा निविदा की अनियमित प्रक्रिया के द्वारा एकल निविदा स्वीकृत करने के

⁶ मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के परिशिष्ट-v

⁷ शर्त क्रमांक-26 जिनकी दुकान अस्पताल परिसर से 2 वर्ग कि.मी. के अंदर है उनको प्राथमिकता दी जावेगी। शर्त क्रमांक-27 निविदा के साथ औषधि एवं सामग्री हेतु विभिन्न कम्पनियों की अनुबंधित दर सूची संलग्न करना है।

लिए तत्कालीन अधीक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया है।

4.2 असावधानी/नियंत्रण में विफलता

सरकार का दायित्व है कि वह जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करे जिसके लिए वह स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास तथा अधोसंरचना एवं लोक सेवा के उन्नयन के क्षेत्र आदि में कुछ उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में कार्य करती है। तथापि लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण पाए गए जिनमें समुदाय के लाभ के लिए सार्वजनिक संपत्तियों के सृजन के लिए सरकार द्वारा दी गई निधियाँ अप्रयुक्त/अवरुद्ध रहीं और/अथवा विभिन्न स्तरों पर अनिर्णयात्मकता, प्रशासनिक असावधानी तथा संगठित कार्यवाही के अभाव के कारण निष्फल/अनुत्पादक सिद्ध हुई। कुछ ऐसे प्रकरणों का उल्लेख नीचे किया गया है:

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग

4.2.1 हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कार्पोरेशन से ₹ 1.17 करोड़ की वसूली में विफलता

विभाग की निष्क्रियता के कारण राशि ₹ 1.17 करोड़ मैसर्स हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कार्पोरेशन पर 7 वर्ष से अधिक अवधि से बकाया थे।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार (शासन) ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भोपाल में अनेक चिकित्सालयों की स्थापना की। शासन ने मैसर्स हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कार्पोरेशन (एच.एस.सी.सी.), नोएडा को इंदिरा गांधी महिला एवं बाल चिकित्सालय, भोपाल तथा कमला नेहरू अस्पताल, भोपाल के लिए चिकित्सा उपकरणों, फर्नीचर, किचिन, लाउण्ड्री इत्यादि के निर्धारण, निविदा कार्य, भण्डारण, आपूर्ति तथा स्थापना जैसे कार्यों के लिए परामर्श दाता नियुक्त किया था। मैसर्स एच.एस.सी.सी. के साथ जनवरी 2001 में हुए अनुबंध के अनुसार राशि ₹ 0.50 करोड़ परामर्श शुल्क अग्रिम के रूप में भुगतान करना था तथा उपकरणों के लिए शत प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान नोएडा स्थित इण्डियन ओवरसीज बैंक, दिल्ली की शाखा में सावधि जमा के रूप में किया जाना था। सावधि जमा पर अर्जित होने वाला ब्याज मैसर्स एच.एस.सी.सी. के द्वारा शासन को देय था।

आयुक्त सह संचालक, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास, भोपाल के अभिलेखों की जांच (दिसंबर 2010) में हमने पाया कि मैसर्स एच.एस.सी.सी. के द्वारा प्राप्त निधि एवं किये गये व्यय के वर्ष 2005-06 तक के विवरण पत्रक के अनुसार ₹ 1.17 करोड़ की राशि जिसमें कि प्राप्त ब्याज भी शामिल था मैसर्स एच.एस.सी.सी. के पास 31 मार्च 2006 तक बकाया पड़ी थी। उसके पश्चात न तो कोई उपकरण क्रय किया गया और न ही कोई सेवाएं ली गयी। इसके पश्चात अर्जित हुए ब्याज की जानकारी विभाग

के पास उपलब्ध नहीं थी।

हमने आगे पाया कि सावधि जमा पर कुल अर्जित ब्याज मैसर्स एच.एस.सी.सी. द्वारा विभाग को भुगतान नहीं किया गया था। विभाग ने मैसर्स एच.एस.सी.सी. से सावधि जमा पर दिनांक 30 जून 2007 तक अर्जित ब्याज का भुगतान करने का आग्रह (जुलाई 2007) किया। तत्पश्चात विभाग ने लेखापरीक्षा की तिथि (11 जून 2012) तक इस विषय को न तो मैसर्स एच.एस.सी.सी. के समक्ष उठाया और 31 मार्च 2012 की स्थिति में कुल धनराशि, सावधि जमा पर अर्जित ब्याज सहित, जो मैसर्स एच.एस.सी.सी. से वसूली योग्य थी, के बारे में अनभिज्ञ था।

हमारे द्वारा इस ओर इंगित किये जाने (दिसंबर 2010 एवं जून 2011) के बाद विभाग ने उत्तर दिया (जून 2011) कि राशि प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जावेगी। तथापि, आगे किये गये सत्यापन (11 जून 2012) में यह पाया गया कि आश्वासन देने के बावजूद विभाग द्वारा राशि प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी जो शासन के हितों को सुरक्षित रखने में विभाग की पूर्ण अवहेलना को दर्शाता है। हालांकि हमारे सत्यापन के बाद विभाग ने दिनांक 18 जून 2012 को मैसर्स एच.एस.सी.सी. से लंबित राशि के भुगतान के लिए निवेदन किया।

इस विषय से शासन को अवगत कराया गया (अगस्त 2011, अप्रैल 2012, जून 2012 एवं मार्च 2013) जिसके उत्तर में शासन ने सूचित (मार्च 2013) किया कि प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश से अनुरोध किया गया है कि वह मैसर्स एच.एस.सी.सी. के द्वारा राशि ₹ 1.17 करोड़ राज्य शासन के खाते में वापस भिजवाना सुनिश्चित करे।

उत्तर शासन की बकाया राशि के प्रति पूर्णतः उदासीनता का द्योतक है। यह इस तथ्य से भी प्रतीत होता है कि प्रकरण को प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश के समक्ष उठाया गया जिसका इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है क्योंकि मैसर्स एच.एस.सी.सी. केंद्र सरकार का एक उद्यम है और वह उनके नियंत्रण में नहीं है।

इस प्रकार विभाग की निष्क्रियता के कारण ₹ 1.17 करोड़ की राशि मैसर्स एच.एस.सी.सी. के पास सात वर्ष से अधिक समय से वसूली हेतु लंबित थी।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

4.2.2 वेतन एवं भत्तों पर अनियमित व्यय

24 महिला बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जिला चिकित्सालय, देवास में अनियमित तरीके से पदस्थ किये जाने के परिणामस्वरूप उनके वेतन एवं भत्तों पर ₹ 2.46 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त ग्रामीण जनता महिला बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सेवाओं से वंचित रही, जिनके लिए उनकी नियुक्ति की गयी थी।

बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एम.एच.डब्ल्यू.) (पुरुष अथवा स्त्री) की अवधारणा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर स्थापित उप स्वास्थ्य केन्द्रों (एस.एच.सी.) में समुदाय को निरोधक एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किये जाने हेतु प्रारंभ (1974) की गयी थी। आगे मध्य प्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा भर्ती नियम 1989 के अनुसार सहायक परिचारिका धात्री (ए.एन.एम.) संवर्ग को मृतप्राय संवर्ग घोषित किया गया था। अतः जब भी ए.एन.एम. संवर्ग का कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होगा तो उसके पद को समाप्त कर दिया जायेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने जिला चिकित्सालय, देवास का उन्नयन (जुलाई 2008) कर 270 बिस्तरों से 400 बिस्तरों वाला चिकित्सालय कर दिया और इसके लिये विभिन्न पद स्वीकृत किये गये। ए.एन.एम. और एम.एच.डब्ल्यू. के पद उन्नयन के पूर्व अस्तित्व में नहीं थे। आगे, शासन के आदेश (जुलाई 2008) द्वारा चिकित्सालय के लिये स्वीकृत पदों में इनका सृजन नहीं किया गया था।

सिविल सर्जन सह चिकित्सालय अधीक्षक, देवास के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2011) में एवं आगे एकत्रित (जुलाई, अगस्त 2012 और मार्च 2013) की गयी जानकारी में प्रकट हुआ कि कोई स्वीकृति पद नहीं होने के बावजूद 24 महिला बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एफ.एम.एच.डब्ल्यू.) को अनियमित तरीके से जिला चिकित्सालय, देवास में पदस्थ किया गया। हमने पाया कि एफ.एम.एच.डब्ल्यू. के वेतन एवं भत्तों पर दिसम्बर 2007 से फरवरी 2013 के दौरान ₹ 2.46 करोड़⁸ का भुगतान किया गया था। इस प्रकार न केवल बिना स्वीकृत पदों के जिला चिकित्सालय में पदस्थ 24 एफ.एम.एच.डब्ल्यू. के वेतन एवं भत्तों पर किया गया व्यय अनियमित था, ग्रामीण जनता भी इन महिला बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सेवाओं से, जिनके लिये उनकी नियुक्ति की गयी थी, वंचित रही।

सिविल सर्जन ने बताया (जुलाई 2012) कि एफ.एम.एच.डब्ल्यू. को जिला चिकित्सालय में जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.), देवास द्वारा पदस्थ किया गया था तथा उनके वेतन एवं भत्तों का आहरण एवं भुगतान जिला चिकित्सालय के लिये स्वीकृत ए.एन.एम. के रिक्त पदों के विरुद्ध किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि शासन के जुलाई 2008 के आदेशानुसार जिला

⁸ जुलाई 2011 तक ₹ 1.52 करोड़ तथा अगस्त 2011 से फरवरी 2013 तक ₹ 0.94 करोड़

चिकित्सालय, देवास के लिये ए.एन.एम. के स्वीकृत पद अस्तित्व में नहीं थे। साथ ही ए.एन.एम. के पद, पदधारियों के सेवानिवृत्त होने के पश्चात समाप्त किये जाने थे।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2012 और जुलाई 2012) तथा मार्च 2013 में अनुस्मरण पत्र जारी किया गया था। शासन ने संचालनालय, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को अग्रेषित किया (मार्च 2013) जिसमें प्रकरण में सी.एम.एच.ओ., देवास के साथ कार्यवाही प्रचलन में होने का उल्लेख किया गया था।

ग्वालियर
दिनांक

(के.के.श्रीवास्तव)
प्रधान महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
(संदर्भ: कंडिका 1.7.1, पृष्ठ 10)
31 दिसम्बर 2012 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की वर्षवार स्थिति

क्रम संख्या	विभाग	वर्ष 2006-07 तक		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		योग	
		नि.प्र.	कंडिका	नि.प्र.	कंडिका	नि.प्र.	कंडिका	नि.प्र.	कंडिका	नि.प्र.	कंडिका	नि.प्र.	कंडिका	नि.प्र.	कंडिका
1.	गृह	23	41	07	10	09	19	11	18	10	17	29	109	89	214
2.	सामान्य प्रशासन	294	655	75	256	30	88	16	46	90	269	72	260	577	1574
3.	विज्ञान एवं टेक्नालॉजी	02	03	01	02	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
4.	राजस्व	12	20	02	04	02	02	05	15	04	05	04	09	29	55
5.	जन सम्पर्क	01	04	-	-	01	01	02	05	-	-	-	-	04	10
6.	विधायी कार्य	01	01	-	-	-	-	-	-	02	03	01	01	04	05
7.	जेल	04	05	-	-	-	-	04	04	01	02	10	46	19	57
8.	विधि	186	298	01	01	-	-	09	30	14	28	07	11	217	368
9.	योजना एवं सांख्यिकी	63	167	-	-	01	02	07	27	06	24	12	55	89	275
10.	वित्त	29	50	03	06	05	09	05	25	12	24	08	21	62	135
11.	श्रम	46	76	-	-	03	08	02	04	02	08	13	63	66	159
12.	महिला एवं बाल विकास			44	49	18	22	75	190	77	275	133	418	347	954
13.	पुनर्वास	08	20			01	02	01	02	01	03	01	01	12	28
14.	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	192	481	03	05	06	14	12	41	13	38	03	07	229	586
15.	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण	68	84	58	108	36	55	72	168	82	171	87	314	403	900
16.	खेल एवं युवा कल्याण	03	04	02	04	01	02	01	03	06	17	13	39	26	69
17.	नगरीय प्रशासन एवं विकास	28	49	28	73	16	63	09	36	09	43	10	49	100	313
18.	संस्कृति	25	46	01	02	02	05	11	20	05	11	05	17	49	101
19.	सामाजिक न्याय	151	310	12	24	19	78	05	14	23	97	22	107	232	630
20.	लोक स्वास्थ्य यात्रिकी	320	1004	45	239	58	291	53	331	43	221	42	219	561	2305
21.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	288	551	50	71	90	178	74	241	31	98	94	187	627	1306
22.	भौपाल गैस (आर एण्ड आर) निर्माण	12	26	01	01			01	04	01	05	01	06	16	42

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य एवं सामाजिक (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम संख्या	विभाग	वर्ष 2006-07 तक		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		योग	
		नि.प्र.	कॉडिका	नि.प्र.	कॉडिका	नि.प्र.	कॉडिका	नि.प्र.	कॉडिका	नि.प्र.	कॉडिका	नि.प्र.	कॉडिका	नि.प्र.	कॉडिका
23.	आवास एवं पर्यावरण	189	408	16	69	27	116	24	89	15	71	18	109	289	862
24.	आवास एवं पर्यावरण (राजधानी परियोजना)	69	215	03	09	05	19	05	13	03	07	05	19	90	282
25.	पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी	44	68	28	82	20	59	15	21	25	97	25	163	157	490
26.	स्कूल शिक्षा	1618	3487	108	253	79	291	122	362	51	210	47	294	2025	4897
27.	चिकित्सा शिक्षा	56	104	13	29	13	59	09	09	11	58	05	80	107	339
28.	उच्च शिक्षा	432	989	21	41	21	66	33	103	33	197	18	129	558	1525
	योग	4164	9146	522	1338	463	1449	583	1821	570	1999	685	2733	6987	18486

परिशिष्ट 1.2
(संदर्भ: कंडिका 1.7.4, पृष्ठ 11)

31 दिसंबर 2012 को लंबित विभागीय उत्तरों के विवरण

क्रम संख्या	विभाग	2005-06	2007-08	2008-09	योग
1	वित्त		01		01
2	आवास एवं पर्यावरण			01	01
3	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	01		02	03
4	राजस्व			01	01
5	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	01			01
योग		02	01	04	07

परिशिष्ट 1.3
(संदर्भ: कंडिका 1.7.5, पृष्ठ 11)

31 दिसंबर 2012 को लोक लेखा समिति में चर्चा हेतु लंबित कंडिकाएं

क्रम संख्या	विभाग	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	योग
1	गृह विभाग	-	-	01	-	01
2	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	-	-	01	-	01
3	चिकित्सा शिक्षा विभाग	-	-	-	01	01
4	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	-	02	-	-	02
5	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	-	-	03	-	03
6	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	-	-	-	01	01
7	स्कूल शिक्षा विभाग	-	02	01	-	03
8	राजस्व विभाग	-	-	01	-	01
9	अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग(टी.एस.पी.)	-	01	-	-	01
10	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	01	-	01	-	02
11	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	-	-	01	-	01
योग		01	05	09	02	17

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ: कडिका 1.7.6, पृष्ठ 11)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कडिकाएं/समीक्षाओं पर जारी सिफारिशी प्रतिवेदनों पर 31 दिसंबर 2012 तक विभागीय कार्यवाही टिप्पणियां (ए.टी.एन.) जो कि लोक लेखा समिति को प्रस्तुत नहीं की गयी थीं, की वर्षवार एवं विभागवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

विभाग	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष																				योग	
	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06		2006-07
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5	7	8	3	-	-	-	-	-	4	4	-	-	2	5	-	2	3	1	-	-	40
स्कूल शिक्षा	-	-	-	-	1	3	2	4	3	4	-	4	-	1	2	1	-	1	-	1	-	28
भोपाल गैस त्रासदी (सहत एवं पुनर्वास)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
चिकित्सा शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	7
आवास एवं पर्यावरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	5
नगरीय प्रशासन एवं विकास	01	-	-	-	01	01	01	-	-	-	-	-	-	03	-	-	01	-	-	-	-	08
संस्कृति	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
समाज कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
पंचायत एवं ग्रामीण विकास	-	2	-	4	2	3	-	2	-	9	13	4	5	-	-	3	-	-	-	-	-	47


विभाग	लेखापरिक्षा प्रतिवेदन का वर्ष																	योग				
	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
राजस्व	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	4	1	-	2	-	-	1	-	1	17
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	-	-	2	-	-	-	4	4	-	-	3	1	1	-	-	1	-	-	3	-	-	19
श्रम	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4
महिला एवं बाल विकास	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
गृह पुलिस	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
जेल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
पुनर्वास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
सामान्य प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
विधि एवं विधायी कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
उच्च शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	3
जनसम्पर्क	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
वित्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	1	-	-	7	-	-	-	5	-	-	-	1	3	1	2	2	3	1	-	-	-	26

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य एवं सामाजिक (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

विभाग	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष																			योग		
	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05		2005-06	2006-07
आवास एवं पर्यावरण (राजधानी परियोजना कार्य)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7
भोपाल गैस राहत (निर्माण)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
योग	10	12	10	15	9	7	4	9	14	6	26	31	15	15	15	11	9	6	7	4	5	240

परिशिष्ट-2.1
(संदर्भ: कड़िका 2.1.2, पृष्ठ 15)

जेल एवं सुधारालय सेवायें विभाग की संगठनात्मक संरचना



परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: कंडिका 2.1.6.2, पृष्ठ 17)

प्राप्तियों को विलम्ब से प्रेषण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	इकाई का नाम	राशि	विलम्ब (दिवसों में)
1	बड़वानी (जि.जे.)	2467	31-148
2	ब्योहारी (उ. जेल)	1044	37-207
3	बैतूल (जि.जे.)	21222	17-63
4	भोपाल (के.जे.)	20583	7-21
5	बुढ़ार (उ.जे.)	22606	9-57
6	बंडा (उ.जे.)	6012	15-44
7	छतरपुर (जि.जे.)	46760	15-70
8	ग्वालियर (के.जे.)	4333000	13-175
9	इन्दौर (के.जे.)	95447	14-81
10	इन्दौर (जि.जे.)	4083	9-35
11	जबलपुर (के.जे.)	305732	7-66
12	खाचरौद (उ.जे.)	3640	40
13	लवकुश नगर (लौन्डी) (उ.जे.)	5900	24-105
14	मैहर (उ.जे.)	129262	60-240
15	नरसिंहपुर (जि.जे.)	45807	101-289
16	रहेली (उ.जे.)	42027	9-105
17	सागर (के.जे.)	62223	11-26
18	सांवेर (उ.जे.)	750	42-72
19	सतना (के.जे.)	1875118	12-242
20	संघवा (उ.जे.)	11955	256-263
21	उज्जैन (के.जे.)	44332	10-72
	कुल	7079970	

परिशिष्ट 2.3
(संदर्भ: कंडिका 2.1.7.3, पृष्ठ 21)
कैदियों को उपचार उपलब्ध न कराये जाने संबंधी विवरण पत्रक

क्र.सं	इकाई का नाम	2007		2008		2009		2010		2011		योग	
		अ	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब
1	ब्योहारी (उ. जेल)	202	67	127	95	133	114	247	191	354	309	1063	776
2	भोपाल (के.जे.)	0	0	0	0	17731	16666	23501	22187	24612	23474	65844	62327
3	बुढ़ार (उ.जे.)	472	247	435	285	718	405	1080	641	326	306	3031	1884
4	छतरपुर (जि.जे.)	663	103	673	101	621	75	537	47	623	28	3117	354
5	ग्वालियर (के.जे.)	15460	14736	17929	16236	13501	11846	11352	9875	16705	16011	74947	68704
6	इन्दौर (के.जे.)	3680	3647	2909	2631	1763	1641	2230	1900	1150	1108	11732	10927
7	इन्दौर (जि.जे.)	2178	144	2026	207	692	125	717	167	226	50	5839	693
8	खाचरौद (उ.जे.)	104	84	00	00	00	00	56	54	00	00	160	138
9	महिदपुर (उ.जे.)	42	12	00	00	00	00	42	24	00	00	84	36
10	मऊगंज (उ.जे.)	129	59	40	09	62	15	52	11	119	69	402	163
11	पाटन (उ.जे.)	114	78	128	125	145	110	102	63	98	73	587	449
12	सीवा (के.जे.)	1535	962	2419	1895	1255	662	1075	812	121	62	6405	4393
13	सागर (के.जे.)	876	553	3871	1859	5481	2770	3319	2459	3286	2599	16833	10240
14	सतना (के.जे.)	2184	1496	3172	2360	2519	1740	3288	2323	3463	2549	14626	10468
15	सांवेर (उ.जे.)	65	41	48	21	39	12	50	14	83	46	285	134
16	शहडोल (जि.जे.)	964	517	870	624	1304	56	2177	1927	1991	1704	7306	4828
17	तराना (उ.जे.)	73	18	51	08	84	22	56	13	29	09	293	70
18	उज्जैन (के.जे.)	4259	4183	3537	3462	00	00	2546	2477	4160	3988	14502	14110
	योग	33000	26947	38235	29918	46048	36259	52427	45185	57346	52385	227056	190694

अ- कैदियों की संख्या जिनके लिए पुलिस बल की मांग की गई ।

ब- कैदियों की संख्या जिन्हें अस्पताल में नहीं भेजा गया ।

परिशिष्ट 2.4
(संदर्भ: कंडिका 2.1.7.5, पृष्ठ 23)
हथियारों की कमी दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्र.सं	लेखापरीक्षित जेलों का नाम	पदों की संख्या		हथियारों की स्थिति					
		अधिकारी	प्रहरी	पिस्टल/रिवाल्वर			राईफल/गन		
				आवश्यक	उपलब्ध	कमी	आवश्यक	उपलब्ध	कमी
1.	बड़वानी (जि.जे.)	2	25	2	1	-1	25	14	-11
2.	बंडा (उ.जे.)	1	17	1	1	0	17	6	-11
3.	ब्यौहारी (उ.जे.)	1	16	1	0	-1	16	9	-7
4.	बैतूल (जि.जे.)	3	21	3	2	-1	21	18	-3
5.	भोपाल (के.जे.)	12	186	12	27	+15	186	77	-109
6.	बिजावर (उ.जे.)	1	16	1	1	0	16	10	-6
7.	बुढ़ार (उ.जे.)	1	16	1	1	0	16	8	-8
8.	छतरपुर (जि.जे.)	3	24	3	3	0	24	20	-4
9.	डबरा (उ.जे.)	2	22	2	1	-1	22	11	-11
10.	देपालपुर (उ.जे.)	1	16	1	1	0	16	8	-8
11.	ग्वालियर (के.जे.)	12	131	12	8	-4	131	206	+75
12.	इन्दौर (के.जे.)	10	127	10	5	-5	127	117	-10
13.	इन्दौर (जि.जे.)	5	43	5	1	-4	43	17	-26
14.	जबलपुर (के.जे.)	10	151	10	9	-1	151	159	+8
15.	खाचरौद (के.जे.)	1	13	1	0	-1	13	9	-4
16.	खुरई (उ.जे.)	1	16	1	1	0	16	6	-10
17.	लवकुश नगर (लौन्डी) (उ.जे.)	1	15	1	2	+1	15	8	-7
18.	मैहर (उ.जे.)	1	17	1	0	-1	17	8	-9
19.	महिदपुर (उ.जे.)	1	15	1	0	-1	15	4	-11
20.	मऊगाँव (उ.जे.)	1	18	1	0	-1	18	10	-8
21.	महु (उ.जे.)	1	21	1	1	0	21	6	-15
22.	मुल्ताई (उ.जे.)	1	15	1	1	0	15	15	0
23.	नागौद (उ.जे.)	1	17	1	1	0	17	9	-8
24.	नरसिंहपुर (जि.जे.)	4	46	4	5	+1	46	68	+22
25.	नौगाँव (उ.जे.)	1	18	1	1	0	18	9	-9
26.	पाटन (उ.जे.)	1	18	1	0	-1	18	5	-13
27.	रहेली (उ.जे.)	1	17	1	1	0	17	5	-12
28.	रीवा (के.जे.)	8	97	8	0	-8	97	50	-47
29.	सागर (के.जे.)	4	87	4	3	-1	87	133	+46
30.	सांवेर (उ.जे.)	1	14	1	0	-1	14	6	-8
31.	सतना (के.जे.)	10	98	10	6	-4	98	51	-47
32.	सिहोरा (उ.जे.)	1	20	1	1	0	20	11	-9
33.	संघवा (उ.जे.)	1	14	1	1	0	14	5	-9
34.	शहडोल (जि.जे.)	3	28	3	1	-2	28	18	-10
35.	तराना (उ.जे.)	1	16	1	0	-1	16	6	-10
36.	उज्जैन (के.जे.)	9	126	9	11	+2	126	56	-70
योग				118	97	-21	1557	1178	-379

परिशिष्ट 2.5
(संदर्भ: कंडिका 2.1.7.7, पृष्ठ 24)
प्रतिबंधित वस्तुओं को रखे जाने संबंधी विवरण पत्रक

क्र. सं.	जेल का नाम	प्रतिबंधित वस्तुओं को रखे जाने संबंधी घटनाओं की संख्या					अभ्युक्तियाँ
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
1	ग्वालियर (के.जे.)	12	8	7	8	3	लाईटर, चम्मच, ब्लेड, कैंची, माचिस
2	इन्दौर (के.जे.)	13	6	8	1	3	गांजा, चरस, तेज धार फनेल, ब्लेड, टेप, नकदी, कैसेट, सोने का चेन, शराब, भांग
3	इन्दौर (जि.जे.)	5	5	15	8	3	चाकू, नकदी, ब्लेड, चरस, गांजा, मोबाईल सिम, शराब
4	जबलपुर (के.जे.)	4	2	2	3	2	नकदी, लोहे की प्लेट, ब्लेड, मोबाईल, गांजा, भांग
5	नरसिंहपुर (जि.जे.)	0	0	0	0	1	मोबाईल
6	रीवा (के.जे.)	1	2	1	1	0	मोबाईल, गांजा
7	सागर (के.जे.)	5	3	2	8	4	रूपये, मिर्च पाउडर, गुटखा, गांजा, चायपत्ती, लोहे की कील
8	सतना (के.जे.)	0	2	3	3	3	गांजा, बेगांन स्प्रे, हेयर डाई
9	उज्जैन (के.जे.)	2	11	2	3	9	ब्लेड, ताश के पते, नकदी, तेज धार फनेल, चरस, हीटर, स्टील चम्मच, एफ.एम.रेडियो, भांग, मीट, मोबाईल सिम, स्मैक
	योग	42	39	40	35	28	184

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: कडिका 2.1.8.1, पृष्ठ 25)

पुलिस बल की कमी के कारण विचाराधीन कैदियों को न्यायालय में विलंब से पेशी को दर्शाने वाला पत्रक

क्र. सं.	जेल का नाम	2007			2008			2009			2010			2011		
		अ	ब	स	अ	ब	स	अ	ब	स	अ	ब	स	अ	ब	स
1	ब्यौहारी (उ.जे.)	1882	458	1424	2156	724	1432	2220	1079	1141	1958	725	1233	1992	436	1536
2	भोपाल (के.जे.)	49321	49041	280	50315	50036	279	48951	48626	325	51306	51031	275	49315	48995	320
3	बुंदार (उ.जे.)	2982	1852	1130	3224	1030	2194	3137	1710	1427	2330	2028	302	1703	1501	202
4	छतरपुर (जि.जे.)	10685	8680	2005	10953	7522	3431	10896	7976	2920	11899	8792	3107	11542	7609	3933
5	खबरा (उ.जे.)	4524	2035	2489	4120	1977	2143	3925	1648	2277	4015	1746	2269	4834	2150	2684
6	गालियर (के.जे.)	32269	20185	12084	31372	22375	8997	29866	21209	8657	23787	16527	7260	27474	17320	10154
7	इन्दौर (के.जे.)	27402	24415	2987	28764	27202	1562	30272	26688	3584	32206	29599	2607	14013	13377	636
8	इन्दौर (जि.जे.)	14910	14174	736	20239	18951	1288	15817	14993	824	14494	14101	393	7350	7217	133
9	जबलपुर (के.जे.)	35717	29448	6269	31978	24834	7144	32513	20366	12147	28294	21086	7208	27484	20492	6992
10	खावसद (के.जे.)	3684	1534	2150	7629	7220	409	00	00	00	1306	772	534	00	00	00
11	महिसुर (उ.जे.)	1112	630	482	00	00	00	00	00	00	686	616	70	00	00	00
12	मऊमंज (उ.जे.)	1781	1405	376	1551	1209	342	1917	1406	511	2169	1566	603	1964	1365	599
13	नरसिंहपुर (जि.जे.)	1692	1503	189	2062	1897	165	1591	1507	84	1963	1786	177	1996	1856	140
14	पाटन (उ.जे.)	888	404	484	1016	479	537	958	408	550	928	268	660	1236	348	888
15	रीवा (के.जे.)	12801	9547	3254	13993	10126	3867	14880	11530	3350	13322	8976	4346	2514	1544	970
16	सागर (के.जे.)	0	0	0	37735	27216	10519	57134	43535	13599	64308	43535	20773	54231	38594	15637
17	सतना (के.जे.)	10794	7956	2838	11941	8726	3215	13181	9523	3658	13621	9357	4264	14318	9735	4583
18	साबर (उ.जे.)	1709	817	892	1328	851	477	1038	594	444	1032	632	400	1015	737	278
19	सिहोर (उ.जे.)	2905	2516	389	1613	1398	215	2264	1750	514	3516	2897	619	2587	2038	549
20	शहडोल (जि.जे.)	5478	3341	2137	9888	5434	4454	10281	5682	4599	12181	6987	5194	10858	8049	2809
21	तरना (उ.जे.)	770	730	40	1014	953	61	970	888	82	951	896	55	732	655	77
22	उज्जैन (के.जे.)	18496	17352	1144	18802	17888	914	0	0	0	19216	17746	1470	16499	13845	2654
	योग	241802	198023	43779	291693	238048	53645	281811	221118	60693	305488	241669	63819	253657	197863	55794
	न्यायालय में पेश न किये जाने वाले कैदियों का प्रतिशत	18			18			22			21			22		

अ- कैदियों की संख्या जिनके लिए पुलिस बल की मांग की गई, ब- कैदियों की संख्या जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया है, स- कैदियों की संख्या जिन्हें न्यायालय में पेश नहीं किया गया है।

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: कंडिका 2.1.8.1, पृष्ठ 26)

जिला स्तर पर किये गये निरीक्षणों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क	जेल का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग	अ (%)	ब (%)
	लक्ष्य	12	12	12	12	12	60		
		निरीक्षणों की उपलब्धि							
1	बंडा (उ.जे.)	2	1	2	1	2	8	87	60
2	ब्यौहारी (उ.जे.)	1	6	2	1	5	15	75	25
3	भोपाल (के.जे.)	0	0	0	0	0	0	100	100
4	बिजावर (उ.जे.)	1	1	0	0	2	4	93	80
5	बुढ़ार (उ.जे.)	1	1	3	0	0	5	92	75
6	छतरपुर (जि.जे.)	1	1	0	0	2	4	94	80
7	डबरा (उ.जे.)	6	3	6	5	4	24	60	00
8	ग्वालियर (के.जे.)	2	1	1	1	1	6	90	70
9	इन्दौर (के.जे.)	0	0	0	0	0	0	100	100
10	इन्दौर (जि.जे.)	1	0	0	0	0	1	98	95
11	जबलपुर (के.जे.)	0	0	3	2	1	6	90	70
12	खुरई (उ.जे.)	0	0	0	0	0	0	100	100
13	लवकुश नगर (लौन्डी) (उ.जे.)	0	0	0	0	0	0	100	100
14	महिदपुर (उ.जे.)	0	0	0	0	0	0	100	100
15	नरसिंहपुर (जे.जे.)	1	0	1	1	0	3	95	85
16	नौगांव (उ.जे.)	0	0	0	0	0	0	100	100
17	पाटन (उ.जे.)	0	1	0	0	0	1	98	95
18	रहेली (उ.जे.)	0	0	0	0	0	0	100	100
19	रीवा (के.जे.)	0	1	0	0	1	2	97	90
20	सागर (के.जे.)	1	0	1	0	0	2	97	90
21	सांवेर (उ.जे.)	0	0	0	0	1	1	98	95
22	सतना (के.जे.)	0	0	0	0	0	0	100	100
23	सिहोरा (उ.जे.)	0	0	0	0	0	0	100	100
24	शहडोल (जि.जे.)	2	1	3	1	0	7	88	65
25	तराना (उ.जे.)	1	1	1	1	0	4	93	80
26	उज्जैन (के.जे.)	1	1	1	1	1	5	92	75
योग		21	19	24	14	20	98		

अ- कमी (मासिक दौरे), ब- कमी (तिमाही दौरे)

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: कंडिका 2.1.9.5, पृष्ठ 30)

मार्च 2012 के अंत में व्यक्तिगत जमा खाते में अवरुद्ध राशि जिसे पीड़ित को प्रदाय की जानी थी,
को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(राशि लाख ₹ में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	रोकड़ बही के अनुसार राशि	कोषालय के अनुसार राशि	अंतर
1	भोपाल (के.जे.)	257.05	161.53	95.52
2	इन्दौर (के.जे.)	115	101.04	13.96
3	इन्दौर (जि.जे.)	18.73	26.43	(-)7.7
4	खुरई (उ.जे.)	1.43	1.12	0.31
5	रहेली (उ.जे.)	0.52	0.33	0.19
6	सागर (के.जे.)	62.88	52.94	9.94
7	सतना (के.जे.)	47.65	47.94	(-)0.29
	योग	503.26	391.33	111.93

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ: कंडिका 2.1.11.3, पृष्ठ 34)

लेखापरीक्षित जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

क्र.सं.	इकाई का नाम	क्षमता	वर्तमान संख्या	क्षमता से अधिक का प्रतिशत
1	बड़वानी (जि.जे.)	416	426	2
2	बंडा (उ.जे.)	50	31	-
3	ब्यौहारी (उ.जे.)	50	66	32
4	बैतूल (जि.जे.)	267	368	38
5	भोपाल (के.जे.)	2600	2985	15
6	बिजावर (उ.जे.)	150	116	-
7	बुढ़ार (उ.जे.)	50	52	4
8	छतरपुर (जि.जे.)	292	375	28
9	डबरा (उ.जे.)	150	114	-
10	देपालपुर (उ.जे.)	50	51	2
11	ग्वालियर (के.जे.)	2559	2242	-
12	इन्दौर (के.जे.)	1150	2585	125
13	इन्दौर (जि.जे.)	480	833	74
14	जबलपुर (के.जे.)	1910	2369	24
15	खाचरोद (उ.जे.)	50	108	116
16	खुरई (उ.जे.)	50	95	90
17	लवकुश नगर (लौन्डी) (उ.जे.)	70	65	-
18	महिदपुर (उ.जे.)	80	29	-
19	मैहर (उ.जे.)	82	101	23
20	मऊगंज (उ.जे.)	50	66	32
21	महु (उ.जे.)	123	114	-
22	मुल्ताई (उ.जे.)	90	86	-
23	नागौद (उ.जे.)	100	62	-
24	नरसिंहपुर (जि.जे.)	718	649	-
25	नौगांव (उ.जे.)	70	70	-
26	पाटन (उ.जे.)	50	42	-
27	रहेली (उ.जे.)	70	133	90
28	रीवा (के.जे.)	696	1343	93
29	सागर (के.जे.)	894	1488	66
30	सांवेर (उ.जे.)	50	46	-
31	सतना (के.जे.)	384	1485	287
32	सिहोरा (उ.जे.)	90	71	-
33	संघवा (उ.जे.)	72	74	3
34	शहडोल (जि.जे.)	220	528	140
35	तराना (उ.जे.)	20	12	-
36	उज्जैन (के.जे.)	1170	2070	77

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: कडिका 2.1.12, पृष्ठ 36)

रसोई गैस की तुलनात्मक खपत को कैदीवार वर्षवार दर्शाने वाला विवरण पत्रक (किलोग्राम)

(राशि लाख ₹ में)

क्र.सं	जेल का नाम	कुल पाँच वर्ष	
		खपत (कि.ग्रा.में)	व्यय (₹ में)
1	बड़वानी (जि.जे.)	238.68	18.18
2	बंडा (उ.जे.)	288.79	4.17
3	ब्यौहारी (उ.जे.)	388.55	6.02
4	बैतूल (जि.जे.)	151.33	12.35
5	भोपाल (के.जे.)	267.84	206.41
6	बिजावर (उ.जे.)	242.5	6.25
7	बुढ़ार (उ.जे.)	325.59	6.54
8	छतरपुर (जि.जे.)	242.99	21.24
9	डबरा (उ.जे.)	504.05	17.9
10	देपालपुर (उ.जे.)	276.92	3.2
11	ग्वालियर (के.जे.)	261.51	154.99
12	इन्दौर (के.जे.)	187.83	149.28
13	इन्दौर (जि.जे.)	307.65	47.64
14	जबलपुर (के.जे.)	191.38	135.74
15	खाचरौद (उ.जे.)	337.13	9.58
16	खुरई (उ.जे.)	347.22	12.5
17	लवकुश नगर (लौन्डी) (उ.जे.)	335.35	6.84
18	महिदपुर (उ.जे.)	318.54	2.62
19	मऊरांज (उ.जे.)	272.91	5.93
20	महु (उ.जे.)	313.18	9.18
21	मुल्ताई (उ.जे.)	356.14	12.24
22	नरसिंहपुर (जि.जे.)	259.39	28.95
23	नौगांव (उ.जे.)	411.54	8.39
24	पाटन (उ.जे.)	237.02	2.64
25	रहेली (उ.जे.)	153.54	5.69
26	रीवा (के.जे.)	183.93	62.38
27	सागर (के.जे.)	214.15	81.12
28	संघवा (उ.जे.)	279.48	6.16
29	सांवेर (उ.जे.)	424.25	4.11
30	सतना (के.जे.)	236.15	69
31	सिहोरा (उ.जे.)	266.06	7.27
32	शहडोल (जि.जे.)	231.63	23.7
33	तराना (उ.जे.)	355.58	2.17
34	उज्जैन (के.जे.)	227.44	135.65
योग			1286.03

परिशिष्ट 2.11
(संदर्भ: कंडिका 2.1.15.1, पृष्ठ 38)
विभाग में स्टाफ की कमी को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्र.सं	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	कमी (%)
1	जिला जेल अधीक्षक	23	19	4	17
2	सहायक जेल अधीक्षक	170	143	27	16
3	चिकित्सक	35	8	27	77
4	उद्योग अधीक्षक	1	0	1	100
5	वरिष्ठ कल्याण एवं परिवीक्षा अधिकारी	6	0	6	100
6	लेखापाल/लेखापरीक्षक	46	27	19	41
7	सहायक ग्रेड III	40	35	5	13
8	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	0	1	100
9	शिक्षक/सहायक शिक्षक	43	29	14	33
10	बढ़ई अनुदेशक	10	6	4	40
11	बुनाई अनुदेशक	4	2	2	50
12	फार्मासिस्ट ग्रेड II	92	26	66	72
13	पुरुष नर्स	40	12	28	70
14	महिला परिचारिका	5	3	2	40
15	प्रहरी	2955	2655	300	10

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ: पैरा 2.2.8.2 (ii), पृष्ठ 52)

ग्राम पंचायत स्तर पर वार्षिक योजना के अनुमोदन में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.व 5	जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विलम्ब अवधि माह में														
				2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
				निर्धारित दिनांक	वास्तविक दिनांक	विलम्ब	निर्धारित दिनांक	वास्तविक दिनांक	विलम्ब	निर्धारित दिनांक	वास्तविक दिनांक	विलम्ब	निर्धारित दिनांक	वास्तविक दिनांक	विलम्ब	निर्धारित दिनांक	वास्तविक दिनांक	विलम्ब
1	बालाघाट	बालाघाट	पसवाड़ा	-	-	-	15.10.07	10.05.08	7	15.10.08	18.02.10	16	15.10.09	6.12.10	14	15.10.10	1.11.10	1
			भालेवाड़ा	-	-	-	-	-	7	15.10.08	-	-	15.10.09	16.4.10	6	15.10.10	3.11.10	1
			अमगांव	15.10.06	2.2.08	15	-	-	-	-	-	-	15.10.09	8.3.10	5	-	-	-
			नैतरा	-	-	-	15.10.07	5.5.08	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			भरवेली	-	-	-	15.10.07	29.4.08	6	15.10.08	27.1.09	3	15.10.09	8.3.10	5	15.10.10	27.1.11	3
2	सतना	शमनगर	कटंगी	15.10.06	27.1.07	3	15.10.07	26.1.08	3	-	-	-	15.10.09	8.3.10	5	-	-	-
			नारायणपुर	15.10.06	26.1.07	3	15.10.07	2.10.08	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			टेगना	-	-	-	15.10.07	14.4.08	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			अरनाट	-	-	-	15.10.07	14.4.08	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			गोस्वारी	-	-	-	15.10.07	14.4.08	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			जिगा	-	-	-	15.10.07	14.4.08	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			मछटोला	-	-	-	15.10.07	14.4.08	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			नाडो	-	-	-	15.10.07	14.4.08	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			भटवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.10.09	8.3.10	8	-	-	-
			केलहौरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.10.09	8.3.10	5	-	-	-
			बीरपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.10.10	7.7.11	9
			करोदीकलां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.10.09	8.3.10	5	15.10.01	15.8.11	10
			लपलपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.10.09	14.4.10	6	-	-	-
			पट्टिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.10.09	27.4.10	6	15.10.10	27.4.11	6
			पीपरीटोला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.10.09	8.3.10	5	-	-	-
			टेलनी	-	-	-	15.10.07	26.1.08	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	सीहोर	सीहोर	बिलकिसगंज	-	-	-	15.10.07	14.4.08	6	-	-	-	15.10.09	8.3.10	5	15.10.10	14.4.11	6
			इछवर	-	-	-	15.10.07	20.12.08	14	-	-	-	15.10.09	8.3.10	5	15.10.10	14.4.11	6
			बलोडिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.10.09	8.3.10	5	15.10.10	14.4.11	6
			अमलानौबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.10.09	8.3.10	5	15.10.10	14.4.11	6
			भाऊखेडी	-	-	-	15.10.07	26.1.08	3	15.10.08	26.1.09	3	15.10.09	8.3.10	5	15.10.10	26.1.11	3
			उहाबलामाता	-	-	-	-	-	-	15.10.08	-	-	15.10.09	8.3.10	5	15.10.10	14.4.11	6

परिशिष्ट- 2.13

(संदर्भ: पैरा 2.2.8.2 (ii), पृष्ठ 52)

ब्लॉक स्तर पर वार्षिक योजना के अनुमोदन में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	विलम्ब अवाधि माहों में														
			2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
			निर्धारित दिनांक	वास्तविक दिनांक	विलंब	निर्धारित दिनांक	वास्तविक दिनांक	विलंब	निर्धारित दिनांक	वास्तविक दिनांक	विलंब	निर्धारित दिनांक	वास्तविक दिनांक	विलंब	निर्धारित दिनांक	वास्तविक दिनांक	विलंब
1	अशोकनगर	चंदेरी	30.11.06	उपलब्ध नहीं	-	30.11.07	उपलब्ध नहीं	-	30.11.08	उपलब्ध नहीं	-	30.11.09	1.2.10	2	30.11.10	उपलब्ध नहीं	-
2	छिदवाड़ा	पन्डुरना	30.11.06	-	-	30.11.07	28.4.08	5	30.11.08	23.12.08	1	30.11.09	27.10.09	-	30.11.10	31.12.10	1
		सौसर		-	-		-	-	30.11.08	24.12.08	1	30.11.09	9.10.09	-	30.11.10	29.12.10	1
		हरई		-	-	30.11.07	19.12.07	1	30.11.08	24.12.08	1	30.11.09	12.11.09	-	30.11.10	20.12.10	1
3	चितिया	भांडेर	30.11.06	-	-	30.11.07	-	-	30.11.08	-	-	30.11.09	25.5.10	6	30.11.10	-	-
		तिरला	30.11.06	9.1.07	1	30.11.07	15.11.08	-	30.11.08	25.12.09	1	30.11.09	7.9.10	-	30.11.10	25.2.11	3
4	धार	उमरखन	30.11.06	अनुमोदन नहीं	-	30.11.07	अनुमोदन नहीं	-	30.11.08	27.12.08	1	30.11.09	7.12.09	-	30.11.10	30.12.10	1
		मझगावां	30.11.06	-	-	30.11.07	-	-	30.11.08	18.12.08	1	30.11.09	13.8.10	8	30.11.10	6.1.11	1
6	शहडोल	सोहागपुर	30.11.06	-	-	30.11.07	29.10.08	11	30.11.08	29.10.09	11	30.11.09	29.10.10	11	30.11.10	29.1.11	2

परिशिष्ट -2.14

(संदर्भ: पैरा 2.2.8.2 (iii), पृष्ठ 52)

जिला स्तर पर वार्षिक योजना के अनुमोदन में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र	जिले का नाम	विलम्ब अवधि माहों में													
		2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12	
		निर्धारित दिनांक	विलम्ब	निर्धारित दिनांक e	वास्तविक दिनांक	विलम्ब	निर्धारित दिनांक	वास्तविक दिनांक	विलम्ब	निर्धारित दिनांक	वास्तविक दिनांक	विलम्ब	निर्धारित दिनांक	वास्तविक दिनांक	विलम्ब
1	बालाघाट	31.12.06	-	31.12.07	उपलब्ध नहीं	-	31.12.08	उपलब्ध नहीं	-	31.12.09	उपलब्ध नहीं	-	31.12.10	21.1.11	1
2	छिदवाड़ा	31.12.06	11	31.12.07	4.5.08	4	31.12.08	23.1.09	1	31.12.09	4.11.09	-	31.12.10	28.7.11	2
3	दतिया	-	-	31.12.07	19.5.08	5	31.12.08	20.1.09	1	31.12.09	21.4.10	4	31.12.10	27.1.11	1
4	धार	31.12.06	1	31.12.07	25.4.08	4	31.12.08	2.1.09	-	31.12.09	21.6.10	6	31.12.10	3.3.11	2
5	इंदौर	-	-	31.12.07	14.7.08	6	31.12.08	16.1.09	1	31.12.09	7.1.10	-	31.12.10	10.3.11	2
6	शाजापुर	-	-	31.12.07	15.2.08	2	31.12.08	3.1.09	-	31.12.09	28.10.10	10	31.12.10	24.5.11	5
7	विदिशा	-	-	31.12.07	4.9.08	8	31.12.08	29.12.08	-	31.12.09	3.12.09	-	31.12.10	31.12.10	-

परिशिष्ट - 2.15
(संदर्भ: पैरा 2.2.8.3, पृष्ठ 53)

बजट अनुमान तथा वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण (₹ लाख में)

स. क्र.	जिला	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
		बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	प्रतिशत												
1	अशोकनगर	निरंक	1714.18	-	11640.40	2093.80	18	6043.26	1262.57	21	5501.61	1602.56	29	2268.49	2249.05	99
2	बालाघाट	निरंक	14301.56	-	24663.37	16565.58	67	35110.93	15143.84	43	24612.76	20568.45	83	30205.44	15853.70	52
3	छिदवाड़ा	13825.43	6315.99	46	12715.18	8577.36	67	18452.30	10339.83	56	16289.39	10940.15	67	19990.70	10023.78	50
4	दतिया	निरंक	900.07	-	4021.20	885.39	22	4033.72	753.70	19	2451.68	1560.73	64	3988.71	885.78	22
5	धार	23013.00	21014.74	91	28750.00	13400.35	47	33778.40	14595.37	43	26513.00	19980.70	75	32964.13	20209.52	61
6	इंदौर	लापू नहीं	40.53	0	4860.35	1925.66	40	3060.30	3150.16	103	3967.01	2452.48	62	4868.03	3513.72	72
7	खरगोन	25273.73	15019.54	59	24578.00	15674.83	64	32674.27	13366.75	41	31600.00	15965.62	51	27652.66	15857.40	57
8	नीमच	लापू नहीं	57.44	-	4639.30	687.53	15	14035.27	1081.75	8	4434.93	2681.33	60	3843.93	1203.40	31
9	सतना	18993.90	10758.06	56	17214.44	12577.18	73	31177.27	11535.80	37	27430.12	8499.87	31	18255.23	5560.83	79
10	सीहोर	लापू नहीं	निरंक	-	8419.70	1079.24	13	4249.43	2600.12	61	6525.55	4131.75	63	8998.56	5296.47	59
11	शहडोल	17949.89	9807.85	55	22680.00	11358.83	50	26679.49	12354.94	46	29091.26	10602.66	36	20459.12	7274.95	36
12	शाजापुर	निरंक	65.86	-	8645.00	2402.71	28	6994.86	3453.30	49	4341.77	3132.71	72	5328.55	5246.05	98
13	विश्या	निरंक	निरंक	-	18962.06	1130.96	6	21593.23	1675.31	8	5110.90	2474.73	48	5003.04	2672.94	53

परिशिष्ट -2.16

(संदर्भ: पैरा 2.2.9.2, पृष्ठ 56)

एस जी आर वाय तथा एन एफ एफ डब्ल्यू पी योजना की राशि को विलम्ब से अंतरित करने
का विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	जिला	जिले में योजना अधिसूचित किये जाने का वर्ष	एक वर्ष के पश्चात जमा	दो वर्ष के पश्चात जमा	तीन वर्ष के पश्चात जमा	चार वर्ष के पश्चात जमा	पांच वर्ष के पश्चात जमा	महायोग
1	छिंदवाड़ा	2007-08	226.81	19.56	8.00	--	--	254.37
2	दतिया	2007-08	13.17	0.51	--	--	--	13.68
3	धार	2006-07					5.72	5.72
4	इंदौर	2008-09	--	35.77	--	--	--	35.77
5	सीहोर	2007-08	0.51	--	--	--	--	0.51
6	शहडोल	2006-07	--	--	342.31	--	--	342.31
7	शाजापुर	2007-08	10.60	9.46	0.20	--	--	20.26
	कुल		251.09	65.30	350.51		5.72	672.62

परिशिष्ट-2.17

(संदर्भ: पैरा 2.2.9.4, पृष्ठ 57)

बैंक पास बुक मुद्रण पर किये गये व्यय का विवरण पत्रक

स.क्र.	बैंक का नाम	प्रिंट की की गई पास बुकों की संख्या	दर	राशि (₹)
1	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया(नोन कोर बैंकिंग)	40000	12.00	480,000
2	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया(कोर बैंकिंग)	10000	14.00	140000
3	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया(कोर बैंकिंग)	10000	14.00	140,000
4	इलाहाबाद बैंक(कोर बैंकिंग)	3000	14.00	42000
5	यूनियन बैंक(कोर बैंकिंग)	10000	10.00	100000
6	बैंक ऑफ बड़ौदा(कोर बैंकिंग)	6000	10.00	60000
7	केनरा बैंक (कोर बैंकिंग)	3000	14.00	42000
8	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	4000	14.00	56000
9	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति	25000	8.00	200000
10	केन्द्रीय सहकारी बैंक(नान कोर बैंकिंग)	15000	9.00	135000
11	शहडोल नगरीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (नोन कोर बैंकिंग)	70000	10.50	735000
कुल		196000		2130,000
			वेट (4%)	85200
महायोग				2215200

परिशिष्ट -2.18

(संदर्भ: पैरा 2.2.10.1, पृष्ठ 58)

चयनित 13 जिलों के अपात्र परिवारों का पंजीयन किये जाने एवं जॉब कार्ड जारी किये जाने का विवरण पत्रक

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	परिवार जिन्हें जॉब कार्ड जारी किया गया	रोजगार प्रदाय किये गये परिवारों की संख्या	परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रतिशत	बी पी एल परिवारों की संख्या	अधिक जारी जॉब कार्ड संख्या (3-6=7)
1	2	3	4	5	6	7
2007-08	2077136	2067544	1145919	55	731994	1335550
2008-09	3102754	3102249	1319430	42	1129040	1973209
2009-10	3171810	3171218	1172113	37	1196756	1974462
2010-11	3135287	3134677	1229005	39	1250615	1884062
2011-12	3137638	3136960	1004880	32	1358237	1778723

परिशिष्ट-2.19

(संदर्भ: पैरा 2.2.10.2, पृष्ठ 58)

हितग्राहियों को कार्य हेतु आवेदन की दिनांकित पावती जारी नहीं किये जाने का विवरण

पत्रक

स.क्र.	चयनित जिला	चयनित ब्लॉक	चयनित ग्राम पंचायत
1	अशोक नगर	1	10
2	छिंदवाडा	2	19
3	धार	3	30
4	इंदौर	2	19
5	खरगौन	2	20
6	नीमच	2	20
7	सतना	2	20
8	शहडोल	2	20
कुल	08	16	158

परिशिष्ट -2.20

(संदर्भ: पैरा 2.2.10.3, 2.2.15.1 एवं 2.2.16.1, पृष्ठ 59,71,74)

अभिलेख संधारित नहीं किये जाने का विवरण पत्रक

स. क्र.	जिला	जॉब कार्ड आवेदन पंजी		जॉब कार्ड पंजी		रोजगार पंजी		मस्टर रोल जारी/प्राप्ति पंजी		निर्माण कार्य पंजी		परिसम्पत्ति पंजी		शिकायत पंजी		मासिक आवंटन तथा उपयोगित प्रमाण पत्र निगरानी पंजी	
		ब्लॉक	ग्राम पंचायत	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	ब्लॉक	ग्राम पंचायत
1	अशोक नगर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	बालाघाट	03	29	-	-	-	-	-	-	03	05	03	10	03	29	03	29
3	छिदवाड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	03	30	-	-	03	30	-	-
4	दतिया	02	20	01	01	02	03	-	-	02	03	-	-	02	04	-	-
5	धार	-	-	-	-	-	-	03	30	03	30	-	-	03	30	03	30
6	इंदौर	02	20	-	-	-	-	-	-	02	20	02	20	02	20	02	20
7	खरगोन	02	20	-	-	-	-	-	-	02	20	-	-	02	20	02	20
8	नीमच	02	20	-	-	-	-	02	20	02	20	-	-	02	20	02	20
9	सतना	02	19	-	-	-	-	-	-	01	02	-	-	02	18	01	03
10	सीहोर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	शहडोल	02	19	02	05	-	-	-	-	02	19	02	19	02	19	02	19
12	शाजापुर	-	-	02	07	02	07	02	06	02	03	02	02	02	20	02	20
13	विदिशा	02	20	-	-	-	-	01	01	02	10	02	04	01	05	01	01
	योग	17	167	05	13	04	10	08	57	24	162	11	55	24	215	18	162

परिशिष्ट -2.21

(संदर्भ: पैरा 2.2.10.3, 2.2.15.1 & 2.2.16.1, पृष्ठ 59,71,74)

अपूर्ण अभिलेख संघारित किये जाने का विवरण

स.क्र	जिला	जॉब कार्ड आवेदन पंजी		जॉब कार्ड पंजी		रोजगार पंजी		मस्टर रोल जारी/प्राप्ति पंजी		वर्क पंजी		सम्पत्ति पंजी		शिकायत पंजी		मासिक आवंटन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निगरानी पंजी	
		ब्लॉक	ग्राम पंचायत	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	ब्लॉक	ग्राम पंचायत
1	अशोक नगर	02	20	02	20	02	20	02	20	02	20	02	20	02	20	02	20
2	बालाघाट	-	-	03	29	03	29	03	29	03	24	03	19	-	-	-	-
3	छिंदवाड़ा	03	30	03	30	03	30	03	30	-	-	03	30	-	-	03	30
4	दतिया	-	-	02	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	धार	03	30	03	30	03	30	-	-	-	-	03	30	-	-	-	-
6	इंदौर	-	-	02	20	02	20	02	20	-	-	-	-	-	-	-	-
7	खरगोन	-	-	02	20	02	20	02	20	-	-	02	20	-	-	-	-
8	नीमच	-	-	02	20	-	-	-	-	-	-	02	20	-	-	-	-
9	सतना	-	-	02	19	02	19	02	19	02	17	02	19	-	-	-	-
10	सीहोर	02	20	02	20	02	20	02	20	02	20	02	20	02	20	02	20
11	शहडोल	-	-	02	14	02	19	02	19	-	-	-	-	-	-	-	-
12	शाजापुर	-	-	02	13	02	13	02	14	02	17	02	18	-	-	-	-
13	विदिशा	-	-	02	10	-	-	-	-	-	-	01	02	-	-	01	03
	योग	10	100	29	248	23	220	20	191	11	98	22	198	04	40	08	73

परिशिष्ट - 2.22

(संदर्भ: पैरा 2.2.11.2, पृष्ठ 61)

मजदूरी भुगतान में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क.	जिला	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	वर्ष	मस्टर रोलों की संख्या	कुल राशि (₹)	30 दिनों तक का विलंब (₹)	31 से 90 दिनों का विलंब (₹)	91 से 180 दिनों का विलंब (₹)	181 से 360 दिनों का विलंब (₹)	कुल श्रमिकों की संख्या
1	अशोकनगर	जल संसाधन विभाग	2009-10	13	154132	57888	96244	0.0	0.0	261
			2010-11	07	53874	39658	14216	0.0	0.0	98
			2011-12	07	64968	11316	53652	0.0	0.0	82
2	बालाघाट	लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग	2008-09	4	152125	0.0	89250	50915	11960	313
			2009-10	10	537761	262291	275470	0.0	0.0	1283
			2010-11	15	324198	56198	56700	211300	0.0	563
			2011-12	38	1409413	433845	270416	705152	0.0	1,563
3	छिदवाड़ा	जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, वनमण्डलाधिकारी (पूर्व), वनमण्डलाधिकारी (दक्षिण)	2007-08	24	257272	149624	107648	0.0	0.0	675
			2008-09	60	489230	194104	274249	15781	5096	1028
			2009-10	162	2066308	865383	1128241	72684	0.0	4037
			2010-11	87	1083490	309936	684954	88600	0.0	1968
			2011-12	33	299700	93032	206668	0.0	0.0	436

4	दतिया	जल संसाधन विभाग	2008-09	7	48335	22487	25848	0.0	0.0	92
			2009-10	6	44663	19664	24999	0.0	0.0	82
5	धार	जल संसाधन विभाग, वन विभाग, नर्मदा धाटी विकास प्राधिकारण	2007-08	37	4805234	4185623	619701	0.00	0.00	7189
			2008-09	45	4851373	1650000	1159265	1911401	130707	5855
			2009-10	57	10472428	1493406	4849551	2998763	1130708	11819
			2010-11	27	8209170	0.00	3008940	5200230	0.00	7549
			2011-12	35	1579036	213500	108458	1257078	0.00	1849
6	खरगोन	जल संसाधन विभाग, वन विभाग	2007-08	128	1568350	454638	1074840	19237	19,635	3577
			2008-09	57	795322	309984	485338	0.00	0.00	1492
			2009-10	17	170032	107180	47046	15806	0.00	292
			2010-11	12	118583	116183	2400	0.00	0.00	132
			2011-12	11	320546	146058	147580	26908	0.00	318
7	नीमच	वन विभाग	2008-09	7	112479	0.00	99644	12835	0.00	272
			2009-10	240	839861	116737	403906	300110	19108	1511
			2010-11	336	1355780	144930	944130	265520	1,200	2375
			2011-12	20	27084	5124	17080	4880	0.00	41
8	सतना	जल संसाधन विभाग, वन विभाग	2007-08	105	754671	140967	613704	0.0	0.0	1856
			2008-09	28	490818	221292	269526	0.0	0.0	1032
			2009-10	70	632589	48220	377543	173338	33488	1171
			2010-11	18	179227	54640	114395	10192	0	312

9	सीहोर	वन विभाग	2009-10	18	508250	193630	314620	0.00	0.00	876
			2010-11	39	288864	104464	184400	0.00	0.00	490
10	शहडोल	जल संसाधन विभाग, वन विभाग	2009-10	19	775694	408455	367239	0.0	0.0	1227
			2010-11	38	830247	386544	371095	72608	0.0	1328
			2011-12	31	780343	466887	84708	75150	153598	1170
11	विदिशा	वन विभाग	2008-09	37	107087	67249	39838	0.0	0.0	204
			2009-10	71	94373	70565	23808	0.0	0.0	164
			2010-11	51	30400	17200	13200	0.0	0.0	54
	योग			2027	47683400	13638902	19050510	13488488	1505500	66636

परिशिष्ट -2.23

(संदर्भ: पैरा 2.2.11.3, पृष्ठ 61)

मजदूरों को मजदूरी पर्ची जारी नहीं किये जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र.	जिला	ब्लॉक की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या
1	अशोकनगर	2	20
2	बालाघाट	3	29
3	छिंदवाडा	3	30
4	धार	3	30
5	इंदौर	2	20
6	खरगोन	2	20
7	नीमच	2	20
8	सतना	1	09
9	सीहोर	2	20
10	शहडोल	2	20
11	शाजापुर	2	19
12	विदिशा	1	10
	योग	25	247

परिशिष्ट -2.24

(संदर्भ: पैरा 2.2.11.4, पृष्ठ 61)

कार्यों पर मेट न लगाए जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र.	चयनित जिला	चयनित ब्लॉक	चयनित ग्राम पंचायतें
1	बालाघाट	3	29
2	छिंदवाड़ा	1	10
3	दतिया	1	10
4	धार	3	30
5	इंदौर	2	20
6	खरगोन	2	20
7	नीमच	2	20
8	सतना	2	19
9	सीहोर	2	20
10	शहडोल	2	19
11	शाजापुर	2	20
12	विदिशा	1	10
	योग	23	227

परिशिष्ट- 2.25

(संदर्भ: पैरा 2.2.12.1 (i), (ii), (iii), एवं (iv), पृष्ठ 62.63,64,65)

गैर अनुमत्य कार्यों का क्रियान्वयन दर्शाने वाला विवरण पत्रक (₹ लाख में)

स. क्र.	जिले का नाम	नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतें	सीमेंट कांक्रिट रोड़			तालाब के घाट/सीढ़ी का निर्माण			श्मशान घाट के प्लेटफार्म का समतलीकरण तथा बाउण्ड्रीवाल निर्माण			जेट्रोफा वृक्षारोपण			
			कार्यों की संख्या	राशि	व्यय	कार्यों की संख्या	राशि	व्यय	कार्यों की संख्या	राशि	व्यय	कार्यों की संख्या	राशि	व्यय	
1	इंदौर	20	2	3.84	1.70	0	0	0	2	4.58	1.01	0	0	0	0
2	शहडोल	19	7	33.79	28.12	10	42.84	33.85	3	13.69	5.67	0	0	0	0
3	अशोकनगर	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	सीहोर	20	2	1.98	0.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	दतिया	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.49	1.35	0
6	विदिशा	20	10	19.23	11.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	सतना	19	4	15.17	9.97	0	0	0	1	5.00	5.00	10	12.97	8.05	0
8	बालाघाट	29	3	8.97	8.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	शाजापुर	20	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	खरगोन	20	10	7.02	5.76	0	0	0	4	17.36	10.10	0	0	0	0
	योग	207	38	90.00	66.37	10	42.84	33.85	10	40.63	21.78	11	14.46	9.40	

परिशिष्ट -2.26
(संदर्भ: पैरा 2.2.12.3, पृष्ठ 67)
जिला स्तर पर श्रम सामग्री अनुपात को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	जिला	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
		सामग्री का प्रतिशत				
1	अशोकनगर	33.90	41.70	42.46	38.40	36.87
2	बालाघाट	74.86	74.71	70.33	64.59	47.33
3	छिंदवाड़ा	30.41	35.05	45.36	39.24	35.02
4	दतिया	18.97	42.67	56.06	37.83	38.93
5	धार	44.38	50.11	49.38	42.42	37.91
6	इंदौर	0.00	43.19	43.73	40.70	39.02
7	खरगोन	38.50	37.54	38.26	43.77	38.15
8	नीमच	0.00	27.06	31.88	35.59	35.78
9	सतना	51.94	59.02	40.82	40.85	40.74
10	सीहोर	0.00	39.93	47.73	43.36	40.73
11	शहडोल	37.90	39.35	38.92	39.42	38.47
12	शाजापुर	0.00	44.68	48.01	39.22	35.89
13	विदिशा	0.00	36.98	45.00	42.75	41.28
	जिलों की संख्या जिनमें सामग्री पर 40 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया	03	07	10	07	04

परिशिष्ट - 2.27

(संदर्भ: पैरा 2.2.12.4 पृष्ठ 68)

आर ई एस को ओवरहेड व्यय भुगतान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

स.क्र.	जिला	वर्ष	प्रशासनिक मद के अंतर्गत जारी राशि	प्रशासनिक मद के अंतर्गत व्यय
1	अशोकनगर	2010-11	5.24	0.00
2	शहडोल	2010-11	64.24	10.73
		2011-12	0.00	21.22
3	इंदौर	2010-11	9.19	5.92
		2011-12	9.00	7.46
4	नीमच	2010-11	32.55	1.16
		2011-12	0.00	16.09
5	सीहोर	2010-11	32.57	7.41
		2011-12	14.80	2.57
		योग	167.59	72.56

परिशिष्ट- 2.28
(संदर्भ: पैरा 2.2.14.1 पृष्ठ 69)
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ मनरेगा निधि का अनियमित अभिसरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र	जिले का नाम	वर्ष	मनरेगा निधि का मुख्य मंत्री सड़क योजना से अभिसरण		मनरेगा निधि से व्यय	राज्य योजना निधि से व्यय	पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या	परिसम्पत्तियों की संख्या जिन्हें ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किये गये
			स्वीकृत सड़कों की संख्या	राशि				
1	अशोकनगर	2010-11	71	2923.90	236.48	2.46	निरंक	निरंक
		2011-12	77	5097.54	52.74	0.00	निरंक	निरंक
2	धार	2010-11	33	876.86	326.35	109.69	निरंक	निरंक
		2011-12	51	2093.09	184.19	0	निरंक	निरंक
3	इंदौर	2010-11	20	381.14	97.60	0	निरंक	निरंक
		2011-12	0	0	118.85	0	निरंक	निरंक
4	खरगोन	2010-11	34	1331.40	750.20	88.67	20	निरंक
		2011-12	12	712.96	15.70	0.0	निरंक	निरंक
5	नीमच	2010-11	29	1333.64	141.49	80.55	निरंक	निरंक
		2011-12	45	3230.06	0.00	0.0	निरंक	निरंक
6	सीहोर	2010-11	60	2374.40	216.98	410.05	निरंक	निरंक
		2011-12	32	710.16	164.27	0.77	निरंक	निरंक
7	शहडोल	2010-11	24	518.05	31.27	37.28	निरंक	निरंक
		2011-12	82	3708.89	1308.42	567.68	39	निरंक
8	शाजापुर	2010-11	570	25292.09	3644.54	1297.15	59	निरंक

परिशिष्ट -2.29

(संदर्भ: पैरा 2.2.16.1 पृष्ठ 74)

शिकायत निवारण व्यवस्था को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या		निराकृत शिकायतों की संख्या		लंबित शिकायतों की संख्या	
	एस ई जी सी	चयनित जिले	एस ई जी सी	चयनित जिले	एस ई जी सी	चयनित जिले
2007-08	546	433	448	393	98	40
2008-09	346	863	232	776	114	87
2009-10	787	1145	693	1030	94	115
2010-11	509	980	352	840	157	140
2011-12	164	764	74	590	90	174
योग	2352	4185	1799	3629	553	556

परिशिष्ट -2.30

(संदर्भ: पैरा 2.2.16.3 पृष्ठ 75)

सामाजिक अंकेक्षण बैठक में लेखा परीक्षा दलों की उपस्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र	जिला	ब्लॉक	ग्राम पंचायत का नाम	सामाजिक अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये ग्राम पंचायत की लेखा
1.	अशोकनगर	चंदेरी	मुरादपुर	नहीं
2.	छिंदवाड़ा	सौसर, पाण्डुर्ला	इलकापर, लोनादेही	नहीं
3.	इंदौर	इंदौर, देपालपुर	अरन्या, पिपल्दा, कटकोटा	नहीं
4.	खरगोन	गोगांव	सोलाना एवं नागझिरी	नहीं
5.	नीमच	नीमच	सोनियाना	नहीं
6.	शहडोल	सोहागपुर, बुढार	धनोरा, छतई, बैरिहा	नहीं
	योग	9 ब्लॉक	12 ग्राम पंचायतें	

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ:- कंडिका 3.1.5, पृष्ठ 83)

चयनित ईकाइयों को दर्शाने वाला पत्रक

स.क्र.	जिले का नाम	ईकाई का नाम
1	भोपाल	1 आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ
		2 संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ
		3 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
		4 सिविल सर्जन, जे.पी. अस्पताल
		5 मिशन संचालक राज्य स्वास्थ्य समिति
		6 सचिव जिला स्वास्थ्य समिति
2	बालाघाट	7 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
		8 सिविल सर्जन
		9 सचिव जिला स्वास्थ्य समिति
3.	बड़वानी	10 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
		11 सिविल सर्जन
		12 सचिव जिला स्वास्थ्य समिति
4.	छत्तरपुर	13 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
		14 सिविल सर्जन
		15 सचिव जिला स्वास्थ्य समिति
5.	छिंदवाडा	16 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
		17 सिविल सर्जन
		18 सचिव जिला स्वास्थ्य समिति
6.	डिंडोरी	19 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
		20 सिविल सर्जन
		21 सचिव जिला स्वास्थ्य समिति
7.	धार	22 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
		23 सिविल सर्जन
		24 सचिव जिला स्वास्थ्य समिति
8.	गुना	25 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
		26 सिविल सर्जन
		27 सचिव जिला स्वास्थ्य समिति
9.	इंदौर	28 संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ
		29 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
		30 सिविल सर्जन
		31 सचिव जिला स्वास्थ्य समिति

10.	खरगौन	32	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
		33	सिविल सर्जन
		34	सचिव जिला स्वास्थ्य समिति
11.	मण्डला	35	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
		36	सिविल सर्जन
		37	सचिव जिला स्वास्थ्य समिति
12.	रतलाम	38	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
		39	सिविल सर्जन
		40	सचिव जिला स्वास्थ्य समिति
13.	सागर	41	संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ
		42	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
		43	सिविल सर्जन
		44	सचिव जिला स्वास्थ्य समिति
14.	सीहोर	45	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
		46	सिविल सर्जन
		47	सचिव जिला स्वास्थ्य समिति
15.	शहडोल	48	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
		49	सिविल सर्जन
		50	सचिव जिला स्वास्थ्य समिति
16.	टीकमगढ़	51	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
		52	सिविल सर्जन
		53	सचिव जिला स्वास्थ्य समिति
17.	उज्जैन	54	संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ
		55	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
		56	सिविल सर्जन
		57	सचिव जिला स्वास्थ्य समिति
18.	उमरिया	58	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
		59	सिविल सर्जन
		60	सचिव जिला स्वास्थ्य समिति

परिशिष्ट 3.2
(संदर्भ:- कंडिका 3.1.7.2 पृष्ठ 87)

वर्ष 2009-12 की अवधि में 20 प्रतिशत एवं ₹ 50 लाख से अधिक की बचत को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स.क्र.	वर्ष	अनुदान क्रमांक	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	अंतिम आवंटन	व्यय	बचत	कुल प्रावधान का बचत प्रतिशत
1	2009-10	19	2211	4602	स्टरलाइजेशन	350.00	89.99	260.01	74
2	2009-10	19	3606	2498	पारंपरिक निरोध का प्रदाय	500.00	0	500.00	100
3	2009-10	19	3606	4245	मलेरिया	300.00	0	300.00	100
4	2009-10	19	3606	6106	सार्वभौमिक टीकाकरण	1200.00	0	1200.00	100
5	2009-10	19	4210	7648	अस्पताल एवं औषधालय के लिए भवन निर्माण	851.17	462.60	388.57	46
6	2009-10	19	4210	6920	नाबार्ड की सहायता से प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण	406.00	188.16	217.84	54
7	2009-10	41	4210	6882	सा.स्वा.केन्द्र / प्रा.स्वा. केन्द्र / उप स्वा.केन्द्र का निर्माण (नाबार्ड)	285.11	131.78	153.33	54
8	2010-11	19	2210	6051	अस्पताल के लिए जनरेटर	131.91	41.91	90.00	68
9	2010-11	19	2210	4245	मलेरिया	750.00	577.86	172.14	23
10	2010-11	19	2210	0750	औषधि नियंत्रण	580.78	409.33	171.45	30
11	2010-11	19	3606	4245	मलेरिया	300.00	0	300.00	100
12	2010-11	41	2210	4245	मलेरिया	380.00	163.92	216.08	57
13	2010-11	41	4210	7648	अस्पताल एवं औषधालय के लिए भवन निर्माण	442.19	134.51	307.68	70
14	2011-12	19	4210	6882	सा.स्वा.केन्द्र / प्रा.स्वा. केन्द्र / उप स्वा.केन्द्र का निर्माण (नाबार्ड)	844.14	107.63	736.51	87
15	2011-12	19	4210	7648	अस्पताल एवं औषधालय के लिए भवन निर्माण	293.24	184.61	108.63	37
16	2011-12	64	4210	7648	अस्पताल एवं औषधालय के लिए भवन निर्माण	600.99	210.99	390.00	65
17	2011-12	64	4210	6882	सा.स्वा.केन्द्र / प्रा.स्वा. केन्द्र / उप स्वा.केन्द्र का निर्माण (नाबार्ड)	330.54	242.17	88.37	27
						8546.07	2945.46	5600.61	66

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ:- कंडिका 3.1.7.3 पृष्ठ 88)

संचालनालय स्तर पर आयोजनान्तर्गत व्यय के अधिव्यय को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	वर्ष	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	फरवरी तक व्यय	मार्च में व्यय	वर्ष का कुल व्यय	मार्च में प्रतिशत
1	2009-10	41	2210	5724	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वा. मिशन	666.67	1333.33	2000.00	67
2	2009-10	41	2210	7317	ग्रामीण अस्पतालों का उन्नयन	60.16	60.39	120.55	50
3	2009-10	64	2210	5724	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वा. मिशन	508.33	1016.67	1525.00	67
4	2009-10	64	4210	6882	सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के./उ.स्वा.के का निर्माण (नाबार्ड)	48.45	67.29	115.74	58
5	2010-11	64	2210	7317	ग्रामीण अस्पतालों का उन्नयन	179.41	360.14	539.55	67
6	2011-12	19	2210	6271	जे.पी.अस्पताल का आधुनिकीकरण	4.98	50.00	54.98	91
7	2011-12	41	2210	7317	ग्रामीण अस्पतालों का उन्नयन	384.38	481.56	865.94	56
8	2011-12	41	2210	8798	ग्रामीण अस्पतालों का उन्नयन	541.52	575.78	1117.30	52
9	2011-12	41	4210	5056	सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के/उ.स्वा.के. का निर्माण	673.34	1287.45	1960.79	66
10	2011-12	41	4210	6453	स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण	129.58	363.52	493.10	74
11	2011-12	41	4210	6882	सा.स्वा.के /प्रा.स्वा.के./उ.स्वा.के का निर्माण (नाबार्ड)	203.43	265.71	469.14	57
12	2011-12	41	4210	7648	आस्पतालों एवं औषधालयों का निर्माण	14.19	102.00	116.19	88
13	2011-12	64	4210	5056	सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के/उ.स्वा.के. का निर्माण	708.06	2333.53	3041.59	77
14	2011-12	64	4210	6453	स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण	97.82	141.28	239.10	59
15	2011-12	64	4210	6882	सा.स्वा.के /प्रा.स्वा.के./उ.स्वा.के का निर्माण (नाबार्ड)	106.12	136.05	242.17	56
16	2011-12	64	4210	7648	आस्पतालों एवं औषधालयों का निर्माण	20.81	190.18	210.99	90
						4347.25	8764.88	13112.13	67

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ:- कंडिका 3.1.7.8 पृष्ठ 91)

लेखा पंजीयों के संधारण के संबंध में संहिता के प्रावधानों के अनुपालन को दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	इकाई का नाम / : I.एवं स.अ.	देयक पंजी की समीक्षा	बिल ट्रांजिट बुक की समीक्षा	बजट नियंत्रण पंजी का संधारण	आकस्मिक पंजी का संधारण
1	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
2	संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
4	सिविल सर्जन, जे.पी.अस्पताल, भोपाल	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
5	सिविल सर्जन, बालाघाट	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
6	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बालाघाट	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
7	सिविल सर्जन, बड़वानी	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
8	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बड़वानी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
9	सिविल सर्जन, छतरपुर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छतरपुर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
11	सिविल सर्जन, छिंदवाड़ा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
12	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छिंदवाड़ा	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
13	सिविल सर्जन, डिंडोरी	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
14	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डिंडोरी	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
15	सिविल सर्जन, धार	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
16	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धार	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
17	सिविल सर्जन, गुना	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
18	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गुना	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
19	संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, इंदौर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
20	सिविल सर्जन, इंदौर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
21	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इंदौर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
22	सिविल सर्जन, खरगौन	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ

23	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खरगौन	नही	नही	नही	नही
24	सिविल सर्जन, मण्डला	नही	नही	नही	हाँ
25	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मण्डला	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
26	सिविल सर्जन, रतलाम	नही	नही	नही	नही
27	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतलाम	नही	नही	हाँ	नही
28	संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाए, सागर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
29	सिविल सर्जन, सागर	नही	नही	हाँ	हाँ
30	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सागर	नही	नही	हाँ	हाँ
31	सिविल सर्जन, सीहोर	नही	नही	नही	नही
32	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिहोर	नही	नही	हाँ	हाँ
33	सिविल सर्जन, शहडोल	नही	नही	नही	नही
34	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शहडोल	नही	नही	नही	नही
35	सिविल सर्जन, टीकमगढ़	नही	नही	नही	हाँ
36	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टीकमगढ़	नही	नही	नही	नही
37	संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाए, उज्जैन	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
38	सिविल सर्जन, उज्जैन	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
39	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उज्जैन	हाँ	नही	हाँ	हाँ
40	सिविल सर्जन, उमरिया	नही	नही	नही	हाँ
41	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उमरिया	नही	नही	नही	हाँ
		हाँ-08 नही- 33	हाँ-07 नही-34	हाँ-17 नही-24	हाँ-23 नही-18

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ:- कंडिका 3.1.7.9 पृष्ठ 91)

चार स्तरीय वेतनमान में अधिक भुगतान को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

स. क्र.	इकाई का नाम	अवधि	प्रकरणों की संख्या	देय (मूल+ग्रेड पे)	आहरित (मूल+ग्रेड पे)	अधिक
1	मु.चि.एवं स्वा.अ., बालाघाट	26.08.08 to 31.12.11	14	18906821	22252977	3346156
2	सि.स., बालाघाट	26.08.08 to 31.12.11	16	23132193	25612674	2480481
3	सं. स., भोपाल.	26.08. 08 to 31.03.12	02	4077114	4207446	130332
4	मु.चि.एवं स्वा.अ., भोपाल.	26.08. 08 to 31.03.12	21	29152310	32926426	3774116
5	सि.स., बड़वानी	26.08.08 to 31.03.12	17	25320706	29242089	3921383
6	सि.स., उमरिया	26.08.08 to 31.03.12	04	5278170	5868828	590658
7	सि.स., छत्तरपुर	26.08.08 to 31.03.12	13	21533040	22806780	1273740
8	सि.स., इंदौर	26.08.08 to 31.03.12	06	10065572	11441546	1375974
9	सि.स., रतलाम	26.08.08 to 31.05.12	10	16476761	18062366	1585605
10	सी.एच. एस., भोपाल.	26.08.08 to 31.03.12	03	4186675	4516270	329595
11	मु.चि.एवं स्वा.अ., रतलाम	26.08.08 to 31.03.12	04	6472570	6948158	475588
12	मु.चि.एवं स्वा.अ., शहडोल	26.08.08 to 29.02.12	06	8959460	10304081	1344621
13	सि.स., शहडोल	26.08.08 to 29.02.12	03	4571233	5058897	487664
14	मु.चि.एवं स्वा.अ., उज्जैन	26.08.08 to 29.02.12	04	5955797	6629399	673602
15	सि.स., उज्जैन	26.08.08 to 31.03.12	07	11933123	13862098	1928975
16	मु.चि.एवं स्वा.अ., छत्तरपुर	26.08.08 to 31.03.12	01	1571751	1717225	145474
17	मु.चि.एवं स्वा.अ., इंदौर	26.08.08 to 31.03.12	06	8925164	10265434	1340270
18	मु.चि.एवं स्वा.अ., डिंडोरी	26.08.08 to 31.05.12	01	1615780	1764237	148457
19	सि.स., छिंदवाड़ा	01.01.10 to 31.01.12	19	12519580	14189950	1670370
20	सि.स., गुना	26.08.08 to 31.03.12	02	3624147	5460017	1835870
21	मु.चि.एवं स्वा.अ., खरगौन	26.08.08 to 31.03.12	13	19289934	21370692	2080758
22	मु.चि.एवं स्वा.अ., गुना	26.08.08 to 31.03.12	05	7500546	8978460	1477914
23	मु.चि.एवं स्वा.अ., टीकमगढ़	26.08.08 to 29.02.12	09	13247338	15381656	2134318
24	मु.चि.एवं स्वा.अ., सागर	26.08.08 to 31.03.12	06	8721192	10372572	1651380
25	सि.स., मण्डला	26.08.08 to 31.03.12	01	1392552	1648656	256104
26	सि.स., खरगौन	01.10.09 to 31.10.11	17	16153492	18180790	2027298
			210	290583021	329069724	38486703

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ:- कंडिका 3.1.7.12 पृष्ठ 93)

जि.स्वा.स. द्वारा क्षेत्रीय इकाईयो को वर्ष के अंत में निधि जारी करने संबंधी पत्रक

(राशि ₹ लाख में)

स. क्र.	इकाई का नाम	इकाईयो की संख्या	वर्ष 2009-10 में राशि	इकाईयो की संख्या	वर्ष 2010-11 में राशि	इकाईयो की संख्या	वर्ष 2011-12 में राशि	कुल इकाईयो की संख्या	कुल राशि
1	जिला स्वा.स., बडवानी	0	0	0	0	8	84.90	8	84.90
2	जिला स्वा.स., भोपाल	2	20.50	3	42.09	1	36.00	6	98.59
3	जिला स्वा.स., छत्तरपुर	0	0	1	2.00	6	21.72	7	23.72
4	जिला स्वा.स., छिदवाडा	3	9.81	5	54.80	1	2.00	9	66.61
5	जिला स्वा.स., धार	13	52.98	13	63.99	14	152.24	40	269.21
6	जिला स्वा.स., डिंडोरी	7	14.47	7	46.94	5	10.90	19	72.31
7	जिला स्वा.स., गुना	4	7.50	5	44.50	5	32.89	14	84.89
8	जिला स्वा.स., खरगौन	0	0	0	0	10	35.82	10	35.82
9	जिला स्वा.स., मण्डला	0	0.00	6	10.15	8	16.00	14	26.15
10	जिला स्वा.स., रतलाम	2	5.00	5	42.25	5	14.00	12	61.25
11	जिला स्वा.स., सागर	2	10.00	4	20.00	0	0.00	6	30.00
12	जिला स्वा.स., सिहोर	4	30.00	4	45.00	1	5.00	9	80.00
13	जिला स्वा.स., टीकमगढ़	3	15.00	6	139.27	6	24.00	15	178.27
14	जिला स्वा.स., उमरिया	3	32.82	4	24.42	0	0.00	7	57.24
	योग	43	198.08	63	535.41	70	435.47	176	1168.96

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ:- कंडिका 3.1.7.13 पृष्ठ 94)

वर्ष 2010-11 से 2011-12 की अवधि में एक योजना से दूसरी योजना में निधियों के अंतरण को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	रोकड बही का पृष्ठ क्र. एवं दिनांक	योजना का नाम जिससे निधि आहरित की गई	योजना का नाम जिसमें राशि अंतरित की गई	अंतरित राशि
1	99/21.12.10	एन.आर.एच.एम.	आर.सी.एच.	7.00
2	111/21.1.11	आर.सी.एच.	एन.आर.एच.एम.	5.00
2	140/22.3.11	एन.आर.एच.एम.	आर.सी.एच.	2.00
3	151/31.3.11	आर.सी.एच.	एन.आर.एच.एम.	25.00
4	13/18.5.11	एन.आर.एच.एम.	आर.सी.एच.	2.00
5	23/8.6.11	एन.आर.एच.एम.	टीकाकरण	5.00
6	64/4.10.11	आर.सी.एच.	एन.आर.एच.एम.	2.00
7	80/31.10.11	आर.सी.एच.	टीकाकरण	1.00
8	87/28.11.11	टीकाकरण	आर.सी.एच.	7.00
9	99/14.12.11	आर.सी.एच.	एन.व्ही.बी.डी.सी.पी.	1.00
10	106/2.1.12	आर.सी.एच.	टीकाकरण	7.00
11	126/3.2.12	एन.आर.एच.एम.	आर.सी.एच.	10.00
12	142/29.3.12	आर.सी.एच.	एन.आर.एच.एम.	10.00
13	142/29.3.12	टीकाकरण	एन.आर.एच.एम.	5.00
14	142/29.3.12	टीकाकरण	आर.सी.एच.	1.00
	योग			90.00

वर्ष 2010-11 में एक योजना से अन्य में निधियों के अंतरण को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	रोकड बही का पृष्ठ क्र. एवं दिनांक	योजना का नाम जिसमें से निधि आहरित की गई	योजना का नाम जिसमें राशि अंतरित की गई	अंतरित राशि
1	99/21.12.10	एन.आर.एच.एम.	आर.सी.एच.	-7.00
2	111/21.1.11	आर.सी.एच.	एन.आर.एच.एम.	5.00
2	140/22.3.11	एन.आर.एच.एम.	आर.सी.एच.	-2.00
3	151/31.3.11	आर.सी.एच.	एन.आर.एच.एम.	25.00
	योग			21.00

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ:- कंडिका 3.1.8.1 पृष्ठ 96)
दीन दयाल अंत्योदय उपचार योजना (दी.द.अ.उ.यो.) अंतर्गत
रोगी के उपचार पर अनियमित व्यय को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स.क्र.	ईकाई का नाम	अवधि वर्षों में	उपचारित रोगी की सं.	दी.द.अ.उ.यो.में कुल व्यय
1	मु. चि. एवं स्वा.अ.,सि.स., बडवानी	2009-12	35168	52.90
2	सि.स., बडवानी	2009-12	24292	124.24
3	मु. चि. एवं स्वा.अ., बालाघाट	2009-12 (12/2011 तक)	91440	137.20
4	सि.स., भोपाल	2011-12	28807	13.26
5	मु. चि. एवं स्वा.अ., छत्तरपुर	2009-12	19603	44.68
6	मु. चि. एवं स्वा.अ., छिंदवाड़ा	2009-12 (01/2012 तक)	144205	236.17
7	मु. चि. एवं स्वा.अ., खरगौन	2009-12	46319	127.82
8	सि.स., खरगौन	2009-11	13169	57.59
9	सि.स., रतलाम	2009-12	12854	82.77
10	मु. चि. एवं स्वा.अ., रतलाम	2010-12	8783	17.64
11	सि.स., सिहोर	2011-12	28481	39.17
12	मु. चि. एवं स्वा.अ., सीहोर	2009-12	29138	41.79
13	मु. चि. एवं स्वा.अ., शहडोल	2009-12 (1/12 तक)	29139	51.14
14	सि.स., शहडोल	2010-11	6419	7.45
15	मु. चि. एवं स्वा.अ., टीकमगढ़	2009-12 (02/2012 तक)	11288	29.67
16	मु. चि. एवं स्वा.अ., उमरिया	2009-12 (01/2012 तक)	36676	166.03
17	सि.स., उमरिया	2009-12 (01/2012 तक)	19311	113.74
	योग		585092	1343.26

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ:- कंडिका 3.1.8.2 पृष्ठ 97)

राज्य बीमारी सहायता निधि (रा.बी.स.नि.) अंतर्गत लेखा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होना को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स.क्र.	ईकाई का नाम	अवधि	प्रकरणों की संख्या	उपचार के लिए दी गई राशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त प्रकरणों की संख्या	राशि जिसकी उ.प्र.प.प्राप्त हुई	प्रकरणों जिसकी उ.प्र.प.प्राप्त नहीं हुई	राशि जिसकी उ.प्र.प.प्राप्त नहीं हुई
1	आ.स्वा. से., भोपाल	2010-12	4739	6511.70	1042	1428.46	3697	5083.24
2	मु.चि.एवं स्वा.अ., बड़वानी	2009-12	120	85.13	33	22.83	87	62.30
3	मु.चि.एवं स्वा.अ., छतरपुर	2009-12	217	150.74	00	00	217	150.74
4	मु.चि.एवं स्वा.अ., छिंदवाड़ा	2009-12 (12/2011 तक)	334	270.51	78	49.11	256	221.40
5	मु.चि.एवं स्वा.अ., धार	2009-12	201	109.98	164	86.19	37	23.79
6	मु.चि.एवं स्वा.अ., डिंडोरी	2009-12	36	23.65	4	2.15	32	21.50
7	मु.चि.एवं स्वा.अ., खरगौन	2011-12	50	34.73	19	11.16	31	23.57
8	मु.चि.एवं स्वा.अ., इंदौर	2009-12	302	198.70	0	0.00	302	198.70
9	मु.चि.एवं स्वा.अ., मण्डला	2009-12	117	84.08	49	29.67	68	54.41
10	मु.चि.एवं स्वा.अ., रतलाम	2009-12	79	59.5	33	25.98	46	33.52
11	मु.चि.एवं स्वा.अ., सिहोर	2009-12	283	172.67	15	9.35	268	163.32
12	मु.चि.एवं स्वा.अ., टीकमगढ़	2009-12	221	132.96	0	0.00	221	132.96
13	मु.चि.एवं स्वा.अ., उज्जैन	2010-12	108	78.26	0	0.00	108	78.26
14	मु.चि.एवं स्वा.अ., उमरिया	2009-12 (02/2012 तक)	41	27.17	0	0	41	27.17
	योग		6848	7939.78	1437	1664.90	5411	6274.88

परिशिष्ट 3.10

(संदर्भ:- कंडिका 3.1.8.6 पृष्ठ 101)

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान प्रावधानित गतिविधियाँ, जो संचालित न हो सकी, को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ लाख में)

स.क्र.	मुख्य गतिविधि	क्र.सं.	उप गतिविधि	वर्ष							
				2009-10		2010-11		2011-12			
				भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
1.	शिशु स्वास्थ्य	1	5 चिकित्सा महाविद्यालयों को प्री सर्विस आई. एम.एन.सी.आई. के लिए सहायता	05	20.00	निरंक	0	निरंक	0	निरंक	0
2.	नवाचार / पी.पी.पी.	2	6 आंशिक रूप से पूर्ण 2 एस.एन.सी.यू. लेवल के रखरखाव लागत (उपमोज्य, दवा, ऑक्सीजन, बिजली, आकस्मिक लागत के लिए)	06	30.00	निरंक	0	निरंक	0	निरंक	0
3.		3	10 एम.एन.जी.ओ. को द्वितीय अनुदान सहायता	10	150.00	निरंक	0	निरंक	0	निरंक	0
4.		4	एन.आर.सी.एवं एफ-75 तथा एफ- 100 की दक्षता प्रभाव का निर्धारण एवं निष्पादन लेखापरीक्षा	निरंक	0	निरंक	0	निरंक	1	निरंक	45.00
5.		5	मातृ मृत्यु दर में द्वितीय स्तर के विलंब को दूर करने के हेतु गर्भवती महिलाओं को जननी एक्सप्रेस द्वारा रेंफरल परिवहन के उपयोगिता एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन	निरंक	0	निरंक	0	निरंक	1	निरंक	25.00
3.	जन सुस्था योजना	6	राज्य स्तरीय आई.ई.सी.एवं प्रशासनिक व्यय -0.5 प्रतिशत	एकमुश्त	119.00	निरंक	0	निरंक	एकमुश्त	निरंक	300.00
4.	मानव संसाधन एवं अधोसंरचना	7	प्रत्येक पी.आई. सी.यू.में 2 शिशुरोग विशेषज्ञ का वेतन	60	50.40	निरंक	0	निरंक	0	निरंक	0
		8	नौ जिला अस्पतालों में डायटिशियन की नियुक्ति	9	5.40	निरंक	0	निरंक	0	निरंक	0
		9	पी.आई.सी.यू. के लिये स्टाफ नर्स- 6 प्रति पी.आई.सी.यू.	60	18.00	निरंक	0	निरंक	0	निरंक	0
		10	जिला अस्पतालों में स्तरीय एस.एम.सी.यू. के लिए (3 स्टाफ नर्स तथा 3 सहायक अमला) मानव संसाधन	16	16.00	निरंक	0	निरंक	0	निरंक	0
		11	मिडवॉईफ संवर्ग का सुदृढीकरण	निरंक	0	निरंक	50	निरंक	67.50	निरंक	0

		सभी खंड लेखापालों के लेखांकन प्रक्रिया एवं वित्तीय मामलों का प्रशिक्षण	निरंक	0	निरंक	0	5	10.00
7.	कार्यक्रम प्रबंधन	6 डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, 6 कार्यालय सहायक, एवं सहायक स्टॉफ	एकमुश्त	13.68	निरंक	0	निरंक	0
8.	आशा कार्यक्रम	अनुभव आदान - प्रदान कार्यशाला	1	5.00	निरंक	0	निरंक	0
		आशा के लिए राज्य स्तरीय टी.ओ.टी. मॉड्यूल -5 प्रशिक्षण 40 प्रतिभागियों के लिये	40	2.83	निरंक	0	निरंक	0
		50000 आशा के लिए मॉड्यूल -5 का प्रशिक्षण - 30 प्रतिभागी प्रत्येक बैच	50,000	697.00	निरंक	0	निरंक	0
		आशा,संभाग स्तरीय टी.ओ.टी. को मॉड्यूल -5 का प्रशिक्षण 30-35 प्रतिभागी प्रत्येक बैच	210	7.91	निरंक	0	निरंक	0
		आशा को मॉड्यूल -5 संभागीय स्तरीय प्रबंधकीय लागत के लिए मॉड्यूल -5 को प्रशिक्षण	एकमुश्त	7.00	निरंक	0	निरंक	0
		सामुदायिक निगरानी	4	25.00	निरंक	0	निरंक	0
9.	स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन / सुदृढीकरण	सर्वेक्षण परामर्श सेवाएँ सहित आदि स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण / उन्नयन	30	450.86	627	490.00	निरंक	0
10.	उपार्जन	लेप्रोस्कोप का क्रय, मरम्मत एवं रखरखाव	एकमुश्त	130.64	निरंक	0	निरंक	0
		जि.अ. के लिए थैरेपेटिक -एफ-75 एवं एन.आर.सी.हेतु दूध , ब्लडकिट, वैक्यूम क्लीनर, चिकित्सीय गर्भपात के लिए दवाएँ आदि का प्रावधान	1,000	1.98	निरंक	0	359042	297.00
		जिला अस्पताल में एस. एन. सी.यू. लेवल के लिए उपकरण का उपार्जन	16	21.22	निरंक	0	निरंक	0
		पांच लेवल 2 एस.एन.सी.यू. के उपकरण लागत	5	66.31	निरंक	0	निरंक	0
		अतिरिक्त चयनित 10000 आशाओं के लिए प्रिंटिंग मॉड्यूल 1-4	एकमुश्त	13.26	निरंक	0	निरंक	0
		सात जिला अस्पतालों में लेवल-2 एस.एन.सी.यू. के लिए उपकरण	7	92.84	निरंक	0	निरंक	0
		मॉड्यूल एवं आई.ई.सी.का प्रिंटिंग	0	16.58	निरंक	0	निरंक	0
11.	गुणवत्ता आश्वासन	ऑन साइट प्रशिक्षण-वर्ग 2 एवं नर्स-10 बैच	15	15.00	निरंक	0	निरंक	0
		अंतर विश्लेषण	5	1.50	निरंक	0	निरंक	0

		46	बेसलाइन मूल्यांकन	10	1.00	निरंक	0	निरंक	0
		47	स्टेण्डर्ड एवं उद्देश्य एलेमेंट पर कोर टीम का प्रशिक्षण	9	9.00	निरंक	0	निरंक	0
		48	स्टेण्डर्ड ओपरेटिंग प्रोसिजर का विकास-जि.अ. के लिए बाह्य एजेंसी से तकनीकी सहायता सहित एस.ओ.पी. मैनुअल	5	3.00	निरंक	0	निरंक	0
		49	जिला अस्पताल स्टाफ के लिए बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का प्रशिक्षण	निरंक	0	7	14.00	50	6.25
12	चलंत चिकित्सा ईकाई	50	आदिवासी जिलों में आठ नैदानिक तथा डायग्नोस्टिक एवं स्पेशलेटी वलीनकल सेवाओं का प्रावधान तथा सेवाएं पी.पी.पी. द्वारा प्रदाय किया जायेगा	32	120.84	निरंक	0	निरंक	0
13	ई.एम.आर.आई.	51	एम्बुलेंस का संचालन/ लागत - फैंब्रिकेशन का लागत, फर्निशिंग एवं उपकरण	100	1050.00	55	396.00	40	280.00
		52	काल सेंटर की लागत	एकमुश्त	285.00	निरंक	0	निरंक	0
14	ए.आर.एस.एच.	53	ए.एफ.एच.एस.पर चिकित्सा अधिकारी का 3 तीन दिन का प्रशिक्षण (3 आर.एच.एफ.डब्ल्यू.टी.सी.एवं एस.आई. एच.एम.सी.वालियर में 30 प्रतिभागियों का 4 वैच)	निरंक	0	16	18.32	निरंक	0
		54	किशोरो के स्वास्थ्य को वाह्य गतिविधियों के द्वारा सुधार के लिए राज्य एडोलिसेंट रिसर्च एवं रिसोर्सिज सेंटर को सहायता	निरंक	0	एकमुश्त	5.00	निरंक	0
15	बालनेबल ग्रुप	55	आवश्यक उपकरण, औजार सहित सा.स्वा.केन्द्र वैहर,लांजी एवं प्रा.स्वा.के.विरसा, परसवाड़ा एवं किरनापुर का उन्नयन	निरंक	0	5	40.00	निरंक	0
		56	गर्भवती महिला के लिए आई.टी.एन. मच्छदानी तथा फेलसीफेस त्वरित जांच किट की लागत ।	निरंक	0	15,250	61.00	निरंक	0
		57	मुख्यालय पर ठहरने एवं रहने के लिए मेडिकल, पैरामेडिकल एवं अन्य स्टॉफ को विशेष प्राप्साहन ।	निरंक	0	एकमुश्त	37.44	निरंक	0
16	लाजिस्तिक	58	एस.बी.ए.प्रशिक्षण , पी.एच.एफ.के लिए मान्य मार्गदर्शिका, एवं ट्रेनिंग मॉड्यूल का प्रिंटिंग	निरंक	0	3,500	3.50	5500	9.79
		59	वर्कर फिजीसियन, एफ.यू.एस., एफ.आई.एन.सी.आई., मेडिकल ऑफिसर एवं स्टॉफ नर्स एवं एन. एस.एस.के प्रशिक्षण मॉड्यूल का प्रिंटिंग	निरंक	0	एकमुश्त	75.00	निरंक	0
		60	मॉड्यूलर किचिन की स्थापना, साफ पीने के पानी का प्रावधान, शिशु वार्ड का विकास	निरंक	0	Nil	0	56	153.50
17	विषम क्षेत्र दक्षता आधारित भत्ता	61	कठिन/ विषय क्षेत्र में सीमांक एवं बीमांक में पदस्थ सेवा प्रदाता के लिए विशेष क्षेत्र भत्ता	निरंक	0	एकमुश्त	1000.00	निरंक	0

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भ:- कंडिका 3.1.8.8 पृष्ठ 103)

आई.पी.एच.एस. मानदंड के अनुसार सुविधाएँ/सेवाओं की उपलब्धता को दर्शाने वाला पत्रक

स.क्र.	सुविधा/सेवाओं की आवश्यकता	सा. स्वा. के. की संख्या (332)		प्रा. स्वा.के. की संख्या (1156)		उ.स्वा.के. की संख्या (8761)	
		उपलब्ध	कमी	उपलब्ध	कमी	उपलब्ध	कमी
1.	मरीज के लिए प्रतिकालय कक्ष	332	331	1002	154 (13%)	7254	1507 (17%)
2.	प्रसूति कक्ष	299	33 (10%)	708	448 (39%)	131	8630 (98%)
3.	शल्य कक्ष	279	53 (16%)	आवश्यक नहीं		आवश्यक नहीं	
4.	आपात कालीन कक्ष	279	53 (16%)	आवश्यक नहीं		आवश्यक नहीं	
5.	क्लीनिक रूम	332	331	1156	निरंक	7254	1507 (17%)
6.	स्टॉफ के लिए आवासीय सुविधा	194	138 (42%)	376	780 (67%)	6926	1835 (21%)
7.	शासकीय भवन	215	117 (35%)	1002	154 (13%)	7254	1507 (17%)
8.	पुरुष/महिला के लिए अलग से जन सुविधा	215	117 (35%)	1002	154 (13%)	7254	1507 (17%)
9.	पानी आपूर्ति के लिए प्रबंध	332	331	1002	154 (13%)	3645	5116 (58%)
10.	बिजली कनेक्शन	332	331	1156	निरंक	6484	2277 (26%)
11.	पृथक जनरेटर	332	331	350	806 (69%)	आवश्यक नहीं	
12.	औषधी भंडार	332	331	1156	निरंक	7254	1507 (17%)
13.	रक्त संग्रह सुविधा	26	306 (92%)	आवश्यक नहीं		आवश्यक नहीं	
14.	नवजात ईकाई	308	24 (7%)	452	704 (61%)	आवश्यक नहीं	
15.	भर्ती मरीज सुविधाएँ	332	331	जानकारी उपलब्ध नहीं		आवश्यक नहीं	
16.	एक्सरे	229	103 (31%)	46	1110 (96%)	आवश्यक नहीं	
17.	प्रसूति देखभाल	332	331	708	448 (39%)	आवश्यक नहीं	
18.	आपात कालीन सुविधाएँ (24x 7)	305	27 (8%)	253	903 (78%)	आवश्यक नहीं	
19.	जांच सेवाएँ	229	103 (31%)	46	1110 (96%)	आवश्यक नहीं	
20.	पुरुष/महिला के लिए अलग-अलग वार्ड	332	331	1002	154 (13%)	आवश्यक नहीं	
21.	परिवार नियोजन (टी.टी./व्ही.टी.)	298/218	34/114 10%/34%	557/369	599/787 (52%/68%)	आवश्यक नहीं	
22.	प्रसव स्थिति की आंतरिक जांच	332	331	708	448 (39%)	आवश्यक नहीं	
23.	प्रयोगशाला जांच सुविधा(मलेरिया, टी.वी.एवं कुष्ठ)	308	24 (7%)	150	1006 (87%)	आवश्यक नहीं	

परिशिष्ट 3.12

(संदर्भ:- कंडिका 3.1.9.1 (ii) पृष्ठ 115)

टी.एन.एम.एस.सी.के द्वारा क्रय किये गये दवाओं के वितरण में विलंब के लिए दंड अधिरोपित न करने को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

स.क.	इकाई का नाम	अवधि	45 दिवस से अधिक विलंब (दिवस में)	शास्ति राशि का देयक से न काटा जाना
1	सि.स., बालाघाट	2010-11	90-120	304214
2	मु.चि.एवं स्वा.अधि., बालाघाट	2010-11	90-120	269092
3	मु.चि.एवं स्वा.अधि., बडवानी	2010-11	55-109	289318
4	सि.स., बडवानी	2010-12	60-90	926253
5	मु.चि.एवं स्वा.अधि., भोपाल	2010-12	60-90	214007
6	सी.एच., बैरागढ	2010-12	25-83	35842
7	सि.स., भोपाल	2010-12	17-115	259541
8	सी.एच.एस., भोपाल	2010-12	3-258	552914
9	मु.चि.एवं स्वा.अधि., छतरपुर	2010-12	4-181	610129
10	सि.स., छतरपुर	2011-12	60-424	531823
11	मु.चि.एवं स्वा.अधि., छिदवाडा	2010-11	47-70	38509
12	सि.स., छिदवाडा	2010-11	60-120	248358
13	मु.चि.एवं स्वा.अधि., धार	2010-12	60-80	365501
14	मु.चि.एवं स्वा.अधि., डिंडोरी	2010-12	2-174	911450
15	सि.स., डिंडोरी	2010-11	5-145	9189
		2011-12	5-145	143212
16	मु.चि.एवं स्वा.अधि., गुना	2010-12	60-80	266994
17	सि.स., गुना	2010-12	60-80	536516
18	सि.स., इन्दौर	2011-12	12-48	161028
19	मु.चि.एवं स्वा.अधि., इन्दौर	2011-12	1-12	1252
20	मु.चि.एवं स्वा.अधि., खरगौन	2010-11	47-260	324045
21	सि.स., खरगौन	2010-12	52-149	488255
22	सि.स., मंडला	2010-12	60-90	566229
23	मु.चि.एवं स्वा.अधि., मंडाला	2010-12	60-90	717130
24	सि.स., रतलाम	2010-11	41-81	89232
		2011-12	31-129	212180
254	मु.चि.एवं स्वा.अधि., रतलाम	2010-11	3-49	55528
		2011-12	1-169	298401
26	मु.चि.एवं स्वा.अधि., सागर	2010-12	60-90	581961
27	सि.स., सागर	2010-12	60-90	1374306
28	सि.स., सिहोर	2010-11	1-70	40093
		2011-12	2-412	559630
29	मु.चि.एवं स्वा.अधि., सिहोर	2010-11	7-65	181593
		2011-12	2-197	451805
30	मु.चि.एवं स्वा.अधि., शहडोल	2010-11	08-94	47084

31	सि.स., शहडोल	2010-11	06-95	15705
32	सि.स., टीकमगढ़	2010-12	60-90	229912
33	सि.स., उज्जैन	2010-12	09-446	1080881
34	मु.धि.एवं स्वा.अधि., उज्जैन	2011-12	4-120	367956
35	मु.धि.एवं स्वा.अधि., उमरिया	2010-12	60-80	492762
36	सि.स., उमरिया	2010-12	60-90	721842
	योग		1-446	15571672

परिशिष्ट-3.13

(संदर्भ: कण्डिका 3.2.7, पृष्ठ 130)

संस्कृति संचालनालय के बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति दर्शाते हुए प्रपत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान			व्यय			बचत(-)/आधिव्य (+) (प्रतिशत)	
	आयोजना	आयोजनेत्तर	योग	आयोजना	आयोजनेत्तर	योग	आयोजना	आयोजनेत्तर
2009-10	7.43	15.90	23.33	7.37	15.64	23.01	0.06 (0.81)	0.26 (1.64)
2010-11	9.93	29.60	39.53	9.90	28.39	38.29	0.03 (0.30)	1.21 (4.09)
2011-12	21.60	29.15	50.75	18.59	27.29	45.88	3.01 (13.94)	1.86 (6.38)
योग		74.65	113.61	35.86	71.32	107.18	3.1	3.33

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदाय किये गये आँकड़े)

परिशिष्ट-3.14

(संदर्भ: कण्डिका 3.2.7, पृष्ठ 130)

पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय के बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति दर्शाते हुए प्रपत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान			व्यय			बचत(-)/आधिव्य (+) (प्रतिशत)	
	आयोजना	आयोजनेत्तर	योग	आयोजना	आयोजनेत्तर	योग	आयोजना	आयोजनेत्तर
2009-10	6.31	10.72	17.03	6.18	9.20	15.38	0.13 (2.06)	1.52 (14.18)
2010-11	1.83	13.26	15.09	1.73	12.25	13.98	0.10 (5.46)	1.01 (7.62)
2011-12	45.78	15.61	61.39	36.78	12.81	49.59	9.00 (19.66)	2.80 (17.94)
योग	53.92	39.59	93.51	44.69	34.26	78.95	9.23	5.33

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदाय किये गये आँकड़े)

परिशिष्ट-3.15

(संदर्भ: कण्डिका 3.2.7, पृष्ठ 130)

स्वराज संस्थान संचालनालय के बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति दर्शाते हुए प्रपत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान			व्यय			बचत(-)/आधिव्य (+) (प्रतिशत)	
	आयोजना	आयोजनेत्तर	योग	आयोजना	आयोजनेत्तर	योग	आयोजना	आयोजनेत्तर
2009-10	3.22	0.63	3.85	3.21	0.61	3.82	0.01 (0.31)	0.02 (3.17)
2010-11	5.81	1.77	7.58	5.44	1.74	7.18	0.37 (6.37)	0.03 (1.69)
2011-12	10.14	1.15	11.29	10.11	1.10	11.21	0.03 (0.29)	0.05 (4.35)
योग	19.17	3.55	22.72	18.76	3.45	22.21	0.41	0.10

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदाय किये गये आँकड़े)

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ: कडिका 4.1.3, पृष्ठ 162)

चेकों का विवरण

स.क्र.	चेक क्रमांक एवं दिनांक	राशि (₹)	बैंक से आहरण की तिथि	किसे भुगतान किया गया
1	1733111, दिनांक 13/09/2007	240000	17/09/07	स्वयं
2	1733113, दिनांक 14/12/2007	150000	17/12/07	स्वयं
3	1733114, दिनांक 07/02/2008	180000	08/02/08	स्वयं
4	1733115, दिनांक 19/05/2008	180000	21/05/08	स्वयं
5	1733112, दिनांक 10/12/2008	185000	11/12/08	स्वयं
6	1733116, दिनांक 17/12/2008	318100	22/12/08	स्वयं
7	1733117, दिनांक 31/01/2009	180000	02/02/09	स्वयं
8	1733118, दिनांक 20/02/2009	160000	21/02/09	स्वयं
9	1733119, दिनांक 24/02/2009	366000	26/02/09	योरसेल्फ
10	1733120, दिनांक 02/03/2009	180000	03/03/09	स्वयं
11	1733121, दिनांक 20/04/2009	360000	20/04/09	स्वयं
12	1733122, दिनांक 24/04/2009	260000	27/04/09	स्वयं
13	1733123, दिनांक 16/06/2009	180000	17/06/09	स्वयं
14	1733124, दिनांक 28/07/2009	270000	29/07/09	स्वयं
15	1733125, दिनांक 22/08/2009	250000	24/08/09	स्वयं
16	074661, दिनांक 05/04/2010	360000	05/04/10	स्वयं
17	074662, दिनांक 17/05/2010	360000	18/05/10	स्वयं
योग		4179100		